VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

जून 2022

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 2 AUGUST, 9 AM | 24 JUNE, 1 PM
LUCKNOW: 7 JULY | 9 AM
JAIPUR: 16 AUG | 4 PM

ABHYAAS
MAINS 2022
ALL INDIA GS MAINS
MOCK TEST (OFFLINE)
GS-1 & GS-2
27 AUGUST
GS-3 & GS-4
28 AUGUST
All India Percentile
Closely aligned to UPSC pattern
Concrete Feedback & Corrective Measures
Available in ENGLISH / हिन्दी
40 CITIES
Register at: www.visionias.in/abhyaas
Ahmedabad | Aizawl | Bengaluru | Bhopal | Bhubaneswar | Chandigarh | Chennai | Coimbatore | Dehradun | Delhi | Ghaziabad | Gorakhpur | Guwahati
Hyderabad | Imphal | Indore | Itanagar | Jabalpur | Jaipur | Jammu | Jodhpur | Kanpur | kochi | Kolkata | Lucknow | Ludhiana | Mumbai | Nagpur | Noida
Patna | Prayagraj | Pune | Raipur | Ranchi | Rohtak | Shimla | Thiruvananthapuram | Varanasi | Vijayawada | Visakhapatnam

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) 8

1.1. केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission: CIS) 8

1.2. न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability) 9

1.3. जनहित याचिका (Public Interest Litigation) 11

1.4. हेट स्पीच (Hate Speech) 13

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 15

1.5.1. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdowns) 15

1.5.2. अंतरराज्यीय परिषद (ISC) की बैठक {Inter-State Council (ISC) meetings} 15

1.5.3. राज्य सभा (RS) सदस्यों के निर्वाचन के लिए कई राज्यों में चुनाव आयोजित किये गए {Rajya Sabha (RS) Elections Held for Several States} 16

1.5.4. पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल {Registered Unrecognised Political Parties (RUPPs)} 17

1.5.5. नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन {National e-Vidhan Application (NeVA)} 17

1.5.6. एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना (Contesting Elections From Multiple Seats) 17

1.5.7. दलबदल रोधी कानून (Anti-Defection Law) 18

1.5.8. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट, 2021 {National E-Governance Service Delivery Assessment (NeSDA) 2021 Report} 18

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) *20*

2.1. विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization: WTO) 20

2.2. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विकल्प (Alternatives to Belt and Road Initiative) 23

2.3. उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) 26

2.4. ब्रिक्स (BRICS) 28

2.5. भारत-यूरोपीय संघ (India- European Union) 31

2.6. सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty: IWT) 34

2.7. तालिबान के प्रति भारत का रुख (India's Engagement with Taliban) 36

2.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 39

2.8.1. भारत और संयुक्त अरब अमीरात {India and United Arab Emirates (UAE)} 39

2.8.2. पश्चिमी सेती जलविद्युत परियोजना (West Seti Power Project) 39

2.8.3. अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा {International North-South Transit Corridor (INSTC)} 40

2.8.4. इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात व्यापार समझौता (Israel and UAE Trade deal) 40

2.8.5. उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल (Northern Ireland Protocol) 41

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 42

3.1. सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धित में अंतराल (GDP-GVA GAP) 42

3.2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investments: FDI) 44

3.3. भारत का कौशल परिदृश्य (Skilling Landscape of India) 46

3.4. गिग वर्कर्स (GIG Workers) 49

3.5. गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (Non-Performing Assets: NPAs) 52

3.6. भारतीय भुगतान प्रणाली (Indian Payment System) 56

3.7. विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (Special Economic Zones: SEZ) 58

3.8. रेलवे में नवाचार (Innovation in Railways) 61

3.9. भारत और वैश्विक सूचकांक (India and Global Indices) 63

3.10. राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन रणनीति (National Strategy For Sustainable Tourism) 66

3.11. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 68

3.11.1. दोहरे घाटे की समस्या (Twin Deficit problem) 68

3.11.2. यू.एस. फेडरल रिज़र्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में बढ़ोतरी की (US Federal Reserve Hikes Its Benchmark Interest Rate) 69

3.11.3. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का एकल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड (Single Nodal Agency Dashboard of PFMS) 69

3.11.4. वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रतिपूर्ति उपकर की समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ाई गई (GST compensation cess levy extended till March 2026) 70

3.11.5. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण {International Financial Services Centres Authority (IFSCA)} 70

3.11.6. नियो बैंक (Neobanks) 70

3.11.7. गूगल टैक्स (Google Tax) 71

3.11.8. वैकल्पिक निवेश कोष {Alternative Investment Fund (AIF)} 72

3.11.9. हाइब्रिड प्रतिभूतियां (Hybrid Securities) 72

3.11.10. दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना {Production Linked Incentive (PLI) - Telecom sector} 72

3.11.11. सागरमाला युवा पेशेवर (SYP) योजना {Sagarmala Young Professional (SYP) Scheme} 73

3.11.12. जन समर्थ पोर्टल (Jan Samarth Portal) 73

3.11.13. निर्यात/NIRYAT (राष्ट्रीय आयात-निर्यात वार्षिक व्यापार विश्लेषण रिकॉर्ड) पोर्टल {NIRYAT (National Import-Export Record for Yearly Analysis of Trade) portal} 73

3.11.14. विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, 2022 (World Competitiveness Index 2022) 73

VISIONIAS

3.11.15. स्पेशल 301 रिपोर्ट (Special 301 Report) 73

4. सुरक्षा (Security) ***75***

4.1. अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) 75

4.2. रक्षा आधुनिकीकरण (Defence Modernization) 77

4.3. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) 80

4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 82

4.4.1. महत्वपूर्ण अवसंरचना {Critical Infrastructure (CI)} 82

4.4.2. मल्टी एजेंसी सेंटर {Multi Agency Centre (MAC)} 83

4.4.3. ओवरग्राउंड वर्कर्स {Overground Workers (OGWs)} 83

4.4.4. अभ्यास (Abhyas) 83

4.4.5. अग्नि-4 (Agni-4) 84

4.4.6. हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम {High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS)} 84

4.4.7. सुर्ख़ियों में रहे सैन्य अभ्यास (Military Exercises in News) 84

4.4.8. ऑपरेशन संकल्प (Operation Sankalp) 84

5. पर्यावरण (Environment) ***85***

5.1. स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष (50 years of Stockholm Conference) 85

5.2. जलवायु समता (Climate Equity) 87

5.3. एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध {Ban on Single Use Plastic (SUP)} 90

5.4. वन (संरक्षण) नियम, 2022 {Forest (Conservation) Rules, 2022} 93

5.5. पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zones: ESZ) 95

5.6. जल असुरक्षा (Water Insecurity) 98

5.6.1. वाटर कन्वेंशन (Water Convention) 101

5.7. तटीय क्षेत्रों में भूमि का धंसाव (Land Subsidence in Coastal Areas) 102

5.8. पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ (Floods in North-East India) 103

5.9. सतत विकास रिपोर्ट 2022 (Sustainable Development Report 2022) 106

5.10. यूरेनियम खनन (Uranium Mining) 108

5.11. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News In Shorts) 110

5.11.1. जलवायु और ऊर्जा पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच की बैठक का आयोजन {Major Economies Forum (MEF) On Climate And Energy} 110

5.11.2. लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट {Leaders in Climate Change Management (LCCM)} 111

VISIONIAS

5.11.3. वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद {Global Environment Facility (GEF) Council}..................................111
5.11.4. पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक {Environment Performance Index (EPI)}..112
5.11.5. लिविंग लैंड्स चार्टर (Living Lands Charter) 112
5.11.6. संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UN Ocean Conference) 112
5.11.7. कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट 2021-22 (Carbon Pricing Leadership Report 2021-22)...................112
5.11.8. कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का वर्तमान स्तर 40 लाख वर्ष पहले के स्तर के बराबर हो गया {Carbon dioxide (CO2) Levels Are Now Comparable to What They Were 4 Million Years Ago} 113
5.11.9. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने जनवरी 2023 से दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है {Commission for Air Quality Management (CAQM) bans Use of Coal in Delhi, nearby Cities from January 2023} 114
5.11.10. पर्यावरणीय मंजूरी के बिना अब वनों में भी चिड़ियाघर स्थापित किए जा सकते हैं (Zoos Exempted From Permissions Under FCA)..114
5.11.11. भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया (India Achieved 10% Ethanol Blending Target In Petrol) 115
5.11.12. REN21 की नवीकरणीय ऊर्जा 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट (REN21's Renewables 2022 Global Status Report) 115
5.11.13. विद्युत (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियमावली, 2022 {Electricity (Promoting Renewable Energy Through Green Energy Open Access) Rules, 2022} 116
5.11.14. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की बैटरियों के लिए प्रदर्शन संबंधी मानक निर्धारित किये {Bureau of Indian Standard (BIS) formulates performance standards for Electric Vehicle (EV) Batteries}117
5.11.15. 11वां वर्ल्ड अर्बन फोरम (WUF), 2022 {11th World Urban Forum (WUF), 2022}............................118
5.11.16. आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन {Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)} 118
5.11.17. एजूजैंथिली मूंगा (azooxanthellate corals)..119
5.11.18. नन चो गा (Nun cho ga)..119
5.11.19. मेघालय की बांस में रहने वाली चमगादड़ प्रजाति (Bamboo dwelling bat in Meghalaya)........................120
5.11.20. हीटवेव 2022: कारण, प्रभाव और भारतीय कृषि के लिए आगे की राह (Heat Waves 2022: Causes, Impacts and Way Forward for Indian Agriculture)..120
5.11.21. असम में आया विशाल भूकंप विवर्तनिकी से संबंधित (Tectonic Linkage To Great Assam Earthquake) ..120
5.11.22. मौसिनराम और चेरापूंजी (Mawsynram and Cherrapunji) 122

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) *123*

6.1. मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) (Accredited Social Health Activist: ASHAs) 123

6.2. सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 {Surrogacy (Regulation) Rules,2022}..125

6.3. बाल विवाह (Child Marriage) 128

6.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News In Shorts)...131
6.4.1. श्रेष्ठ योजना (SHRESTHA Scheme) 131

6.4.2. 'परख' (समग्र विकास के लिए कार्य-प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) {PARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development)} 131
6.4.3. वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए जिला प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (PGI-D) जारी {Performance Grading Index for Districts (PGI-D) for the year 2018-19 and 2019-20} 132
6.4.4. प्रधानमंत्री ई-विद्या (PM eVIDYA).. 132
6.4.5. क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 {Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings 2023} 133
6.4.6. 'सड़क पर रहने वाले बच्चे' {'Children in Street Situations (CiSS)'}... 133
6.4.7. भारत में प्रवास 2020-2021' रिपोर्ट ('Migration in India 2020-2021' Report).. 133
6.4.8. 'ग्लोबल ट्रेंड्स: फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2021' ('Global Trends: Forced Displacement in 2021')................ 134
6.4.9. आंतरिक विस्थापन पर कार्य एजेंडा (Action Agenda on Internal Displacement) 135
6.4.10. ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए मानदंड (Norms to protect kids working in OTT platforms) 136
6.4.11. विश्व व्यापार संगठन (WHO) ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की (WHO Releases World Mental Health Report) 136
6.4.12. गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स (GOAL) कार्यक्रम {Going Online as Leaders (GOAL) Programme} 136
6.4.13. राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान {National Tribal Research Institute (NTRI)} 136
6.4.14. राष्ट्रीय वायु खेल नीति (NASP) 2022 {National Air Sports Policy (NASP) 2022} 137
6.4.15. "संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय" (UNODC) ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 जारी की {United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) World Drug Report 2022}.. 137
6.4.16. स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) ने खुले में शौच से मुक्त (ODF) होने की स्थिति को बनाए रखने के लिए संशोधित स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल जारी किया {Swachh Bharat Mission- Urban 2.0 (SBM-U 2.0) launches Revised Swachh Certification Protocols to sustain ODF status} 138
6.4.17. हैबिटस (Habitus)... 138

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) ***140***

7.1. भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्रक (Private Sector in Space Programme of India) 140

7.2. ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen)... 142

7.3. खाद्य सुरक्षा (Food Safety).. 145

7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS)... 148
7.4.1. 5जी ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क {5G Open Radio Access Network (RAN)} 148
7.4.2. वेब 5.0 (Web 5.0) 149
7.4.3. लिक्विड-मिरर टेलिस्कोप (Liquid-Mirror Telescope: LMT).. 149
7.4.4. तीव्र रेडियो प्रस्फोट (Fast Radio Bursts: FRBs) 149
7.4.5. आर्टेमिस अकॉर्ड्स (Artemis Accords).. 150

7.4.6. सिस-लूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment: CAPSTONE) 150
7.4.7. कैंसर का इलाज (Cancer Cure) 150
7.4.8. देश का पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र (Country's First Liquid Nano Urea Plant) 151
7.4.9. स्टील स्लैग (इस्पात धातुमल) (Steel slag) 151
7.4.10. निक्सटामलाइज़ेशन (Nixtamalisation) 152

8. संस्कृति (Culture) ***153***

8.1. संत तुकाराम (Sant Tukaram) 153

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS) 153
8.2.1. चापेकर बंधुओं का मामला (Chapekar brothers case) 153
8.2.2. मुंबई समाचार (Mumbai Samachar) 154
8.2.3. कोडवा समुदाय (Kodavas) 154
8.2.4. भारत गौरव ट्रेन (Bharat Gaurav Train) 154
8.2.5. राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का शुभारंभ (Rashtriya Puruskar Portal Launched) 154

9. नीतिशास्त्र (Ethics) ***156***

9.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी नैतिकता (Ethics of Artificial Intelligence) 156

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएँ (Schemes in News) ***159***

10.1. प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban) 159

10.2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना (Employee State Insurance Scheme) 161

नोट:

प्रिय छात्रों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना लेखों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।

VISIONIAS

पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे स्मरण में बनाए रखने के लिए प्रश्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसे सक्षम करने के लिए हम प्रश्नों के अभ्यास हेतु मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में एक स्मार्ट क्विज़ को शामिल कर रहे हैं।

विषय को सुगमता पूर्वक समझने और सूचना के प्रतिधारण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्फोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।

सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

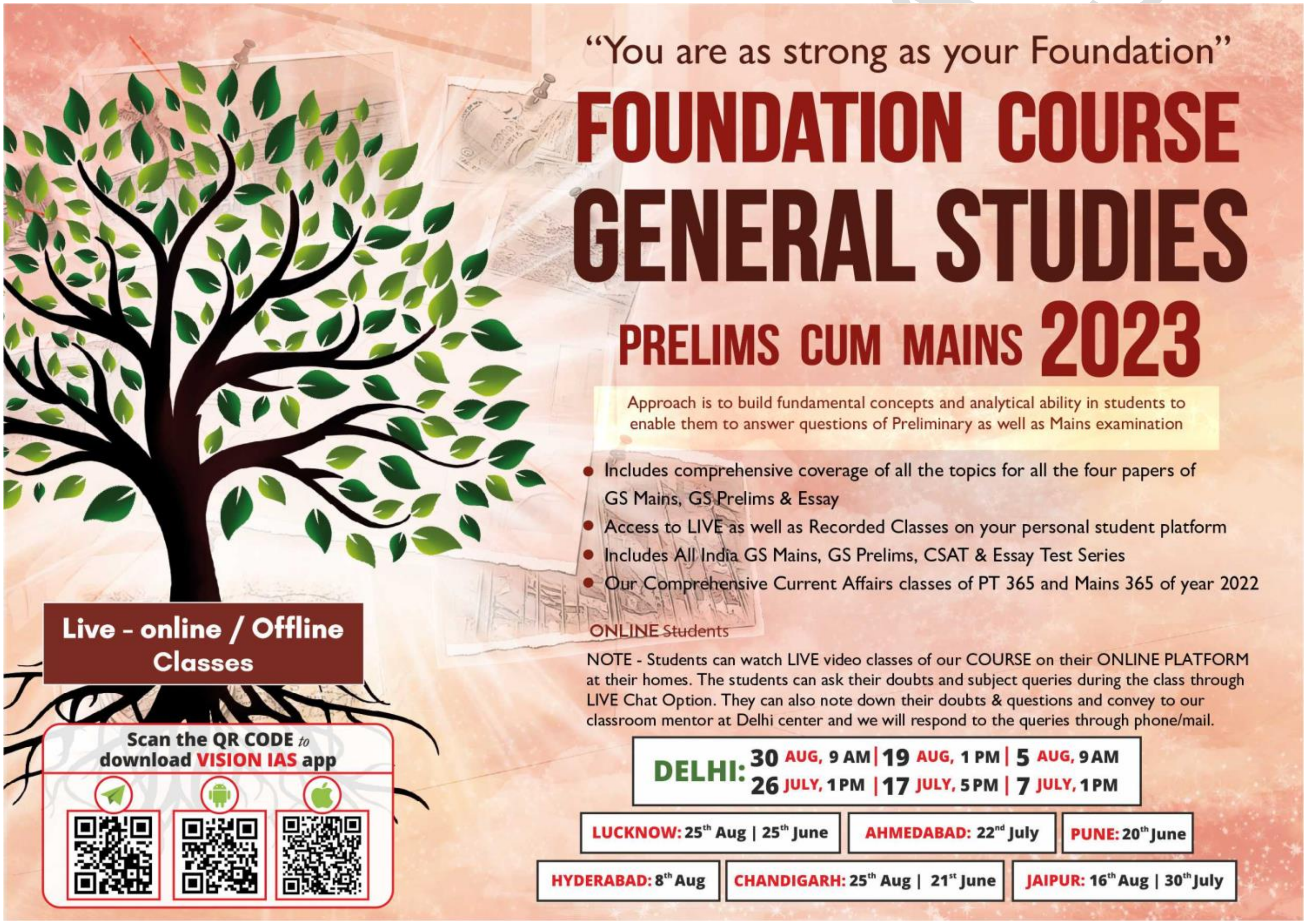

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission: CIS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सूचना के अधिकार (RTI) के तहत की गई अपीलों के निपटान में लगातार वृद्धि हुई है।** इसके कारण केंद्रीय सूचना आयोग (CIS) के पास **लंबित RTI मामलों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की है।**

केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में

- CIS वर्ष 2005 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है। इसे RTI अधिनियम, 2005 के तहत गठित किया गया था। सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारी आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
  - इसमें **मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और अधिकतम दस सूचना आयुक्त (IC) शामिल** होते हैं।
  - इन सभी की **नियुक्ति राष्ट्रपति** द्वारा एक नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है। यह नियुक्ति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनती है:
    - प्रधान मंत्री (समिति के अध्यक्ष),
    - लोक सभा में विपक्ष के नेता और
    - प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
  - **CIC पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है।**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- **RTI कानून के विकास का आरंभ वर्ष 1986 में श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम मामले** से हुआ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना के बिना नागरिकों द्वारा वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है। **इसलिए, सूचना का अधिकार (RTI) अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है।**
- इसे सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 के स्थान पर लागू किया गया था।
- RTI अधिनियम **नागरिकों को सशक्त बनाता है, लोक प्राधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है तथा भ्रष्टाचार को रोकता है।** इस प्रकार यह हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में जनता के लिए काम करने योग्य बनाता है।
- RTI अधिनियम 2005 के अनुसार, **CIC और IC (केंद्रीय स्तर पर) का वेतन क्रमशः मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों के वेतन के बराबर होगा।**
  - हालांकि, **RTI अधिनियम 2019 द्वारा इन प्रावधानों को समाप्त** कर दिया गया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार **CIC और IC के वेतन एवं कार्यकाल के निर्धारण का अधिकार** केंद्र सरकार को प्रदान कर दिया गया है।

- RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 और उसके तहत बनाए गए नियमों के द्वारा **ICs का कार्यकाल घटाकर तीन वर्ष** कर दिया गया है।
  - इससे पहले, वर्ष 2005 के अधिनियम में उनके लिए पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल या 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु, इनमें से जो भी पहले हो, का प्रावधान किया गया था।
  - यह प्रावधान इसलिए किया गया था, ताकि **सूचना आयुक्त** अपनी नौकरी खोने के भय के बिना **प्रशासन के उच्च अधिकारियों के संदर्भ में भी अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकें।**
- **CIC के कार्य**
  - किसी मामले में जांच करते समय **CIC के पास वही शक्तियां होती हैं** जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत किसी वाद पर विचार करते समय **एक सिविल न्यायालय के पास होती हैं:**
    - **किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना।** साथ ही, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिए किसी व्यक्ति को विवश करना;

मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के कामकाज में सुधार के लिए की गई पहलें

- **ऑनलाइन पोर्टल:** देश के किसी भी भाग या विदेश से **ऑनलाइन RTI आवेदन दायर करने के लिए दिन के चौबीसों घंटे काम करने वाली पोर्टल सेवा** आरंभ की गई है।
- **ई-गवर्नेंस:** मोबाइल आधारित एप्लिकेशनों को विकसित करने, ई-सुनवाई करने, ई-अधिसूचना जारी करने आदि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इससे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को सहायता मिल रही है।
- **नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया (NFICI):** इसका गठन **वर्ष 2009** में CIC और SIC के बीच समन्वय और आपसी परामर्श स्थापित करने हेतु किया गया था। साथ ही, इसका अन्य उद्देश्य शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान के प्रसार के माध्यम से कानूनों एवं उनकी व्याख्या पर सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना था। इससे RTI अधिनियम का प्रशासन मजबूत हुआ है।
- **RTI (संशोधन) विधेयक, 2019:** यह विधेयक RTI अधिनियम 2005 को अधिक व्यवस्थित एवं संस्थागत बनाने के लिए लाया गया था।

        ▪ **दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;**
        ▪ शपथ-पत्र पर **साक्ष्य प्राप्त करना;**
        ▪ किसी न्यायालय या कार्यालय से **कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना;**
        ▪ **गवाहों** या दस्तावेजों **की परीक्षा करने के लिए समन जारी करना; और**
        ▪ ऐसा कोई अन्य विषय, जो निर्धारित किया जाए।
    - अधिनियम के अनुसार, CIC का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे-
        ▪ जिसे मांगी गई **किसी जानकारी को देने से इंकार** कर दिया गया है;
        ▪ जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए उसकी मांग का उत्तर नहीं दिया गया है।

केंद्रीय सूचना आयोग से जुड़े मुद्दे

- **रिकॉर्ड का खराब प्रबंधन:** अप्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली और क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र करने की खराब प्रक्रियाओं के कारण **RTI आवेदनों के निपटान में देरी होती है।**
    - 38% लोक सूचना अधिकारियों (PIO) ने RTI अनुरोधों के निपटान में देरी का एक कारण खराब रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को बताया है।
    - 79% लोक सूचना अधिकारियों ने क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र करने को RTI अनुरोधों के निपटान में देरी का कारण बताया है।
- **लंबित मामले:** अप्रैल 2022 के मध्य तक, लंबित मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों की संख्या की तुलना में पांच गुना अधिक थी। वर्तमान में कुल 35,849 अपीलों और शिकायतों का निपटारा किया जाना बाकी है।
- **सूचना का अधिकार नियम, 2019:** नए नियमों द्वारा **CIC के कार्यकाल, सेवा शर्तों और वेतन को निर्धारित करने की** शक्ति सरकार को दे दी गई है। सरकार द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय "बाध्यकारी" होगा। इससे CIC पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा।
- **रिक्त पद:** CIC का पद पिछले सात वर्षों में चार वर्षों के लिए खाली रहा।
- **प्रशिक्षण की कमी:** अधिनियम में PIOs की नियुक्ति से पहले उनके प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है। इसलिए, RTI आवेदनों के निपटान के लिए PIOs के पास अधिनियम के प्रावधानों की आवश्यक जानकारी का अभाव होता है। इससे सूचना प्रदान करने में देरी होती है।

आगे की राह

- **रिकॉर्ड का प्रबंधन:** प्रकट किए जाने योग्य सभी दस्तावेजों को विभागीय वेबसाइटों पर अपलोड किया जा सकता है। इससे **विभाग पर सूचना प्रदान करने का बोझ** कम होगा। साथ ही, **इससे दस्तावेजों को भौतिक रूप से संग्रहित करने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की आवश्यकता भी कम होगी।**
    - रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए एक अलग विभाग बनाया जाना चाहिए।
- **प्रशिक्षण:** PIOs की दक्षता बढ़ाने के लिए उन्हें विशेषज्ञों द्वारा आंतरिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे RTI आवेदनों का निपटान कर सकें। इसके साथ ही, उन्हें RTI अधिनियम, 2005 के प्रावधानों, न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों आदि के संबंध में जानकारी प्रदान करने वाले मैनुअल प्रदान किए जाने चाहिए।
- **जागरूकता:** नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए **रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार** किया जा सकता है। साथ ही, **क्षेत्रीय भाषा में RTI अधिनियम 2005 का प्रकाशन** किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, स्कूल/कॉलेज के पाठ्यक्रम में RTI अधिनियम, 2005 पर एक अध्याय को भी जोड़ा जा सकता है।
- **त्वरित निपटान:** लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए CIC में सूचना आयुक्तों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है।

1.2. न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ओडिशा उच्च न्यायालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला देश का पहला न्यायालय** बन गया है। यह रिपोर्ट राज्य की न्यायपालिका के प्रदर्शन के संबंध में जानकारी प्रदान करती है।

न्यायिक जवाबदेही के बारे में

- न्यायिक जवाबदेही विभिन्न प्रक्रियाओं का एक सेट है। इसका उद्देश्य **न्यायाधीशों और न्यायालयों को संवैधानिक या कानूनी मानकों के विपरीत व्यवहार एवं निर्णयों के लिए व्यक्तिगत या संस्थागत रूप से जिम्मेदार बनाना है।**
- संविधान में **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत** को अपनाया गया है। इससे प्रत्येक अंग **(विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका)** के आचरण पर नियंत्रण व संतुलन स्थापित होता है।
    - **हालांकि,** मूल अधिकारों का संरक्षक एवं संविधान का व्याख्याकार होने के कारण न्यायपालिका का स्वतंत्र होना और राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव से बाहर रहना जरूरी है।
    - **संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत,** अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय के 'नियंत्रण' का प्रावधान किया गया है। यह **जवाबदेही के निर्धारण के लिए एक प्रभावी तंत्र** के प्रावधान को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

न्यायिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दे

- **कॉलेजियम प्रणाली:** न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के ही एक समूह द्वारा की जाती है। इस समूह को कॉलेजियम कहा जाता है। इससे **न्यायाधीशों के हाथों में अत्यधिक शक्ति का केंद्रीकरण होता है, भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है** और नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।
- **न्यायाधीशों का आचरण:** न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने, सेवानिवृत्ति के बाद पद ग्रहण करने आदि का आरोप लगाया जाता रहा है।
- **आंतरिक कामकाज:** न्यायपालिका के कामकाज में अनेक अस्पष्टताएं व्याप्त हैं। उदाहरण के लिए **न्यायाधीशों को मामलों का आवंटन, न्यायिक नियुक्तियां, अनुशासनात्मक कार्रवाई** आदि अनौपचारिक और अक्षम तरीके से होती हैं। इन्हे पारदर्शी बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। इससे जवाबदेही बढ़ेगी।
- **सूचना संबंधी विषमता:** न्यायपालिका ने वस्तुतः स्वयं को **RTI अधिनियम के दायरे से बाहर** रखा है और इस तरह सूचना तक पहुंच को सीमित कर दिया है। इसके कारण न्यायाधीशों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है।
- **अपने न्यायिक दायरे का उल्लंघन करना:** न्यायिक सक्रियता **बड़े पैमाने पर लोगों और समाज के अधिकारों को लागू करती है।** हालांकि, न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दायरे के उल्लंघन (judicial overreach) के मामले भी सामने आए हैं। इसके कारण शक्तियों के पृथक्करण के प्रमुख सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है।
    - उदाहरण के लिए, **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर समाप्त करना।**
- **लंबित मामले:** जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपायों की कमी के कारण **वर्ष 2010 से वर्ष 2020 के बीच सभी न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में प्रतिवर्ष 2.8% की वृद्धि हुई है।** सितंबर 2021 तक, भारत के सभी न्यायालयों में 4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे।
    - मामलों के लंबित होने के कारण न्यायाधीशों और न्यायिक प्रणाली में **जनता का विश्वास कम हुआ है।**

न्यायिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- **आंतरिक प्रक्रिया: न्यायाधीशों के खिलाफ दुर्व्यवहार या कदाचार के किसी भी आरोप की जांच** के लिए एक आंतरिक प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उनके कुछ वरिष्ठ सहयोगियों द्वारा जांच करने की प्रक्रिया को उपयुक्त माना जाता है।
- **प्रक्रिया ज्ञापन, 2016: उच्चतम न्यायालय में एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।** यह मुख्यतः न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए स्थापित किया जाएगा।

- **न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2020:** यह विधेयक विचाराधीन है। यह न्यायाधीशों द्वारा अपनी संपत्ति घोषित करने को अनिवार्य बनाता है और न्यायिक मानकों को निर्धारित करता है। साथ ही, यह उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी निर्धारित करता है।
    - वर्ष 2009 में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने अपने न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की स्वैच्छिक घोषणा करने का संकल्प लिया था।
    - इसके अलावा, वर्ष 2002 में **बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूडिशियल कंडक्ट** को अपनाया गया था।
- **प्रौद्योगिकी का प्रयोग:** कानूनी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना और किसी मामले की शुरुआत से लेकर समाप्ति तक उसकी निगरानी करना।
    - **लीगल इनफार्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS):** यह एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है। इसकी मदद से केंद्र सरकार से जुड़े मामलों की अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से निगरानी की जाती है।

न्यायिक स्वतंत्रता बनाम न्यायिक जवाबदेही

- न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है **न्यायपालिका का राज्य के अन्य अंगों** अर्थात् कार्यपालिका और विधायिका पर **निर्भर** न होना। साथ ही, इसका अर्थ न्यायपालिका के पास निष्पक्षता और ईमानदारी से न्याय करने की शक्ति होना भी है।
    - **न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों में** कार्यकाल की सुरक्षा, संसद में न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में चर्चा पर पाबंदी, आदि शामिल हैं।
- न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही ये दोनों शब्द इस अर्थ में परस्पर जुड़े हुए हैं कि **अत्यधिक स्वतंत्रता, जवाबदेही को कम कर सकती है तथा अत्यधिक जवाबदेही, स्वतंत्रता को कम कर सकती है।** इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
    - यह संतुलन न्यायपालिका को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाकर प्राप्त किया जाता है। इसके लिए **न्यायाधीशों को संसद द्वारा हटाये जाने, अपील करने, न्यायालयों के आदेशों के पुनरीक्षण और समीक्षा करने, न्यायाधीशों के लिए नैतिक आचार संहिता** आदि का प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष

न्यायाधीशों के लिए एक अधिक औपचारिक और व्यापक आचार संहिता लागू की जानी चाहिए, जो कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य हो। इसके अलावा, जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए कामकाज और दक्षता पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए, जैसा कि हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।

1.3. जनहित याचिका (Public Interest Litigation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने महत्वहीन **जनहित याचिकाएं (PIL)** दायर किए जाने पर आपत्ति प्रकट की है। **न्यायालय ने "लग्जरी लिटिगेशन" दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया है।**

जनहित याचिका और उसका महत्व

- जनहित याचिका का तात्पर्य **मानवाधिकारों तथा समानता के अधिकारों की रक्षा करने और व्यापक लोक महत्व के मुद्दों** को उठाने के लिए कानून का प्रयोग करने से है।
    - जनहित याचिका की अवधारणा **अमेरिकी न्यायिक प्रणाली से ली गई है।**
    - जनहित याचिका **अनुच्छेद 39A पर आधारित है।** यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि **राज्य जाति, धर्म, पंथ आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना न्याय प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेगा।**
    - जनहित याचिका न्यायालयों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है।

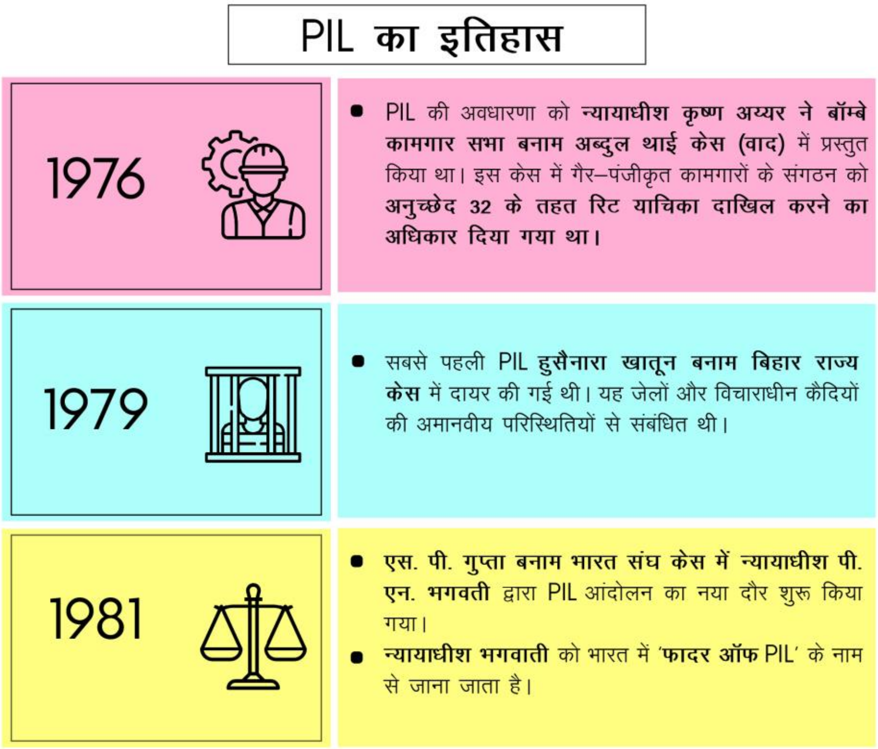

- जनहित याचिका सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के कानूनी मामलों में दायर की जा सकती है।
  - जनहित याचिका के तहत **जिन मामलों पर विचार किया जाता है** उनमें बंधुआ मजदूरी, महिलाओं पर अत्याचार, पर्यावरणीय प्रदूषण, खाद्य पदार्थों में मिलावट, विरासत और संस्कृति के अनुरक्षण से संबंधित मामले आदि शामिल होते हैं।
  - जनहित याचिका **किसी भी उच्च न्यायालय या सीधे उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है।**
- जनहित याचिका **निम्नलिखित के द्वारा दायर की जा सकती है:**
  - **भारत का कोई भी नागरिक, यह आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता स्वयं पीड़ित व्यक्ति हो।**
  - **कोई भी संगठन,** किंतु यह व्यक्तिगत एजेंडे को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि जनता के हित में ही याचिका दायर कर सकता है।
  - यदि कोई मामला अधिकतम लोक महत्व का है, तो न्यायालय उस मामले के संबंध में स्वत: संज्ञान ले सकता है। साथ ही, न्यायालय ऐसे मामले के लिए एक वकील भी नियुक्त कर सकता है।

जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले

- **एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ वाद, 1981:** सद्भावपूर्वक कार्य करने वाला कोई भी नागरिक या गैर-सरकारी संगठन अनुच्छेद 226 और 32 के तहत क्रमशः **उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की सहायता ले सकता है।** इसके माध्यम से **ऐसे व्यक्तियों के कानूनी या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार** की मांग की जा सकती है, जो सामाजिक या आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्यायालय नहीं जा सकते हैं।
- **एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ वाद, 1987:** गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ प्रस्तुत की गई जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि **यद्यपि याचिकाकर्ता नदी तट का स्वामी नहीं है, फिर भी उसे वैधानिक प्रावधानों को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार है,** क्योंकि उसका निजी हित गंगा नदी के जल का उपयोग करने वाले लोगों के जीवन की रक्षा करना है।
- **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाद, 1997:** उच्चतम न्यायालय **ने लैंगिक उत्पीड़न को अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन माना।**
- **भारतीय बैंक संघ, बॉम्बे और अन्य बनाम मेसर्स देवकला कंसल्टेंसी सर्विस और अन्य वाद, 2004: किसी उपयुक्त मामले में, जहां याचिकाकर्ता ने अपने निजी हित में और व्यक्तिगत शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय का रुख किया हो-**
  - न्यायालय जनहित को ध्यान में रखते हुए, दायर याचिका के विषय-वस्तु की जांच करना आवश्यक मान सकता है।
  - इस प्रकार, एक **निजी हित के मामले को भी जनहित के मामले के रूप में देखा जा सकता है।**

जनहित याचिका से संबंधित समस्याएं

- **कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग:** विगत कुछ वर्षों से जनहित याचिका का उपयोग प्रसिद्धि प्राप्त करने और निजी हितों की पूर्ति के लिए किया जाता रहा है।
  - उदाहरण के लिए, प्याज की कीमत या रेल के किराए में वृद्धि आदि के खिलाफ जनहित याचिका।
- **न्यायालय के समय की बर्बादी:** दायर की गई अनुचित एवं निरर्थक जनहित याचिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण न्यायालय का मूल्यवान समय नष्ट होता है।
- **विकासात्मक गतिविधियों का ठप होना:** जनहित याचिका का उपयोग विकासात्मक गतिविधियों में विलंब करने के एक उपकरण के रूप में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, पुरी जगन्नाथ मंदिर के परिसर में किए जा रहे विकासात्मक गतिविधियों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है।
- **शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन:** वर्तमान में जनहित याचिका प्रक्रिया की

विश्वसनीयता इस आलोचना के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है कि न्यायपालिका अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं को लांघ रही है। उदाहरण के लिए, राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना।

आगे की राह

- **उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश: उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफल वाद के निर्णय में** उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास किया था। इस निर्णय में न्यायालय ने वास्तविक जनहित याचिकाओं और महत्वहीन जनहित याचिकाओं में अंतर करने में न्यायालयों की सहायता हेतु कई निर्देश जारी किए हैं। (इन्फोग्राफिक्स देखिए)
- **सिद्धांत का अनुपालन:** शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अनुपालन किया जाना चाहिए। साथ ही, न्यायालयों को शासन के अन्य अंगों के क्षेत्राधिकार में दखल नहीं देना चाहिए।
- **समय पर निपटान करना:** सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु शोषित व वंचित वर्गों से संबंधित जनहित याचिकाओं को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाना चाहिए।
- **जुर्माना:** जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके लिए वकीलों तथा नागरिकों को बिना शोध किए और तुच्छ आधारों पर जनहित याचिका दायर करने हेतु दंडित किया जाना चाहिए।

1.4. हेट स्पीच (Hate Speech)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)[1] ने पिछले सात वर्षों में हेट स्पीच के लिए दर्ज कानूनी मामलों में लगभग 500% की वृद्धि होने की बात कही है।

हेट स्पीच के बारे में

- हेट स्पीच को भारत के **किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है।**
  - हेट स्पीच की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता ऐसे भाषणों पर क़ानूनी प्रतिबंध आरोपित करता है, जिनमें घृणा का समर्थन करके भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को भड़काने का प्रयास किया जाता है।
- हेट स्पीच को अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इन रूपों में **चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हावभाव और प्रतीक चिन्ह शामिल हैं। इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रसारित किया जा सकता है।**
  - हेट स्पीच पद का प्रयोग **निरपवाद रूप से अपशब्द/निंदापूर्ण, अपमानजनक, भयभीत करने वाली व परेशान करने वाली अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। साथ ही, इसे ऐसी अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जो विभिन्न समूहों के खिलाफ हिंसा, घृणा या भेदभाव को उकसाती हो।** आम तौर पर नस्ल, नृजातीयता, लिंग, लैंगिक रुझान, धार्मिक विश्वास और इसी तरह के संदर्भ में परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ घृणा के लिए उकसाने को **हेट स्पीच** कहा जाता है।

---

[1] National Crime Records Bureau

हेट स्पीच से संबंधित कानून

- **संवैधानिक प्रावधान: संविधान का अनुच्छेद 19(2)** सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि, इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ-साथ 'लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता' के संरक्षण हेतु 'युक्तियुक्त निर्बंधन' लगाए गए हैं।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860:** भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराएं जैसे 153A, 153B, 298 आदि हेट स्पीच के विरुद्ध प्रावधान करती हैं। ये ऐसे भाषण या शब्दों से संबंधित हैं, जो उपद्रव उत्पन्न कर सकते हैं, धार्मिक मान्यताओं को अपमानित कर सकते हैं या राष्ट्रीय एकता के समक्ष संकट उत्पन्न कर सकते हैं।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:** अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है, जो वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गलत उपयोग करने का दोषी पाया जाता है।
  - **धारा 123(3A) और धारा 125** निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है। साथ ही, इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती है।
- **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955:** धारा 7 के तहत कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या संकेतों या तस्वीरों द्वारा या अन्यथा अस्पृश्यता को उकसाने और उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है।

हेट स्पीच से संबंधित समस्याएं

- **हिंसा का प्रसार:** हेट स्पीच हिंसा भड़काती है तथा सामाजिक एकता और सहिष्णुता को कमजोर करती है। हालांकि, आजकल संचार की नई तकनीकों के कारण इसकी व्यापकता और प्रभाव में वृद्धि हुई है।
- **धार्मिक ध्रुवीकरण में वृद्धि:** अल्पसंख्यक समूह (राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों) को बार-बार हेट स्पीच का लक्ष्य बनाया जाता है।
  - राजनीतिक भाषण प्रायः चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए सामाजिक पूर्वाग्रहों का फायदा उठाने हेतु विभाजनकारी रूप ले लेते हैं।
- **सामाजिक सद्भाव और लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं:** हेट स्पीच से पीड़ित नागरिक भयभीत रहते हैं। वे सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने या संवादों में भाग लेने से डरते हैं।
- **कानून-व्यवस्था को बाधित करती है।**

हेट स्पीच से निटपने में आने वाली चुनौतियां

- **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से टकराव:** हेट स्पीच-रोधी कानून का विरोध किसी व्यक्ति की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ होने वाले टकराव के कारण किया जाता है।
- **असहमति पर अंकुश:** हेट स्पीच को नियंत्रित करने के प्रयास में आलोचना और असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता को कम नहीं किया जाना चाहिए। वे किसी व्यक्ति की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मानवाधिकार के रूप में शामिल होते हैं।
- **उचित परिभाषा का न होना:** हेट स्पीच की कोई सामान्य कानूनी परिभाषा नहीं है। इसके कारण किसी भाषण की सामग्री को नफरत या घृणा भड़काने वाले भाषण के रूप में पहचानना या वर्गीकृत करना कठिन है।

आगे की राह

- **विधि आयोग की सिफारिशें:** इसने हेट स्पीच को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए इसे मौजूदा धाराओं में शामिल करने की बजाय भारतीय दंड संहिता (IPC) में अलग अपराधों के रूप में जोड़ने का प्रस्ताव किया है।
- **विनियामक उपाय:** घृणा भड़काने के परिणामस्वरूप हिंसा, शत्रुता और भेदभाव उत्पन्न हो सकते हैं। अतः घृणा भड़काने के कार्य को कानूनी प्रावधानों के माध्यम से दंडित किया जाना चाहिए। इन प्रावधानों को गैर-चयनात्मक, गैर-मनमाने और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही, इनका उपयोग असहमति या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वैध उपयोग को रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
  - किसी भी मामले में निर्णय करते समय सुसंगति, एकरूपता और निष्पक्षता बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं।
- **हेट स्पीच के मामलों का वैकल्पिक विवाद समाधान:** यह विवाद समाधान के तरीके को न्यायालय-केंद्रित औपचारिक कानूनी कार्यवाही से बदलकर वादी पक्षों के बीच संवाद, मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन और/या सुलह पर केंद्रित करेगा।
- **हेट स्पीच को रोकने के गैर-विधिक उपाय**
  - **सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए धार्मिक आधार पर समानुभूति पैदा करने हेतु धार्मिक प्रमुखों को शामिल किया जाना चाहिए।**

VISIONIAS

- हेट स्पीच के प्रसार और भीड़ जुटाने के कार्यों की निगरानी के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (विशेषकर सोशल मीडिया के संदर्भ में) किए जाने चाहिए।
- हेट स्पीच को रोकने और उससे निपटने, दोनों के लिए मानवाधिकारों की शिक्षा सबसे शक्तिशाली रणनीति है।

हेट स्पीच पर उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण

- **प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ वाद:** याचिकाकर्ताओं ने हेट स्पीच से संबंधित मौजूदा कानूनों को अपर्याप्त मानते हुए प्रार्थना की कि राज्य को कठोर विनियम लागू करने चाहिए। साथ ही, इसने हेट स्पीच को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ निर्णायक (Peremptory) कार्रवाई की भी मांग की।
    - हालांकि, **न्यायालय का मानना था कि मौजूदा कानूनों के लागू होने से हेट स्पीच की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है।**
- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद:** इस वाद में **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A)** में प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के परस्पर टकराव के मुद्दे को उठाया गया था। इसके निर्णय में न्यायालय ने चर्चा, पक्ष-समर्थन और भड़काने के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए पहले दो पदों को **अनुच्छेद 19(1)** का सार माना है।

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

1.5.1. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdowns)

- संयुक्त राष्ट्र ने देशों से **इंटरनेट शटडाउन** लागू करने से बचने का आह्वान किया है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र ने **इसके गंभीर दुष्परिणामों की चेतावनी** भी दी है।
- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट शटडाउन के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं:
    - **सभी क्षेत्रों को** इंटरनेट शटडाउन की **आर्थिक लागत** भुगतनी पड़ती है। उदाहरण के लिए यह वित्तीय लेनदेन, वाणिज्य और उद्योग को बाधित करता है।
    - यह शैक्षणिक परिणामों को कमजोर करता है। शिक्षा प्रणाली और राजनीतिक वाद-विवाद या **निर्णय भागीदारी में हस्तक्षेप** करता है ।
    - संचार में देरी और बाधाएं **स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली** को भी प्रभावित करती हैं।
    - **यह महिलाओं और लड़कियों की जरूरी सहायता** एवं सुरक्षा तक पहुंच को बाधित करता है। इस तरह यह लैंगिक विभाजन को बढ़ाता है।
    - लोगों को उनके परिजनों तक पहुंचने के सबसे सुगम साधन से वंचित करके **मानसिक आघात** का कारण बनता है।
- **रिपोर्ट के प्रमुख सिफारिशें**
    - **राज्यों के लिए:** राज्यों को संपूर्ण इंटरनेट शटडाउन से बचना चाहिए। कोई भी **इंटरनेट शटडाउन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होना चाहिए:**
        - किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। साथ ही, इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कानून पर आधारित होना चाहिए।
        - इसका सहारा तभी लिया जाये, जब यह किसी वैध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो।
        - इंटरनेट शटडाउन को कानूनी उद्देश्य के आनुपातिक होना चाहिए।
    - **कंपनियों के लिए:** संचार बाधाओं को रोकने और उनका समाधान करने के लिए कार्य करने वाले सभी हितधारकों के साथ जुड़ाव एवं सहयोग को बेहतर किया जाना चाहिए।
    - **विकास एजेंसियों, क्षेत्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए:** यह सुनिश्चित करें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित सहयोग कार्यक्रमों को डिजाइन एवं कार्यान्वित करते समय **इंटरनेट शटडाउन के खतरों पर विचार** किया जाता है।
    - **सिविल सोसाइटी के लिए:** इंटरनेट शटडाउन को **रोकने, जांच करने, अध्ययन करने** और प्रतिक्रिया देने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करें।

भारत में इंटरनेट शटडाउन संबंधी प्रावधान:

- वर्तमान में, दूरसंचार सेवाओं का निलंबन (इंटरनेट शटडाउन सहित) **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत अधिसूचित दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017** द्वारा नियंत्रित है।
- वर्ष 2017 के नियम **लोक आपात स्थिति** (एक बार में 15 दिनों तक) के आधार पर किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान करते हैं।

1.5.2. अंतरराज्यीय परिषद (ISC) की बैठक {Inter-State Council (ISC) meetings}

- हाल ही में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री को पत्र लिख कर आग्रह किया कि अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council: ISC) की बैठकें साल में तीन बार होनी चाहिए।
    - उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रीय महत्व के विधेयकों को संसद में पेश किए जाने से पहले परिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए।
    - इससे **"सहकारी संघवाद"** की भावना को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

- **अंतरराज्यीय परिषद (ISC) के बारे में**
  - इसे **संविधान के अनुच्छेद 263** के तहत स्थापित किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि **राष्ट्रपति आवश्यकता महसूस होने पर** ऐसी संस्था का गठन कर सकता है।
    - वर्ष 1988 में, **सरकारिया आयोग** ने सुझाव दिया था कि इस परिषद को एक **स्थायी निकाय के रूप में** होना चाहिए। इसके बाद वर्ष **1990 में राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से** यह अस्तित्व में आई थी।
  - **परिषद में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - प्रधान मंत्री – अध्यक्ष;
    - सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री - सदस्य;
    - जिन संघ शासित प्रदेशों में विधान सभा नहीं है, वहां के प्रशासक - सदस्य;
    - केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्री, जिन्हें प्रधान मंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है- सदस्य तथा
    - स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में 10 केंद्रीय मंत्री।
  - **अंतरराज्यीय परिषद के कार्य**
    - **राज्यों के बीच विवादों की जांच** करना और उन्हें सलाह देना।
    - उन विषयों की जांच और उन पर चर्चा करना, जिनमें **दो राज्यों अथवा राज्यों एवं संघ के समान/साझे हित** शामिल हैं।
    - **नीति और कार्रवाई के बीच बेहतर समन्वय** के लिए सिफारिशें करना।
- अंतरराज्यीय परिषद की पिछले छह वर्षों में **केवल एक** बार ही बैठक हुई है। वर्ष 1990 में इसके गठन के बाद से केवल 11 बार ही इसकी बैठके आयोजित हुई हैं।

1.5.3. राज्य सभा (RS) सदस्यों के निर्वाचन के लिए कई राज्यों में चुनाव आयोजित किये गए {Rajya Sabha (RS) Elections Held for Several States}

- राज्य सभा एक **स्थायी सदन** है। इसे **भंग नहीं** किया जा सकता।
  - राज्य सभा में सदस्यों की **अधिकतम संख्या 250** (वर्तमान में 245) निर्धारित की गई है। इनमें से 238 (वर्तमान में 233) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) के प्रतिनिधि हैं। शेष **12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत** किये जाते हैं।
  - राज्य सभा के एक सदस्य का कार्यकाल **6 वर्ष** का होता है।
- **राज्य सभा निर्वाचन**
  - इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक **दो वर्षों के बाद सेवानिवृत्त** हो जाते हैं। इसका उद्देश्य सदन की निरंतरता सुनिश्चित करना है।
  - राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है (अनुच्छेद 80 के तहत)।
  - राज्यों को सीटें उनकी **जनसंख्या के आधार** पर आवंटित की जाती हैं।
  - चुनाव **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली** के माध्यम से **एकल संक्रमणीय मत** के माध्यम से होता है।
    - **एकल संक्रमणीय मत** का अर्थ है कि मतदाता **अपनी पसंद के क्रम में** कितने भी उम्मीदवारों को मत दे सकते हैं। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निर्धारित संख्या में **पहली वरीयता के मतों की आवश्यकता** होती है।

> **राज्यसभा के बारे में अन्य तथ्य**
> - **अनुच्छेद 80(3)** के तहत 12 मनोनीत सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला आदि मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
> - **संविधान की चौथी अनुसूची** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के आधार पर राज्य सभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान करती है।

- राज्य सभा चुनावों में **खुले मतपत्र की व्यवस्था** होती है। हालांकि, यह खुलेपन का एक सीमित रूप है।
  - **क्रॉस-वोटिंग** की जांच करने के लिए, किसी राजनीतिक दल का प्रत्येक विधायक अपने चिह्नित मतपत्रों को मतपेटी में डालने से पहले **अपने दल के अधिकृत एजेंट को इसे दिखाता है।**
  - अपने दल के अधिकृत एजेंट के अलावा किसी और को चिह्नित मतपत्र दिखाने से **मत अमान्य** हो जाता है।
  - **"उपर्युक्त में से कोई नहीं (NOTA)'** विकल्प **राज्य सभा चुनावों में लागू नहीं** होता है।
  - यदि किसी राजनीतिक दल का सदस्य अपने ही दल के प्रतिनिधि को मत नहीं देता है, तो उसे **दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं** किया जाता है।

1.5.4. पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल {Registered Unrecognised Political Parties (RUPPs)}

- भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से 111 'अस्तित्वहीन' दलों को हटा दिया है
  - इन 111 **पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs)** का **कोई अस्तित्व नहीं** था। इन्हें **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन** करते हुए भी पाया गया था।
- **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)** के अनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए केवल **8.23 प्रतिशत** पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की **वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट** सार्वजनिक रूप में उपलब्ध है। वहीं **5.72 प्रतिशत** पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की **वार्षिक अंशदान रिपोर्ट** सार्वजनिक रूप में उपलब्ध है।
- उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल का **पंजीकरण समाप्त करने की शक्ति नहीं** है। इस संबंध में **चुनाव सुधार** का प्रस्ताव अब भी सरकार के पास **लंबित** है।
  - हालांकि, यह राजनीतिक दलों की **वित्तीय अनियमितताओं** के मुद्दे को उठा सकता है। साथ ही, यह राजनीतिक दलों से निम्नलिखित नियमों का **अनिवार्य रूप से अनुपालन** करने की मांग कर सकता है:
    - चंदा प्राप्ति के स्रोत और इसके तरीके,
    - कंपनियों द्वारा डिस्क्लोजर,
    - बैंक खातों का विवरण आदि।
  - चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की **धारा 29A** और **29C** के तहत कई **पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई** शुरू की है। ये दल अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किए बिना कर छूट का दावा कर रहे थे।
- **पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) से संबद्ध चिंताएं**
  - इनमें से बहुत से दल **केवल कागज पर ही मौजूद** पाए गए या उनके पते पर भेजे गए पत्र **वापस लौटा दिए गए।**
  - कुछ लोगों ने पंजीकृत दलों को दिए गए चंदे पर आयकर छूट का दुरुपयोग किया।
  - कुछ पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल **"गंभीर वित्तीय अनौचित्य"** कार्यों में संलग्न पाए गए।
  - संभव है कि ऐसे कुछ दल चंदा एकत्र कर रहे हों और इनका उपयोग किसी अन्य उद्देश्यों के लिए कर रहे हों। उदाहरण के लिए इनमें से कुछ **शेल कंपनियों के रूप में** कार्य कर रहे हों और **मनी लॉन्ड्रिंग** कर रहे हों।

1.5.5. नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन {National e-Vidhan Application (NeVA)}

- NeVA प्रणाली को नागरिकों और विधान मंडलों के सदस्यों के उपयोग के लिए विकसित किया गया है। इसमें **विधायी निकायों से संबंधित सभी कार्यों और डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।**
  - **ई-विधान को NeVA के रूप में पुन: नामित किया गया है।**
  - **संसदीय कार्य मंत्रालय** NeVA को शुरू करने के लिए **नोडल मंत्रालय है।**
- NeVA का लक्ष्य देश की सभी विधायिकाओं को **एक मंच पर लाना** है, ताकि एक **विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण** किया जा सके।
  - यह विभिन्न राज्य विधान सभाओं से **संबंधित सूचनाओं को सुव्यवस्थित** करने और दिन-प्रतिदिन के कामकाज में **कागज के उपयोग को समाप्त** करने में भी मदद करेगा।

1.5.6. एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना (Contesting Elections From Multiple Seats)

- हाल ही में, मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा उम्मीदवारों के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर **रोक लगाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) में संशोधन** के लिए पुनः नए सिरे से प्रयास शुरू किया है।
  - आयोग के अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र को रखने और दूसरे को रिक्त करने के बाद उपचुनाव के लिए बाध्य करने वालों पर **भारी जुर्माना लगाने के एक विकल्प पर विचार** किया जाना चाहिए।
- **दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट (1990) और चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) में भी एक उम्मीदवार को एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने तक सीमित करने** की सिफारिशें की गई थीं।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7)** के अनुसार, एक उम्मीदवार अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।
  - वर्ष 1996 तक **दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति** दी गई थी। बाद में इस अधिनियम में संशोधन कर केवल दो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित कर दी गई थी।

- **मौजूदा प्रावधानों से जुड़ी चिंताएं:**
    - **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में विसंगतियां:** RPA की **धारा 70** उम्मीदवारों को लोक सभा/ राज्य विधान सभा में **दो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने से रोकती** है। इसका अर्थ है कि यदि कोई उम्मीदवार दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करता है, तो उसे **कानूनी रूप से किसी एक सीट को खाली करना अनिवार्य** है।
    - **सरकारी कोष पर दबाव:** दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां **सीट खाली** की गई है, आम चुनाव के तुरंत बाद **उपचुनाव प्रक्रिया स्वतः शुरू** हो जाती है।
    - **मतदाता पर नकारात्मक प्रभाव:** दोबारा मतदान **मतदाताओं में थकान** (यात्रा, यात्रा लागत आदि) का कारण बनता है। इससे वे **चुनावी प्रक्रिया में रुचि खो देते हैं।**
- कानून और न्याय मंत्रालय का **विधान विभाग,** चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सरकार में **नोडल एजेंसी** है।

1.5.7. दलबदल रोधी कानून (Anti-Defection Law)

- महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट ने निर्वाचित विधायकों के **दल बदलने से जुड़े कानूनी पहलू पर वाद-विवाद** को फिर से शुरु कर दिया है।
- दलबदल रोधी कानून उन विधायकों को **अयोग्य ठहराने का प्रावधान** करता है, जो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुने जाने के बाद, **"स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ देते हैं"।**
    - इसे **52वें संशोधन अधिनियम, 1985** के माध्यम से **10वीं अनुसूची** में शामिल किया गया था।
    - दलबदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का **निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी** करता है।
- **अयोग्यता के आधार: निम्नलिखित आधार पर सदस्यता समाप्त हो जाती है-**
    - यदि कोई सदस्य सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी **निर्देश के विपरीत** और दल की पूर्व **अनुमति प्राप्त किए बिना** मतदान करता है या **मतदान से अनुपस्थित** रहता है और इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा **15 दिनों के भीतर माफ** नहीं किया जाता है।
    - यदि **मनोनीत सदस्य** 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
    - यदि **निर्दलीय सदस्य** किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

> अन्य संबंधित जानकारी
>
> - **गुजरात राज्य बनाम न्यायमूर्ति आर.ए. मेहता (सेवानिवृत्त) मामला, 2013:** उच्चतम न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया था कि यह **राज्यपाल पर निर्भर** है कि वह विधान सभा को भंग करने के लिए **मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद (CoM) की सलाह को स्वीकार करे या न करे।** .
> - **संविधान के अनुच्छेद 163** में कहा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेगा, लेकिन उन मामलों में नहीं, जहां संविधान उसे **अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार** देता है।

- **दलबदल कानून के अपवाद**
    - दलबदल कानून किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है बशर्ते कि उसके कम से कम **दो-तिहाई विधायक विलय के पक्ष में** हों।
    - यदि कोई व्यक्ति **लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति** के रूप में चुना जाता है, तो वह अपने दल **से इस्तीफा दे सकता है।** पद छोड़ने के बाद वह फिर से उस दल में शामिल हो सकता है।

1.5.8. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट, 2021 {National E-Governance Service Delivery Assessment (NeSDA) 2021 Report}

- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने **वर्ष 2019 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NeSDA)** का गठन किया था।
    - इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस **सेवा वितरण की गहराई और प्रभावशीलता** पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों का आकलन करना है।
    - यह एक **द्विवार्षिक** अध्ययन है। यह संबंधित सरकारों को **नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार** करने में मदद करता है।
    - साथ ही, यह उन **सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा** करता है, जिन्हें देश भर में अपनाया जा सकता है।
- ई-गवर्नेंस सरकार के सभी स्तरों पर **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग** है। यह नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के अन्य अंगों के मध्य परस्पर **संबंधों में बदलाव** लाने पर केंद्रित है।
- **NeSDA 2021 के मुख्य निष्कर्ष:**
    - **निम्नलिखित के द्वारा** देश के ई-गवर्नेंस परिदृश्य में सुधार (वर्ष 2019 से) **रेखांकित किया गया है:**
        - ई-सेवा वितरण में वृद्धि हुई है,

- ई-सेवाओं के वितरण के लिए एकीकृत/ केंद्रीकृत पोर्टलों के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है,
- आकलन में उपयोग किये जाने वाले सभी मानदंडों के अंकों में सुधार दर्ज किया गया है आदि।

- जिन ई-सेवाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, उनमें शामिल हैं: **वित्त, स्थानीय शासन और उपयोगिता आधारित सेवाएं।**
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, **केरल का समग्र अनुपालन स्कोर सर्वाधिक** है।
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में, **मेघालय एवं नागालैंड अग्रणी राज्य** हैं।
- केंद्र शासित प्रदेशों में **जम्मू और कश्मीर सर्वोच्च स्थान** पर है।
- **प्रमुख सिफारिशें:**
    - सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट सेवाओं पर अनिवार्य रूप से बल देना चाहिए,
    - अभिशासन (Governance) में एकरूपता के लिए मानकों को अपनाया जाना चाहिए,
    - सुरक्षा और निजता की संरक्षा पर ध्यान देना चाहिए,
    - नए युग की प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए आदि।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

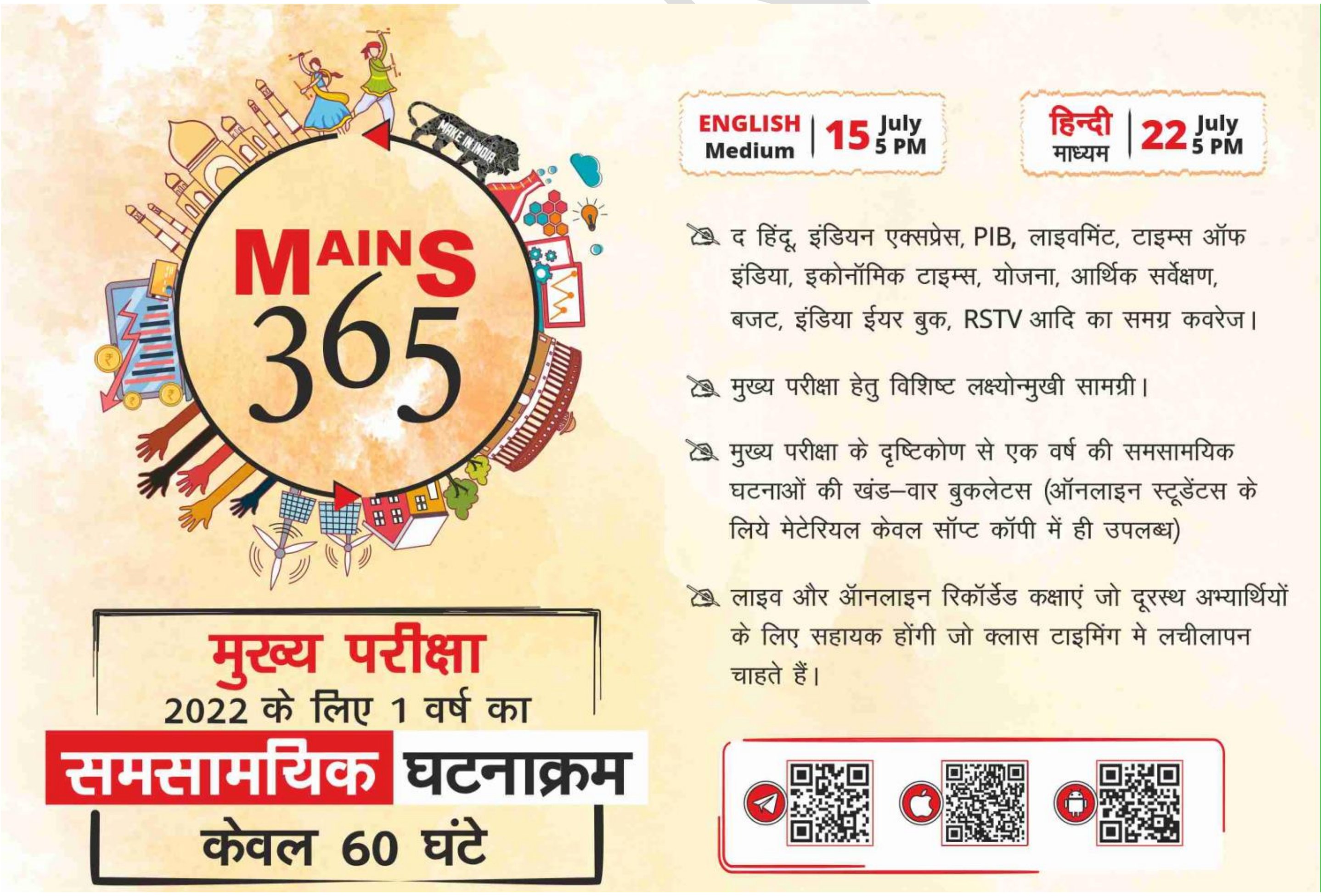

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization: WTO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) का **12वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** संपन्न हुआ।

सम्मेलन की मुख्य बातें:

"जिनेवा पैकेज" के तहत समकालीन मुद्दों पर विभिन्न समझौतों पर सहमति हुई:

WTO के बारे में

- **WTO एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है।**
- वर्ष 1995 में स्थापित इस संगठन में 164 सदस्य हैं। **इसके सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और कोई भी सदस्य वीटो का प्रयोग कर सकता है।**
    - यह **प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT)[2] का उत्तरवर्ती संगठन है।** GATT वर्ष 1948 में स्थापित एक समूह था जिसके नियमों से आधुनिक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की शुरूआत हुई।

विवरण	विशेषताएँ
अगले चार वर्षों के लिए अवैध, असूचित और अनियमित (IUU)[3] तरीके से मछली पकड़ने हेतु **नुकसानदायक सब्सिडी पर अंकुश लगाना**	• **विकासशील या अल्प विकसित देशों द्वारा** अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (EEZs)[4] के भीतर मछली पकड़ने के लिए **सब्सिडी देने या उसे चालू रखने पर कोई सीमा नहीं होगी।** • साथ ही, **WTO के फिशरीज फंडिंग मैकेनिज्म** के माध्यम से ऐसे देशों को तकनीकी और क्षमता निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।
वैश्विक खाद्य सुरक्षा	• संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)[5] के द्वारा मानवीय उद्देश्यों के लिए खरीदे गए खाद्य पदार्थों को किसी भी निर्यात प्रतिबंध से छूट देने के बाध्यकारी निर्णय पर सहमति। यह छूट खाद्य पदार्थों की कमी को दूर करने के लिए दी गई है।
ई-कॉमर्स प्रेषण जैसे संगीत, ई-बुक्स, फिल्म आदि	• सभी सदस्य **ई-कॉमर्स प्रेषण के सीमा शुल्क पर लंबे समय से लगी रोक को जारी** रखने के लिए सहमत हुए। यह रोक अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन या 31 मार्च 2024 (जो भी पहले आए) तक लागू रहेगी।
कोविड-19 वैक्सीन	• कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन करने हेतु 5 वर्ष के लिए अनिवार्य लाइसेंस के उपयोग से संबंधित कुछ अनिवार्यताओं पर **अस्थायी रूप से छूट देने पर** सहमति हुई है। यह निर्णय **बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS)[6]** के तहत आने वाली अनिवार्यताओं के लिए किया गया है।
स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (SPS)[7] घोषणा	• यह घोषणा WTO के सदस्य राष्ट्रों को एक वर्क प्रोग्राम शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। इसका उद्देश्य WTO के SPS समझौते के कार्यान्वयन से जुड़ी नई चुनौतियों की पहचान करना है।

---

[2] General Agreement on Tariffs and Trade

[3] Illegal, Unreported and Unregulated

[4] Exclusive Economic Zones

[5] World Food Programme

[6] Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

[7] Sanitary and Phytosanitary

 ©Vision IAS

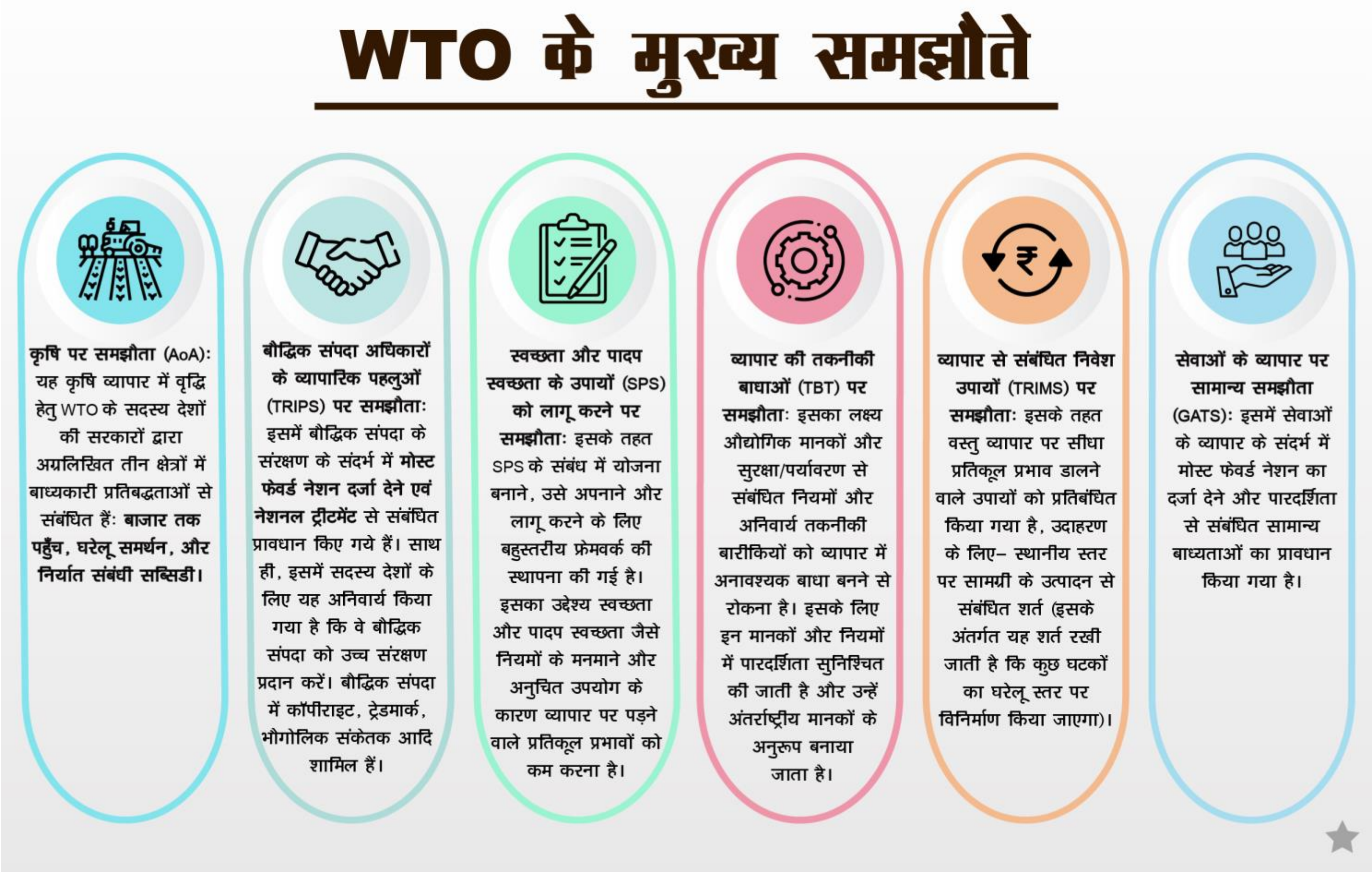

भारत के लिए निहितार्थ

- **मछली पालन सब्सिडी में कटौती:** विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही इस संबंध में सब्सिडी में छूट प्रदान की गई है, लेकिन चार वर्ष का समय काफी नहीं है। यह भारत के छोटे मछुआरों को अनिश्चित भविष्य की ओर ले जाएगा।
    - साथ ही, **विशेष और विभेदक व्यवहार (S&DT)[8] संबंधी दिशा-निर्देशों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। गौरतलब है कि WTO समझौतों के तहत S&DT विकासशील देशों के लिए किया गया विशेष प्रावधान है।**
- **विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए छूट: खाद्य निर्यात के लिए व्यापक छूट घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के काम को बाधित कर सकती है।**
    - साथ ही, भारत ने खाद्यान्न के सार्वजनिक स्टॉक-होल्डिंग (PDS सिस्टम) पर स्थायी समाधान तलाशने की मांग की थी। इस मुद्दे को वर्ष 2023 में होने वाले 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक टाल दिया गया है।
- **कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)[9] से छूट:** TRIPS के इस निर्णय से वैक्सीन समानता, पहुंच और किफायत को बढ़ावा मिलेगा। यह घरेलू आवश्यकताओं तथा निर्यात के लिए वैक्सीन (पेटेंट की गई) के भारत में उत्पादन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने को आसान बनाएगा।
    - हालांकि, **वर्तमान समझौता** वर्ष 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा लाए गए मूल प्रस्ताव का एक **'कमजोर' संस्करण है।** मूल प्रस्ताव में **वैक्सीन, उपचार और परीक्षणों के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों से व्यापक छूट की मांग की गई थी।**
- **ई-कॉमर्स लेनदेन:** भारत ने WTO से सीमा शुल्क पर लगे प्रतिबंध को विस्तारित करने की समीक्षा करने के लिए कहा है। **भारत** सहित दूसरे विकासशील देशों **को इस तरह के प्रतिबंध का वित्तीय नुकसान भुगतना पड़ा है।**

---

[8] Special and Differential Treatment

[9] Intellectual Property Right

- इस प्रकार के प्रतिबंध के कारण शुल्क मुक्त बाजार तक पहुंच बढ़ाने से **वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष 10 बिलियन डॉलर की क्षति हुई है।** यू. एन. कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से **95% नुकसान विकासशील देशों को सहना पड़ता है।**
- भारत और दक्षिण अफ्रीका ने **विकासशील देशों की डिजिटल उन्नति के लिए नीति में लचीलेपन (Policy Space) की मांग की थी।** इस संदर्भ में, उनका कहना था कि विकासशील देशों को सीमा शुल्क के माध्यम से राजस्व सृजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे वे निवेश हेतु अधिक धन एकत्र कर सकेंगे।

WTO में भारत के लिए अन्य अनसुलझे मुद्दे

- **कृषि सब्सिडी:** WTO भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कार्यक्रम को व्यापार को विकृत करने वाला मानता है। इस कारण WTO ने भारत के MSP को **एम्बर बॉक्स के प्रावधानों के तहत** रखा है। इसका अर्थ है कि यह समर्थन संबंधित उत्पादन के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - **भारत ने इसे चुनौती दी है।** भारत ने कहा है कि MSP और अन्य मूल्य समर्थन तंत्र का प्राथमिक एजेंडा, निर्यात को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि **खाद्य सुरक्षा** सुनिश्चित करना है।
- **व्यापार की नॉन-टैरिफ बाधाएं:** इनमें **व्यापार की तकनीकी बाधाएं (TBT)[10] और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय (SPS) शामिल हैं।**
  - भारत इन नॉन-टैरिफ बाधाओं को तर्कसंगत बनाने और इनके मानकीकरण की मांग करता रहा है।
- **पर्यावरण और श्रम मानकों,** जैसे- गैर-व्यापारिक (Non-trade) मुद्दों पर वार्ता का मुद्दा। भारत ने कहा है कि फिलहाल 'गैर-व्यापारिक' मुद्दों को वार्ता में शामिल नहीं करना चाहिए।
- **भौगोलिक संकेतकों की पहचान (Geographical Indications: GI): मौजूदा व्यापारिक व्यवस्था घरेलू स्तर पर वस्तुओं को दिए जाने वाले GI टैग को मान्यता नहीं देती है।** इससे वैश्विक बाजारों में उत्पाद की बिक्री क्षमता कम हो जाती है।
  - भारत ने बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय जैसे GI उत्पादों के लिए **उच्च स्तरीय संरक्षण में विस्तार** करने का सुझाव दिया है।
- **निवेश को सुविधाजनक बनाना:** भारत का तर्क है कि विकासशील देशों को विदेशी निवेश संबंधी घरेलू नीति में, "व्यापार संबंधी निवेश उपाय पर समझौता" (TRIMS) को लागू करने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए।

WTO के सामने चुनौतियां और उनके समाधान

WTO को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ रहा है और इसके **प्रमुख कार्य तेजी से प्रभावहीन होते जा रहे हैं।** इसलिए, निम्नलिखित कारणों से संगठन में पर्याप्त सुधार की मांग की जा रही है:

मुद्दे	चुनौतियां	संभावित समाधान
चीन की नीतियों के खिलाफ प्रभावहीन होना	WTO, चीन के टैरिफ हेरफेर और अनुचित व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है।	ऐसी प्रथाओं से निपटने और एक विश्वसनीय व्यापार प्रणाली बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन को अपने नियमों को लागू कराने की क्षमता मजबूत करनी होगी।
बदला हुआ वैश्विक आर्थिक वितरण	वर्तमान युग मे भारत जैसे विकासशील देश व्यापार व्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं।	इस बदले हुए आर्थिक संतुलन पर विचार करने के लिए, WTO के परिचालन फ्रेमवर्क को संशोधित करने की आवश्यकता है।
WTO के निष्क्रिय अपीलीय निकाय	USA ने अपीलीय निकाय में नए सदस्यों (न्यायाधीशों) की नियुक्ति को व्यवस्थागत रूप से बाधित कर दिया है। USA का मानना है कि उसके व्यापार विवादों में USA के प्रतिकूल निर्णयों के लिए ये सदस्य ही जिम्मेदार हैं।	अपीलीय निकाय को कार्यात्मक बनाने और विवाद निपटान प्रणाली को चालू करने के लिए एक सम्मिलित प्रयास करने की जरूरत है।
निर्णय लेने की लंबी प्रक्रिया	इसमें निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, इसलिए अधिक समय लगता है। साथ ही, ज्यादातर मौकों पर राजनीतिक और वैचारिक मतभेद के कारण सर्वसम्मति नहीं बन पाती है।	सदस्य देशों को एक समान आधार पर पहुंचने के लिए अपने मतभेदों को दूर करने की जरूरत है।

[10] Technical barriers to trade

समावेश की कमी	तेजी से विकसित होती वैश्विक व्यापार प्रणाली के दौर में कुछ देशों का शामिल न होना इस संगठन को थोड़ा प्रभावहीन बना देता है। **ईरान, इराक, लेबनान और उज्बेकिस्तान जैसे देश अभी तक WTO में शामिल नहीं हुए हैं।**	ऐसे प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे यह संगठन सभी देशों का प्रतिनिधित्व करे।
द्विपक्षीय/क्षेत्रीय/ बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्थाओं की ओर बढ़ना	WTO में वार्ता की गति धीमी हो रही है, इसलिए देश तेजी से व्यापारिक व्यवस्था के अन्य स्वरूपों, जैसे- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)[11] को अपना रहे हैं।	उभरते परिदृश्य में WTO की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए इसके नियमों और प्रक्रियाओं को विकसित करने की आवश्यकता है।
कोविड-19 महामारी का प्रभाव	कोविड-19 महामारी के कारण कई देश निर्यात पर व्यापक स्तर पर रोक और प्रतिबंध लगाने के लिए विवश हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा हुआ है। साथ ही, ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में व्यापार को लेकर विवाद और बढ़ेंगे।	समय की मांग है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए WTO की विवाद निपटान प्रणाली को मजबूत किया जाए।

भारत और विश्व व्यापार संगठन	संरक्षणवाद के बढ़ते चलन और दुनिया भर में फैले डी-ग्लोबलाइजेशन (वैश्वीकरण के प्रभावों का उलटना) के डर के चलते, विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय संस्थान संकट की स्थिति में हैं। महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार भागीदारों में से एक होने के नाते भारत इस संकट के प्रभावों से बच नहीं सकता है। इस लेख में, हम वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में विश्व व्यापार संगठन द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जानेंगे। इसके अलावा, हम इस संगठन के साथ भारत के अब तक के संबंधों के विभिन्न पहलुओं, वर्तमान मुद्दों और भविष्य की संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे।

2.2. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विकल्प (Alternatives to Belt and Road Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकासशील देशों में आवश्यक अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए **पांच वर्षों में 200 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य** निर्धारित किया है। यह कार्य G7 की एक पहल के तहत किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य **चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना** का मुकाबला करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **अगले पांच वर्षों में G7 भागीदारों के योगदान और निजी पूंजी सहित कुल निवेश को 600 बिलियन डॉलर** तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- यह घोषणा पिछले वर्ष (2021 में) यूनाइटेड किंगडम में आयोजित G7 की बैठक में आरंभ की गई पहल **"बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड" (B3W)** की एक **औपचारिक शुरुआत** और **रीब्रांडिंग** है।
- इस प्रयास को अब **वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश के लिए साझेदारी (PGII)**[12] कहा जाता है।

PGII के बारे में

- इसका उद्देश्य पिछले दशक में दुनिया भर में **चीन द्वारा ठोस अवसंरचना में किए गए लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर** के निवेश का एक विकल्प प्रदान करना है।

---

[11] Regional Comprehensive Economic Partnership

[12] Partnership for Global Infrastructure and Investment

- यह G7 पहल **चार प्रमुख श्रेणियों** में परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रही है:
  - **स्वच्छ ऊर्जा,**
  - **स्वास्थ्य प्रणालियां,**
  - **लैंगिक समानता**
  - **सूचना व संचार प्रौद्योगिकी।**
- PGII के तहत अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस दृष्टिकोण के तहत अधिक मात्रा में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी धन का सीमित उपयोग किया जाएगा। निजी पूंजी में पेंशन फंड, निजी इक्विटी फंड , बीमा फंड एवं इसी प्रकार के अन्य फंड शामिल हैं।
  - यह **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** के विपरीत है। यहाँ बड़े पैमाने पर **"शामिल देशों (स्टेट-टू-स्टेट)" से वित्तपोषण का प्रावधान है। इस प्रकार के वित्तपोषण से अस्थिर ऋण स्तर की समस्या उत्पन्न होती है।**

BRI के बारे में

- यह एक **अंतर-महाद्वीपीय दीर्घकालिक नीति और निवेश कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य अवसंरचना का विकास करना और **ऐतिहासिक रेशम मार्ग (सिल्क रूट)** के किनारे स्थित **देशों के आर्थिक एकीकरण** को बढ़ाना है।
- यह कार्यक्रम **वर्ष 2013 में** चीन द्वारा आरंभ किया गया था और वर्ष 2016 तक इसे **वन बेल्ट वन रोड (OBOR)** के रूप में जाना जाता था।
- **बेल्ट एंड रोड पोर्टल** के अनुसार वर्तमान में **71 देश** इस पहल में **भाग ले रहे हैं**। ये देश **कुल वैश्विक GDP के एक तिहाई से अधिक** का और **विश्व की दो तिहाई आबादी** का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- BRI के तहत **दो पहलों** को संयुक्त किया गया है **(मानचित्र में देखिए):**
  - **सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट (भूमि आधारित)।**
  - **21वीं सदी का मैरीटाइम सिल्क रोड।**

BRI के विकल्प क्यों उभर रहे हैं?

- **खंडित प्रकृति**: बेल्ट एंड रोड एक **एकीकृत, सुसंगत रणनीति** नहीं है, इसके बजाय यह **विभिन्न शर्तों** पर किए गए **द्विपक्षीय समझौतों का एक खंडित संग्रह** है।
- **इसकी अपारदर्शी प्रकृति अविश्वास पैदा करती है:** BRI की अपारदर्शी प्रकृति और इसे विकसित करने के लिए उपयोग किया गया ऋण एक और बड़ी चिंता है।

G7 के बारे में

- G7 विश्व की अग्रणी औद्योगिक राष्ट्रों का एक अनौपचारिक मंच है। इसका वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर दबदबा है।
- **यह वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सालाना बैठक करता है।** इसके अलावा, यह मौजूदा स्थिति से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करता है।
- **सदस्य और भागीदार:** इसमें **कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** मुख्य सदस्य के रूप में शामिल हैं।
  - इसमें सदस्य राष्ट्रों के अलावा भागीदार के रूप में कार्य करने वाले अन्य आमंत्रित राष्ट्र भी शामिल हैं। ये ऐसे लोकतंत्र हैं जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत हैं।
    - उदाहरण के लिए, हाल के शिखर सम्मेलन में **अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ भारत को भी अतिथि के रूप में** आमंत्रित किया गया था।
  - **IMF, विश्व बैंक, WHO जैसे विभिन्न संगठन भी इसके अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस से जुड़े हैं।**
- **रूस वर्ष 1998 में G7 में शामिल हुआ था। इससे यह G8 बन गया,** लेकिन 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण के कारण इसे बाहर कर दिया गया।
  - **यूरोपीय संघ** G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है।

LiFE अभियान के बारे में:

- G7 के हालिया शिखर सम्मेलन में भारत ने **ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) अभियान** पर प्रकाश डाला। इसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है।
- LiFE का विचार प्रधान मंत्री द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के पक्षकारों के 26वें सम्मेलन (COP26), 2021 के दौरान ग्लासगो में प्रस्तुत किया गया था।
  - इस मिशन का उद्देश्य एक ऐसे पारितंत्र का निर्माण करना है **जो पर्यावरण अनुकूल व्यवहारों को स्वतः-धारणीय बनने के लिए मजबूत और सक्षम बनाये।**
- इसकी दृष्टि एक ऐसी जीवन शैली जीना है जो **हमारे ग्रह के अनुरूप हो** और इसे नुकसान न पहुंचाए। ऐसी जीवनशैली जीने वाले लोगों को **"प्रो-प्लैनेट पीपल (P3)"** कहा जाता है।
  - हाल ही में **वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF)** के दावोस एजेंडा 2022 में प्रधान मंत्री मोदी ने "P3 मूवमेंट" की शुरुआत की, जो भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है।

- चीन सरकार ने कभी भी बेल्ट एंड रोड के ऋणों के **आकार और शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी** प्रकाशित नहीं की है। सूचनाओं का यह अभाव **भ्रम और अविश्वास उत्पन्न करता है।**

- **ऋण जाल की कूटनीति:** यह आरोप लगाया जाता है कि इस कूटनीति के तहत, चीन बेल्ट एंड रोड का उपयोग एक **षड्यंत्रात्मक वैश्विक रणनीति** के एक भाग के रूप में करता है। इसके अंतर्गत चीन विकासशील देशों में बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए **दीर्घकाल में आवहनीय ऋण** प्रदान करके उनका वित्तपोषण करता है। इसके बाद वह इस ऋण के बदले में उन सरकारों से **लाभ प्राप्त** करने का प्रयास करता है।
    - उदाहरण के लिए, श्रीलंका में **हंबनटोटा पोर्ट डेवलपमेंट** जैसी परियोजनाओं से यह आरोप सामने आया था। श्रीलंका की सरकार इस परियोजना को वित्त पोषित करने वाले **चीन के ऋण को चुकाने में असमर्थ** थी। इस कारण, इस बंदरगाह को वर्ष **2017 में 99 साल के पट्टे पर चीन को** सौंप दिया गया।
- **राजनीतिक प्रतिक्रिया:** BRI परियोजनाओं में सहायता अनुदान के बजाय **कम ब्याज वाले ऋणों** का उपयोग किया गया है। कुछ BRI निवेशों के लिए **बोली की प्रक्रिया अपारदर्शी** थी और इन निवेशों के लिए **चीन की फर्मों** का उपयोग आवश्यक था। परिणामस्वरूप, ठेकेदारों ने **लागत बढ़ा दी** जिससे **परियोजनाएं रद्द हो गईं और राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई।**
    - वर्ष 2018 में, मलेशिया में **अत्यधिक मूल्य वाली BRI पहल** के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था।
    - **चीन के सैन्य प्रतिष्ठानों के निर्माण के लिए दूसरे संप्रभु देशों की भूमि** का उपयोग भी चिंता का विषय है।
- **कार्यान्वयन के मुद्दों के कारण धीमी प्रगति:** एक रिपोर्ट के अनुसार, **BRI की 35% अवसंरचना परियोजनाओं** को कार्यान्वयन संबंधी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इनमें **भ्रष्टाचार, श्रम कानूनों का उल्लंघन, पर्यावरणीय जोखिम और सार्वजनिक विरोध** आदि शामिल हैं।
- **पर्यावरणीय लागत:** पर्यावरण पर **गंभीर और अपरिवर्तनीय प्रभाव डालने** एवं **दीर्घकालिक सतत विकास** की प्रगति को खतरे में डालने के लिए BRI की आलोचना की गई है।

BRI के संबंध में भारत की चिंताएं:

- **भू-राजनीतिक चिंताएं:** भारत विशेष रूप से **छोटे दक्षिण एशियाई देशों** और **हिंद महासागर के तटवर्ती देशों** में BRI अवसंरचनाओं एवं कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लेकर चिंतित है।
    - भारत इस क्षेत्र को परंपरागत रूप से **अपने पड़ोस के रूप में** देखता रहा है। साथ ही ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र पर **भारत ने अपना प्रभाव बनाए रखा** है।
    - भारत को आशंका है कि BRI परियोजनाएं इस क्षेत्र के देशों पर चीन के प्रभाव को बढ़ाएंगी और **भारत के प्रभुत्व को कम करेंगी।**
- **संप्रभुता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** भारत, BRI की **प्रमुख परियोजनाओं में से एक चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC)**[13] **का विरोध करता रहा** है। यह गलियारा चीन के शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से जोड़ता है।
    - यह परियोजना **पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर** से होकर गुजरती है और इसलिए यह **'भारत की संप्रभुता का उल्लंघन'** करती है।
    - चीन और पाकिस्तान द्वारा CPEC के लिए सुरक्षाकर्मियों की तैनाती भारत के लिए **सुरक्षा संबंधी चिंता** का एक और कारण है।

---

[13] China-Pakistan Economic Corridor

- इसके अलावा, चूंकि ग्वादर एक गहरे पानी का बंदरगाह है, इसलिए यह हिंद महासागर क्षेत्र में एक **क्षेत्रीय शक्ति** के रूप में भारत की भूमिका पर पाकिस्तान और चीन को एक **रणनीतिक लाभ** प्रदान करता है।

BRI के अन्य विकल्प क्या हैं?

- **यूरोपीय संघ की ग्लोबल गेटवे परियोजना:** इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2021 से 2027 के बीच **300 बिलियन यूरो** का निवेश **जुटाना** है, ताकि **चिरस्थायी वैश्विक सुधार** किया जा सके।
    - यह निवेश **अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों के अनुरूप** गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना में **स्मार्ट निवेश** का समर्थन करेगा। इसमें **उच्चतम सामाजिक और पर्यावरण मानकों को ध्यान में रखा जाएगा।** यह **डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और परिवहन में स्मार्ट, स्वच्छ और सुरक्षित संपर्कों** को बढ़ाने तथा विश्व भर में **स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान प्रणालियों** को मजबूत करने के लिए एक यूरोपीय रणनीति है।
    - यूरोपीय संघ का **ग्लोबल गेटवे** अपने भागीदारों को **उचित और अनुकूल शर्तों** के तहत वित्तपोषण का सकारात्मक प्रस्ताव देता है। इसका उद्देश्य चीन के BRI के विपरीत **ऋण संकट के जोखिम को सीमित** करना है।
- **एशिया-अफ्रीका संवृद्धि गलियारा (AAGC)[15]:** यह वर्ष 2017 में भारत और जापान द्वारा किया गया एक और प्रयास है। इस द्विपक्षीय साझेदारी का लक्ष्य अफ्रीका में **गुणवत्तापूर्ण और सतत (सामाजिक और परिवहन संबंधी) अवसंरचनाओं, विकासात्मक परियोजनाओं और कनेक्टिविटी** को बढ़ाना है।
    - इसका उद्देश्य "स्वतंत्र और मुक्त" विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना और **अफ्रीका में चीन के बढ़ते निवेश एवं प्रभाव का विकल्प प्रदान करना** भी है।

भारत की प्रतिक्रिया

- हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए **मौसम परियोजना** आरंभ की गई है।
- कई उद्देश्यों के साथ "सागर" अर्थात **क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR)[14]** की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इसके उद्देश्य हैं;
    - **समुद्री हितों** की रक्षा करना,
    - तटीय क्षेत्रों में **आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना,**
    - समुद्री खतरों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना,
    - समुद्री नियमों, मानदंडों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए **विश्वास में वृद्धि करना और सम्मान को बढ़ावा देना।**
- नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए **इन देशों को सहायता देना तथा निवेश और अन्य आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करना।**

2.3. उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान मैड्रिड (स्पेन) में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।

सम्मेलन के कुछ प्रमुख निष्कर्ष

रणनीतिक अवधारणा, 2022	यह नाटो का दिशा-निर्देशक दस्तावेज है। यह दस्तावेज उभरती हुई सुरक्षा वास्तविकता को दर्शाता है। • यह मित्र देशों की **सुरक्षा के लिए 'सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष खतरे' के रूप में रूस की पहचान करता है,** • इसमें **पहली बार चीन को चुनौती के रूप में पहचाना गया है,** तथा • इसमें आतंकवाद, साइबर और हाइब्रिड खतरे, समुद्री सुरक्षा आदि से संबंधित अन्य चुनौतियों को शामिल किया गया है।
जोखिम की स्थिति में यूक्रेन और अन्य भागीदारों को सहायता	• **यूक्रेन के लिए एक मजबूत व्यापक सहायता पैकेज** दिया गया है। इस पैकेज में सुरक्षित संचार, एंटी-ड्रोन सिस्टम और ईंधन जैसे क्षेत्रों से संबंधित सहायता शामिल है।
उभरती चुनौतियों के लिए गठबंधन बनाना	• नाटो द्वारा एक संगठन के रूप में **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए एक समझौता** किया गया है। इस समझौते के तहत वर्ष 2030 तक कम से कम 45 प्रतिशत की कटौती करने और वर्ष 2050 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। • **नाटो इनोवेशन फंड** की शुरुआत की गई है। यह अगले 15 वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे दोहरे उपयोग वाली उभरती प्रौद्योगिकियों को विकसित करने वाले स्टार्टअप्स में 1 बिलियन यूरो का निवेश करेगा।

[14] Security And Growth for All in the Region

[15] Asia-Africa Growth Corridor

NATO के बारे में

- नाटो का **गठन** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद **वर्ष 1949 में** किया गया था। **इसका गठन** यूरोप में सोवियत विस्तार के खतरे को रोकने के लिए किया गया था।
- **उद्देश्य:** यह संगठन **सामूहिक सुरक्षा गठबंधन के रूप में कार्य** करता है। इसका उद्देश्य सैनिक और राजनीतिक साधनों के माध्यम से पारस्परिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसका अर्थ है कि यदि किसी सदस्य राष्ट्र को किसी बाहरी देश द्वारा धमकाया जाता है या उस पर हमला किया जाता है तो वह हमला सभी सदस्य देशों पर माना जाएगा। (नाटो चार्टर का **अनुच्छेद 5**)।
  - वर्ष 2001 में 9/11 के हमलों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुच्छेद 5 को एक बार लागू किया गया है।
- **संस्थापक:** इसके 12 संस्थापक सदस्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल।
  - फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने के लिए प्रयासरत हैं।
- **NATO के विस्तार की कहानी:**
  - नाटो की प्रतिक्रिया के रूप में वर्ष 1955 में सोवियत संघ ने सात अन्य पूर्वी यूरोपीय कम्युनिस्ट देशों के साथ अपना सैन्य गठबंधन बनाया। यह गठबंधन वारसा संधि (Warsaw Pact) के द्वारा अस्तित्व में आया।
  - इसके बाद, **वर्ष 1991 में सोवियत संघ का पतन** होने पर बहुत से देश, जो पहले वारसा संधि के सदस्य थे, वे नाटो के सदस्य बन गए। इसमें हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया शामिल हैं।
  - हाल ही में, वर्ष 2017 में मोंटेनेग्रो और वर्ष 2020 में उत्तरी मेसेडोनिया नाटो में शामिल होने वाले राष्ट्र हैं। **वर्तमान में नाटो के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 30 हो गई है।**
    - नाटो की **ओपन डोर पॉलिसी** (चार्टर का अनुच्छेद 10) ऐसे किसी भी यूरोपीय देश को शामिल होने की अनुमति देती है जो "उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा" में वृद्धि और योगदान कर सकता है।
- **प्रमुख गैर-नाटो सहयोगियों की स्थिति:** यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उन नजदीकी सहयोगी देशों के लिए दिया गया एक नाम है जिनके यू.एस. सशस्त्र बलों के साथ रणनीतिक संबंध हैं लेकिन वे नाटो के सदस्य नहीं हैं।
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल आदि सहित **30 अन्य देशों को** प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है।
  - यह दर्जा **विभिन्न प्रकार के सैन्य और वित्तीय लाभ प्रदान करता है** जो अन्यथा गैर-नाटो देशों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इन लाभों में रक्षा अनुसंधान परियोजनाओं और आतंकवाद विरोधी पहलों में भागीदारी करना, डिप्लीटेड यूरेनियम (यूरेनियम के अयस्क से उच्च रेडियोसक्रिय U-235 को निकालने के बाद बचा पदार्थ) से बने गोला-बारूद को खरीदना आदि शामिल हैं।

समकालीन समय में नाटो की प्रासंगिकता

- **तेजी से बदलते सुरक्षा परिवेश से निपटने हेतु:** जैसे कि-
  - यूक्रेन पर रूस का आक्रमण,
  - आतंकवाद,
  - बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता,
  - अधिक जटिल और विघटनकारी साइबर और हाइब्रिड खतरे, तथा
  - अत्यधिक तेजी से होते तकनीकी परिवर्तन
- ये सभी वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौती और स्थिरता के लिए खतरे को दर्शाते हैं।
  - **इसने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।**
    - नाटो ने यूक्रेन के खिलाफ **रूस की आक्रामकता की निंदा की है** क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी स्पष्ट उल्लंघन है। नाटो ने **यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को** अपना अटूट समर्थन प्रदान किया है।

नाटो से संबंधित मुद्दे

- **सदस्यों के बीच संघर्ष और मतभेद:** आतंकवाद, रूस और यूरोपीय सुरक्षा के बारे में नाटो नेतृत्वकर्ताओं के दृष्टिकोण मूल रूप से भिन्न हैं।
  - नाटो के सदस्य देशों के बीच संघर्ष बढ़ गए हैं, उदाहरण के लिए- ग्रीस और तुर्की के बीच संघर्ष।
- **स्पष्ट रूप से परिभाषित मिशन का अभाव**
- तकनीकी रूप से निरंतर उन्नत, सैन्य रूप से सक्षम और राजनीतिक रूप से आक्रामक होते रूस के साथ **यह गठबंधन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में अपनी बढ़त खोता जा रहा है।**

- नाटो सहयोगियों और साझेदार देशों ने लगभग 20 वर्षों तक **अफगानिस्तान में सैन्य बलों को तैनात रखा था।** इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अफगानिस्तान पुनः अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह न बन सके।
- नाटो **इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है।** साथ ही यह ISIS को हराने के लिए वैश्विक गठबंधन को सहायता भी प्रदान करता है।

- यह विश्व का **सबसे लंबे समय तक बना रहने वाला अंतर-सरकारी सुरक्षा संगठन है** और समय के साथ इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है।

- **कोविड के प्रति अनुक्रिया:** नाटो ने निम्नलिखित के माध्यम से कोविड-19 संकट का सामना करने में भूमिका निभाई है:
  - सैन्य कर्मियों की रक्षा करके,
  - महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति के लिए वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करके
  - अभिनव प्रतिक्रियाएं देने के लिए संसाधनों का उपयोग करके।
- **नाटो का पूर्व की ओर विस्तार:** हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में लिए गए प्रमुख निर्णय यूरोप से लेकर एशिया-प्रशांत तक पूर्व की तरफ नाटो के विस्तार की ओर इशारा करते हैं। यह **एशियाई क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता स्थापित करने में नाटो की आगामी भूमिका की ओर संकेत करता है।**
  - नाटो के दस्तावेज में पहली बार चीन का नाम आया है।
  - **नाटो शिखर सम्मेलन में** पहली बार चार इंडो-पैसिफिक देश, अर्थात् **ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और द रिपब्लिक ऑफ कोरिया शामिल हुए।** इन राष्ट्रों का सम्मेलन में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य सहयोग को अधिक मजबूत करना और वैश्विक चुनौतियों से निपटना है।

नाटो चीन पर ध्यान केंद्रित क्यों कर रहा है?

हाल ही में, नाटो ने चीन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और इसे अपनी **"सामूहिक रक्षा"** के लिए उचित ठहराया है। नाटो के अनुसार इसका कारण यूरोपीय हितों पर चीन का अतिक्रमण है, जैसे:

- **प्रमुख बंदरगाह, जैसे ग्रीस का पीरियस बंदरगाह (Port of Piraeus)** अब चीनी कंपनियों के पास हैं। **ग्रीस में स्थित पीरियस बंदरगाह यूरोप के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है।**
- **अटलांटिक महासागर क्षेत्र में चीनी नौसैनिक गश्त में वृद्धि।**
- **आर्कटिक सागर में चीन की बढ़ती दिलचस्पी।**
- चीनी सरकार द्वारा पश्चिमी वाणिज्यिक और सैन्य ठिकानों पर **व्यापक साइबर हमले।**
- रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग, अर्थात् दक्षिण चीन सागर के संसाधन-समृद्ध जल पर **चीन द्वारा स्वामित्व का दावा।**

2.4. ब्रिक्स (BRICS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन की अध्यक्षता में **14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन** का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप में किया गया था। सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने **'बीजिंग डिक्लेरेशन'** को अपनाया।

इस शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं-

- **भारत द्वारा प्रस्तावित पहल:** भारत ने ब्रिक्स पहचान को मजबूत करने का आह्वान किया है। साथ ही **ब्रिक्स दस्तावेजों,** ब्रिक्स रेलवे अनुसंधान नेटवर्क के लिए **ऑनलाइन डेटाबेस स्थापित करने तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के बीच सहयोग को मजबूत करने का प्रस्ताव दिया है।**
  - भारत ब्रिक्स देशों में स्टार्टअप्स के बीच संबंध मजबूत करने के लिए इस वर्ष **ब्रिक्स स्टार्टअप कार्यक्रम** का आयोजन करेगा।
- **भ्रष्टाचार के लिए सुरक्षित पनाहगाह (Safe Haven) को समाप्त करना:** ब्रिक्स देशों ने

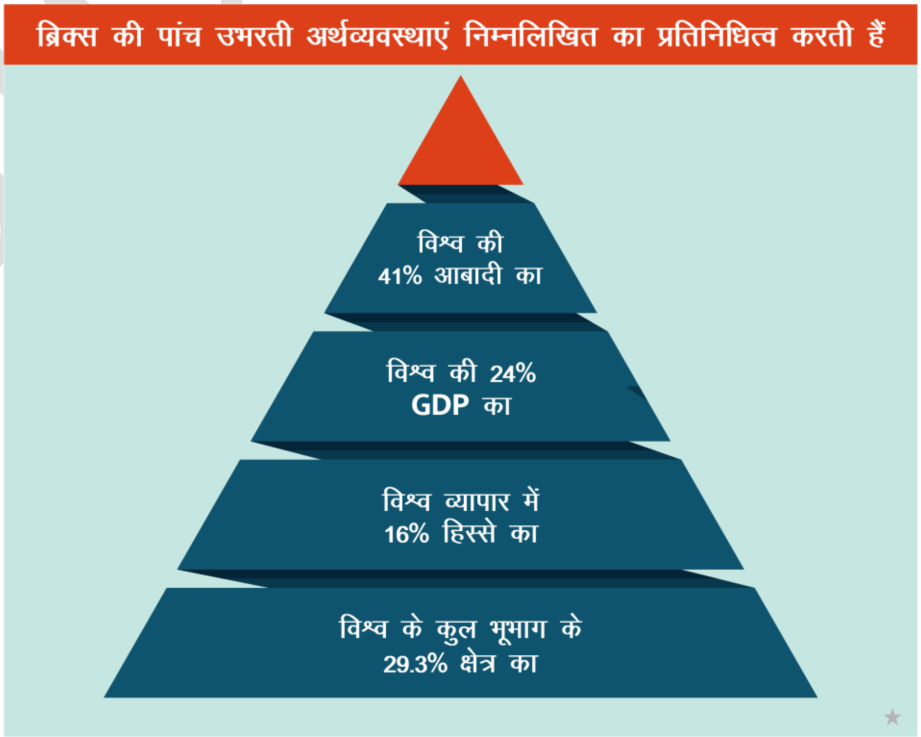

भ्रष्टाचार के लिए सुरक्षित पनाहगाह को समाप्त करने से संबंधित ब्रिक्स पहल का स्वागत किया है। इस पहल के कारण **शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से** भ्रष्टाचार-रोधी क्षमता निर्माण को और अधिक मजबूती मिलेगी। **साथ ही यह बहुपक्षीय ढांचे के भीतर भ्रष्टाचार-रोधी आदान-प्रदान** और सहयोग को बढ़ाएगी।

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के बारे में;

- ब्रिक्स समूह का **उद्देश्य विश्व में शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ाना है।**
- इसका उद्देश्य **मानवता के विकास में सकारात्मक योगदान देना और अधिक न्यायसंगत तथा निष्पक्ष विश्व की स्थापना करना भी है।**
- ब्रिक्स के गठन के पीछे निहित धारणा यह थी कि **वर्ष 2050 तक, सामूहिक रूप से इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक वृद्धि में प्रभुत्व होगा।**
- हाल ही में **ईरान और अर्जेंटीना** ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किए जाने के बाद **इस समूह का यह पहला विस्तार हो सकता है।**

ब्रिक्स में भारत के लिए अवसर

- **आर्थिक और व्यापार हित**: हालांकि ब्रिक्स देशों के मध्य (Intra-BRICS) व्यापार कम है, किन्तु यह चीन सहित **प्रमुख बाजारों में भारत के लिए अवसर** प्रदान करता है। सुरक्षा संबंधी तनाव के बावजूद चीन एक **महत्वपूर्ण वाणिज्यिक भागीदार** बना हुआ है। भारत ने **सदस्य देशों को यूक्रेन-रूस युद्ध के आर्थिक परिणामों से बचाने** के ब्रिक्स के लक्ष्य का भी समर्थन किया है।
  - **चीन के साथ संबंधों का प्रबंधन:** ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे समूहों में शामिल होना भारत और चीन दोनों देशों को अपने संबंधों के अन्य आयामों में **अपनी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को "समाप्त"** करने का अवसर प्रदान करता है।
- **अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय समूहों से जुड़ाव की विदेश नीति:** गैर-पश्चिमी समूह में भागीदारी **पश्चिम के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को संतुलित करती है।**
  - भारत प्रायः "पश्चिमी नेतृत्व वाले" अन्य समूहों, जैसे क्वाड (QUAD) में अपनी भागीदारी को ब्रिक्स में भागीदारी के समान मानता है। यह भारत को **रणनीतिक स्वायत्तता और अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय समूहों से जुड़ाव पर आधारित विदेश नीति** के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने में मदद करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की तलाश:** ब्रिक्स की सदस्यता **भारत के वैश्विक प्रोफ़ाइल** को बेहतर बनाती है और भारत को **वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता** के रूप में सामने आने का अवसर प्रदान करती है।

ब्रिक्स द्वारा की गई ठोस प्रगति:

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (CRA)[16] की स्थापना: जुलाई 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे शिखर सम्मेलन के** दौरान **ब्रिक्स NDB के साथ-साथ CRA की स्थापना हेतु प्रत्येक के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर** मूल्य का समझौता हुआ।
  - **NDB का मुख्यालय शंघाई में स्थित है।** इसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य उभरते एवं विकासशील देशों में **अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है।**
  - CRA का उद्देश्य वास्तविक या संभावित अल्पकालिक भुगतान संतुलन संकट की प्रतिक्रिया के तौर पर मुद्रा स्वैप के माध्यम से तरलता प्रदान करना है।
- **IMF सुधार:** विगत कुछ वर्षों में ब्रिक्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में **प्रगतिशील परिवर्तन लाने** में सफल रहा है। ब्रिक्स के संयुक्त प्रयासों से **कोटा और शासन (Quota and Governance) पर 2010 का सुधार प्रस्ताव पारित हुआ।**
  - इसके पश्चात, IMF का कोटा दोगुना कर दिया गया, जिसमें से कुल 6% हिस्सेदारी उभरते एवं विकासशील देशों को दी गई। चीन, रूस, ब्राजील और भारत के मतों में वृद्धि की गई। अब इनके मतों का कुल मूल्य **14.18%** हो गया है।
- **व्यापार और निर्यात में वृद्धि:** विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार, **2001 और 2011 के बीच वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स की भागीदारी 8% से बढ़कर दोगुनी अर्थात् 16% हो गई।** वर्ष 2002 और 2012 के बीच, **ब्रिक्स देशों के भीतर व्यापार में 922% की वृद्धि हुई और यह** 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 276 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- **विस्तृत और बहुस्तरीय संचार तंत्र की स्थापना**: ब्रिक्स का फोकस आर्थिक विकास से आगे बढ़कर अन्य मुद्दों और सहयोग को शामिल करने पर केंद्रित है। इसने **नेताओं के शिखर सम्मेलन और उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों, विदेश मंत्रियों, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठकों** के माध्यम से एक व्यापक संचार तंत्र का गठन किया है।

[16] Contingent Reserve Arrangements

BRICS से संबंधित वर्तमान मुद्दे:

- **चीन की प्रभावशाली भूमिका**: चीन की उपस्थिति और **समूह के भीतर वह जिस बड़ी भूमिका का दावा करता है,** वह भारत के लिए बड़ी चुनौती है।
    - चीन इस समूह का उपयोग रूस पर U.S.A. के प्रतिबंधों और **व्यापक अमेरिकी आधिपत्य** का हवाला देकर **U.S.A विरोधी प्रचार** के लिए एक मंच के रूप में कर सकता है। ऐसा करना भारत के खिलाफ होगा क्योंकि भारत स्वयं को **U.S.A विरोधी गुट** के एक भाग के रूप में देखे जाने से बचने का प्रयास करता है।
    - **संप्रभु समानता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने में कमी: चीन अपनी सीमा के चारों ओर यथापूर्व स्थिति को बनाए रखने में चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। यह भारत के लिए चिंताजनक है क्योंकि उसके चारों ओर की सीमा में भारत के साथ संलग्न सीमा भी शामिल है। इसके साथ ही यूक्रेन के विरुद्ध रूस की आक्रामकता** के कारण ब्रिक्स सदस्यों के लिए उन **सिद्धांतों को बनाए रखना** कठिन होता जा रहा है, जिन सिद्धांतों पर इस समूह की नींव रखी गई थी।

BRICS में भारत

- ब्रिक्स के लिए भारत का उल्लेखनीय योगदान **न्यू डेवलपमेंट बैंक** का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को वर्ष 2012 में भारत द्वारा ब्रिक्स के एजेंडे में रखा गया था।
- भारत ने **ब्रिक्स सहयोग तंत्र में शहरीकरण मंच (Urbanization Forum)** को भी शामिल किया। इसका उद्देश्य सभी ब्रिक्स सदस्यों द्वारा सामना की जाने वाली तीव्र शहरीकरण की चुनौतियाँ से निपटने में सदस्यों के बीच सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना था। यह सदस्य एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं।
- भारत ने **ब्रिक्स अकादमिक मंच की बैठकों को प्रारंभिक बैठकों के रूप में** आयोजित करने की प्रथा को संस्थागत रूप दिया। वर्ष 2009 में ऐसी बैठक को शिखर सम्मेलन के एजेंडे में शामिल करके इस तरह की पहली बैठक की गई थी।

- **द्विपक्षीय मतभेद**: ब्रिक्स के लिए **किसी एक सूत्र में न बांधने वाली विचारधारा का न होना एक चुनौती है। साथ ही इसे** सामाजिक-सांस्कृतिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में **विविधता** का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिक्स में शामिल पांच देशों के बीच **व्यापक असमानताएं** हैं और द्विपक्षीय मतभेद भी हैं, जो ब्रिक्स के भीतर सर्वसम्मति के लिए चुनौतियां उत्पन्न करते हैं।
- **व्यापार संबंधी चुनौतियां:** वर्ष 2018-19 में ब्रिक्स देशों के साथ भारत का कुल व्यापार **114.1 बिलियन डॉलर था।** इसका अधिकांश हिस्सा **चीन के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार** के कारण था, जो 87.1 बिलियन डॉलर था।
    - **व्यापार कम होने का एक कारण भौगोलिक दूरी को माना जा सकता है,** जो निर्यात के लिए **समय और लागत को बढ़ा देती** है।
    - **प्रतिबंधात्मक व्यापार माहौल** ब्रिक्स देशों के बीच कम व्यापार होने का एक अन्य प्रमुख कारण है। यद्यपि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं ने विगत कुछ वर्षों में प्रशुल्क दरों में काफी कमी की है, लेकिन **गैर-प्रशुल्क बाधाओं** के संदर्भ में आयात प्रतिबंध अभी भी मौजूद हैं।
    - **ब्रिक्स देशों के भीतर व्यापार के मामले में चीन का प्रभुत्व** भारत के लिए एक अन्य मुद्दा है और किसी भी अवसर का लाभ उठाने में भारत के समक्ष एक बाधा है।
- **बहुपक्षीय सुधारों पर धीमी प्रगति:** ब्रिक्स ने UNSC सुधार का मुद्दा भले ही उठाया हो, किन्तु UNSC में बदलाव करने के एक **गंभीर प्रयास** की तुलना में इसकी **यह घोषणा मात्र अधिक लगता है।** वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था के सुधारों पर **कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।**
- **अन्य मुद्दे:**
    - ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं की कुछ घरेलू और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां समान हैं जिन्हें उनकी सामूहिक सक्रियता से स्वतंत्र रूप से हल किया जाना चाहिए। **इन चुनौतियों में असमानता (आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक), भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा में सुधार और मानवाधिकार शामिल हैं।**
    - IBSA (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) जैसे **समानांतर समूह** पहले से ही कार्य कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अधिदेशों की ओवरलैपिंग (अतिव्यापन) को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करना ब्रिक्स के लिए एक बड़ी चुनौती है।

आगे की राह

- **विविधताओं को नियंत्रित करना और साझा हितों के लिए प्रयास करना:** विकसित विश्व की तुलना में ब्रिक्स संगठन **ब्रिक्स-प्लस फ्रेमवर्क** के माध्यम से **वैकल्पिक उदारीकरण और आर्थिक एकीकरण** के लिए एक गेटवे प्रदान कर सकता है।
- **प्रतिस्पर्धी बहुपक्षवाद के माध्यम से ब्रिक्स संस्थानों की दक्षता में वृद्धि करना:** न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) जैसे संस्थानों का उदय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **विकासशील देशों की स्थिति को और मजबूत करेगा।** इस तरह के तेजी से बढ़ते हुए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ **नवाचार में प्रतिस्पर्धा और सहयोग करेंगे।**

- **ब्रिक्स एजेंडे में आतंकवाद से निपटने को पुनः प्राथमिकता देना:** विदेश नीति और सुरक्षा नीति पर ब्रिक्स देशों की अलग-अलग प्राथमिकताओं के बावजूद, यह समूह सर्वसम्मति से आतंकवाद को अपनी **राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में स्वीकार करता है।**
- **सहयोग को मजबूत करना: वैश्विक वित्तीय सुधारों के लिए ब्रिक्स सहयोग को औपचारिक रूप देने** और **मानदंड-निर्धारण के लिए मुखर होने** की अधिक आवश्यकता है। इससे अलग-अलग आवश्यकताओं, जैसे **जलवायु परिवर्तन से निपटना, लचीलापन और संधारणीय अवसंरचना एवं हरित प्रौद्योगिकी** के लिए निर्धारित वित्तीय प्रवाह का मार्ग प्रशस्त होगा।
  - ब्रिक्स को उभरते देशों में **महामारी के पश्चात संवृद्धि और विकास के लिए** सहायता करनी चाहिए। इसके साथ ही, **ग्लोबल साउथ के साथ अपने गहन जुड़ाव को** आगे बढ़ाते हुए बहुपक्षीय प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए।

2.5. भारत-यूरोपीय संघ (India- European Union)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने **भारत-EU व्यापार एवं निवेश समझौतों के लिए पहले दौर की वार्ता** का समापन किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- दोनों साझेदार लगभग **नौ वर्षों बाद मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता** पुनः आरंभ कर रहे हैं। वर्ष 2013 में पहले की वार्ताओं को रोक दिया गया था। इन वार्ताओं को समझौते के दायरे और अपेक्षाओं को लेकर विद्यमान मतभेदों के कारण रोका गया था।
  - FTA के तहत **व्यापार, निवेश और भौगोलिक संकेत (GI) पर समझौते** शामिल हैं।
- दोनों पक्षों का उद्देश्य व्यापार निष्पक्षता और परस्पर लेनदेन के सिद्धांतों के आधार पर वार्ताओं को **समग्र रूप में संतुलित और व्यापक बनाना** है।
- वार्ताओं का दूसरा दौर **ब्रसेल्स में सितंबर, 2022** में होना है।

भारत के लिए यूरोपीय संघ का महत्व

- **चीन को प्रतिसंतुलित (काउन्टर) करना:** भारत के लिए **चीन के आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव को प्रतिसंतुलित** करना आवश्यक है। इसके लिए, **यूरोप आर्थिक और तकनीकी शक्ति के रूप में** भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार हो सकता है।
- **आर्थिक महत्व: वित्त वर्ष 2021-22 में** EU के साथ भारत का **द्विपक्षीय व्यापार 116.36 बिलियन डॉलर** था। वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद **वर्ष 2021-22 में** द्विपक्षीय व्यापार में **43.5 फीसदी** की प्रभावशाली **वार्षिक वृद्धि दर्ज की** गई।
  - वर्तमान में अमेरिका के बाद **यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साथ ही यह भारतीय निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।**

 ©Vision IAS

- दोनों पक्ष आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद[17] की स्थापना हेतु सहमत हुए हैं।

- **ब्रेक्जिट के बाद की स्थिति:** भारत, यूनाइटेड किंगडम को **यूरोप की मुख्य भूमि का प्रवेश द्वार मानता था।** इसके यूरोपीय संघ से बाहर निकलने से भारतीय फर्मों को पहले के समान लाभ नहीं मिलेगा। भारत का मत है कि ब्रेक्जिट के बाद की स्थिति में, भारत की **अपनी आर्थिक संभावनाएं** यूरोपीय संघ की निरंतर वृद्धि और आंतरिक स्थिरता पर निर्भर करती हैं।
- **सामाजिक बदलाव: हाल ही में, भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की गई है। यह शुरुआत** भारत के तकनीकी एवं सामाजिक बदलाव में **यूरोप के छोटे देशों के महत्व को दर्शाती है।**
- **वैश्विक मुद्दों पर सहयोग:** यूरोपीय संघ **नए क्षेत्रों में वैश्विक नियम तैयार करने** में अग्रणी है। इसने **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण** के लिए नियमों पर वैश्विक बहस प्रारंभ की है। इस बहस का लक्ष्य **कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि के उपयोग के लिए निर्मित किए जाने वाले नैतिक, मानव-केंद्रित मानकों** के लिए एक वैश्विक उदाहरण प्रस्तुत करना है।

FTA पर रुकी हुई वार्ता से स्पष्ट होता है कि भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों को लेकर चिंताएं विद्यमान हैं:

- क्रीमिया संकट के दौरान **रूस की भूमिका** पर **रुख बदलना।**
- **इटली का समुद्र संबंधी मुद्दा:** वर्ष 2012 में इटली के नौ-सैनिकों की गिरफ्तारी ने न केवल इटली और भारत के संबंधों को प्रभावित किया बल्कि यूरोपीय संघ के साथ तनावों में भी वृद्धि की।
- **FTA से संबंधित अन्य मुद्दे:** जैसे कि -
  - सेवाओं में व्यापार तक पहुंच,
  - वस्तुओं के व्यापार पर गैर-प्रशुल्क बाधाएं,
  - भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) व्यवस्था पर समझौता,
  - भारत के लिए डेटा सुरक्षा का मुद्दा, और
  - निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS)[18] तंत्र के लिए स्वीकृति।
- **मानवाधिकार:** यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने **भारत में मानवाधिकार की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। इन चिंताओं में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं-**
  - भारतीय महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों के समक्ष आने वाली कठिनाइयां

यूरोपीय संघ (EU) के बारे में

- यह 27 संप्रभु सदस्य देशों का एक **राजनीतिक और आर्थिक संघ** है।
- इसके निर्णय मिश्रित रूप से निम्नलिखित के ज़रिए लिए जाते हैं:
  - **सुपरनैशनल संस्थाएं** (अर्थात् वे संस्थाएं जिन्हें सदस्य देशों ने अपनी **शक्तियां सौंपी हैं**); और
  - **अंतर-सरकारी वार्ताएं** (ये उन क्षेत्रों से संबंधित होती हैं जिसमें सदस्य देशों ने अपनी शक्तियां नहीं सौंपी है, लेकिन वे **एक साथ निर्णय लेते हैं**)।
- मुख्य यूरोपीय संस्थाएं हैं:
  - **यूरोपियन काउंसिल:** यह EU के प्रत्येक सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों को एक मंच पर लाता है और यूरोपीय संघ की राजनीतिक दिशा निर्धारित करता है।
  - **यूरोपियन कमीशन:** यह यूरोपीय संघ की **राजनीतिक रूप से स्वतंत्र कार्यकारी शाखा** है। यह अकेले ही नवीन यूरोपीय कानूनों के प्रस्ताव तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह **यूरोपियन पार्लियामेंट एवं काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के निर्णयों को लागू करता है।**
  - **काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन:** इसमें प्रत्येक सदस्य देश की सरकार का एक मंत्री शामिल होता है। यूनियन, यूरोपीय संघ में **कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है।**
  - **यूरोपियन पार्लियामेंट:** यह **यूरोपीय संघ की एकमात्र प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था** है। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के साथ यूरोपियन पार्लियामेंट के पास **विधायी शक्ति होती है (EU कानूनों को तैयार करने और अपनाने की शक्ति)। हालांकि, इनके पास विधायी प्रक्रिया शुरू करने की कोई शक्ति नहीं है।**
    - यूरोपियन कमीशन, यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय के रूप में यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होता है।

अन्य साझा हित क्षेत्र

- **ब्लू इकोनॉमी/पश्चिमी हिंद महासागर:** यूरोपीय संघ के **ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव** का उद्देश्य समुद्री संपदा का दोहन करना है। यह पहल **"नीली क्रांति"** को अपनाने हेतु भारत के आह्वान के समान है।
- **"इंडो-पैसिफिक":** यूरोपीय संघ की इंडो-पैसिफिक रणनीति बुनियादी ढांचे के लिए निवेश, लचीली आपूर्ति श्रृंखला और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। इसलिए, यह **इस क्षेत्र में भारत सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत उपयोगी** हो सकती है।
- **जलवायु परिवर्तन:** यूरोपीय संघ और भारत क्रमशः **विश्व के तीसरे और चौथे सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक हैं।** इसलिए **जलवायु परिवर्तन से लड़ने** और एक **संधारणीय अर्थव्यवस्था** को अपनाने के संदर्भ में इनके हित एक समान हैं।
- **कनेक्टिविटी:** भारत और यूरोपीय संघ ने **व्यापक कनेक्टिविटी साझेदारी** की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अफ्रीका, मध्य एशिया तथा इंडो-पैसिफिक सहित भारत और थर्ड कंट्रीज (यूरोपीय संघ के बाहर का कोई भी देश) में लचीली एवं संधारणीय कनेक्टिविटी को सक्षम करना है। यह कनेक्टिविटी **चीन की मेगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का विकल्प प्रदान करेगी।**

---

[17] India-EU Trade and Technology Council

[18] Investor-State Dispute Settlement

- ○ भारत में **एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्यालयों** को **बंद करना, आदि।**

- **अप्रयुक्त व्यापार क्षमता:** वर्ष 2021 में **यूरोपीय संघ के कुल व्यापार में** भारत की हिस्सेदारी **2.1% थी।** यह **चीन (16.2%) और यू.एस.ए. (14.7%) की हिस्सेदारी से काफी कम है।**
  - ○ व्यापार की तकनीकी बाधाएं (TBT)[19], **स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (SPS)[20] संबंधित उपाय,** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत मानकों का पालन न करना तथा **विधायी या प्रशासनिक उपायों के आधार पर भेदभाव आदि** अन्य **कारक** अनेक क्षेत्रकों को प्रभावित करते हैं।
  - ○ गतिशील, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के लिए **FTA की अनुपस्थिति** सबसे **बड़ी बाधा** है।

आगे की राह

- **महामारी के बाद वैश्विक सहयोग की उभरती संभावनाएं: फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों** के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम की ज़रूरी है। इस उद्देश्य से **आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने** की आवश्यकता पर यूरोपीय संघ में विचार-विमर्श चल रहा है। यह भारत और यूरोपीय संघ के बीच **विकासात्मक सहयोग** का एक क्षेत्र हो सकता है।
  - ○ **यूरोपीय स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच के साथ** भारत की **फार्मास्युटिकल विनिर्माण क्षमताएं** इन भागीदारों के बीच साझेदारी बढ़ाने और **नवाचार को बढ़ावा देने** के लिए नए मार्ग प्रदान कर सकती हैं।
- **FTA का आरंभिक निष्कर्ष:** ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट (BTIA) एक महत्वपूर्ण समझौता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ दोनों बड़े बाजार हैं। साथ ही, इसके तहत भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश **(कुशल श्रमिकों और पेशेवरों की आवाजाही से)** यूरोपीय संघ की मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त, बाजार पहुंच में हुई वृद्धि, सेवा क्षेत्रक को और अधिक एकीकृत करेगी। इसके परिणामस्वरूप सहयोग और संयुक्त उद्यमों की संभावना बढ़ेगी।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के बदलते परिदृश्य अर्थात् संबंधों का मजबूत होना

यद्यपि उपर्युक्त मुद्दों को पूरी तरह से हल नहीं किया जा सका है, लेकिन **भू-राजनीतिक परिदृश्यों में समय के साथ हुए निम्नलिखित परिवर्तनों ने इन मुद्दों को गौण बना दिया है-**

- भारत-यूरोपीय संघ दोनों ने **पेरिस समझौते के अनुसमर्थन** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूरोपीय संघ और उसके सदस्य सक्रिय रूप से **भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)[21]** का समर्थन करते हैं।
- **वर्ष 2009 की मंदी और ब्रेक्जिट** के प्रभाव ने दोनों पक्षों को एक-दूसरे के साथ **अधिक उदार संबंध बनाने** के लिए प्रेरित किया। इसने एक **आर्थिक भागीदार** के रूप में भारत के महत्व को पहचानने के लिए यूरोपीय संघ को प्रेरित किया। ब्रेक्जिट के बाद, **भारत भी अब EU के महत्व को कम नहीं आंकता है।**
- **मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) में अशांति** EU-भारत सुरक्षा वार्ता को प्रोत्साहित करती है। यह इन दोनों का साझा विस्तारित पड़ोस है जो इस्तांबुल से लेकर इस्लामाबाद तक और मास्को से लेकर मॉरीशस तक फैला है।
- **बढ़ती अस्थिरता का यह यूरेशियन आर्क (Eurasian arc)** यूरोपीय संघ और भारत के संबंधों के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण है। यह **निवल सुरक्षा प्रदाता[22]** बनने और अपनी परिधि को स्थिर करने की यूरोपीय संघ और भारत की आकांक्षाओं के लिए निर्णायक महत्व रखता है।
- **चीन का तेजी से उदय** यूरेशियाई क्षेत्र (Eurasian heartland) में शक्ति संतुलन को तेजी से बदल रहा है।
- अंत में,**निम्नलिखित मुद्दों में भारत और यूरोपीय संघ के हित समान हैं:**
  - ○ उदारवादी तथा बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था का समर्थन,
  - ○ सहयोगात्मक रूप से ग्लोबल कॉमन्स की रक्षा,
  - ○ व्यापार और इंटरनेट,
  - ○ परमाणु अप्रसार, तथा
  - ○ नेविगेशन की स्वतंत्रता

- **राजनीतिक संवाद को मजबूत करना:** यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि/उपाध्यक्ष तथा भारतीय विदेश मंत्री के बीच **वार्षिक संवाद को नियमित रणनीतिक वार्ता का रूप देने की आवश्यकता** है।
- **पायलट पार्टनर देशों में ठोस त्रिपक्षीय/सहयोग परियोजनाएं शुरू करना:** सुरक्षा, आर्थिक मुद्दों, के साथ-साथ कनेक्टिविटी पर चर्चा करने के लिए **अफ्रीका पर/के साथ** नियमित द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय संवाद स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा, उपयुक्त परिस्थितियों में **अफगानिस्तान** और मध्य एशिया **पर वार्ता** को तेज किया जाना चाहिए।

---

[19] Technical Barriers to Trade

[20] Sanitary and Phytosanitary

[21] International Solar Alliance

[22] Net security provider

2.6. सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty: IWT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नई दिल्ली में स्थायी सिंधु आयोग (PIC)[23] की 118वीं बैठक आयोजित की गई थी।

इस बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु

- पाकिस्तान ने सतलुज नदी में फाजिल्का ड्रेन के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
- भारत ने रेखांकित किया कि पाकल दुल, किरू और लोअर कलनाई सहित भारत की सभी जारी जल-विद्युत (HEP) परियोजनाएं संधि के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन करती हैं।

IWT के बारे में

- IWT पर **वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई थी।**
- **उद्देश्य:** यह संधि सिंधु नदी प्रणाली के जल के उपयोग से संबंधित **दोनों देशों के अधिकारों एवं दायित्वों को निर्धारित और सीमित करती है।**
- **नदी जल के बंटवारे के प्रावधान: पूर्वी नदियों- सतलुज, ब्यास और रावी** का समस्त जल **भारत को आवंटित किया गया है। साथ ही, भारत इसका** अप्रतिबंधित उपयोग कर सकता है। पूर्वी नदियों द्वारा वार्षिक रूप से प्रवाहित समस्त जल की मात्रा लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट (MAF) है। **वहीं पश्चिमी नदियों- सिंधु, झेलम और चिनाब** का जल **ज्यादातर पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया है।** पश्चिमी नदियों द्वारा वार्षिक रूप से प्रवाहित जल की मात्रा लगभग 135 MAF है।
    - इस संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं के माध्यम से जलविद्युत उत्पन्न करने का अधिकार है। हालांकि, इन परियोजनाओं के डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों का अनुपालन अनिवार्य है। साथ ही, इस संधि के तहत, पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन पर आपत्ति उठाने का अधिकार प्रदान किया गया है।
        - **रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजना** में जलविद्युत उत्पादन संयंत्र द्वारा बहुत कम या किसी प्रकार का जल भंडारण नहीं किया जाता है।
- **अन्य प्रावधान:**
    - संधि के तहत **बांधों, लिंक नहरों, बैराजों और नलकूपों के निर्माण तथा वित्त पोषण हेतु प्रावधान किए गए हैं।** इसके तहत विशेष रूप से सिंधु नदी पर तारबेला बांध और झेलम नदी पर मंगला बांध का निर्माण किया गया है।
    - **संधि में प्रत्येक देश द्वारा एक आयुक्त के साथ स्थायी सिंधु आयोग** गठित करने का प्रावधान किया गया है। इस आयोग का उद्देश्य आपसी संचार के लिए एक चैनल बनाए रखना है। साथ ही, संधि के कार्यान्वयन हेतु प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना होगा। इसके अलावा, **विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र** प्रदान किया गया है।

इस संधि को रद्द करना एक उचित विकल्प क्यों नहीं है?

- **अंतराष्ट्रीय कानून के खिलाफ जाना:** IWT में एकतरफा संधि से बाहर निकलने का प्रावधान शामिल नहीं है। यहां तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक और कांसुलर संबंधों के टूटने पर भी IWT को रद्द नहीं किया जा सकता है।
- **भारत के अतिरिक्त अन्य तटवर्ती देशों पर प्रभाव:** IWT के रद्द होने से भारत के अतिरिक्त अन्य तटवर्ती देश जैसे कि बांग्लादेश के समक्ष संकट पैदा हो जाएगा। बांग्लादेश भारत से बहने वाली नदियों से अपना लगभग 91% जल प्राप्त करता है।
- **हाइड्रोलॉजिकल डेटा पर चीन का सहयोग:** बढ़ती चीन-पाकिस्तान सांठगांठ के परिणामस्वरूप चीन संधि को रद्द करने के जवाब में हाइड्रोलॉजिकल डेटा देने पर रोक लगा सकता है।
    - इस तरह के डेटा तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में आने वाले जल की मात्रा का आकलन करने और इस राज्य में आने वाली किसी भी बड़ी आपदा या बाढ़ को रोकने के उपाय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

[23] Permanent Indus Commission

 ©Vision IAS

इस संधि के अंतर्गत विद्यमान मुद्दे

- **भारतीय परियोजनाओं का पाकिस्तान द्वारा बार-बार विरोध:** यह विरोध मुख्य रूप से इस मुद्दे पर है कि क्या झेलम और चिनाब पर परियोजनाओं का निर्माण, समझौते में निर्दिष्ट तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप है। **इस मुद्दे ने कई परियोजनाओं जैसे किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (KHEP), झेलम, रतले जलविद्युत परियोजना, चिनाब आदि को प्रभावित किया है।**
- **राजनयिक संबंधों का तनाव:** सिंधु जल संधि भारत-पाकिस्तान संबंधों के समग्र विकास से प्रभावित होती है।
    - हाल के दिनों में, भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों में गिरावट आई है। इसलिए **भारत में कुछ पर्यवेक्षकों ने संधि को निरस्त करने की घोषणा की है।**
- **जलवायु परिवर्तन का मिश्रित प्रभाव:** ग्लेशियरों के पिघलने से अल्पावधि में जल प्रवाह बढ़ सकता है, लेकिन यह भविष्य में भूजल पुनर्भरण को समाप्त कर देगा। इसी तरह अनिश्चित वर्षा संभावित बाढ़ जोखिमों में भी वृद्धि कर रही है। इससे जल वितरण और प्रवाह प्रबंधन के मुद्दों पर तनाव बढ़ने की संभावना है।
- **तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के माध्यम से संघर्ष-समाधान विधि:** विश्व बैंक IWT का गारंटर अथवा मध्यस्थ है। यह नदी के प्रवाह में अवैध व्यवधान से संबंधित किसी भी मुद्दे की रिपोर्ट करने के लिए तटवर्ती राज्य (riparian) पर निर्भर रहता है। हालांकि, यह जानने का कोई निश्चित तरीका नहीं है कि क्या वास्तव में अवैध व्यवधान हुआ है या यह जलवायु परिवर्तनशीलता के कारण कम मौसमी प्रवाह का परिणाम है।
- **संधि में योजना के अनुसार नियमित रूप से डेटा साझा नहीं करना:** नदी बेसिन की गतिशीलता को समग्र रूप से समझने के लिए प्रवाह डेटा साझाकरण उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

यद्यपि संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के समय इससे कुछ उद्देश्य पूरे हुए थे। फिर भी वर्तमान द्विपक्षीय चुनौतियों को दूर करने और सिंधु जल प्रणाली संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं:

- **विश्व स्तर पर भारत की स्थिति का समर्थन करना:** वर्षों से, भारत एक उदार तटवर्ती राज्य रहा है क्योंकि इसने अपनी निर्धारित जल भंडारण क्षमता का केवल 93% ही उपयोग किया है। इसके अलावा, अब तक कश्मीर की तीन पश्चिमी नदियों से प्राप्त होने वाली विद्युत की कुल अनुमानित क्षमता का लगभग 25 प्रतिशत ही उपयोग किया जा सका है।
    - विश्व बैंक को शामिल करके इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पाकिस्तान के प्रयासों का मुकाबला किया जा सकता है।
- **सहयोग प्राप्त करना:** जिन भी क्षेत्रों में संभव हो, उनमें पाकिस्तान के साथ सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, IWT का अनुच्छेद VII "भविष्य के सहयोग" के बारे में बात करता है। साथ ही यह अनुच्छेद नदियों पर संयुक्त अध्ययन और इंजीनियरिंग कार्यों को शुरू करने का आह्वान करता है।
- **दृष्टिकोण बदलना:** दोनों देशों को एक समग्र दृष्टिकोण के साथ क्षेत्र के प्रबंधन के बजाय **उप-बेसिन स्तर पर अधिक ध्यान केंद्रित करने** से लाभ हो सकता है। उप-बेसिन स्तर पर किए गए प्रयास कार्रवाई को और प्रभावी बनाएंगे। इस स्तर पर किए गए प्रयास कुछ संदर्भगत कारकों को शामिल करते हैं जैसे- क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक संरचना और मौजूदा जल विज्ञान आदि।
- **तर्कसंगतता (Rationality) से संबंधपरकता (Relationality) में परिवर्तन:** एक मजबूत सिंधु जल संधि को प्राप्त करने के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए। दोनों देशों को जल की तर्कसंगतता (जल के बंटवारे) के आधार पर कार्य करने के बजाय इसकी संबंधपरकता (लाभ के बंटवारे) पर ध्यान देना चाहिए। संबंधपरकता जल की परिभाषा के दायरे को सतही जल (जल की मात्रा) से अधिक विस्तारित करता है। यह जल की परिभाषा में जल की गुणवत्ता, आर्द्रभूमि और जैव विविधता का संरक्षण, मिट्टी का कटाव, भूजल एवं सतही जल का संयुक्त उपयोग और प्रकृति आधारित समाधान को शामिल करता है।
- **संधि पर पुनः वार्ता करना:** एक संसदीय पैनल ने विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ संधि पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की है। इन चुनौतियों में सिंधु बेसिन में जल की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और संधि के तहत शामिल नहीं होने वाली अन्य चुनौतियां शामिल हैं।
- **हेलसिंकी नियम जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग संबंधित कानूनों के समकालीन सिद्धांतों को शामिल करना:** यह नदी के तटवर्ती (रिपेरियन) देशों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करने हेतु प्रावधान करते हैं। साथ ही, ये सिंधु नदी प्रणाली के समग्र और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

o हेलसिंकी नियम अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल के उपयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देश हैं। ये **दिशा-निर्देश सभी सीमावर्ती देशों की जल संसाधनों पर एक समान हिस्सेदारी के अधिकारों का प्रावधान करते हैं**। ये राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले सभी जल निकासी बेसिनों पर लागू होते हैं। हालांकि, ये उन जल निकासी बेसिन पर लागू नहीं होते हैं जहां सीमावर्ती देशों के बीच अन्य समझौते लागू हों।

निष्कर्ष

सिंधु जल संधि को अक्सर अहिंसात्मक सह-अस्तित्व की संभावनाओं वाले एक उदाहरण के रूप में वर्णित किया जाता है। यह संधि दोनों पड़ोसी देशों के बीच अशांत संबंधों के बावजूद अभी तक लागू है।

अन्य देशों के साथ नदी जल बंटवारे हेतु भारत के सहयोग का मौजूदा तंत्र

देश	सहयोग के लिए तंत्र
भारत-नेपाल	• **वर्ष 1954 की कोसी संधि** के तहत नेपाल में तटबंधों की स्थापना और रखरखाव किया गया था। • **महाकाली संधि** महाकाली नदी के जल बंटवारे से संबंधित है।
भारत-चीन	• **ब्रह्मपुत्र नदी के** जल विज्ञान से संबंधी सूचना (Hydrological Information) के प्रावधान पर **समझौता ज्ञापन।** • **सतलुज नदी के संबंध में** हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग पर **समझौता ज्ञापन।** • बाढ़ के मौसम के हाइड्रोलॉजिकल डेटा एवं आपातकालीन प्रबंधन के प्रावधान पर बातचीत और सहयोग पर चर्चा करने के लिए **विशेषज्ञ-स्तरीय तंत्र।**
भारत-बांग्लादेश	• **गंगा संधि** उनकी आपसी सीमा के पास फरक्का बैराज का सतही जल साझा करने हेतु एक समझौता है। • मानसून के मौसम के दौरान **गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी प्रमुख नदियों में बाढ़ पूर्वानुमान डेटा के प्रसारण** की प्रणाली का निर्माण किया जाना।
भारत-भूटान	• भारत और भूटान की साझा नदियों पर **जल-मौसम विज्ञान और बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना के लिए व्यापक योजना।** • **बाढ़ प्रबंधन हेतु विशेषज्ञों का एक संयुक्त समूह (JGE)।**

2.7. तालिबान के प्रति भारत का रुख (India's Engagement with Taliban)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के लगभग दस महीने के बाद **भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता और विकास में सहयोग करने के लिए **एक आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी भेजा है।** यह भारतीय दूतावास को खाली करने के बाद इस तरह का पहला प्रयास है।
- यह **घटनाक्रम इसलिए महत्व रखता है** क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन को मान्यता देने से इंकार कर दिया था। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान को मान्यता देने पर थोड़ा और विचार करने का आग्रह किया था।
- इसलिए वर्तमान रुख को **तालिबान के संबंध में भारत के दृष्टिकोण में बदलाव के रूप में देखा जाता है।**
- **हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि** यह प्रयास काबुल में तालिबान शासन को राजनयिक मान्यता देने के लिए नहीं है।

भारत को तालिबान के साथ संबंध क्यों बनाने चाहिए?

- **अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता में वृद्धि:** भारत ने अब तक तालिबान को अलग रखने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि, एक हद के आगे, इस विकल्प के चयन से भारत को कम लाभ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कई अन्य देश अब तालिबान के साथ अपने संबंधों की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही, भारत अफगानिस्तान में एक महत्वपूर्ण हितधारक है।
- **पाकिस्तान का घटता प्रभाव:** 1990 के दशक में, सुरक्षा सहायता के अलावा, पाकिस्तान तालिबान की वित्तीय और आर्थिक मदद करने में भी सक्षम था। हालांकि, पाकिस्तान आज भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है। फिर भी तालिबान पर उसका प्रभाव और नियंत्रण, उसकी अपनी आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों के कारण सीमित हो चुका है।
    - पाकिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान (TTP) की आतंकवादी गतिविधियां और डूरंड रेखा (विवादित सीमा) पर काबुल और पाकिस्तान के बीच असहमति इसके लिए कुछ जिम्मेदार कारक हैं।
    - भारतीय प्रतिष्ठानों में यह विचार घर कर गया है कि **पाकिस्तान को तालिबान से विशेष रूप से इस परिदृश्य में अलग करने** का समय आ गया है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** अतीत में अफगानिस्तान ने अलकायदा और ISIS जैसे आतंकी समूहों को संरक्षण दिया था। तालिबान के संबंध लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से भी रहे हैं। तालिबान के साथ **भारतीय रुख, भारत को अपनी चिंताओं को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करने** का अवसर देगा। साथ ही यह तालिबान के भीतर उन तत्वों को उभरने का भी **अवसर देगी** जो राजनयिक विकल्पों को अपनाना चाहते हैं।

- **पारस्परिक रूप से लाभप्रद:** तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में भारतीय उपस्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। इसके बाद भी, तालिबान का भारत के प्रति सहयोगी व्यवहार यह इंगित करता है कि वह भारत के साथ विकासशील संबंधों के खिलाफ नहीं है।
    - तालिबान ने भारत से काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोलने का आग्रह किया है। भारत से सीधी उड़ानें फिर से शुरू की गईं और अफगान सैन्य प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देना भी स्वीकार किया।

भारतीय रुख के नकारात्मक पहलू

- **भारत की नीति में असंगति दिखाता है:** भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में शांति और सुलह के लिए "अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान-स्वामित्व वाली और अफगान-नियंत्रित" प्रक्रिया का समर्थन किया है। इसमें निर्वाचित अफगान सरकार के साथ सक्रिय भागीदारी और तालिबान शासन का अलगाव शामिल था।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** भारत को हक्कानी समूह जैसे आतंकवादी गुटों से खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जो तालिबान का प्रमुख सदस्य है। इसके अलावा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की तालिबान निगरानी समिति की रिपोर्ट से पता चला है कि तालिबान के समर्थन से आतंकवादी समूहों को अफगान ज़मीन पर सुरक्षित स्थान प्रदान किया जा रहा है। लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूह, जो केवल भारत को लक्षित करते हैं, नंगरहार प्रांत और अन्य क्षेत्रों से संचालित किए जा रहे हैं।
- **तालिबान की विचारधारा में कोई बदलाव नहीं:** तालिबान अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर नहीं निकला है। अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं और महिलाओं पर प्रतिबंध बढ़ गए हैं। उन्हें स्कूल जाने की अनुमति नहीं है तथा सार्वजनिक स्थानों और काम पर उनकी मुक्त आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।
    - यह **भारत के लोकाचार के विपरीत है** और अफगान जनता के संदर्भ में भारत की छवि को ख़राब कर सकता है।
- **तालिबान के चीन समर्थक पड़ोसियों से निपटना:** जैसे-जैसे भारत और तालिबान के संबंध गहरे होंगे, भारत को ताजिकिस्तान के साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। इसका कारण यह है कि ताजिकिस्तान के काबुल के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। साथ ही, पिछले एक दशक में चीन के साथ ताजिकिस्तान के संबंधों में काफी सुधार हुआ है।
    - चीन आज ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा ऋण प्रदाता और उसका सबसे बड़ा निवेशक है। इसके अलावा, ताजिकिस्तान की सरकार सुन्नी उइगर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ चीनी दमनकारी नीतियों की समर्थक भी है।

अफ़गानिस्तान में भारतीय निवेश

इमारतों और विभिन्न प्रकार के अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार में भारत द्वारा अफ़ग़ानिस्तान को प्रदान की जाने वाली सहायता। उदाहरण के लिए–

- काबुल में अफ़गानिस्तान की संसद का निर्माण।
- सलमा बांध का पुनर्निर्माण, जिसे अब अफ़गान–भारत मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है।
- पुल–ए–खुमरी से काबुल तक विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना।
- जरांज–डेलाराम सड़क का निर्माण।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, सरकारी भवनों, खेल सुविधाओं, कृषि और सिंचाई आदि जैसे क्षेत्रों में मध्यम स्तर की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना (High Impact Community Development Project: HICDP) कार्यक्रम।

विभिन्न वस्तुओं जैसे कि एम्बुलेंस, बस, बिस्कुट, दवा, सैन्य वाहन और हेलीकॉप्टर आदि के स्थानांतरण में भारत द्वारा की जाने वाली सहायता। उदाहरण के लिए–

- वायुसेना के लिए MI-25 और MI-35 हेलिकॉप्टर।
- राष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए एयरबस विमान।
- फ़रयाब प्रांत में उपकेंद्रों और पारेषण लाइन के लिए सामग्री।
- अफ़गान राष्ट्रीय सेना के लिए सैन्य वाहन।
- सरकारी अस्पतालों के लिए एंबुलेंस।

अफ़गान नागरिकों को भारत से ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए लोगों से लोगों के मध्य आदान–प्रदान। उदाहरण के लिए–

- अफ़गान संस्थानों को भारतीय तकनीकी सलाहकार प्रदान करना।
- अफ़गान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।
- अफ़गान सैनिकों, पुलिसकर्मियों और लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन।

आगे की राह

तालिबान के साथ भारत के रुख के पीछे का खाका अफगानिस्तान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित है। तालिबान का प्रयास लंबे समय तक सत्ता में बने रहना है और भारत के पास इससे निपटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों के लिए एक-दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखना एवं राजनयिक और आर्थिक संबंधों में सुधार करना आवश्यक है।

2.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

2.8.1. भारत और संयुक्त अरब अमीरात {India and United Arab Emirates (UAE)}

- भारत के प्रधान मंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने **जॉइंट विजन स्टेटमेंट (JVS)'** में प्रगति की समीक्षा की। JVS को वर्चुअल शिखर सम्मेलन (फरवरी 2022) के दौरान जारी किया गया था।
  - JVS ने दोनों देशों के बीच **व्यापक रणनीतिक साझेदारी** को मजबूत किया है। साथ ही इसने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान देते हुए **सहयोग बढ़ाने के लिए रोड मैप** भी तैयार किया है।
- **भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध:**
  - **व्यापार:** भारत-यूएई **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA)** पर वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता आधिकारिक रूप से 1 मई 2022 से प्रभावी हो गया है।
    - CEPA से पांच वर्षों के भीतर **वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर कुल 100 अरब अमेरिकी डॉलर** हो जाने की उम्मीद है।
    - इसी प्रकार **सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार के बढ़कर 15 अरब अमेरिकी डॉलर** से अधिक हो जाने की अपेक्षा है।
    - यह भारतीय निर्यातकों को संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से **पश्चिम एशियाई देशों, अफ्रीका आदि तक पहुंच प्राप्त करने** में मदद करेगा।
  - **रक्षा और सुरक्षा:** डेजर्ट ईगल जैसे नियमित सैन्य अभ्यासों के माध्यम से क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए **समुद्री सहयोग** को बढ़ावा दिया जा रहा है।
    - दोनों देश संयुक्त रूप से **चरमपंथ और सीमा पार आतंकवाद** सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुके हैं।
  - **जन संपर्क:** संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक (35 लाख) है। ये भारत में **उच्च विप्रेषण (रेमिटेंस)** (वर्ष 2019 में 17.06 अरब डॉलर) के रूप में योगदान करते हैं।
  - **अंतरिक्ष सहयोग:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने संयुक्त अरब अमीरात का **पहला नैनो-उपग्रह नईफ-1** प्रक्षेपित किया था।

2.8.2. पश्चिमी सेती जलविद्युत परियोजना (West Seti Power Project)

- **चीन द्वारा नेपाल में 'पश्चिमी सेती जलविद्युत परियोजना' से पीछे हटने** के करीब चार वर्ष बाद **भारत इस परियोजना का दायित्व ग्रहण करेगा।**
  - इसे नेपाल के **सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में सेती नदी** पर बनाने की योजना है।
- नेपाल **83,000 मेगावाट की अनुमानित क्षमता के साथ विद्युत् स्रोतों में समृद्ध है।**
- भारत को नेपाल के लिए एक व्यवहार्य बाजार के रूप में देखा जाता है, लेकिन समय पर परियोजनाओं को पूरा करने में भारत की अक्षमता पर कुछ अनिश्चितता बनी हुई है।

2.8.3. अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा {International North-South Transit Corridor (INSTC)}

- ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का उपयोग करके रूसी माल को भारत में भेजना शुरू कर दिया है
- INSTC एक **मल्टी-मॉडल परिवहन नेटवर्क** है। इसका विचार **पहली बार वर्ष 2000 में रूस, भारत और ईरान** ने प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देना है।
    - INSTC सर्वप्रथम **हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर** से जोड़ता है। इसके आगे ये **रूस के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग और उत्तरी यूरोप** से जुड़े हुए हैं।
    - **वर्तमान में, इसके 13 सदस्य हैं:** भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तुर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया।

- **भारत के लिए INSTC का महत्व**
    - भारत और रूस के बीच **माल परिवहन की लागत को लगभग 30% तक कम करेगा।**
    - भारत और रूस के बीच **परिवहन में लगने वाले समय** को (स्वेज नहर के माध्यम से लगने वाले समय की तुलना में) लगभग आधा कर देगा।
    - यह गलियारा भारत को **मध्य एशिया और उसके परे सुगम पहुंच** प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा, व्यापार और निवेश संपर्क का विस्तार करने में भी मदद करेगा।
    - वर्तमान व्यापारिक साझीदारों, (विशेष रूप से **मौजूदा ऊर्जा कनेक्टिविटी) पर निर्भरता कम** करेगा। यह **आपूर्ति श्रृंखलाओं के फिर से व्यवस्थित होने से** संभव होगा।
    - इसे चीन की **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विरुद्ध 'भारतीय प्रतिक्रिया'** के रूप में भी देखा जा रहा है।
- **भारत को रूस और यूरोप से जोड़ने वाले अन्य प्रस्तावित गलियारे**
    - **चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा:** यह भारत और रूस को जोड़ेगा।
    - **भारत का अरब-भूमध्यसागरीय (Arab-Med) गलियारा:** यह यूनान के परेयस (Piraeus) बंदरगाह और मध्य पूर्व के माध्यम से भारत को यूरोप की मुख्य भूमि से जोड़ेगा।

2.8.4. इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात व्यापार समझौता (Israel and UAE Trade deal)

- इजरायल ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह इजरायल का **एक अरब देश के साथ इस तरह का पहला समझौता है।**
    - यह अमेरिकी मध्यस्थता में संपन्न **अब्राहम समझौते पर आधारित है।**
    - यह समझौता **इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात तथा बहरीन** के मध्य वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित हुआ था। **बाद में मोरक्को** भी इसमें शामिल हो गया था।
        - समझौते के तहत **इन देशों के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य करने** का आह्वान किया गया है। साथ ही, दशकों पुरानी उस अरब नीति को भी त्याग दिया गया, जिसमें इजरायल के साथ संबंध स्थापित करने से पहले एक फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण पर बल दिया जा रहा था।
- समझौते के परिणामस्वरूप इन देशों के बीच **व्यापार के 96% उत्पादों पर** शीघ्र या धीरे-धीरे **सीमा शुल्क छूट** प्रदान की जाने की उम्मीद है।

2.8.5. उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल (Northern Ireland Protocol)

- हाल ही में, **ब्रिटिश सरकार ने उत्तरी आयरलैंड के संबंध में एक कानून बनाने की घोषणा की है।** यह कानून इस प्रोटोकॉल के कुछ प्रावधानों में परिवर्तन करेगा। ये प्रावधान ब्रेक्जिट समझौते का सबसे विवादास्पद भाग है।
- यह प्रोटोकॉल एक **विशेष व्यवस्था** है। यह व्यवस्था **उत्तरी आयरलैंड** (ब्रिटेन का हिस्सा) और **आयरलैंड गणराज्य** (एक यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य) **के बीच भूमि सीमा को सुनिश्चित करती है।** यह एक अदृश्य सीमा है। यह **दशकों की सांप्रदायिक हिंसा को समाप्त करने वाले शांति समझौते का सम्मान करती है।**

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धित में अंतराल (GDP-GVA GAP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

'सकल घरेलू उत्पाद' ((GDP)[24] और 'सकल मूल्य वर्धित' (GVA)[25], भारतीय अर्थव्यवस्था के आकलन हेतु प्रयोग किए जाने वाले दो विधिया हैं। इन दोनों के अलग-अलग दरों पर बढ़ने के कारण इनके बीच अंतराल बढ़ गया है।

'GDP और GVA' के मध्य अंतर

मानक	'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP)	'सकल मूल्य वर्धित' (GVA)
परिभाषा	यह एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है।	यह किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। इस कुल मूल्य में से निवेश और कच्चे माल की लागत को शामिल नहीं किया जाता है।
मापन	इसे **उत्पादन, आय** और **व्यय दृष्टिकोणों** द्वारा मापा जाता है।	**इसे उत्पादन पहुंच (output reach)** द्वारा मापा जाता है और 'सकल घरेलू उत्पाद' के लिए **प्रॉक्सी** के रूप में उपयोग किया जाता है।
'GDP और GVA' के मध्य तकनीकी अंतर: **'सकल घरेलू उत्पाद' = 'सकल मूल्य वर्धित'+ उत्पादों पर निवल कर - उत्पादों पर निवल सब्सिडी।**		
उद्देश्य	GDP, किसी देश में समग्र आर्थिक विकास के आकलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत उपाय है।	उत्पादन की तरफ से आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रक-वार विवरण को मापने के लिए GVA का उपयोग किया जाता है।

भारत में 'GVA'

* **वर्ष 2015** से, **स्थिर मूल्य पर 'GVA'** (आधार वर्ष 2011-12) का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के उत्पादन के आकलन हेतु एक प्राथमिक मापन के रूप में किया जाता है। इसे 'GDP' को मापने के दृष्टिकोण/तरीकों की व्यापक समीक्षा के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। यह **संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (SNA), 2008 के अनुरूप है।**
    * इससे पहले, भारत समग्र आर्थिक उत्पादन को मापने के लिए **कारक लागत पर 'सकल मूल्य वर्धित' का** उपयोग करता था।
* **भारत** में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) **'GVA'** के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान जारी करता है। **वस्तुओं और सेवाओं** को शामिल करते हुए इसे आठ व्यापक क्षेत्रकों के तहत जारी किया जाता है (इन्फोग्राफिक देखें)।

[24] Gross Domestic Product

[25] Gross Value Added

'GDP और GVA' के मध्य अंतराल और इसके उत्तरदायी कारण

'GVA' का उपयोग **'GDP'** के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में किया जाता है। फिर भी मूल रूप से दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। गौरतलब है कि 'सकल घरेलू उत्पाद' की गणना **बाजार मूल्य** पर की जाती है जबकि 'सकल मूल्य वर्धित' की गणना **स्थिर मूल्य** पर की जाती है। इससे **''GDP और GVA' के मध्य'** अंतर पैदा हो जाता है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018 से विभिन्न कारणों के चलते **'GDP और GVA' के मध्य** अंतर बढ़ता चला गया है-

- लॉकडाउन के चलते **सब्सिडी में हुई बढ़ोत्तरी** और **करों में की गई कटौती** के कारण **वित्त** वर्ष 2021 में **GDP संवृद्धि वस्तुतः** 'GVA' की वृद्धि तुलना में **180 आधार अंक कम रही है।**
- इसी तरह, **वित्त वर्ष 2022 में GDP संवृद्धि 'GVA'** की तुलना में **60 आधार अंक अधिक** रही है। इसका कारण **वित्त वर्ष 2021 के दौरान रिकॉर्ड कर संग्रह** और **सब्सिडी में कटौती** था।
- इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023 में एक बार फिर से **'GDP- GVA'** के मध्य अंतर बने रहने तथा GDP संवृद्धि के GVA संवृद्धि से कम रहने का अनुमान है। इसके निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं:
    - वैश्विक कमोडिटी मूल्य में वृद्धि के कारण उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि और परिणामस्वरूप सब्सिडी में **समग्र रूप से वृद्धि,** और
    - मुद्रास्फीति को रोकने के लिए **ईंधन पर लगाए जाने वाले कर में कटौती।**

राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, 2008 (The System of National Accounts: SNA) 2008

- यह **अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक** का एक नवीनतम संस्करण है। इसे **संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (UNSC) द्वारा राष्ट्रीय लेखों (national accounts)** के लिए प्रयोग किया जाता है।
- यह आर्थिक गतिविधि के मापों को संकलित करने के तरीकों पर सिफारिशों का स्वीकृत मानक सेट है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों और लेखा नियमों के एक सेट के संदर्भ में समष्टि आर्थिक लेखों के एक सुसंगत, एकरूप और एकीकृत सेट का वर्णन किया गया है।

विभिन्न परिस्थितियों में GDP और GVA की उपयोगिता

'सकल घरेलू उत्पाद' के आंकड़े **उपभोक्ता पक्ष या मांग पक्ष के परिप्रेक्ष्य में** आर्थिक गतिविधियों का अनुमान प्रस्तुत करते हैं। इसे समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे- **'सकल घरेलू उत्पाद' = उपभोग (C) + निवेश (I) + वस्तुओं और सेवाओं पर सरकारी खर्च (G) + {निर्यात (X) - आयात(M)}**, अर्थात् **GDP = C + I + G + (X–M)**। इस प्रकार यह नीति निर्माताओं, निवेशकों और अन्य लोगों को निम्नलिखित गतिविधियों में सहायता प्रदान करता है:

- **यह अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की** पहचान करने में मदद करता है। यानी यह जानने में मदद करता है कि वह **वृद्धिशील** है या **मंदी** का सामना कर रही है।
- **यह आय** और **निजी उपभोग के आंकड़ों** के माध्यम से लोगों **के जीवन स्तर** के विषय में उचित समझ प्राप्त करने में सहयोग करता है।।
- यह निवेश, सरकारी खर्च और निवल निर्यात जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर **देशव्यापी विश्लेषण** करने में मदद करता है।।

हालांकि **'GDP'** को **प्रमुख आर्थिक संकेतक** नहीं माना जाता है क्योंकि यह केवल परिवर्तन के आकलन में मदद करता है। इसकी तुलना में **'GVA'** प्रमुख आर्थिक संकेतक के रूप में कार्य करता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह **उत्पादक या आपूर्ति पक्ष की तरफ से अर्थव्यवस्था की स्थिति** प्रस्तुत करता है। इस प्रकार यह नीति निर्माताओं, निवेशकों और अन्य लोगों को निम्नलिखित गतिविधियों में सहायता प्रदान करता है:

'GVA' की कमियां

- **कार्यप्रणाली की सटीकता:** 'GVA' की अनुपयुक्त या त्रुटिपूर्ण पद्धतियों से प्रभावित होने की संभावना अधिक बनी रहती है। इसके कारण यह संभव है कि यह अर्थव्यवस्था की एक सटीक स्थिति न दिखाए।
- **आंकड़ों की सटीकता:** 'GVA' की सटीकता **आंकड़ों के स्रोत और इनकी सटीकता** पर निर्भर करती है। बड़े अनौपचारिक क्षेत्रक के कारण, भारत में आकड़ों को प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। इसके चलते वैकल्पिक प्रॉक्सी स्रोतों या पुराने सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के उपयोग के कारण स्थिति को वास्तविकता से अधिक आंकने की और गलत अनुमानों के प्रस्तुत होने की संभावना पैदा हो जाती है।

- **यह आर्थिक गतिविधि (अर्थात् उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं) के संबंध में** वास्तविक स्थिति के आकलन में मदद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि **'GDP में बढ़ोतरी बेहतर कर अनुपालन** जैसे अन्य कारणों से भी हो सकती है।
- यह मूल्य वर्धन का **क्षेत्रक-वार** और **क्षेत्र-वार** आकलन प्रदान करता है। इससे नीति निर्माताओं को **प्रोत्साहन** या **प्रेरणा** की आवश्यकता वाले क्षेत्रकों की पहचान करने में सहायता मिलती है।
- यह वैश्विक डेटा मानकों के आधार पर किसी क्षेत्रक की **उत्पादकता** की पहचान करने में सहयोग करता है। इससे निवेशकों को आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर विशेष प्रकार के निवेश संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष

एक लंबी अवधि के विश्लेषण के आधार पर ‘GDP’ अधिक सटीक और समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है। वहीं दूसरी ओर ‘GVA’ तात्कालिक आर्थिक तस्वीर के संबंध में अधिक सटीक अनुमान प्रदान करता है। ‘GVA’ विभिन्न क्षेत्रकों के **आर्थिक प्रदर्शन का** उपयोगी मापक है। यह विशेष रूप से **क्षेत्रक विशेष के उत्पादन** और **रोजगार** संबंधी उपायों की दिशा में नीतिगत-विमर्श को अपनाने के लिए काफी उपयोगी हो जाता है।

3.2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investments: FDI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों की रुचि निरंतर बढ़ी है। यही कारण कि **वर्ष 2021-22** में भारत में FDI बढ़कर **83.57 बिलियन डॉलर** तक पहुंच गया। यह अब तक का सर्वोच्च स्तर है।

FDI और भारत में FDI अंतर्वाह के बारे में

- FDI का आशय भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा **इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स** के माध्यम से भारतीय कंपनियों में किए जाने वाले निवेश से है।
    - **गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में FDI के माध्यम से निवेश किया जाता है**; या
    - दूसरी ओर, **सूचीबद्ध भारतीय कंपनी** के इशू के बाद की **पेड अप इक्विटी कैपिटल** के **10 प्रतिशत तक या उससे अधिक** फुली डाइल्यूटेड बेसिस पर किये गए निवेश को भी FDI समझा जाता है।

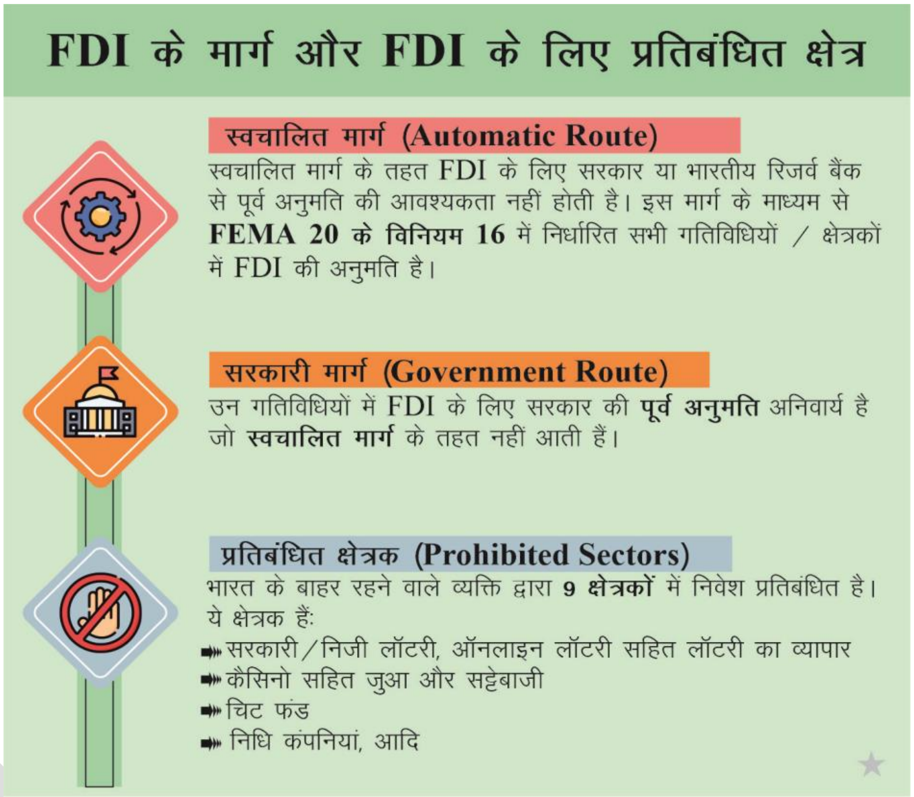

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment: FPI)

- FPI विदेशी निवेश का एक अन्य रूप है। यह “भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में किया गया निवेश” होता है। हालांकि ऐसा निवेश:
    - सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की **फुली डाइल्यूटेड बेसिस पर इशु (निर्गम) के बाद पेड अप इक्विटी के जरिए कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स** (अर्थात् इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर और शेयर वारंट्स) **में 10 प्रतिशत से कम** होना चाहिए।
    - अथवा, **किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी** द्वारा जारी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स की **प्रत्येक श्रृंखला में 10 प्रतिशत से कम** होना चाहिए।
- यह पोर्टफोलियो के विविधीकरण हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक तरीका है। इसमें किसी विदेशी कंपनी के शेयरों या बांडों को खरीदकर ऐसा किया जाता है।
- **भारतीय बाजार पूंजीकरण** में 19-21% का स्वामित्व प्राप्त करके, **अक्टूबर 2021** से अब तक FPI ने भारत से **33 बिलियन** डॉलर की निकासी की है। इसके निम्नलिखित कारण रहे हैं:
    - अमेरिकी फेडरल रिजर्व जैसे केंद्रीय बैंकों ने **मौद्रिक नीति को अधिक कठोर बना दिया है।**
    - **भारतीय बाजार का अपेक्षाकृत हाई वैल्यूएशन।**
    - **USA में** बॉण्ड प्रतिफलों में वृद्धि **होने से डॉलर का मूल्य बढ़ना।**
    - **USA में मंदी का जोखिम।**

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का महत्व

- **आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक पूंजी:** FDI ऋण नहीं बल्कि निवेश के रूप में प्राप्त होता है। यह वित्तीय संसाधन का एक स्थिर स्रोत माना जाता है। यह भारत में आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देता है।

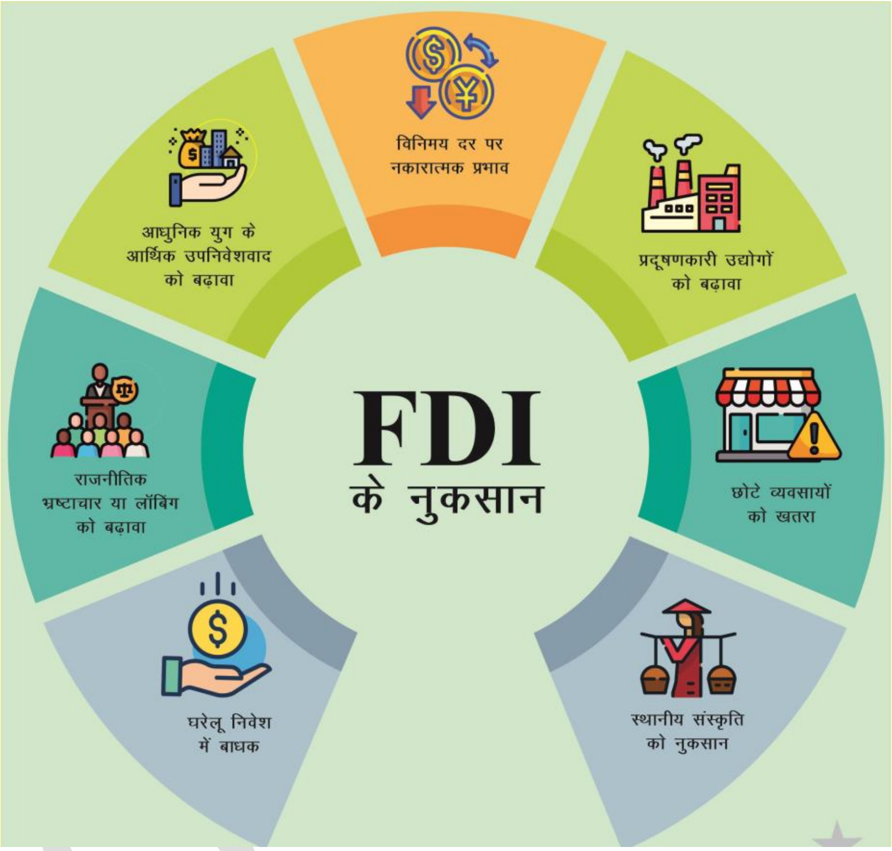

मानव संसाधन विकास: FDI के साथ प्रबंधन तकनीकें भी आती हैं। इससे मानव संसाधन विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को भी बढ़ावा मिलता है।
  - उदाहरण के लिए जापानी कंपनियों द्वारा अधिक कुशल प्रबंधन के लिए जापानी लीन प्रोडक्शन सिद्धांतों, जस्ट-इन-टाइम, काइज़न आदि विधियों को भारत लाया जा रहा है।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** भारत जैसे उभरते देशों में तकनीकों को लाने के लिए FDI एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। जैसे कुशल उत्पादन के लिए उपकरण और उन्नत उत्पादन तकनीक आदि।
  - यह डिफेंस जैसे रणनीतिक क्षेत्रकों के विकास के लिए और हाइड्रोकार्बन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **निर्यातों में बढ़ोतरी:** यह बाह्य नेटवर्क के साथ देश की अर्थव्यवस्था के वैश्विक एकीकरण में मदद करता है। साथ ही, दीर्घावधि में धीरे-धीरे ये नेटवर्क निर्यात को बढ़ाने लगते हैं।
- **अन्य लाभ:**
  - आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से **रोजगार सृजन** को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त बेहतर गुणवत्ता वाले रोजगार के सृजन में भी काफी बढ़ोतरी होती है।
  - यह भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में **नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का कार्य करता है।**
  - पूंजी अंतर्वाह और निर्यातों में हुई वृद्धि, से **विनिमय दर स्थिर बनी रहती** है।

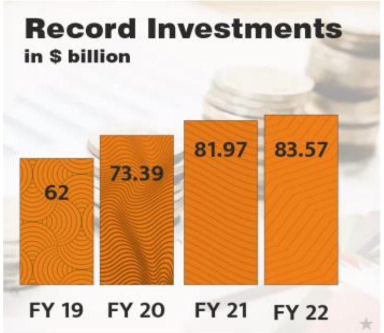

FDI के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। साथ ही, यह **स्थानीय व्यवसायों, राजनीति, पर्यावरण और समाज** को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है (इन्फोग्राफिक देखें)।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह से संबंधित चुनौतियाँ

- **वृद्धि दर में गिरावट:** उल्लेखनीय रूप से FDI में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी, वर्ष 2021-22 में सकल FDI अंतर्वाह में तेजी से गिरावट आई है। वर्तमान में यह घटकर 2% हो गया है। यह वर्ष 2020-21 में 10% और वर्ष 2019-20 में 20% था।
- **FDI बहिर्वाह में बढ़ोतरी:** निवल FDI अंतर्वाह (आने वाले निवेश और बाहर जाने वाले निवेश के मध्य का अंतर) में 10.6% की गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2020-21 के **44 बिलियन डॉलर की तुलना में यह घटकर वित्त वर्ष-22 में 39.3 बिलियन** डॉलर हो गया है।
  - इससे यह भी पता चलता है कि भारतीय निवेशकों ने 'मेक इन इंडिया' में निवेश करने की जगह विदेशी विनिर्माण गतिविधियों में अधिक पैसा लगाया।

- **कुछ क्षेत्रकों तक सीमित होना:** कुल FDI प्रवाह का 62% हिस्सा केवल पांच क्षेत्रकों, जैसे- कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सेवाएं, ऑटोमोबाइल, व्यापार एवं विनिर्माण में ही सीमित रहा है।
- **FDI का केवल कुछ ही भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होना:** आने वाले FDI का 78% हिस्सा तीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों {कर्नाटक (38%), महाराष्ट्र (26%) और दिल्ली (14%)} तक सीमित है।
- **ऑफशोर फाइनेंशियल हब्स और टैक्स हैवेन का उपयोग:** हालांकि सर्वाधिक FDI **सिंगापुर** और **अमेरिका** की ओर से किए गए हैं। **मॉरीशस** और **केमैन द्वीप** जैसे टैक्स हेवन देश भी FDI के शीर्ष स्रोतों में शामिल रहे हैं।
- **प्रतिबद्धताओं को मानकीकृत रूप से पूरा न किया जाना:** हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों और भारत में किए जाने वाले वास्तविक FDI के बीच का अंतराल अधिक बना हुआ है।
- **पुनर्निवेश का कम होना:** विदेशी निवेशक पुनर्निवेश के बजाय भारत से लाभ को बाहर ले जाने को अधिक तरजीह देते हैं।

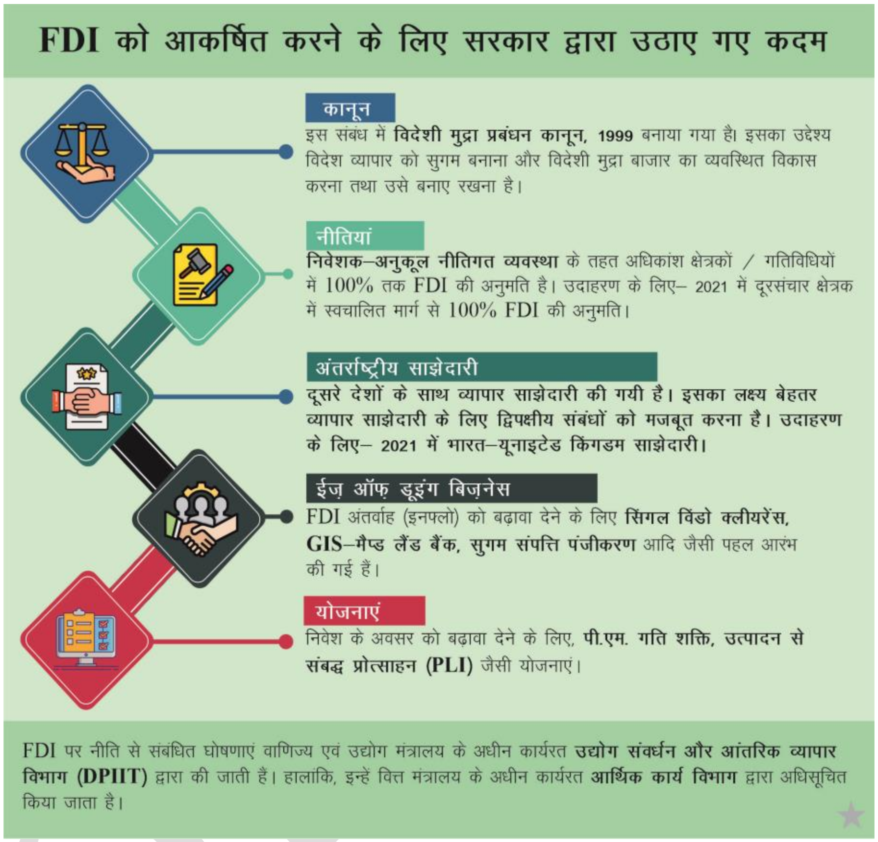

आगे की राह

विशाल युवा आबादी वाली भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए, FDI अंतर्वाह को निरंतर बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। महामारी के प्रभावों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और **सीमा पार निवेश** को लेकर **बदलता वैश्विक माहौल,** FDI अंतर्वाह की निरंतरता के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है। अतः ऐसे में, भारत को निम्नलिखित उपाय करना चाहिए:

- निवेशकों के मन में अनिश्चितता को दूर करने के लिए **नीतिगत सुधार को जारी** रखना चाहिए। साथ ही, **सार्वजनिक वित्त को स्थिर बनाए** रखने हेतु प्रयास भी किया जाना चाहिए।
- विदेशी और घरेलू व्यवसायों में विश्वास पैदा करने के लिए गवर्नेंस की **पारदर्शिता और दक्षता में सुधार** करना चाहिए।
- भारत के समग्र विकास के साथ पर्यावरण, संस्कृति और छोटे व्यवसायों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए **FDI में विविधता लाने** के लिए पहल करना चाहिए।

3.3. भारत का कौशल परिदृश्य (Skilling Landscape of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने 1,00,000 निर्माण (कंस्ट्रक्शन) श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का नाम **'निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल'** (निपुण) है।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रोजेक्ट निपुण, **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)** के तहत एक पहल है। ज्ञातव्य है कि DAY-NULM उक्त मंत्रालय की प्रमुख योजना है।
- इसका कार्यान्वयन **तीन भागों** में किया जाएगा:
  - निर्माण स्थलों पर **पूर्व शिक्षण मान्यता (Recognition of Prior Learning: RPL)** के माध्यम से प्रशिक्षण;
    - RPL के तहत, पूर्व के अनुभव या सीखे गए कौशल का मूल्यांकन किया जाता है और प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

- ○ नलसाजी (प्लंबिंग) और बुनियादी ढांचा क्षेत्र कौशल परामर्श परिषद (SSC) द्वारा **नए कौशल** के माध्यम से प्रशिक्षण; तथा
- ○ उद्योगों, बिल्डरों और ठेकेदारों के माध्यम से **अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट।**

- पाठ्यक्रम **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)** के अनुरूप हैं और मान्यता प्राप्त और संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किए जाएंगे।
  - ○ NSQF एक **राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता-आधारित फ्रेमवर्क** है। यह व्यक्तियों को वांछित योग्यता स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC),** इसका कार्यान्वयन भागीदार है। साथ ही, यह समग्र रूप से प्रशिक्षण देने, निगरानी और उम्मीदवार की ट्रैकिंग के लिए जिम्मेदार होगा।
  - ○ NSDC के साथ **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** है। इसके तहत 2022 तक **15 करोड़ भारतीयों को कुशल बनाने के लिए** निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने की योजना है।
- प्रशिक्षुओं को **कौशल बीमा** प्रदान किया जाएगा। इसके तहत 2 लाख रुपये के मूल्य तक के तीन साल के दुर्घटना बीमा, आवश्यक डिजिटल कौशल जैसे कैशलेस लेनदेन और भीम ऐप, उद्यमिता के बारे में आरंभिक कोर्स आदि प्रदान किए जाएंगे।

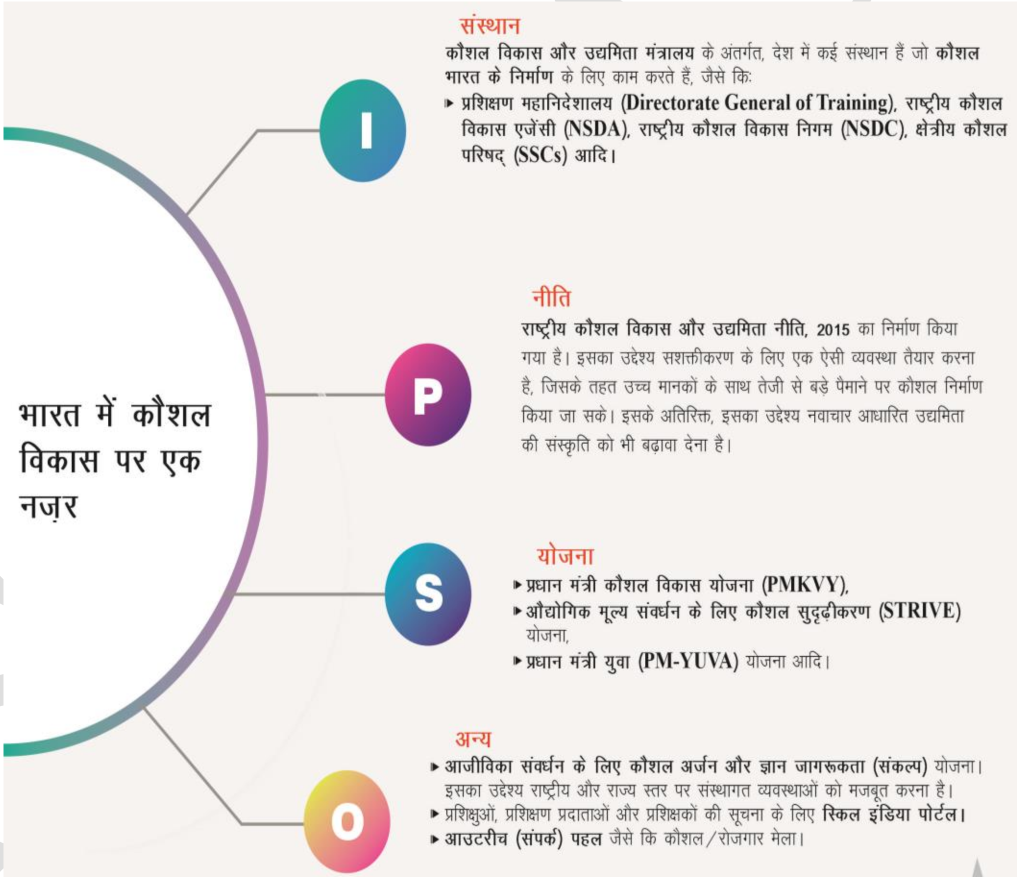

भारत का कौशल परिदृश्य

भारत में लगभग **54% आबादी 25 वर्ष** से कम आयु की है। साथ ही, भारत में **श्रमबल की आबादी 50 करोड़ से अधिक है।** अतः ऐसी जनसांख्यिकी से लाभ उठाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कौशल आवश्यक हो गया है। विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अपस्किलिंग के माध्यम से विश्व में दूसरी सबसे अधिक अतिरिक्त रोजगार क्षमता (23 लाख नौकरियां) है।

भारत के कौशल परिदृश्य के तहत सरकार हर साल विभिन्न **नीति-समर्थित कौशल विकास पहलों** (फ्लैगशिप **राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन** सहित) पर लगभग **₹5,000 करोड़** खर्च करती है (इन्फोग्राफिक देखें)।

भारत में कौशल प्रशिक्षण की स्थिति

भारत में एक विशाल कार्य बल मौजूद है। यहां कौशल प्रशिक्षण में कई पहलें भी शुरू की गई हैं। इन सबके बावजूद **सेक्टोरल** और **स्थानिक स्तरों** पर भारत में कौशल युक्त कार्यबल की उच्च **मांग और आपूर्ति के बीच कोई मेल नहीं** है। भारत में केवल **5%** कार्यबल **औपचारिक रूप से कुशल** है। यह आंकड़ा **संयुक्त राज्य अमेरिका** में **52%, जापान** में **80%** और **दक्षिण कोरिया** में **96%** है।

- वर्तमान कौशल पहलें अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाईं हैं जैसे- PMKVY पहल। इसके लिए 2015 से अब तक 1.42 करोड़ नामांकन हुए हैं। साथ ही, PMKVY 3.0 के तहत प्रमाण-पत्र प्राप्त नौकरी करने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई है।
- शिक्षित लोगों की **रोजगार क्षमता अभी भी कम है। इंडिया स्किल रिपोर्ट, 2021** के अनुसार यह केवल **45.9% है।**
- नौकरियों की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** भी यही दर्शाता है। स्वरोजगार और कृषि जैसे क्षेत्रक में कार्यबल में वृद्धि हुई है जहां वेतन का अभाव होता है।

सीमित सफलता के कारण

- **प्रशासनिक समस्याएं:**
    - 20 से अधिक मंत्रालयों/विभागों के कौशल विकास कार्यक्रमों के बीच तालमेल की कमी है। इसके कारण **कोई मजबूत समन्वय और निगरानी तंत्र उपलब्ध नहीं** है।
    - **एक से अधिक मूल्यांकन और प्रमाणन प्रणाली** होने के कारण असंगत परिणाम सामने आता है। साथ ही, नियोक्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति भी पैदा होती है।
    - **प्रशिक्षकों की कमी** के साथ कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का **अविकसित या खराब गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा।**
    - कौशल की प्रक्रिया और शिक्षा शास्त्र दोनों में **उद्योग जगत की भागीदारी** का अभाव।

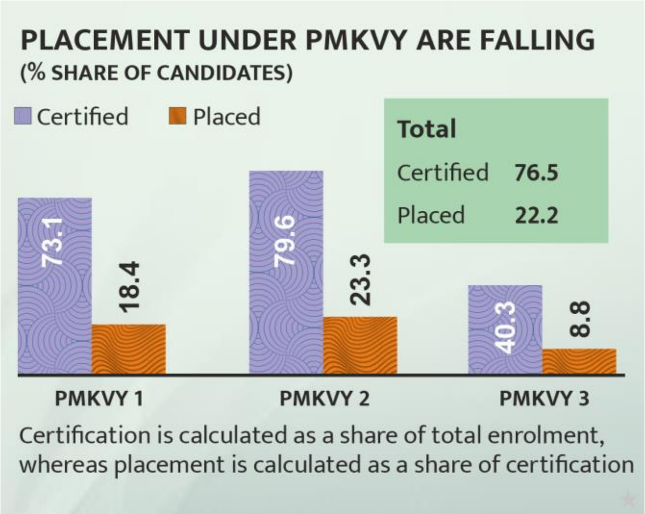

- **संरचनात्मक समस्याएं:**
    - **कौशल विकास को लेकर लोगों के बीच उचित धारणा नहीं** है। इसके कारण, औपचारिक शैक्षणिक प्रणाली की तुलना में इसे कम प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, गैर-तकनीकी क्षेत्रों (जैसे, बिक्री) में वेतन विनिर्माण नौकरियों की तुलना में अधिक है।
    - **अनौपचारिक कार्य बल की बड़ी संख्या** होने के कारण अनौपचारिक नौकरियों को बढ़ावा देने वाला दुष्चक्र पैदा होता है (**इन्फोग्राफिक देखें**)।
    - संकीर्ण और अप्रचलित कौशल पाठ्यक्रम के कारण **नियोक्ताओं के लिए आवश्यक कौशल और उपलब्ध कौशल के बीच कोई तालमेल नहीं है।**
    - कौशल विकास योजनाओं में **महिलाओं की कम भागीदारी है।**
    - **कम रोजगार सृजन,** विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वर्चस्व वाले सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों जैसे- आधुनिक क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजन नहीं हो रहा।

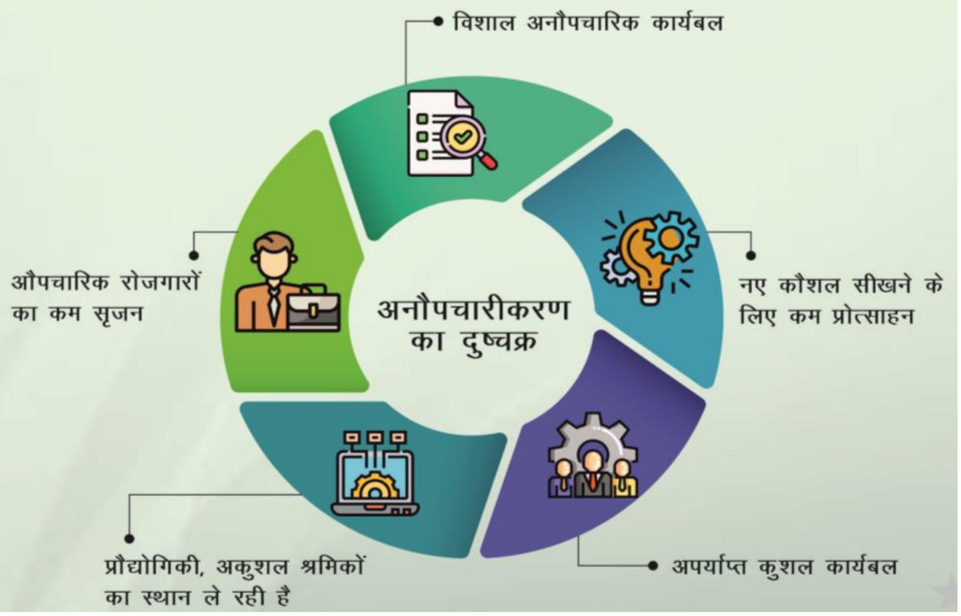

- **अन्य क्षेत्रों के साथ सीमित समन्वय:**
    - कौशल विकास और उच्चतर शिक्षा प्रोग्राम्स एवं व्यावसायिक शिक्षा के बीच **सीमित गतिशीलता** अर्थात् छात्र एक से दूसरे प्रोग्राम में आसानी से नहीं जा सकते हैं।
    - **नवाचार आधारित उद्यमिता बढ़े इसके लिए** आवश्यक है कि उद्यमिता को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यह अभी भी औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं है।
    - करियर मार्गदर्शन की कमी, कुशल लोगों के लिए सुनिश्चित वेतन, परामर्श और वित्त संबंधी **समस्याएं** आदि।

आगे की राह: रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास

समग्र कौशल विकास (इन्फोग्राफिक देखें) और भारत के कौशल परिदृश्य में बदलाव लाकर ऐसा किया जा सकता है। इससे **कौशल की वर्तमान मांग के अनुरूप आपूर्ति** के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही, श्रमिकों और उद्यमों को बदलाव के अनुरूप समायोजित किया जा सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि यह भविष्य के श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार **दक्षता तैयार करने और उसे बरकरार रखने में सहायक सिद्ध होगा।** ऐसा निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से किया जा सकता है:

बुनियादी शिक्षा को तकनीकी प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण को श्रम बाजार में प्रवेश, और श्रम बाजार में प्रवेश को कार्यस्थल व आजीवन सीखने **से जोड़ना चाहिए,**

- ○ उदाहरण के लिए, बुनियादी संख्यात्मकता और साक्षरता कौशल के लिए माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण।

- कौशल विकास नीतियों को अन्य नीतिगत क्षेत्रों के साथ **एकीकृत करना चाहिए।** यह एकीकरण न केवल श्रम बाजार और सामाजिक सुरक्षा नीतियों, बल्कि औद्योगिक, निवेश, व्यापार और प्रौद्योगिकी नीतियों, और क्षेत्रीय या स्थानीय विकास नीतियों के साथ भी होना चाहिए।
- गुणवत्तापरक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों तक बेहतर पहुंच के लिए नीति तैयार करनी चाहिए। ऐसी नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच तालमेल **बनाया जाना चाहिए।**
- शिक्षित या व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित लोगों की क्षमता में तीव्र विस्तार करना चाहिए। इसमें संसाधन की कमी को दूर करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को **प्रोत्साहित करना चाहिए।**
- नियोक्ताओं और प्रशिक्षण प्रदाताओं के बीच निरंतर संचार द्वारा कौशल आवश्यकताओं के बारे में **पता लगाना चाहिए। इससे** मांग-संचालित कौशल विकास पारितंत्र का निर्माण किया जा सकेगा।
- कौशल विकास के लिए **वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।** यह वैकल्पिक वित्तीय संसाधनों जैसे द्विपक्षीय/बहुपक्षीय दान, CSR निधि, कल्याण निधि आदि के माध्यम से किया जा सकता है।
- गुणवत्तापरक और विश्वसनीय परिणाम-आधारित प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन में तेजी लाई जानी चाहिए। साथ ही, एक मजबूत **श्रम बाजार सूचना प्रणाली** भी स्थापित की जानी चाहिए।
- स्वनियोजित लोगों के कौशल विकास को **बढ़ावा देना चाहिए,** ताकि ऐसे लोगों को नियोक्ता या उद्यमी बनाया जा सके।

कौशल विकास में निजी क्षेत्रक की भूमिका

- विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन और दक्षता के साथ, निजी क्षेत्रक कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- वे **नौकरी से संबंधित कौशल** की पहचान करने, **नौकरी संबंधी अनिवार्याओं को निर्धारित करने, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने, प्रमाणित करने** और **प्रदर्शन का आकलन** करने में **सरकार** और **शिक्षाविदों** की मदद कर सकते हैं।
  - ○ उदाहरण के लिए, उद्योग के मानक निर्धारित करने हेतु **सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC)** के साथ सहयोग करके।
  - ○ पाठ्यक्रम और कौशल विकास के प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए **सहभागिता मंचों** का उपयोग करके।
  - ○ मांग का पूर्वानुमान, उद्योग विशेषज्ञता का विस्तार, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे में सह-निवेश आदि के माध्यम से।

3.4. गिग वर्कर्स (GIG Workers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक रिपोर्ट में नीति आयोग ने यह संभावना व्यक्त की है कि वित्त वर्ष 2030 तक भारत में गिग वर्कर्स की संख्या बढ़कर 23.5 मिलियन तक पहुंच सकती है। इस रिपोर्ट को **"इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी"** नामक शीर्षक से जारी किया गया था।

गिग इकोनॉमी

- इसे एक ऐसे बाजार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक निश्चित अवधि के अनुबंध पर आधारित होता है या जिसके तहत भुगतान किसी कंपनी, तीसरे पक्ष या ऑनलाइन मार्केटप्लेस द्वारा प्रति प्रोजेक्ट के आधार पर किया जाता है।
- उदाहरण के लिए, ILO की **वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2021** के अनुसार पिछले एक दशक में डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म की संख्या में पांच गुना वृद्धि हुई है।

गिग वर्कर्स और वर्तमान समय में इसका महत्व

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** के अनुसार, गिग वर्कर एक ऐसा व्यक्ति है जो नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों की पारंपरिक व्यवस्था के बाहर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी किसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है।
- हालांकि इन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- ○ **प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स:** ये ऐसे ऐसे वर्कर होते हैं जिनके कार्य **ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप** या **डिजिटल प्लेटफॉर्म** जैसे फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जोमैटो, ओला, स्विगी आदि पर आधारित होते हैं।
- ○ **नॉन-प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स:** ये पारंपरिक क्षेत्रकों में सहायक के तौर पर संलग्न या अस्थायी वेतन वाले कार्यबल होते हैं। ये पार्ट-टाइम या फुल टाइम आधार पर कार्य करते हैं, जैसे- निर्माण क्षेत्र।

- लगभग आधे बिलियन श्रम बल के साथ, भारत गिग कार्यबल में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक के रूप में उभरा है। वैश्विक महामारी और **भारत में शहरीकरण, इंटरनेट, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं स्मार्टफोन तक अत्यधिक पहुंच इसके मुख्य कारण रहे हैं। साथ ही स्टार्ट-अप संस्कृति, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म** आदि की भी इसमें प्रमुख भूमिका रही है।

नीति आयोग की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **कार्यबल की संख्या:** वर्ष 2020-21 में, गिग इकोनॉमी में संलग्न कार्यबल की संख्या लगभग 77 लाख (कुल कार्यबल का 1.5%) रही है। वर्ष 2029-30 तक भारत में इनकी संख्या 2.35 करोड़ (कुल कार्यबल का 4.1%) तक पहुंचने की उम्मीद है।

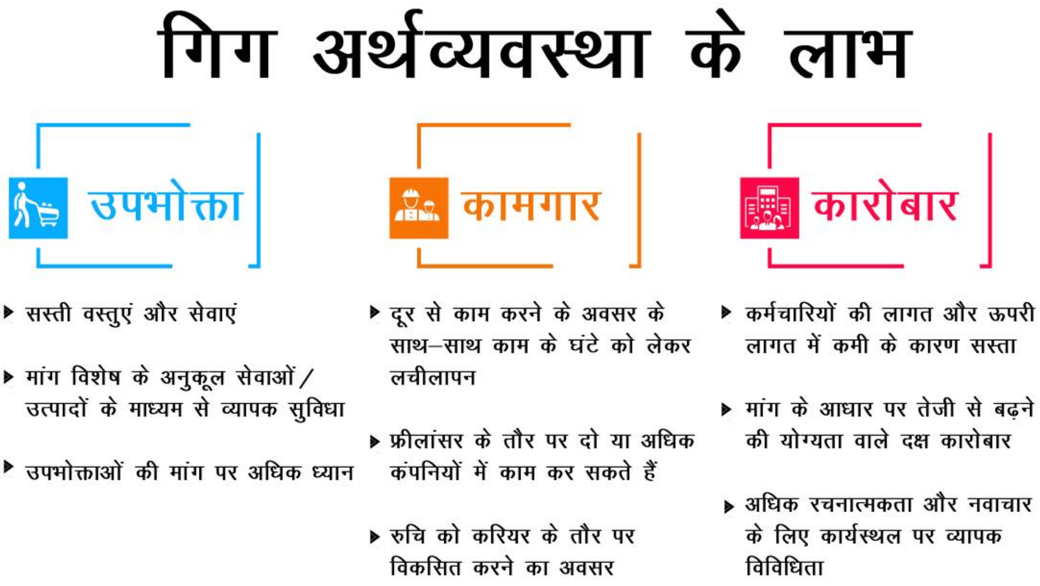

- **कार्य का प्लेटफॉर्माइजेशन:** गिग वर्कर्स की उच्च रोजगार लोचशीलता उनकी बढ़ती मांग को दर्शाती है। साथ ही, यह नॉन-गिग वर्क के गिग वर्क में प्लेटफॉर्माइजेशन को भी इंगित करता है।
    - ○ वर्तमान में 75% से अधिक कंपनियों में गिग कार्यबल की संख्या 10% से भी कम है। इसके बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है, क्योंकि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां उदार रोजगार नियोजन विकल्पों की ओर रुख कर रही हैं।
    - ○ इसका पहले से ही सभी क्षेत्रों में विस्तार जारी है। उदाहरण के लिए, खुदरा व्यापार और बिक्री में लगभग 26.6 लाख गिग वर्कर्स, परिवहन में 13 लाख गिग वर्कर्स, विनिर्माण क्षेत्र में 6.2 लाख गिग वर्कर्स आदि।
- **गिग वर्कर्स के लिए उच्च संभावनाओं वाले उद्योग:** निर्माण, विनिर्माण, खुदरा तथा परिवहन और लॉजिस्टिक्स।
- **गिग कार्यबल का कौशल स्तर:** वर्तमान में, मध्यम कौशल वाली नौकरियों में गिग वर्क की हिस्सेदारी लगभग 47% रही है, जबकि उच्च कौशल वाली नौकरियों में यह हिस्सेदारी लगभग 22% और कम कौशल वाली नौकरियों में लगभग 31% है।
- **कौशल का ध्रुवीकरण:** वर्तमान प्रवृत्ति मध्यम कौशल के संदर्भ में श्रमिकों की संख्या में हो रही क्रमिक गिरावट को दर्शाती है, जबकि कम कौशल वाले और उच्च कौशल वाले श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार यह रिपोर्ट कौशल के ध्रुवीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

गिग वर्कर्स द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

गिग इकोनॉमी वर्तमान **लचीली जीवन शैली** की जरूरतों के अनुरूप कार्य को **अधिक अनुकूल** बनाकर **श्रमिकों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं** को लाभान्वित कर सकती है। इसके लिए इन क्षेत्रों में श्रमिकों की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए **प्लेटफॉर्म कंपनियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और सरकार की नीतियों** को अपनाने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे औपचारिक और अनौपचारिक श्रम के पारंपरिक द्विविभाजन के दायरे से बाहर होते हैं, जिससे कई तरह की समस्याएं या मुद्दे सामने आते हैं जैसे:

- **नौकरी संबंधी सुरक्षा का अभाव**, अनियमित वेतन और अनिश्चित रोजगार की स्थिति। उदाहरण के लिए- ओला, उबर में ड्राइवरों की आय में गिरावट या IPL के दौरान फूड डिलीवरी ऐप द्वारा अस्थायी रूप से हायरिंग करना।
    - ○ **काम और आय की अनिश्चितता** से **तनाव** और **दबाव में बढ़ोतरी** हो सकती है।

- **इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी की सीमित पहुंच** गिग और प्लेटफॉर्म क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक कामगारों के लिए एक बाधक बन सकती है।
- प्लेटफॉर्म कंपनियों के मालिक और गिग वर्कर के बीच **संविदात्मक या कॉन्ट्रैक्ट संबंध** होता है। इसलिए गिग वर्कर्स के लिए **कार्यस्थल संबंधी सुरक्षा और अन्य अधिकार प्राप्त कर पाना कठिन** हो जाता है।
- **एल्गोरिदम प्रबंधन** और **रेटिंग के आधार पर प्रदर्शन का मूल्यांकन होने के दबाव के कारण तनाव** की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे, ओला और उबर के कर्मचारियों की निगरानी।
    - प्लेटफॉर्म कंपनी एक ऐसा व्यवसाय है जो किसी फॉउंडेशनल टेक्नोलॉजी का निर्माण करता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके आधार पर अन्य कंपनियां पैदा होती हैं और अपने बिज़नेस को बढ़ाती हैं।

गिग इकोनॉमी विनियामक ढांचा और पहल

- **मजदूरी संहिता**[26] **2019** के अंतर्गत गिग वर्कर्स सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लिए सामान्य न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम वेतन (minimum wage and floor wage) का प्रावधान किया गया है।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता**[27] **2020** के तहत गिग वर्कर्स को एक नई व्यावसायिक श्रेणी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। साथ ही, उन्हें जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा और अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए गए हैं।
    - इसके तहत एक **सोशल सेक्योरिटी फंड** और एक **नेशनल सोशल सेक्योरिटी बोर्ड** स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है ताकि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के कल्याण के लिए योजनाओं की निगरानी और उनका निर्माण किया जा सके।
- **ई-श्रम पोर्टल:** इसे गिग वर्कर्स सहित असंगठित कामगारों के डेटाबेस को तैयार करने के लिए आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। उदाहरण के लिए, **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)** के तहत दुर्घटना बीमा लाभ प्राप्त करने का अधिकार।

नीति आयोग की सिफारिशें

भारत को एक ऐसे कार्यढांचे की आवश्यकता है जो श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए प्लेटफॉर्म कंपनियों द्वारा पेश किए गए लचीलेपन को संतुलित कर सके। यह निम्न तरीके से किया जा सकता है:

- **गिग वर्कर्स का उचित मूल्यांकन:** गिग इकोनॉमी के आकार और गिग वर्कर्स की विशेषताओं के आकलन हेतु पृथक रूप से गणना करनी चाहिए।
    - यह आधिकारिक गणनाओं (PLFS, NSS या अन्य) के दौरान सूचनाएं एकत्र करके किया जा सकता है।
- **प्लेटफॉर्माइजेशन को प्रोत्साहन:** इसके लिए **प्लेटफॉर्म इंडिया पहल** को लागू करना (स्टार्टअप इंडिया के समान) चाहिए। इसे **प्लेटफॉर्माइजेशन की गति को तीव्र करने** वाले आधारों पर विकसित किया जाना चाहिए। इसमें सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट एवं प्रोत्साहन, कौशल विकास और सामाजिक वित्तीय समावेशन पर विशिष्ट ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
    - यह प्लेटफॉर्म **स्व-नियोजित व्यक्तियों** को कस्बों और शहरों के व्यापक बाजारों में अपने उत्पाद बेचने में मदद कर सकता है।

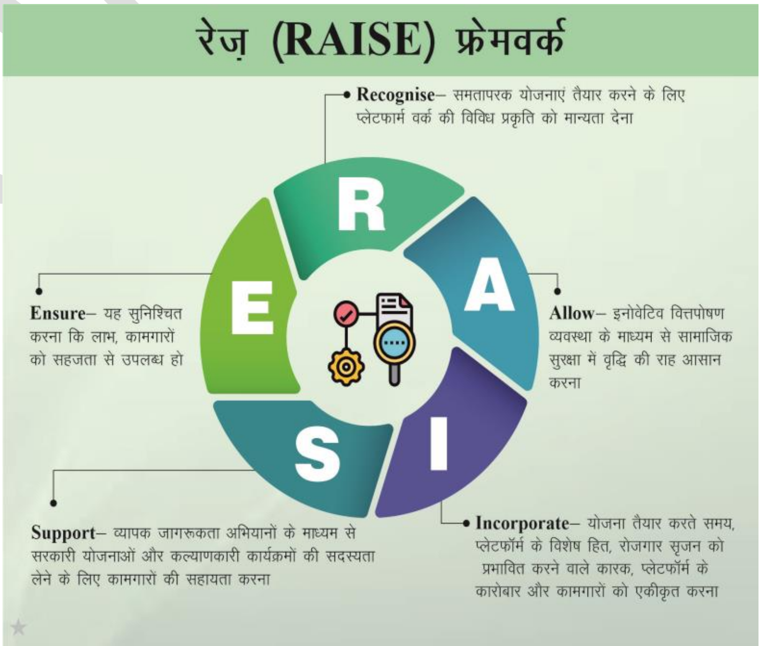

- **वित्तीय समावेशन की गति को बढ़ाना:** वित्तीय उत्पादों के माध्यम से संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए। इसमें ऐसे वित्तीय उत्पादों शामिल हैं, जो विशेष रूप से प्लेटफॉर्म कंपनियों के वर्कर्स और स्वयं के प्लेटफॉर्म स्थापित करने के इच्छुक लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हों। इसके लिए,
    - **फिनटेक और प्लेटफॉर्म बिजनेस** का उपयोग किया जा सकता है।
    - प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर पहली बार कर्ज लेने वालों के असुरक्षित ऋणों को **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (PSL)**[28] के रूप वर्गीकृत किया जा सकता है।

---

[26] The Code on Wages)

[27] The Code on Social Security

[28] Priority Sector Lending

- भारत में छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों या प्लेटफॉर्म बिजनेस या व्यवसाय के लिए औपचारिक ऋण उपलब्ध कराने को लेकर **विशेष जोर** दिया जा सकता है।
    - **प्लेटफॉर्म बिजनेस** वस्तुतः व्यवसाय मॉडल का एक प्रकार है, जो दो या दो से अधिक परस्पर-निर्भर समूहों के बीच (आमतौर पर उपभोक्ताओं और उत्पादकों में) आदान-प्रदान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है।

- **प्लेटफ़ॉर्म बिजनेस से सम्बंधित नौकरियों हेतु कौशल विकास:** युवाओं और कार्यबल को कौशल युक्त बनाने वाले और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। साथ ही, लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक या परिणाम-आधारित मॉडल को विकसित किया जाना चाहिए। इससे उन्हें रोजगार पाने योग्य बनाया जा सकेगा।
    - प्लेटफार्म्स को प्लेटफ़ॉर्म कार्यबल की कौशल-उन्नति और उनके विविधीकरण को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए वें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के साथ सहयोग स्थापित कर सकते हैं।
    - रोजगार और कौशल विकास पोर्टलों, जैसे ई-श्रम पोर्टल और नेशनल करियर सर्विस पोर्टल या उद्यम पोर्टल को असीम (ASEEM) पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
- **सामाजिक समावेशन को बढ़ाना:** आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में **लैंगिक संवेदनशीलता** को बढ़ावा देकर तथा जागरूकता कार्यक्रमों की पहुंच को बढाकर **सामाजिक समावेशन** को बढ़ाना चाहिए।
    - यह **महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों** की भागीदारी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ऐसे लोग आमतौर पर शैक्षिक अनुपलब्धता, कौशल की कमी आदि जैसी **संरचनात्मक बाधाओं** का सामना करते हैं।
- **सामान्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज:** इसके लिए वैश्विक उदाहरणों/ सुझावों/ प्रथाओं से सीखने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 में परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा उपायों का पार्टनरशिप मोड में विस्तार किया जाना चाहिए। इसमें गिग वर्कर्स और उनके परिवारों के लिए बीमारी के दौरान पेड लीव, उनके व्यवसाय के कारण होने वाले रोग एवं कार्य दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति/पेंशन योजनाएं और अन्य आकस्मिक लाभ शामिल हैं।
    - **कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी** को **RAISE फ्रेमवर्क** का उपयोग करके परिचालित किया जा सकता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के भविष्य को सुनिश्चित करना:** गिग-प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के प्रमुख पहलुओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि सक्षमता और बाधाओं की पहचान की जा सके। यह एक शोध एजेंडा के रूप में छोटे प्लेटफॉर्म्स, महिलाओं द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म्स, रोजगार के औपचारीकरण, जी.डी.पी. में योगदान आदि के सर्वेक्षण के माध्यम से किया जा सकता है।

3.5. गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (Non-Performing Assets: NPAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मार्च 2022 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के सकल NPA (GNPA) में व्यापक गिरावट आई। यह घटकर छह साल के सबसे निचले स्तर (5.9%) पर पहुंच गई है। साथ ही, इसी अवधि के दौरान निवल NPA भी घटकर 1.7% हो गया है।

NPAs के बारे में

- बैंकों द्वारा दिए गए **पैसे या ऋण** को **परिसंपत्तियों** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि ये बैंक के लिए आय पैदा करती हैं। यदि ऐसे किसी ऋण के

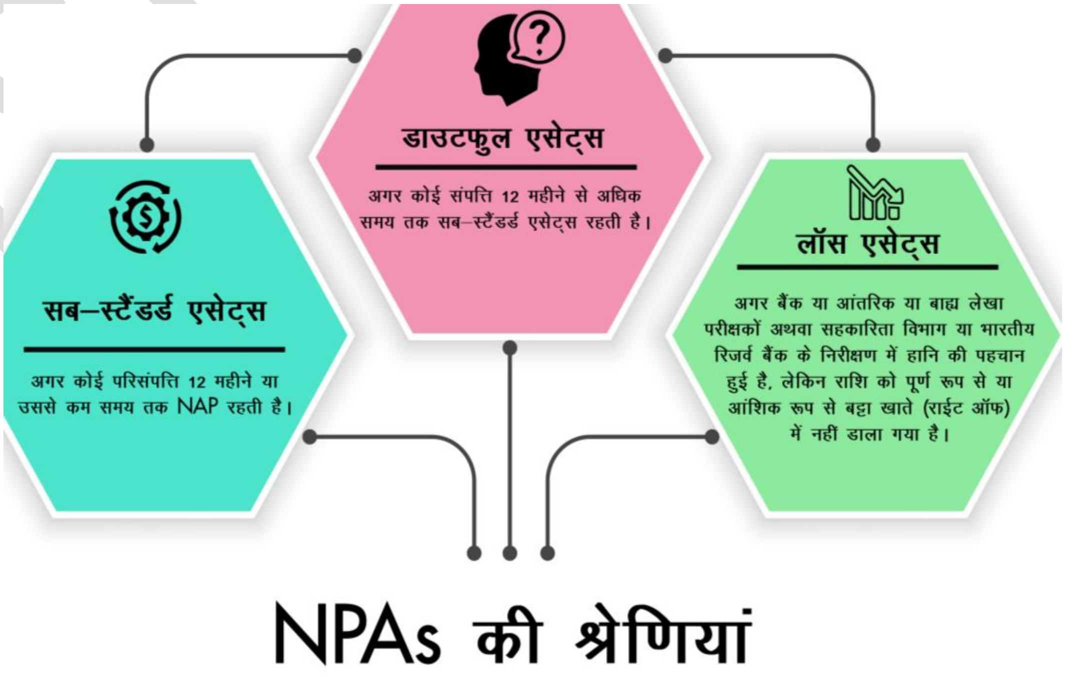

बकाये से संबंधित समस्या न हो या इनकी वापसी में कोई विशेष जोखिम न हो तो इसे ऐसे ऋण को **मानक आस्ति** कहा जाता है। यदि ऐसा कोई ऋण बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर दे तो वह **NPA बन** जाता है।

- **NPA:** बकाया भुगतान संबंधी मानदंडों के आधार पर, ऋण या अग्रिम को NPA की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे ऋणों या अग्रिम पर मूलधन या ब्याज का भुगतान **90 दिनों** (एक तिमाही) की अवधि से बकाया होता है।
  - NPA की अवधि और इसकी पहचान के आधार पर, NPA की श्रेणी परिवर्तित होती रहती है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - **कृषि ऋणों के** लिए NPA की अलग-अलग श्रेणियां हैं। NPA के निर्धारण की अवधियां अलग-अलग हैं। अल्प अवधि की फसलों के लिए **दो फसली मौसम और** लंबी अवधि की फसलों के लिए **एक फसली मौसम** निर्धारित किया गया है।

SCBs की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता सुधार से संबंधित तथ्य

- वर्ष 2021-22 के दौरान सभी बैंक समूहों के **स्लिपेज रेशियो** में गिरावट आई। इस अवधि की शुरुआत में मानक अग्रिमों की हिस्सेदारी के रूप में NPA में हुई बढ़ोतरी के मापन हेतु स्लिपेज रेशियो का प्रयोग किया गया था।
  - **स्लिपेज रेशियो** गुड लोन के बैड होने की दर है। स्लिपेज रेशियो के कैलकुलेशन के लिए वर्तमान वर्ष में NPA कितना बढ़ा और वर्ष की शुरुआत में स्टैंडर्ड एसेट्स कितना था, इसके अनुपात को 100 से गुणा किया जाता है।
- उधारकर्ताओं में बढ़ोतरी होने के साथ, SCBs के **साख संकेंद्रण** में कमी (बड़े उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी) आई है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के **पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR)** में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह बढ़कर 16.7% हो गया है। साथ ही **कॉमन इक्विटी टियर 1** (CET-1) अनुपात भी बढ़कर **13.6%** पर पहुंच गया है। ध्यातव्य है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात को **पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (CRAR)**[29] के रूप में भी जाना जाता है।
- **प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो (PCR)**[30] में भी बढ़ोतरी हुई है।
  - **PCR,** बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए की गई प्रोविजनिंग के अनुपात के आकलन में मदद करता है। यह ऋणदाता द्वारा आरक्षित निधि को इंगित करता है, जिसे कर्ज से होने वाली हानि के लिए अलग रखा गया है।
- साख जोखिम के आकलन हेतु उपयोग किए जाने वाले **मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट** से ज्ञात हुआ है कि SCB, गंभीर तनाव की स्थिति में भी न्यूनतम पूंजी अनिवार्यताओं का अनुपालन कर सकते हैं।
- बैंकों की **आय और लाभप्रदता स्थिति** में भी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही इससे **आस्तियों पर प्रतिफल (RoA)**[31] और **इक्विटी पर प्रतिफल (RoE)**[32] अनुपात में भी सुधार आया है।

NPA गिरावट हेतु उत्तरदायी कारण

- **4R की रणनीति:** यह पारदर्शिता के साथ NPA की पहचान**, समाधान** और वसूली हेतु प्रयोग की जाने वाली एक रणनीति है। इसे सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों (PSB) के **पुनर्पूंजीकरण** तथा वित्तीय पारितंत्र और PSB में **सुधार** हेतु भी प्रयोग किया जाता है। इसे वर्ष **2015** में शुरू किया गया था।
  - इसके सहयोग से वर्ष 2018 में साझा PSB सुधार एजेंडा हेतु **एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (EASE)** का गठन किया गया था, इसका उद्देश्य:
    - **CLEAN एवं SMART** बैंकिंग को सुनिश्चित करना है। यहां **CLEAN** पद का तात्पर्य-
      - ★ **C-** गैर संदिग्ध ऋण (Clean credit),

---

[29] Capital-to-Risk weighted Assets Ratio

[30] Provisioning Coverage Ratio

[31] Return on Assets

[32] Return on Equity

* L- डेटा का लाभ उठाने (Leveraging data),
* E- जवाबदेही सुनिश्चित करने (Ensuring accountability),
* A- डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई (Action against defaulters), और
* N- NPA की वसूली (NPA recovery) से है। तथा,

▪ SMART पद का अभिप्राय बैंकिंग को-
* S- तीव्र (Speedy),
* M- मल्टी-चैनल युक्त (Multi-channel reach),
* A- सुलभ और किफायती (Accessible and affordable),
* R- अनुक्रियाशील (Responsive), तथा
* T- तकनीकी रूप से उन्नत (Technologically enhanced) बनने से है।

- **इंद्रधनुष योजना:** यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के व्यापक सुधार हेतु संचालित एक पहल है **(इन्फोग्राफिक देखें)**। इस योजना के तहत सुधारों के क्रम में जवाबदेही, पर्याप्त पूंजीकरण, संकट निवारण आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **नीतिगत सहायता:** राज्य और RBI ने SCBs को महामारी जनित आर्थिक प्रभाव से निकालने और उनकी जोखिम वहन करने की क्षमता मजबूत करने में मदद की है। उदाहरण के लिए-
  - कॉरपोरेट MSME को प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (PPIRP) प्रदान करने के लिए **इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) में संशोधन किया गया है।**
- कोविड-19 के दौरान **क्रेडिट गारंटी योजना** की शुरुआत की गई है।
- **आर्थिक गतिविधि का प्रगतिशील सामान्यीकरण:** इसने बैंकों की लाभप्रदता स्थिति में सुधार लाने के साथ-साथ नए ऋण चक्र को शुरू करने में मदद की है।
- अन्य सुधार के तहत **राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL)**[33] और **भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (IDRCL)**[34] **का गठन** किया गया है। इसे **PSB के विलय** और दीर्घकालिक NPA के समाधान तथा बैंक की खताबही में सुधार लाने हेतु गठित किया गया है।

---

[33] National Asset Reconstruction Company Limited

EASENext सुधार

- EASENext के अंतर्गत दो प्रमुख पहलों को शामिल किया गया है:
    - सामान्य PSB सुधार एजेंडा के लिए **EASE 5.0,** और
    - बैंक की व्यावसायिक प्राथमिकताओं के आधार पर बैंक विशिष्ट **तीन वर्षीय रणनीतिक रोडमैप।**
- **EASE 5.0 के** तहत, PSBs **आधुनिक क्षमताओं** हेतु निवेश को जारी रखेगें। साथ ही, वे ग्राहकों की परिवर्तनशील जरूरतों, बदलती प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक अपनाने की दिशा में प्रयास भी करेगें।
- यह **छोटे व्यवसायों** और **कृषि** पर ध्यान केंद्रित करते हुए **डिजिटल ग्राहक अनुभव को बेहतर** बनाएगा तथा **एकीकृत और समावेशी बैंकिंग को** बढ़ावा देगा।
- बैंक-विशिष्ट रणनीतिक रोडमैप के तहत, बैंकों द्वारा EASE 5.0 के अतिरिक्त रणनीतिक पहलें की जाएंगी। इसके तहत व्यवसाय बढ़ोतरी, लाभप्रदता, जोखिम, ग्राहक सेवा, परिचालनों और क्षमता विकास इत्यादि पर जोर दिया जाएगा।

PSB और समग्र बैंकिंग प्रणाली से सम्बंधित मौजूदा और भावी चुनौतियाँ

- **PSBs का उच्च NPA:** भारतीय बैंकिंग प्रणाली के मुख्य आधार कहे जाने वाले PSBs का NPA स्तर अभी भी **उच्च (7.6%)** बना हुआ है। साथ ही **वित्त वर्ष 23** के अंत तक **PSBs पर गंभीर तनाव की स्थिति में** इस स्तर में **10.5%** तक बढ़ोतरी हो सकती है।
- **विलय की प्रासंगिकता:** बेहतर कर्जदारों को ढूढ़ने की जगह, PSBs के विलय ने NPA को कम करने में मदद किया है। उदाहरण के लिए, इंडियन बैंक (3.5% NPA) द्वारा इलाहाबाद बैंक (6% NPA) के अधिग्रहण से NPA घटकर 4.6% हो गया।
- **PSBs की कम प्रतिस्पर्धात्मकता: PSBs** का **निवल-ब्याज लाभांश** और **लाभ** अभी भी निजी बैंकों की तुलना में कम है।
- **NARCL में देरी:** जुलाई 2021 में पंजीकृत, NARCL, बैंकों से 50,000 करोड़ रूपये की **15 दबावग्रस्त आस्तियों के** अधिग्रहण को पूरा करने में विफल रहा है। इसके लिए मार्च अंत तक की समयावधि निर्धारित की गई थी।
- **IBC समाधान में गिरावट:** IBC के तहत दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में अत्यधिक देरी से समाधान (रेज़ोल्यूशन) द्वारा प्राप्त होने वाली राशि वस्तुतः आस्तियों के परिसमापन मूल्य (लिक्विडेशन वैल्यू) की तुलना में कम रही है। यह प्रवृत्ति पहली बार वित्तीय वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में देखी गई है।
- **दबाव के शुरुआती संकेत:** कुछ क्षेत्रक महामारी के बाद के दबाव से प्रभावित होते दिख रहे हैं। उदाहरण के लिए, विद्युत् वितरण कंपनियों (discoms) पर विद्युत् उत्पादकों (gencos) का कुल बकाया ₹1.19 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंच गया है।
- **ऋण-माफी:** बढ़ते लोकलुभावनवाद एवं राज्यों द्वारा ऋण-माफी ने बैंकों को नुकसान पहुंचाया है। यह नुकसान, राइट ऑफ (write-offs) और खराब क्रेडिट अनुशासन के कारण हुआ है।

आगे की राह

बैंक, अर्थव्यवस्था के **मुख्य आधार** होते हैं। **आर्थिक मंदी, बढ़ती मुद्रास्फीति, राज्य वित्त में बढ़ते दबाव के संकेत देखे जा सकते हैं।** साथ ही, अमेरिका में **मंदी की आशंका** और केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी से पैदा होने वाले जोखिमों में वृद्धि हुई है। इन सभी के कारण अब **ऋण आसानी से नहीं मिलेंगे। इसके अलावा बैंकिंग प्रणाली को भी गंभीर दबाव का सामना करना पड़ेगा।** इसलिए, बैंकिंग व्यवस्था को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बैंकों और सरकार को निम्नलिखित प्रयास करने होंगे :

- **आस्ति की गुणवत्ता** और **पूंजी पर्याप्तता** बनाए रखने के लिए **जोखिम से बचना होगा।**
- **PSBs की ख़राब गवर्नेंस** और **परिचालन दक्षता** से जुड़ी समस्याओं को दूर करना होगा। साथ ही, जल्द से जल्द NARCL को पूरी तरह कार्यात्मक बनाना होगा।
- समाधान प्रक्रिया में देरी के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT)[35] को जवाबदेह ठहराने हेतु **IBC में संशोधन करना** होगा।
- आगामी आर्थिक जोखिमों का सामना करने के लिए राजकोषीय अनुशासन के साथ राज्य वित्त मजबूत करने के लिए **आवश्यक आर्थिक सुधारों एवं बैंकिंग सुधार को जारी रखना होगा।**

---

[34] India Debt Resolution Company Limited

[35] National Company Law Tribunal

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs): संकट से उत्प्रेरक की भूमिका की ओर	भारत में NPA संकट कई खामियों जैसे खराब ऋण निगरानी, गवर्नेंस संबंधी मुद्दे और सीमित पूंजी उपलब्धता का संयोजन रहा है। इसी तरह समाधान को '4R रणनीति' के रूप में व्यक्त किए गए कई चरणों का भी संयोजन होना चाहिए। इसके साथ ही, NPA की समस्या में, बैंकिंग क्षेत्र में समग्र सुधारों का मार्गदर्शन करने वाले एक संकेतक होने की क्षमता भी है।	

3.6. भारतीय भुगतान प्रणाली (Indian Payment System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **"भुगतान विजन (Payments Vision) 2025"** नामक एक दस्तावेज जारी किया है। यह दस्तावेज वर्ष 2025 तक की अवधि के लिए भारतीय भुगतान प्रणाली पर RBI की सोच और उसके विज़न को बताता है।

भारत में भुगतान प्रणाली

- भुगतान प्रणाली भुगतानकर्ता और लाभार्थी के बीच भुगतान को संभव करने वाली प्रणाली है। इसमें **स्टॉक एक्सचेंज को छोड़कर** सभी **समाशोधन (क्लियरिंग), भुगतान या निपटान (सेटलमेंट) सेवाएं** शामिल हैं।
- यह प्रणाली सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख आधार होती है। साथ ही, ये **आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता** और **वित्तीय समावेशन** में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं।
- भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण में बढ़ोतरी होने के साथ, भारतीय भुगतान प्रणाली भी तीव्र गति से डिजिटल होती जा रही है। उदाहरण के लिए
    - वर्ष 2019 और 2021 के मध्य भारत में भुगतान के डिजिटल माध्यमों को स्वीकार करने वाले व्यापारियों में **500% से अधिक की वृद्धि** हुई है।
    - UPI, IMPS और PPI के रूप में होने वाले डिजिटल भुगतान में इसी अवधि के दौरान क्रमशः **104%, 39% और 13%** की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की गई है।
    - साथ ही, कागजी लिखतों के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आई है। मात्रा की दृष्टि से **कुल खुदरा भुगतान में इसकी हिस्सेदारी 3.83%** से घटकर **0.88%** हो गई है।
- इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक (**भुगतान विजन 2021** और अन्य प्रयासों के माध्यम से) की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे:
    - रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के माध्यम से **प्रतिस्पर्धा**; गैर-बैंक PSOs[36] को केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (CPS) तक खुली पहुंच; ऑफलाइन मोड आदि में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान की गयी है।
    - **लागत में कमी** सुनिश्चित हुई। यह कमी RBI द्वारा लगाए जाने वाले RTGS और NEFT शुल्क से छूट, **ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) इंटरचेंज शुल्क और ग्राहक शुल्क की समीक्षा, भुगतान समूहकों (PAs)[37] के विनियमन के लिए फ्रेमवर्क आदि के माध्यम से सुनिश्चित की गई।**
    - भुगतान प्रणाली को **सुविधाजनक** बनाया गया है। इस उद्देश्य के लिए NEFT, RTGS और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) आदि की 24x7x365 आधार पर उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
    - प्रणाली में **भरोसा** बढ़ा है। इसके लिए भुगतान समूहकों (PAs) को विनियमित करने हेतु तंत्र, कार्ड लेनदेन के टोकनीकरण, केंद्रीकृत भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (CPFIR), आदि की स्थापना की गई है।

---

[36] Payment System Operators

[37] Payment Aggregators

VISIONIAS

भुगतान प्रणाली के समक्ष चुनौतियां

- **साइबर हमले:** साइबर हमले आसानी से **परिचालन प्रणाली** (सेवा से इनकार हमले) में व्यवधान डाल सकते हैं, या डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी, डेटा-चोरी आदि जैसी वित्तीय धोखाधड़ी कर सकते हैं।
- **डिजिटल अवसंरचना:** भारत के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में, हर बार तेज और कुशल भुगतान प्रणाली तक पहुंच एक चुनौती होती है।
  - प्रति प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) टर्मिनल पर आधारित लोगों की संख्या की दृष्टि से भारत अभी भी पीछे है। 2020 के अंत तक भारत में प्रत्येक 296 लोगों पर एक PoS टर्मिनल उपलब्ध था।

- **शिकायत निवारण तंत्र:** संपूर्ण प्रणाली में फिनटेक जैसे कुछ घटकों में भौतिक इंटरफ़ेस की कमी होती है। ऐसे में ग्राहक अनुकूल विवाद समाधान और शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना कठिन हो जाता है।
- **लेन-देन का कम मूल्य:** इतने डिजिटलीकरण के बावजूद, प्रचलित मुद्रा (CIC) की तुलना में पेमेंट सिस्टम्स ट्रांसैक्शन्स का मूल्य अभी भी ज़्यादा नहीं है। GDP के प्रतिशत के रूप में प्रचलित मुद्रा 2017 में GDP के 10.7% से बढ़कर 2020 में GDP का 14.4% हो गई। इस प्रकार वर्ष 2020 में भारत (44.9 के साथ) इस मामले में वैश्विक रूप से निम्नतम स्कोर करने वाले देशों में से एक था।
- **डेटा गोपनीयता के मुद्दे:** प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) और फिनटेक जैसे विभिन्न डिजिटल भुगतान इंस्ट्रूमेंट्स और प्रणालियां **व्यक्तिगत डेटा की चोरी, साइबर चोरी, अनधिकृत लेनदेन** आदि के प्रति संवेदनशील नहीं हैं।
  - 2021 में, डिजिटल रूप से ऋण देने पर गठित RBI के कार्यदल ने पाया कि भारत में भोले-भाले ग्राहकों को ठगने वाले 600 से अधिक ऋण देने वाले अवैध ऐप चल रहे हैं।

भारतीय भुगतान प्रणाली का विनियमन और विकास

- **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत RBI द्वारा इसका **विनियमन** और **पर्यवेक्षण किया जाता है।**
- इसके अलावा, एक **सर्जक (Creator) के रूप में, RBI 2001** से समय-समय पर **भुगतान विजन** दस्तावेजों को जारी कर रहा है। इसके माध्यम से RBI से भुगतान पारितंत्र के **व्यवस्थित विकास के** लिए **रणनीतिक दिशा** और **कार्यान्वयन योजना प्रदान कर रहा है:**
  - **ताकि सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती भुगतान प्रणाली** सुनिश्चित की जा सके।

भुगतान विजन 2025

- भुगतान विजन 2021 के **चार गोलपोस्ट्स (प्रतिस्पर्धा, लागत, सुविधा और आत्मविश्वास) के आधार पर भुगतान विजन 2025** ने निम्नलिखित **पांच एंकर गोलपोस्ट निर्धारित किए हैं:**
  - पहुंच, ग्राहक केंद्रितता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल पैठ में बढ़ोतरी के लिए **अखंडता, समावेशन, नवाचार, संस्थागतकरण** और **अंतर्राष्ट्रीयकरण।**
- **मुख्य विषय: सभी के लिए, सभी जगह, सभी समय ई-भुगतान** (4ई)[38] ।

---

[38] {Core Theme: E-payments for everyone, everywhere, everytime (4Es)}

- **विजन:** प्रत्येक उपयोगकर्ता को **सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती** ई-भुगतान विकल्प प्रदान करना।

भुगतान विजन 2025 की मुख्य विशेषताएं

- भुगतान पारितंत्र में **केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (CBDC) को लाना। यह कार्य सभी महत्वपूर्ण बिचौलियों** {यानी बिगटेक, फिनटेक, बाई नाउ पे लेटर (BNPL) आदि} को विनियमित करने वाले फ्रेमवर्क के साथ किया जाएगा।
- ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी के शिकार लोगों की सुरक्षा के लिए **डिजिटल भुगतान सुरक्षा कोष** बनाने के औचित्य की जांच करना।
- क्लोज्ड सिस्टम PPI सहित प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने के साथ डिजिटल भुगतान अवसंरचना और **लेनदेन की जियो-टैगिंग को संभव बनाना।**
- **क्रेडिट कार्डों और** बैंकिंग उत्पादों के **क्रेडिट घटकों को UPI से लिंक करना।**
- एक राष्ट्र एक ग्रिड समाशोधन और निपटान परिप्रेक्ष्य सहित **चेक ट्रांसैक्शन सिस्टम (CTS)** में सुधार लाना।
- भुगतान धोखाधड़ी की **रियल-टाइम सूचना।**

आगे की राह

भुगतान विजन 2025 **वित्तीय लेनदेन को सुगम बनाने के** लिए महत्वपूर्ण है। भुगतान पारितंत्र में **विश्वास का निर्माण करने** के लिए यह एक उपयुक्त समय पर प्रस्तुत किया गया है। भारत डिजिटल भुगतान क्षेत्र में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपायों के ज़रिए से अपने डिजिटल भुगतान क्षेत्र को और मजबूत एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप दे सकता है:

- नीति के केंद्र में सुरक्षा और ग्राहक केंद्रित पहलों के साथ **सक्रिय कानूनों और विनियमों** का निर्माण करना होगा। उदाहरण के लिए, डेटा संरक्षण कानून को भुगतान डेटा के अनिवार्य स्थानीय भंडारण से भी आगे बढ़ कर प्रयास करना चाहिए। साथ ही, उचित रूपरेखा के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डेटा का दुरुपयोग न हो या डेटा-चोरी कम से कम हो।
- वित्तीय प्रणाली में व्याप्त खामियों और कन्टेजियस चैनलों के बारे में समझ को बढ़ाना होगा। इसके लिए साइबर मैपिंग के माध्यम से वित्तीय और परिचालन के स्तरों पर व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण नोड्स की पहचान की जानी चाहिए।
- बाजार आधारित वित्तपोषण को बढ़ावा देकर वित्तीय संस्थाओं का **शोधन क्षमता** (सॉल्वेंसी) संबंधी **जोखिम को कम करना होगा।**
- क्रॉसबॉर्डर भुगतानों को बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर **घरेलू अवसरों का लाभ उठाना होगा। इसके लिए** लागत, गति, पहुंच और पारदर्शिता की चार प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना होगा। उदाहरण के लिए अन्य देशों में UPI को तेज भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ना।
  - दुनिया में किसी देश के नागरिकों द्वारा बाहर से उस देश में भेजे जाने वाले धन या विप्रेषण के मामले में भारत सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। इस रूप में यह आने वाले विप्रेषण के लिए गैर-बैंक भुगतान प्रणालियों और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकरण के लिए भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करेगा।
- BigTech पर एकसमान विनियमन के माध्यम से सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए **वैश्विक सहयोग की संभावना को तलाशना होगा।** उदाहरण के लिए **वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF)** के जोखिम-आधारित शासन का उपयोग करना।
- ग्राहकों के शिकायत निवारण हेतु एक नोडल अधिकारी के साथ सभी प्रतिभागियों के लिए एक औपचारिक ग्राहक शिकायत निवारण फ्रेमवर्क को अपनाना अनिवार्य करना चाहिए।

3.7. विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (Special Economic Zones: SEZ)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने **डेवलपमेंट इंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब (DESH)**[39] **बिल, 2022** के मसौदा प्रस्ताव को विचार विमर्श हेतु जारी किया है। इस विमर्श का उद्देश्य **विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005** की जगह इस बिल को स्थापित करने के संबंध में राय प्राप्त करना है।

भारत में SEZ और उनका महत्व

- SEZ, विशेष रूप से निर्धारित किए गए **शुल्क-मुक्त क्षेत्र** होते हैं। इसे व्यापार के संचालन और शुल्क एवं कर के प्रयोजनों की दृष्टि से **एक बाह्य क्षेत्र** माना जाता है।

---

[39] Development Enterprise and Services Hub

- भारत ने बहुत पहले ही इस तरह के **निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (EPZ)** वाले मॉडल की प्रभावशीलता को देखते हुए वर्ष 1965 में कांडला में एशिया के पहले EPZ को स्थापित किया था।
- **वर्ष 2000 में विदेश व्यापार नीति** के प्रावधानों के अंतर्गत SEZ को आर्थिक विकास के एक इंजन के रूप में स्थापित करने के लिए भारत ने एक **SEZ नीति** की घोषणा की थी।
- इसके बाद क्रमिक रूप से वर्ष **2005 में SEZ अधिनियम लाया** गया तथा **वर्ष 2006 में SEZ नियमों** को लागू किया गया। इन्हें इसलिए लाया गया था, ताकि SEZ पर एक व्यापक स्थिर व्यवस्था को अपनाया जा सके तथा विभिन्न **उद्देश्यों** को निम्नलिखित कदमों के माध्यम से प्राप्त किया जा सके (इन्फोग्राफिक देखें):

  - SEZ के विकास, संचालन और रख-रखाव के लिए **सरलीकृत प्रक्रियाओं** को अपनाना।
  - SEZ में इकाई स्थापित करने तथा केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों से संबंधित मामलों पर मंजूरी प्राप्त करने के लिए **सिंगल विंडो क्लीयरेंस** की सुविधा प्रदान करना।
  - स्व-प्रमाणन आदि पर जोर देने के साथ-साथ **सरलीकृत अनुपालन प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण** को बढ़ावा देना, ताकि नियंत्रण और मंजूरी की बहुलता के कारण आने वाली कमियों को दूर किया जा सके।

SEZ का प्रदर्शन

- **SEZ की संख्या:** जनवरी 2022 तक भारत में **संचालनरत SEZ की संख्या 268 थी।** इसके अलावा **357 को अधिसूचित** श्रेणी के तहत रखा गया है और **425 को औपचारिक मंजूरी** प्रदान कर दी गई है।
- **सकारात्मक आर्थिक संकेतक: वित्त वर्ष 2021** में SEZ के माध्यम से होने वाला **निर्यात** बढ़कर **7.59 ट्रिलियन रुपये** हो गया है, जो **वित्त वर्ष 2006** में केवल **22,840 करोड़ रुपये** था। इससे **वित्त वर्ष 2021** तक **6.17 ट्रिलियन रुपये** के कुल निवेश के साथ **2.35 मिलियन रोजगार** पैदा हुए हैं।
- **चीन के मुकाबले खराब प्रदर्शन:** वित्त वर्ष 2020 में यह निर्यात 112.3 बिलियन डॉलर से भी कम था, जो चीन के प्रदर्शन की तुलना में कहीं भी नहीं है।
- **SEZ का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कम हो रहा है,** क्योंकि कई व्यवसाय SEZ से दूर जा रहे हैं या व्यावसायिक इकाइयों को आसियान देशों में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके पीछे SEZ की तुलना में वहां मिलने वाले बेहतर प्रोत्साहन और यहाँ की विभिन्न घरेलू चुनौतियां उत्तरदायी रही हैं।

SEZ के समक्ष चुनौतियां

- वर्ष 2012 में **न्यूनतम वैकल्पिक कर**[40] लाए जाने के बाद **कर रियायतों को वापस लेना** और **कर छूट** को हटाने के लिए एक **सावधि विधि खंड** (Sunset Clause) का प्रयोग करना।
  - SEZ इकाइयों को पहले **5 वर्षों** के लिए निर्यात आय पर **100% आयकर छूट** और अगले **5 वर्षों** के लिए **50%** की छूट प्रदान की जाती है। साथ ही, निर्यात लाभ को व्यापार में निवेश करने पर अगले 5 वर्षों के लिए भी **50%** की छूट प्रदान की जाती है।
- **क्षेत्र-विशिष्ट पाबंदियों** के कारण SEZs के अंतर्गत भूमि का अल्प उपयोग होना या खाली पड़े भूखंडों का प्रयोग न होना।

---

[40] Minimum Alternate Tax

- **WTO विवाद निपटान पैनल** ने **SEZ योजना** के साथ-साथ भारत की निर्यात संबंधी योजनाओं को WTO नियमों के अनुरूप नहीं होने के कारण असंगत करार दिया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि यह **प्रत्यक्ष रूप से कर संबंधी प्रोत्साहन को निर्यात से जोड़ती** है।
    - देशों को निर्यात पर प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह बाजार कीमतों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
- **नीतिगत विसंगतियां और उनसे जुड़े अन्य मुद्दे, जैसे-**
    - घरेलू बिक्री के लिए निर्मित अंतिम उत्पाद पर भी **पूर्ण सीमा शुल्क का भुगतान** किया जाना।
    - SEZ इकाइयों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA)[41] को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए **विदेशी मुद्रा में भुगतान** करने की बाध्यता।
        - ऐसे कोई भी क्षेत्र जो SEZ या किसी अन्य कस्टम बाउंडेड (सीमा शुल्क की अनिवार्यता वाले) क्षेत्र के बाहर स्थित हैं, उन्हें भारत में DTA के रूप में जाना जाता है।
    - **राज्यों की सीमित भूमिका,** क्योंकि अधिकांश निर्णय केंद्र के वाणिज्य विभाग द्वारा लिए जाते हैं। अतः ऐसे अनुमोदन के निर्णयों में राज्य सरकार के सहयोग का अभाव होता है।
    - **SEZ** को पांच वर्षों के दौरान संचयी रूप से **निवल विदेशी मुद्रा (Net Foreign Exchange) को धनात्मक बनाए रखना पड़ता** है (अर्थात, आयात से अधिक निर्यात)।

डेवलपमेंट इंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब (DESH) बिल द्वारा किए गए प्रावधान और इसके लाभ

DESH बिल वर्ष 2018 में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए प्रस्तावों का परिणाम है। इसका लक्ष्य **संकीर्ण निर्यात-उन्मुख SEZ को व्यापक आर्थिक केंद्रों में परिवर्तित** करना है। हालांकि, इस बिल के अधिनियमित हो जाने के बाद SEZ का नाम बदलकर DESH कर दिया जाएगा। यह **सभी बड़े मौजूदा** और नए औद्योगिक परिक्षेत्रों को कवर करेगा, ताकि निम्नलिखित के माध्यम से उपलब्ध बुनियादी ढांचे का **इष्टतम उपयोग** किया जा सके और निर्यात की **प्रतिस्पर्धात्मकता** को बढ़ाया जा सके:

- SEZ के तहत उपयोग रहित क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए SEZ का **आंशिक डिनोटिफिकेशन किया जाएगा।** साथ ही, ट्रेडिंग और वेयरहाउसिंग गतिविधियों के लिए विशिष्ट सीमांकन की आवश्यकता को भी समाप्त किया जाएगा।
- **घरेलू बाजारों में बिक्री को सुगम बनाया** जाएगा। इसके तहत शुल्क का भुगतान अंतिम उत्पाद के बजाय केवल आयातित वस्तुओं और कच्चे माल पर किया जा सकता है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा में **अनिवार्य रूप से भुगतान की आवश्यकता** को भी समाप्त किया जाएगा।
    - इसके लिए सरकार घरेलू बाजार में आपूर्ति की जाने वाली **वस्तुओं या सेवाओं** पर एक **समकारी लेवी**[42] लगा सकती है। इससे करों को SEZ के बाहर की इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर के समान बनाया जा सकेगा।
- अधिनियम के लागू होने की तारीख से छह महीने के भीतर **सिंगल-विंडो पोर्टल** लागू कर दिया जाएगा। इससे एकल आवेदन फॉर्म एवं रिटर्न के साथ-साथ हब की स्थापना और संचालन के लिए समयबद्ध मंजूरी प्राप्त की जा सकेगी।

---

[41] Domestic Tariff Area

[42] Equalization Levy

- **SEZ** को पांच वर्षों के दौरान संचयी रूप से **निवल विदेशी मुद्रा को धनात्मक बनाए रखने** की आवश्यकता को समाप्त किया जाएगा।
- **राज्य की सक्रिय भागीदारी:** विकास केंद्रों को अनुमोदन देने के लिए राज्यों को सीधे केंद्रीय बोर्ड को सिफारिशें भेजने की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही, ऐसे केंद्रों के कामकाज की निगरानी के संबंध में राज्य बोर्डों की स्थापना हेतु भी राज्य सीधे केंद्रीय बोर्ड को सिफारिशें भेज सकते हैं।
  - राज्य बोर्डों को वस्तुओं के आयात या खरीद को मंजूरी प्रदान करने की शक्ति प्रदान की जाएगी। अधिनियमन के बाद **DESH** के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं, वेयरहाउसिंग और व्यापार के उपयोग की निगरानी हेतु भी अधिकार प्रदान किए जाएंगे।
- **WTO-अनुपालन:** इकाइयों के लिए प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही इसकी जगह WTO नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

निष्कर्ष

हालांकि ड्राफ्ट बिल अभी भी कुछ मुद्दों पर स्पष्ट नहीं है, जैसे कि **सावधि विधि खंड** (Sunset Clause) के विस्तार के संबंध में। हालांकि, यह खंड राज्यों और केंद्र को कर छूट, प्रोत्साहन, छूट और शुल्क वापसी के रूप में और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के अवसर प्रदान कर सकता है। पुनरुद्धार के इस प्रयास को सफल बनाने के लिए राज्यों, उद्योगों और बाजारों के साथ एक सामूहिक प्रयास बेहतर साबित हो सकता है।

3.8. रेलवे में नवाचार (Innovation in Railways)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रेलवे (IR) ने "भारतीय रेलवे नवाचार नीति[43]" शुरू की है। इसका उद्देश्य नवाचारों का वित्तपोषण करना है।

इस नीति की मुख्य विशेषताएं

- इस नीति के तहत, **IR स्टार्टअप्स द्वारा किए गए इनोवेशन्स को सीधे उन्हीं से खरीदेगा। इसके लिए वह उन स्टार्टअप्स में निवेश करेगा।** इसमें IR के लिए नवीन तकनीकी समाधानों का विकास करने हेतु स्टार्टअप्स को 1.5 करोड़ रुपये तक की सीड मनी (Seed Money) दी जाएगी।
  - **सीड मनी:** सीड कैपिटल/मनी किसी स्टार्टअप को शुरू करने हेतु उपयोग किया जाने वाला वित्तपोषण है।
- **नीति के उद्देश्य हैं:**
  - IR की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और रख-रखाव से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए **लागत प्रभावी, कार्यान्वयन योग्य, मापनीय (scalable) समाधान विकसित करना** और कार्यात्मक प्रोटोटाइप तथा अभिनव उत्पाद बनाना।
  - IR में परिचालन दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए **नवीन तकनीकों का लाभ उठाना।**
- **नीति के लिए वार्षिक बजट लगभग 40-50 करोड़ रुपये का होगा।** मंडल रेल प्रबंधकों के लिए एक अतिरिक्त कोष भी होगा, ताकि वे ऑन-फील्ड समस्याओं का ऑन-फील्ड समाधान ढूंढ सकें।

---

[43] Indian Railway Innovation Policy

- विकसित किए गए **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)[44] इनोवेटर्स या आविष्कारकों के पास ही रहेंगे।**

भारतीय रेलवे में नवाचार की आवश्यकता

- **अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव:** 60% से अधिक रूट का 100% से अधिक उपयोग किया जा रहा है।
    - पिछले 60-70 वर्षों में जहां माल ढुलाई और 'पैसेंजर-किलोमीटर' में 1000% से अधिक की वृद्धि हुई है, वहीं 'रूट-किलोमीटर' में लगभग 25% की वृद्धि हुई है।
- **यात्रियों पर कम ध्यान:** सफाई, समयबद्ध सेवा, सुरक्षा, टर्मिनल की गुणवत्ता, ट्रेनों की क्षमता, भोजन की गुणवत्ता, यात्रियों की सुरक्षा और टिकटों की बुकिंग यात्रियों के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याएं हैं।
- **कम राजस्व:** यात्री ट्रेनें दो-तिहाई क्षमता का उपयोग करते हुए केवल एक-तिहाई राजस्व उत्पन्न करती हैं। प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं-
    - माल ढुलाई राजस्व से यात्री राजस्व को क्रॉस-सब्सिडी,
    - अपर्याप्त वहन क्षमता, जिसके कारण माल ढुलाई की हिस्सेदारी घट जाती है, आदि।
- **एयरलाइन्स-विकास के कारण हिस्सेदारी का नुकसान:** हवाई अड्डों के विकास और टियर-2 तथा टियर-3 शहरों में एयरलाइन्स पर जोर के कारण रेलवे से यात्रा करने वाले यात्री की संख्या में कमी आई है।
- **सुरक्षा का मुद्दा:** मानवरहित क्रॉसिंग, ट्रेन के पटरी से उतरने, रेलवे कर्मचारियों की ओर से चूक, सिग्नलिंग संबंधी त्रुटियों के कारण होने वाली दुर्घटनाएं जानमाल के नुकसान के प्रमुख कारण हैं। सिग्नलिंग संबंधी त्रुटियों के लिए ज़्यादातर लोको-पायलट (ट्रेन-ऑपरेटर) जिम्मेदार होते हैं।
- **संगठनात्मक कामकाज में कठोरता (Organisation Rigidity):** निर्णय में देरी, बाजार संबंधी अकुशल रणनीति और अत्यधिक गोपनीय कार्यप्रणाली, परियोजना के अनुमोदन में देरी संगठनात्मक कामकाज में कठोरता के कुछ उदाहरण हैं।

किए गए प्रयास

क्षेत्र	भारत द्वारा उठाए गए कदम
सुरक्षा में वृद्धि	• **ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम (BMS):** यह सूचना की 24x7 उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए **एक वेब आधारित आईटी एप्लीकेशन** है। • ट्रेन को ट्रैक और ट्रेस करने के लिए ट्रेन पर **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग लगाए जा रहे हैं।** • सुरक्षा बढ़ाने के लिए **इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) को अपनाया जा रहा है।** • **कवच** नामक **स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का उपयोग।**
बुनियादी ढांचे का उन्नयन	• **आधुनिक ट्रैक संरचना,** जो **प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर** से लैस हैं। • **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs)** की सहायता से क्षमता में वृद्धि। • **माइक्रोप्रोसेसर आधारित ट्रेन नियंत्रण और प्रबंधन प्रणाली**, आपातकालीन टॉक बैक सिस्टम/ पैनिक बटन आदि।
यात्रियों के अनुभव में सुधार	• 'मेक इन इंडिया' **सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों** की शुरुआत। • बायो-टॉयलेट लगाकर **ट्रेनों और स्टेशनों की सफाई** पर ध्यान, आदि। • किसी भी ट्रेन दुर्घटना से संबंधित जानकारी को प्रबंधित और संसाधित करने के लिए **सेफ्टी इनफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (SIMS)**।
संगठनात्मक क्षमता में वृद्धि	• **नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन** के तहत IR के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना बनाई गई है। उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण की भी योजना है। • **रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन:** इसके आकार को आधा किया गया है। इसकी आठ रेलवे सेवाओं को एक केंद्रीय 'भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा[45]' में एकीकृत किया गया है।

[44] Intellectual Property Rights

[45] Indian Railway Management Service

रेलवे में एक बड़े नवाचार पारितंत्र के निर्माण हेतु क्या किया जा सकता है?

- **अधिक-से-अधिक निजी क्षेत्रक की भागीदारी सुनिश्चित करना:** विशेष रूप से स्टेशन के पुनर्विकास, यात्री आवागमन, आदि जैसे क्षेत्रों में।
    - अन्य क्षेत्रकों, जैसे- राजमार्गों और हवाई अड्डों की PPPs संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुसरण किया जा सकता है।
- **संगठनात्मक कामकाज में कठोरता को कम करना:** मौजूदा विनिर्माण और उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण करके इसका समाधान किया जा सकता है। यह अत्याधुनिक तकनीकों की खोज करने, लागत में कटौती करने और विदेशी बाजारों की खोज में भी उत्पादन इकाइयों की मदद करेगा।
- लॉजिस्टिक्स लागत (GDP का लगभग 12-13%) में कटौती हेतु सुगम कार्गो परिवहन के लिए **मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के साथ एकीकरण** किया जा सकता है। भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अन्य देशों की तुलना में अधिक है।
- **संधारणीय गतिशीलता और आर्थिक संवृद्धि की परिकल्पना:** डिजिटलीकरण और ऑटोमेशन से रेलवे की दक्षता में सुधार हो सकता है। इनकी सहायता से बढ़ते ट्रैफिक को समायोजित करते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा, ये अधिक ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने में भी मदद कर सकते हैं।

3.9. भारत और वैश्विक सूचकांक (India and Global Indices)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में जारी **पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI)**[46] **2022** में भारत को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। हालांकि, इसके निष्कर्षों का भारत ने खंडन किया है। भारत का कहना है कि EPI 2022 में खामियां हैं। सूचकांक में कई सूचक निराधार मान्यताओं पर आधारित हैं। प्रदर्शन का आकलन करने के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ सूचक अनुमानों और अवैज्ञानिक तरीकों पर आधारित हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी** के शोधकर्ताओं द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति (Ecosystem Vitality) पर 180 देशों को रैंकिंग प्रदान करता है।
- यह सूचकांक स्थापित पर्यावरणीय नीतिगत लक्ष्यों पर देशों की प्रगति को मापने के लिए **11 श्रेणियों में 40 प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग करता** है।
- **भारत की आपत्तियाँ:**
    - **उन संकेतकों को कम महत्व** दिया गया है, जिनमें भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। इस परिवर्तन के लिए कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है।

---

[46] Environment Performance Index

- '2050 में अनुमानित GHG उत्सर्जन स्तर' पर नए संकेतक की अपेक्षाकृत संक्षिप्त **समयावधि** (10 साल)। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, प्रति व्यक्ति अपशिष्ट सृजन, आदि **संकेतकों को शामिल नहीं किया गया है**। ये संकेतक संधारणीयता से निकटता से जुड़े हैं।
- **समता के सिद्धांत** (जैसे- प्रति व्यक्ति GHG उत्सर्जन) तथा **'साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां और सापेक्षिक क्षमता' (CBDR-RC)**[47] सिद्धांत का न्यूनतम पालन किया गया है। विकसित देशों ने 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि भारत ने 2070 का लक्ष्य रखा है।

वैश्विक सूचकांक और उनकी उपयोगिता

- वैश्विक सूचकांक ऐसे मानदंड हैं, जो अलग-अलग मापदंडों पर विभिन्न देशों की **मज़बूती** और **कमजोरियों का** मूल्यांकन करते हैं। इन मापदंडों में **आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक-सांस्कृतिक, गवर्नेंस संबंधी** या **मिश्रित/ अन्य मापदंडों** जैसे घटकों को शामिल किया जाता है।
  - उदाहरण के लिए- **ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक।** यह **आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता** तथा **राजनीतिक सशक्तीकरण** जैसे मापदंडों पर आधारित है।
- इन सूचकांको को सरकारी एजेंसियों, निजी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों या अंतरसरकारी संगठनों/ संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है।
- **वैश्विक सूचकांकों की उपयोगिता**
  - **सरकार को जवाबदेह ठहराना:** वैश्विक सूचकांक **शासन की बेहतर प्रभावशीलता** को बनाए रखने हेतु सार्वजनिक सेवाओं और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता की पहचान करने में मदद करते हैं।
  - **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** जवाबदेही नागरिकों और मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ बनाने के अधिकार को मजबूत करती है। यह **राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा और पूर्वाग्रह से ग्रसित मीडिया के** खिलाफ एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करती है।
  - **सुधारों के लिए एक प्रेरक:** ये सूचकांक संस्थानों, नीतियों और विनियमों के संदर्भ में धारणाओं के आकलन में मदद करते हैं। साथ ही, सरकार को सुधारों के लिए मजबूर करते हुए **'विधि का शासन'** स्थापित करने में सहयोग भी करते हैं।
    - उदाहरण के लिए, ये ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस, जैसे- अनुबंध को लागू करने, संपत्ति का अधिकार आदि की दिशा में सुधारों को बढ़ावा देकर निजी क्षेत्र के विकास में मदद करते हैं।
  - **भ्रष्टाचार पर नियंत्रण:** ये प्रभावशाली और निजी हितों के मिलीभगत वाले भ्रष्टाचार को उजागर करके तथा सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में लोगों को जागरूक बनाते हैं।

वैश्विक सूचकांकों द्वारा भारत की रेटिंग से संबंधित मुद्दे

सूचकांक	जारीकर्ता	भारत की स्थिति	भारत की रेटिंग से संबंधित मुद्दे
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट (International Religious Freedom Report)	अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (US Commission on International Religious Freedom: USCIRF)	भारत को विशेष मुद्दे वाले देशों में शामिल किया गया है	भारत ने **पूर्वाग्रह** और **मिथ्या प्रस्तुति** जैसे मुद्दों के साथ USCIRF **की वैध स्थिति पर** आशंका व्यक्त की है। यह भारत को अफगानिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान आदि देशों के समक्ष रखता है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index)	रिपोर्टर सैन्स फ्रंटियर्स	180 में से 150वां स्थान	भारत को मीडिया के लिए **दुनिया के सबसे जोखिमपूर्ण देशों** में से एक घोषित किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत को **अफगानिस्तान से** सिर्फ **6 स्थान** और पाकिस्तान से **7 स्थान** ऊपर रैंकिंग प्रदान की गई है।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index)	कंसर्न वर्ल्डवाइड एंड वेल्टहंगरलाइफ	116 में से 101वां स्थान	यह खाद्य और कृषि संगठन के अनुमानों का उपयोग करता है, जो किसी वैज्ञानिक पद्धति के बजाय जनमत सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं।
लोकतंत्र सूचकांक	वित्तीय आसूचना इकाई (Economic	167 में से 46वां	हालांकि, भारत का स्कोर वर्ष 2020 के **निम्नतम 6.61** से बढ़कर

[47] Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities

(Democracy Index)	Intelligence Unit: EIU)	स्थान	वर्ष 2021 में 6.91 हो गया है, **लेकिन यह अब भी 'त्रुटिपूर्ण लोकतंत्रों'** में शामिल है। यह भारत के लिए एक समस्या है।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (Index of Economic Freedom)	**हेरिटेज फाउंडेशन**	**184 में से 131वां स्थान**	भारत को **'अत्यधिक अस्वतंत्र'** श्रेणी में रखा गया है। साथ ही, विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग में बेहद कम ऋण और जीरो सोवेरिन डिफ़ॉल्ट के बावजूद, भारत को **घाटे** और **ऋण** के आधार पर राजकोषीय स्वास्थ्य पर बहुत कम स्कोर प्रदान किया गया है।
फ्रीडम इन द वर्ल्ड	**फ्रीडम हाउस**	**100 में से 66वां स्थान**	इसके तहत लोकतंत्र और मुक्त समाज के संदर्भ में भारत को **'आंशिक रूप से मुक्त'** श्रेणी में स्थान प्रदान किया गया है।

खराब रेटिंग का प्रभाव

- **निवेश: थिंक टैंक, सर्वेक्षण एजेंसियों** आदि की नकारात्मक टिप्पणी से **भारत की वैश्विक छवि**, **निवेश अंतर्वाह** तथा अन्य स्थानों पर **भारत का प्रदर्शन** प्रभावित होता है।
    - उदाहरण के लिए, विश्व बैंक के **वर्ल्डवाइड गवर्नेंस इंडिकेटर (WGI)** का इस संदर्भ में एक प्रॉक्सी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह फ्रीडम हाउस, EIU, हेरिटेज फाउंडेशन आदि के डेटा स्रोतों का उपयोग करता है।
- **सॉवरेन रेटिंग:** यह भारत की सॉवरेन रेटिंग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। देश की सॉवरेन रेटिंग का **18-26% हिस्सा गवर्नेंस, राजनीतिक स्थिरता, विधि का शासन, भ्रष्टाचार, प्रेस की स्वतंत्रता** आदि जैसे कारकों पर आधारित होता है।
- **वैश्विक धारणा:** भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटकों को नकारात्मक तरीके से दिखाने पर प्रतिकूल वैश्विक धारणा उत्पन्न होती है। साथ ही, इससे वैश्विक भारतीय समुदाय, पर्यटन क्षेत्र आदि भी प्रभावित होते हैं।

वैश्विक सूचकांकों के उपयोग पर चिंता

संदिग्ध कार्यपद्धति और **पूर्वाग्रहों** के कारण सरकार को इन पर अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए:

- इनमें **कभी-कभी** परिवर्तन होता है, क्योंकि एजेंसियां अक्सर घटनाक्रमों की सतत निगरानी नहीं कर पाती हैं।
- इनसे **इससे भेड़-चाल** को बढ़ावा मिल सकता है।
- सरकार द्वारा इन रेटिंगों के उपयोग किए जाने से इन एजेंसियों और उनकी धारणाओं को आधिकारिक स्वीकृति मिलती है। इससे **नैतिकता से संबंधित जोखिम** बढ़ता है।
- यदि नीतियों में इन सूचकांकों का उपयोग किया जाता है, तो **ऐसे अन्य सूचकांकों को भी वैधता मिलने का जोखिम** होता है।

आगे की राह

- **घरेलू सांख्यिकीय पारितंत्र और डेटा संग्रह को मजबूत करना:** घरेलू डेटा का लगातार और विस्तृत संग्रहण किया जाना चाहिए। गहन और उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण में इन एजेंसियों की मदद करने या वैकल्पिक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए यह संग्रह साझा किया जाना चाहिए।
- **एजेंसियों तक पहुंच:** इन एजेंसियों से संपर्क के तरीकों पर काम किया जाना चाहिए, ताकि इनकी कार्य पद्धति को बेहतर ढंग से समझा जा सके। साथ ही, आंतरिक मामलों में संवेदनशीलता के साथ देश में सुधार हेतु किए गए उपायों को स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए।
- **एजेंसियों की जवाबदेही:** वास्तविक चिंताओं और स्पष्ट पक्षपातों की स्थिति में एजेंसियों से वार्ता की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, वर्ष 2020 में लोकतंत्र सूचकांक पर सवाल उठाए जाने के बाद वर्ष 2021 में भारत के स्कोर में सुधार हुआ है।
- **कानून और नीतियां:** भारतीय लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों, मीडिया आदि के लिए सकारात्मक माहौल का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए मजबूत कानून और नीतियां बनाकर उन्हें प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए
- **भारतीय राज्यों की सहायता:** चूंकि कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य आदि जैसे विषय **राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं**, इसलिए राज्यों को **वित्तीय** और **तकनीकी सहायता** प्रदान की जानी चाहिए।
- **भारतीय प्रवासियों को शामिल करना:** भारतीय दूतावासों का उपयोग कर भारतीय प्रवासियों को शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय प्रवासी अन्य देशों में भारत की वास्तविक छवि का प्रसार करने में सहायता कर सकते हैं। साथ ही, वे प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं।

3.10. राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन रणनीति (National Strategy For Sustainable Tourism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यटन मंत्रालय ने **राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन रणनीति** जारी की है।

संधारणीय पर्यटन के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO)[48] के अनुसार, **संधारणीय पर्यटन को तीन बुनियादी सिद्धांतों** (इन्फोग्राफिक देखें) का पालन करना चाहिए।
- सतत विकास लक्ष्य (SDGs) 8, 12 और 14 में पर्यटन को एक लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है।
  - **SDG 8:** समावेशी और सतत् आर्थिक विकास,
  - **SDG 12:** सतत् खपत और उत्पादन (SCP), तथा
  - **SDG 14:** महासागरों और समुद्री संसाधनों का सतत् उपयोग।

पर्यटन क्षेत्रक से संबंधित तथ्य

- **GDP में योगदान:** देश के कुल GDP में पर्यटन क्षेत्रक का योगदान 2020 में लगभग 4.7% था। यह 2019 में 7% था।
- **रोजगार:** 2020 में, भारतीय पर्यटन क्षेत्रक से संबंधित रोजगार में 31.8 मिलियन लोग संलग्न थे, जो **देश में कुल रोजगार का 7.3% था।**
- यह 2019 तक देश का **तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक था।**
- **WEF के वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक**[49] 2021 में 117 देशों में भारत का स्थान 54वां है। यह 2019 में 46वें स्थान पर था।

राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन रणनीति की आवश्यकता क्यों?

- **समावेशी सामुदायिक विकास:** पर्यटन समावेशी सामुदायिक विकास का प्रमुख चालक बन सकता है। यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों की सुरक्षा करते हुए लचीलेपन, समावेशिता तथा सशक्तीकरण को बढ़ावा दे सकता है।
- **भारत संधारणीयता के मामले में निचले पायदान पर है:** भारत 'एडवेंचर टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स' 2020 में 96वें स्थान पर था, जबकि 2019 में पर्यावरण संधारणीयता में 128वें स्थान पर था।
  - **भारतीय पर्यटन क्षेत्रक में संधारणीयता को मुख्यधारा में लाने के लिए एडवेंचर और इको-टूरिज्म** पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह रणनीति तैयार की गई है।
- **कोविड-19 संकट ने एक ऐसा अवसर प्रदान** किया है, जिसमें पर्यटन पर निर्भर आजीविका को बनाए रखने के प्रयास को SDGs के अनुरूप किया जा सकता है।

राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन रणनीति के बारे में

- इसका उद्देश्य संधारणीयता को **भारतीय पर्यटन क्षेत्रक की मुख्यधारा में लाना है।** साथ ही, यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों की सुरक्षा करते हुए अधिक लचीला, समावेशी, कार्बन न्यूट्रल तथा संसाधन कुशल पर्यटन सुनिश्चित करेगा।

---

[48] United Nations World Tourism Organization

[49] Global Travel and Tourism Development Index

- इसका विज़न भारत को संधारणीय और उत्तरदायी पर्यटन के लिए **पसंदीदा वैश्विक गंतव्य बनाना है।**
- इसका मिशन भारत में कार्बन-निम्न, समावेशी और लचीला पर्यटन क्षेत्रक बनाने **के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को बढ़ाना है।** इसका मिशन **आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को बढ़ाना के लिए** भारत में कार्बन-निम्न, समावेशी और लचीला पर्यटन क्षेत्रक का निर्माण करना है।

- **संधारणीय पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित रणनीतिक स्तंभों की पहचान की गई है:**
  - पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देना
  - जैविक विविधता और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करना
  - आर्थिक संधारणीयता को बढ़ावा देना
  - सामाजिक-सांस्कृतिक संधारणीयता को बढ़ावा देना
  - संधारणीय पर्यटन प्रमाणन योजना
  - **IEC और क्षमता निर्माण:** पर्यटन मंत्रालय द्वारा संधारणीय पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन और इको-पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी।
  - **गवर्नेंस:**
    - सचिव (पर्यटन मंत्रालय) के अधीन राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
    - संधारणीय पर्यटन के प्रोत्साहन और विकास के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित की जाएगी।
    - राज्य पर्यटन विभाग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र एक राज्य नोडल एजेंसी भी नामित कर सकेंगे।

संधारणीय पर्यटन के लिए उठाए गए अन्य कदम

- न केवल प्रमुख शहरों और धरोहरों के लिए, बल्कि ग्रामीण भारत में भी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु **'अतुल्य भारत' ब्रांड को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।**
- वैश्विक संधारणीय पर्यटन परिषद (GSTC)[50] को 2010 में संस्थागत स्वरूप दिया गया था। इसको देखते हुए **भारत ने भारतीय संदर्भ के अनुसार संधारणीय पर्यटन के लिए GSTC मानदंड को अपना लिया था।**
- **पर्यटन मंत्रालय ने भारत के लिए संधारणीय पर्यटन मानदंड (STCI)[51] का शुभारंभ किया है।** इस **मानदंड** का उद्देश्य पर्यटन उद्योग में पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी और संधारणीय पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित करना है।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटर्स को सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन तथा संधारणीय पर्यटन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करना होता है।

---

50 Global Sustainable Tourism Council

51 Sustainable Tourism Criteria for India

3.11. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

3.11.1. दोहरे घाटे की समस्या (Twin Deficit problem)

- वित्त मंत्रालय ने अपनी **मासिक आर्थिक समीक्षा** में, वस्तुओं की ऊंची कीमतों और बढ़ते सब्सिडी बोझ के साथ **भारतीय अर्थव्यवस्था में दोहरे घाटे की समस्या** के फिर से उभरने के प्रति सचेत किया है।
    - यह पहली बार है, जब सरकार ने चालू वित्त वर्ष में **राजकोषीय विचलन** की संभावना के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है।
    - हालांकि, अपनी विवेकपूर्ण स्थिरीकरण नीतियों के कारण भारत पर **मुद्रास्फीतिजनित मंदी (stagflation) का कम खतरा** है।
- दोहरा घाटा, किसी देश में **चालू खाता घाटे के साथ-साथ राजकोषीय घाटे की स्थिति** की उपस्थिति को दर्शाता है।
- **मुद्रास्फीतिजनित मंदी** से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था में **उच्च बेरोजगारी और स्थिर मांग के साथ लगातार उच्च मुद्रास्फीति** की स्थिति से है।
- **दोहरे घाटे का प्रभाव**
    - अक्सर इस शब्दावली का उपयोग आर्थिक संवृद्धि के लिए किया जाता है। दोहरे घाटे जरूरी नहीं कि हानिकारक ही हो।
    - लेकिन **लंबी अवधि में या उच्च घाटे की स्थिति में निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव** उत्पन्न हो सकते हैं:
        - राष्ट्रीय **बचत दर में कमी** हो सकती है;
        - ब्याज दर और विनिमय दर में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे **निर्यात महंगा** हो सकता है;
        - **विदेशों से अधिक उधारी** लेनी पड़ सकती है आदि।
- **दोहरे घाटे को कैसे दूर किया जा सकता है?**
    - **गैर-पूंजीगत व्यय** को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।
    - सख्त मौद्रिक नीति के माध्यम से **राजकोषीय समेकन** की नीति अपनाई जानी चाहिए।
    - **आयात प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए** या उसमें कटौती की जानी चाहिए, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन और गैर-आवश्यक वस्तुओं के मामले में।
    - निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए **रुपये का उचित मूल्य निर्धारण** किया जाना चाहिए।
    - पूंजी के निरंतर आंतरिक प्रवाह को बनाये रखने के लिए **व्यवसाय करने में सुगमता में और सुधार** किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्दावली

राजकोषीय घाटा (या बजट घाटा)

- यह सरकार के **खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी** की स्थिति है।
- राजकोषीय घाटे के निम्नलिखित कारण हैं:
    - बढ़ता हुआ व्यय (जैसे उर्वरक सब्सिडी),
    - महामारी के कारण राजस्व में कमी,
    - डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती आदि।

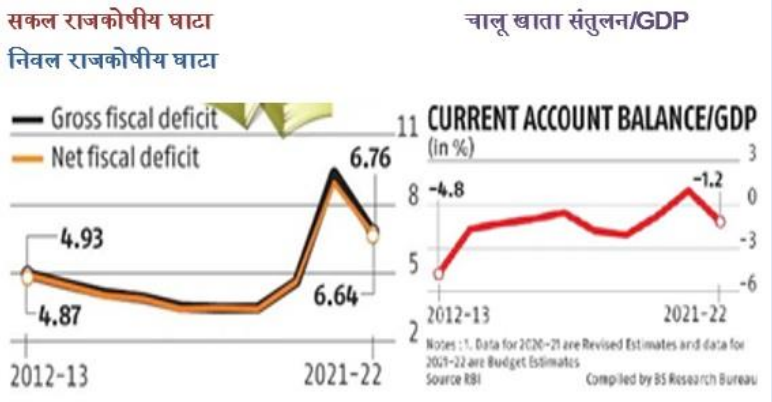

चालू खाता घाटा

- यह **भुगतान संतुलन** (BOP) के दो मुख्य खातों में से एक है। चालू खाता घाटा (या अधिशेष) किसी देश की वस्तु और सेवाओं के निर्यात तथा आयात एवं भुगतान अंतरण को दर्ज करता है।
- **चालू खाता घाटा के निम्नलिखित कारण हैं:**
    - ऊर्जा आयात में वृद्धि,
    - वस्तुओं की वैश्विक कीमतों (जैसे कच्चा तेल, खाद्य तेल) में बढ़ोतरी,
    - उच्च घरेलू मांग और
    - गैर-प्रतिस्पर्धी निर्यात।

3.11.2. यू.एस. फेडरल रिज़र्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में बढ़ोतरी की (US Federal Reserve Hikes Its Benchmark Interest Rate)

- **बेंचमार्क ब्याज दरों में यह वृद्धि** वर्ष 1981 के बाद अमेरिका में हाल ही में दर्ज की गयी रिकॉर्ड मुद्रास्फीति के दौरान की गयी है। रिकॉर्ड मुद्रास्फीति आपूर्ति और मांग में असंतुलन, ऊर्जा की उच्च कीमतें आदि के कारण बनी हुई है।
    - पिछले अनुभवों के आधार पर, ब्याज दर में **अचानक वृद्धि, मंदी** को प्रोत्साहित कर सकती है।
- **मंदी और उसके कारक**
    - मंदी या सुस्ती (Recession or slowdown) एक पूरी अर्थव्यवस्था में **आर्थिक प्रदर्शन में गिरावट** की अवधि है।
    - यह गिरावट कई महीनों तक जारी रहती है। आमतौर पर लगातार दो तिमाहियों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की जाती है।
    - यह **प्राकृतिक ' व्यवसाय चक्र'** का हिस्सा (इन्फोग्राफिक देखें) है। मंदी अलग-अलग कारकों की वजह से होती है। जैसे:
        - **वास्तविक कारक:** बाह्य आर्थिक स्थितियों में अचानक बदलाव के अलावा संरचनात्मक बदलाव मंदी को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक हैं।
        - **वित्तीय/ मौद्रिक कारक:** यह अर्थव्यवस्था में वृद्धि की अवधि के दौरान ऋण के अति-विस्तार का प्रत्यक्ष परिणाम भी हो सकता है।
        - **मनोवैज्ञानिक कारक:** आर्थिक विस्तार/ वृद्धि की अवधि के दौरान अत्यधिक उत्साह और जोखिम वाली पूंजी के प्रभाव से भी मंदी की स्थिति पैदा हो सकती है।

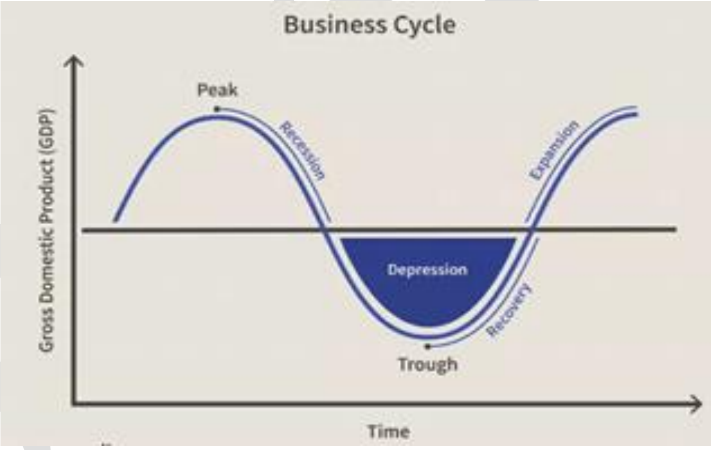

- **मंदी के प्रमुख संकेतक निम्नलिखित हैं:**
    - वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (रियल GDP) में गिरावट;
    - वास्तविक आय में गिरावट;
    - बेरोजगारी में वृद्धि;
    - उपभोक्ता व्यय में गिरावट,
    - विनिर्माण और थोक/खुदरा बिक्री में ठहराव।
    - **प्रतिफल का उल्टा वक्र:** समान ऋण जोखिम प्रोफाइल के **दीर्घकालिक साधनों** की तुलना में **अधिक प्रतिफल** देने वाले **अल्पकालिक ऋण साधन,** मंदी से पहले की एक महत्वपूर्ण घटना है।
        - हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 और 10 वर्ष के बॉन्ड की ट्रेजरी यील्ड इनवर्टेड (व्युत्क्रमित) हो गई थी।

3.11.3. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का एकल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड (Single Nodal Agency Dashboard of PFMS)

- वित्त मंत्रालय ने **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का एकल नोडल एजेंसी (SNA) डैशबोर्ड** लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वित्त में प्रौद्योगिकी के प्रभावी लाभ को सुनिश्चित करना है।
    - यह पहल **PFMS सुधार का एक हिस्सा** है। इसे वर्ष 2021 में शुरू किया गया था।
    - इसे यह विश्लेषण करने के लिए शुरू किया गया था कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के लिए धन कैसे जारी और वितरित किया जाता है तथा इसकी कैसे निगरानी की जाती है।
- **एकल नोडल एजेंसी (SNA) मॉडल के बारे में**
    - SNA मॉडल के लिए **राज्यों को प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)** के लिए एक **SNA अधिसूचित** करने की आवश्यकता होती है। यह SNA एक **वाणिज्यिक बैंक में एक विशेष बैंक खाता** खोलेगा। इसी खाते में विशेष केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी लेनदेन संपन्न किए जाएंगे।

 ©Vision IAS

- अब, SNA डैशबोर्ड को एक प्रणाली के रूप में लॉन्च किया गया है। यह **केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए** राज्यों को धन के हस्तांतरण की निगरानी करेगा। साथ ही, केंद्रीय एजेंसियों द्वारा **धन के उपयोग की भी निगरानी** करेगा।
- यह प्रणाली **ब्याज व्यय में कटौती** करने में मदद करेगी, क्योंकि निधि उस स्तर पर जारी की जाएगी, जहां इसकी आवश्यकता होगी।
  - केंद्र प्रायोजित योजना के लिए **खर्च नहीं की गयी शेष राशि** पर डेटा उपलब्ध कराने से राज्य सरकार के विभाग जारी की गयी निधि के लिए अपने प्रस्ताव को युक्तिसंगत बना सकते हैं।

3.11.4. वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रतिपूर्ति उपकर की समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ाई गई (GST compensation cess levy extended till March 2026)

- वस्तु एवं सेवा कर (उपकर की अवधि और संग्रह की अवधि) नियम, 2022 के अनुसार, **प्रतिपूर्ति उपकर** 1 जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2026 तक **लगाया जाता रहेगा।**
  - उपकर का लगाया जाना **30 जून, 2022 को समाप्त होना था।** हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जी.एस.टी. परिषद ने इसे आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया था। समय सीमा में यह विस्तार, राज्यों को जी.एस.टी. के कारण राजस्व में हुई हानि की भरपाई के लिए **पहले लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए किया गया था।**
  - हालांकि, बढ़ी हुई अवधि तक राज्यों को प्रतिपूर्ति दी जायेगी या नहीं, यह **अभी तय नहीं** किया गया है।
- वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था को वर्ष 2017 में लागू किया गया था। यह **वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग** पर एक **गंतव्य आधारित कर** है।
- वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार **जी.एस.टी. के कार्यान्वयन** के कारण होने वाले **राजस्व के किसी भी नुकसान के लिए** राज्यों को पांच वर्ष की अवधि हेतु **प्रतिपूर्ति का आश्वासन** दिया गया था।
  - इसका **द्विमासिक** आधार पर भुगतान किया जाता था। चुनिंदा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर **जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति उपकर** लगाया जाता है।
    - इनमें विलासिता, अनावश्यक और नुकसानदेह वस्तुएं शामिल हैं। जैसे: पान मसाला, अलग-अलग तंबाकू उत्पाद आदि नुकसानदेह वस्तुएं हैं।
- केंद्र सरकार ने 31 मई, 2022 तक राज्यों को **बकाया जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति की पूरी राशि जारी** कर दी है। हालांकि, कई राज्य प्रतिपूर्ति को 5 वर्ष से अधिक समय तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

3.11.5. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण {International Financial Services Centres Authority (IFSCA)}

- हाल ही में, यूरोपीय आयोग (EU) ने IFSCA द्वारा **पर्यवेक्षित सेंट्रल काउंटर पार्टीज़ (CCPs)** को 'एक्विवैलेन्स स्टेटस' (समतुल्यता का दर्जा) प्रदान किया है।
  - CCPs एक या एक से अधिक बाजारों में व्यापार किये गए अनुबंधों (contracts) के प्रतिपक्षकारों के बीच स्वयं को अंत:स्थापित कर लेते हैं। ये प्रत्येक विक्रेता के लिए खरीदार और प्रत्येक खरीदार के लिए विक्रेता बन जाते हैं।
- **IFSCA का मुख्यालय गिफ्ट सिटी, गांधीनगर** में है। इसकी स्थापना वर्ष 2020 में की गयी थी। इसे **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019** के तहत स्थापित किया गया था।
- IFSCA भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में **वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण है।**
  - IFSCA की स्थापना से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक **(RBI)**, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(SEBI)**, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण **(PFRDA)** तथा भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण **(IRDAI)** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) के कार्यों को विनियमित करते थे।

3.11.6. नियो बैंक (Neobanks)

- नियो बैंक **केवल डिजिटल रूप से कार्य करने वाली एक फिनटेक कंपनी** है। रेजरपेएक्स नियोबैंक का एक उदाहरण है।
  - नियोबैंक के पास **अपना स्वयं का बैंक लाइसेंस नहीं** होता। ये बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पारंपरिक बैंक के नेटवर्क की मदद लेते हैं।

VISIONIAS

- पारंपरिक बैंक एक **सर्व माध्यम** व्यवस्था का पालन करते हैं। इसका आशय है कि ये भौतिक (शाखाओं और ATM के माध्यम से) तथा डिजिटल बैंकिंग, दोनों रूपों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं।
- **वित्तीय सेवा क्षेत्र में उभरते तकनीकी नवाचारों का वर्णन** करने के लिए **फिनटेक** शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

- नियो बैंक ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए **प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का लाभ** उठा रहे हैं। इस तरह ये पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली को बाधित कर रहे हैं।
    - वे वित्तीय सेवाओं को **वर्तमान डिजिटल पीढ़ी** की अपेक्षाओं को पूरा करने की हद तक **सरल** बना रहे हैं।
- **नियो बैंक के निम्नलिखित लाभ हैं:**
    - सेवाओं के नवाचार और उन्हें ग्राहकों के अनुरूप होने को बढ़ावा देते हैं।
    - छोटे बैंकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं।
    - वित्तीय समावेशन में वृद्धि करते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि वे मुख्य रूप से खुदरा ग्राहकों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र जैसे अल्पसेवित समूहों की जरूरतों को पूरा करते हैं।
- **नियो बैंक से संबंधित चुनौतियां/ चिंताएं:**
    - ये बहुत कम उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हैं।
    - जिन उपभोक्ताओं को तकनीक का ज्ञान नहीं हैं, उन्हें सेवा नहीं दे पाते हैं।
    - इन पर भारतीय रिज़र्व बैंक का कोई प्रत्यक्ष विनियमन नहीं है।
    - इनकी भौतिक शाखाएं नहीं होती, इसलिए ग्राहकों का इन पर कम विश्वास होता है।

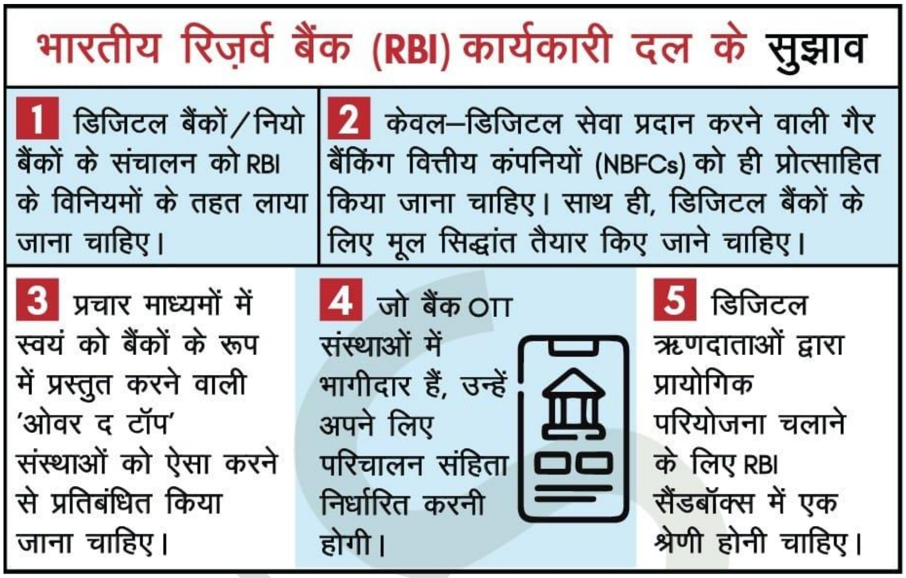

3.11.7. गूगल टैक्स (Google Tax)

- विदेशी डिजिटल आर्थिक कंपनियों पर भारत की **इक्विलाइजेशन लेवी (EL) या गूगल टैक्स** वर्ष 2023 के बाद भी जारी रह सकता है। इसका कारण यह है कि एक वैश्विक कर समझौता, जिसे अलग-अलग देशों द्वारा लगाए जा रहे इस प्रकार के कर को प्रतिस्थापित करना है, अब अपने कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- इक्विलाइजेशन लेवी या समकारी शुल्क **विदेशी डिजिटल कंपनियों के सीमा पार डिजिटल लेनदेन से संबंधित मुद्दों से निपटने** के लिए एक अंतरिम उपाय है। इसे **वित्त विधेयक 2016** के माध्यम से लाया गया था।
    - भारत में इक्विलाइजेशन लेवी को **वर्ष 2016** में प्रस्तुत किया गया था। यह भारत में बिना स्थायी प्रतिष्ठान (PE) वाली **अनिवासी कंपनियों** द्वारा प्राप्त **डिजिटल विज्ञापन सेवाओं के भुगतान** पर लगायी गयी थी, यदि भुगतान एक वर्ष में **1 लाख रुपये से अधिक** होता है।
    - बाद में इसका विस्तार कर **अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों** को भी इसके दायरे में लाया गया था। इन पर **लेवी की दर 2%** निर्धारित की गयी है।
- **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की दो-स्तंभ (टू पिलर्स) योजना** के तहत वैश्विक कर सुधार पर 140 देशों ने **अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में सुधार** करने पर सहमति व्यक्त की है।
    - इस सहमति के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियां (MNE) जहां भी कार्य करती हैं और मुनाफा कमाती हैं, वहां कर के उचित हिस्से का भुगतान करेंगी।
- **कार्यान्वयन में चुनौतियां:**
    - **अलग-अलग हित:** यूरोपीय देशों ने डिजिटल कराधान के प्रश्न को प्राथमिकता दी है, जबकि अमेरिका ने वैश्विक न्यूनतम दर को प्राथमिकता दी है।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप, दोनों की विधायिकाएं अब इन समझौतों को लागू करने के लिए आवश्यक **कानूनों को पारित करने के लिए संघर्ष** कर रही हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में, हंगरी ने यूरोपीय संघ के न्यूनतम निगम कर को दिया गया समर्थन वापस ले लिया है।

संबंधित जानकारी

- इक्विलाइजेशन लेवी का प्रस्ताव OECD द्वारा **आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण** (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS) पर अपनी **कार्य योजना के तहत** किया गया था।
- BEPS बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली **कर योजना रणनीतियों** को कहते हैं। इसके तहत ये कंपनियां **कर भुगतान से बचने के लिए** कर नियमों में निहित **खामियों** और **अलग-अलग नियमों** का फायदा उठाती हैं।

3.11.8. वैकल्पिक निवेश कोष {Alternative Investment Fund (AIF)}

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी/SEBI) ने **मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए 'लार्ज वैल्यू फंड (LVF) हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किये है।**
- मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए लार्ज वैल्यू फंड का **अर्थ AIF या AIF की योजना है। इसमें प्रत्येक निवेशक एक मान्यता प्राप्त निवेशक है और कम से कम 70 करोड़ रुपये का निवेश करता है।**
- AIF से तात्पर्य, भारत में स्थापित या निगमित **किसी भी फंड से है जो एक निजी रूप** से जमा किया गया निवेश साधन है। साथ ही, **जो अपने निवेशकों के लाभ के लिए एक परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने** के लिए परिष्कृत निवेशकों (चाहे भारतीय हो या विदेशी) से धन एकत्र करता है।

3.11.9. हाइब्रिड प्रतिभूतियां (Hybrid Securities)

- **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)** ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक **20 सदस्यीय समिति** का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष **के.वी कामथ** हैं।
- यह समिति **हाइब्रिड प्रतिभूतियों के प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों के विकास तथा विनियमन से** संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
- **उद्देश्य:** हाइब्रिड प्रतिभूतियों के विकास को बढ़ावा देना, इनके निर्गमन को सुगम बनाना और घरेलू एवं वैश्विक पूंजी को आकर्षित करना।
- हाइब्रिड प्रतिभूतियां **निवेश के साधन** हैं। **ये दो या दो से अधिक विभिन्न वित्तीय साधनों को जोड़ते हैं।** इनमें सामान्यतया **इक्विटी** और **बॉन्ड (ऋण)** जैसी विशेषताएं होती हैं।
    - उदाहरण के लिए, अवसंरचना निवेश न्यास (InvITs), रियल एस्टेट निवेश न्यास (REITs), प्रेफर्ड स्टॉक्स आदि।

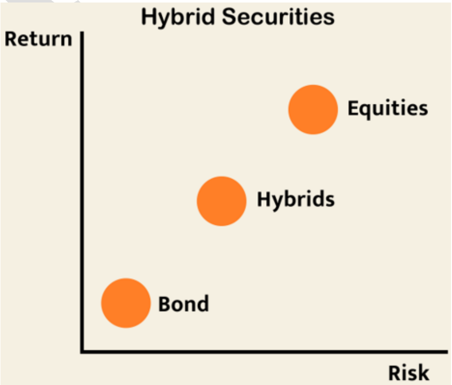

3.11.10. दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना {Production Linked Incentive (PLI) - Telecom sector}

- दूरसंचार विभाग (DoT) ने **डिजाइन-आधारित विनिर्माण को सुगम बनाने के लिए PLI योजना में संशोधन** किया है। साथ ही, योजना की अवधि को **एक वर्ष के लिए बढ़ा भी दिया है**
    - इसने मौजूदा प्रोत्साहन दरों के ऊपर **1% की अतिरिक्त प्रोत्साहन दर** का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
    - PLI योजना के तहत **4,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान** करने का प्रस्ताव है।
- केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 में मौजूदा **PLI योजना के भाग के रूप में डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।** इसका उद्देश्य 5जी के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम निर्मित करना था।
- डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना **घरेलू और वैश्विक कंपनियों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) और गैर-MSMEs दोनों के लिए खुली है।**

 ©Vision IAS

3.11.11. सागरमाला युवा पेशेवर (SYP) योजना {Sagarmala Young Professional (SYP) Scheme}

- SYP योजना को **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने** तैयार किया है। इसका उद्देश्य मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में **प्रतिभाशाली, आगे की सोच रखने वाले और गतिशील युवा पेशेवरों** को शामिल करना है।
  - सागरमाला एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहल है। इसे वर्ष 2015 में भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के प्रदर्शन के रूपांतरण के लिए शुरू किया गया था।
- नवीनतम योजना के तहत शुरू में लगभग **25 युवा पेशेवरों को 2 वर्ष (2 अन्य वर्षों तक विस्तारित) के लिए नियोजित किया जाएगा।** ये बुनियादी ढांचे, डेटा विश्लेषण, परियोजना प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट प्रदान करेंगे।

3.11.12. जन समर्थ पोर्टल (Jan Samarth Portal)

- **प्रधान मंत्री ने जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया है।**
- जन समर्थ पोर्टल एक **डिजिटल पोर्टल** है। यह **एकल प्लेटफॉर्म पर 13 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को जोड़ेगा।** इससे सभी लाभार्थियों और संबंधित हितधारकों की इन योजनाओं तक पहुँच सुगम हो जाएगी।
- यह **सब्सिडी पात्रता की जांच के लिए लाभार्थियों को सहज मार्गदर्शन** प्रदान करेगा। साथ ही, स्वचालित अनुशंसा प्रणाली, लाभार्थी की आवश्यकताओं और क्रेडेंशियल के अनुसार सर्वोत्तम उपयुक्त योजनाएं प्रदान करेगी।
- इसमें **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI),केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL)** आदि जैसे कई मंचों का एक ही प्लेटफॉर्म के अंतर्गत समेकन किया गया है।

3.11.13. निर्यात/NIRYAT (राष्ट्रीय आयात-निर्यात वार्षिक व्यापार विश्लेषण रिकॉर्ड) पोर्टल {NIRYAT (National Import-Export Record for Yearly Analysis of Trade) portal}

- प्रधान मंत्री ने **निर्यात** नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह भारत के विदेश व्यापार से संबंधित आवश्यक **सभी जानकारी के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करेगा।
  - यह **सभी हितधारकों को रियल टाइम डेटा** प्रदान करके बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा।
- इस पोर्टल पर विश्व के **200 से अधिक देशों** को निर्यात किए जाने वाले **30 से अधिक वस्तु समूहों** से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी।
  - इस पर आने वाले समय में जिलेवार निर्यात से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध होगी।

3.11.14. विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, 2022 (World Competitiveness Index 2022)

- विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक को **इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट डेवलपमेंट** (IMD) जारी करता है।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - भारत ने **एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तीव्र वृद्धि दर्ज की है।** इसमें भारत, **43वें स्थान से छह स्थान के सुधार के साथ 37वें** स्थान पर पहुंच गया है। भारत की रैंकिंग में यह सुधार **मुख्यतः बेहतर आर्थिक प्रदर्शन** के कारण संभव हुआ है।
  - **डेनमार्क**, इस वर्ष 63 देशों की इस सूची में **शीर्ष पर** पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष तीसरे स्थान पर था।
  - वर्ष, 2022 में व्यवसायों को प्रभावित करने वाली तीन सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में **मुद्रास्फीति का दबाव, भू-राजनीतिक संघर्ष और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं** हैं। इनमें **कोविड महामारी चौथा कारक है।**
- **नोट:** यह विश्व आर्थिक मंच की **'वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट'** से भिन्न है।

3.11.15. स्पेशल 301 रिपोर्ट (Special 301 Report)

- यूएस ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव (USTR) ने अपनी स्पेशल 301 रिपोर्ट में भारत को छह अन्य देशों के साथ **प्राथमिकता निगरानी सूची (Priority Watch List)** में बनाए रखा है। भारत के अलावा इस सूची में शामिल **छह अन्य देश** हैं: अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस और वेनेजुएला।
  - इस रिपोर्ट में भारत और अमेरिका के बीच **विवाद के मुख्य बिंदु पर प्रकाश** डाला गया गया है, जो **भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(d)** से संबंधित है।
    - **धारा 3** में उन खोजों का विवरण है, जिन्हें उक्त अधिनियम के तहत **आविष्कार नहीं माना जा सकता** है। इसी तरह **धारा 3(d)** पेटेंट की **एवरग्रीनिंग** को रोकती है।
    - यदि मौजूदा उत्पाद में कुछ मामूली संशोधन करके पेटेंट के लिए पुनः आवेदन किया जाता है, तो इसे **एवरग्रीनिंग** कहते हैं।

- भारत में पेटेंट, **भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 द्वारा शासित** होते हैं। इसे **भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911** की जगह लाया गया है।
    - इस अधिनियम के तहत पेटेंट तभी प्रदान किये जाते हैं, जब **आविष्कार निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता हो:**
        - यह **अभिनव होना चाहिए।**
        - इसमें **आविष्कारी प्रयास होने** चाहिए अथवा यह **स्वतः प्रकट (Obvious) नहीं होना** चाहिए।
        - यह **औद्योगिक अनुप्रयोग** के लिए सक्षम होना चाहिए।
        - यह पेटेंट अधिनियम, 1970 की **धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अधीन नहीं** आना चाहिए।
- भारत **बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित निम्नलिखित अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्ता है:**
    - बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू (TRIPS),
    - **बर्न अभिसमय** जो कॉपीराइट से संबंधित है,
    - **बुडापेस्ट संधि**,
    - औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए **पेरिस अभिसमय**, और
    - **पेटेंट सहयोग संधि** (PCT)।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

4. सुरक्षा (Security)

4.1. अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **अग्निपथ योजना** को मंजूरी दी है। यह सशस्त्र बलों में सेवा करने हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक भर्ती योजना है।

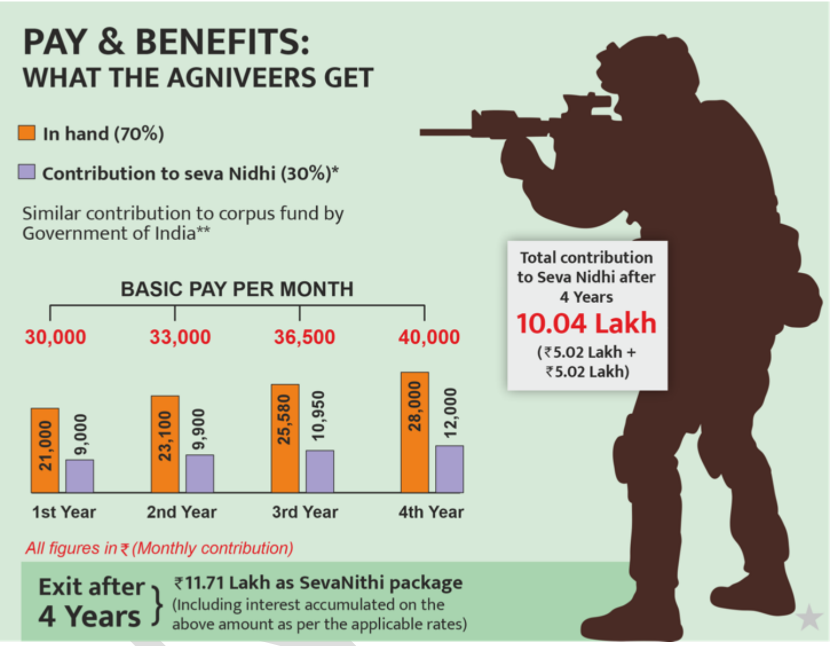

अग्निपथ के बारे में

- यह **रक्षा संबंधी एक प्रमुख नीतिगत सुधार** है। यह योजना तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में **एक नए युग की शुरुआत** करेगी।
    - **अल्पकालिक भर्ती मॉडल या 'टूर ऑफ ड्यूटी' (ToD) का विचार पहली बार लगभग दो वर्ष पहले प्रस्तुत किया गया था।** इसका उद्देश्य सीमित संख्या में रिक्तियों हेतु अधिकारियों और जवानों का चयन करना था।
- **इस योजना के तहत चयनित युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। इस योजना के लिए 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु सीमा तय की गई है।** इनका चयन **चार वर्ष** की अवधि के लिए किया जाएगा। **सशस्त्र बलों में इनकी एक अलग रैंक बनाई जाएगी।** यह रैंक किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगी।
- **चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नियुक्ति** के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
    - **प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों का नियमित कैडर में चयन किया जाएगा। यह चयन चार वर्ष की कार्य अवधि के दौरान उनके प्रदर्शन और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होगा।**

इस योजना के लाभ

राष्ट्र

- सभी क्षेत्रों से महिलाओं सहित युवाओं को समान अवसर मिलने से विविधता में एकता पर आधारित **राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।**
- नागरिक समाज में सैन्य सदाचार से युक्त, सशक्त, अनुशासित और कुशल युवाओं के शामिल होने से **राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।**
- अग्निवीर भर्ती के लिए कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। इस प्रकार जाति और क्षेत्रीय संरचना को समय के साथ कमजोर करते हुए **सामाजिक रूपांतरण संभव हो सकेगा।**

सशस्त्र बलों को

- **युद्ध की बेहतर तैयारी:** ऊर्जावान, अधिक फिट, विविधता से युक्त, अधिक प्रशिक्षित और लड़ने की क्षमता रखने वाले युवाओं के माध्यम से युद्ध की बेहतर तैयारी की जा सकेगी। ऐसे युवा तेज़ी से बदलती परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होंगे।
- **यूथफुल प्रोफाइल:** युवाओं और उनके अनुभव के बीच उचित संतुलन से सैन्य बलों की प्रोफाइल को युवा बनाना।
- तकनीकी संस्थानों की सहायता से अब **स्किल इंडिया के लाभों को सैन्य कार्यों भी में अधिक इस्तेमाल किया जा सकेगा।**
- इससे रक्षा मंत्रालय पर वित्तीय बोझ में कमी आएगी।

व्यक्ति

- यह योजना व्यक्ति के लिए सैन्य अनुशासन, प्रेरणा, कौशल और शारीरिक फिटनेस जैसी प्रवृत्तियों को आत्मसात करने में सहायक है।
- स्किल स्क्रीनिंग एससेमेंट सेट, प्रमाणीकरण और डिप्लोमा/ उच्चतर शिक्षा/ क्रेडिट्स की सहायता से ऐसे युवाओं का समाज में सहज एकीकरण हो पाएगा।
- समय के साथ सैन्य प्रशिक्षण, टीम बिल्डिंग, मूल्यों और भाईचारे को विकसित कर आत्मविश्वास से भरे बेहतर नागरिक समाज में अपना योगदान देंगे।

वैश्विक प्रथाएं

विभिन्न विकसित देशों में सशस्त्र बलों के कर्मियों को भर्ती करने, उन्हें बनाए रखने और सेवा मुक्त करने की कार्यप्रणाली का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इन देशों में भर्ती में इसी तरह के सुधारों को अपनाया गया है। उदाहरण के लिए:

- **रूसी सेना का प्रारूप हाइब्रिड है। इसमें एक पारंपरिक कैडर-और-आरक्षित अनिवार्य भर्ती प्रणाली (जिसमें एक वर्ष का प्रशिक्षण व एक वर्ष की सेवा शामिल है) तथा एक अनुबंध-पेशेवर प्रणाली का संयोजन होता है।**
- **इजराइल में सैन्य बलों में सक्रिय रूप से अनिवार्य कर्तव्य निर्वहन की अवधि पुरुषों के लिए 32 महीने और महिलाओं के लिए 24 महीने है।** इसके बाद अनिवार्य आरक्षित कर्तव्य की अवधि कई दशक लंबी होती है।
- **फ्रांसीसी सैनिकों के लिए दो प्रकार की भर्ती होती है:** 1 वर्ष का अनुबंध या 3-5 वर्ष का अनुबंध (दोनों नवीकरणीय हैं)।

योजना से संबंधित चिंताएं

- **सैनिकों के बीच सामंजस्य निर्माण:** अग्निपथ की समय अवधि सैनिकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए बहुत कम है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सैनिकों के बीच सामंजस्य उनके लंबे समय तक एक साथ रहने, एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने और एक साथ कार्यक्षेत्र में, संचालन में व अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में तैनाती के दौरान तथा विद्रोह-विरोधी अभियानों के दौरान कठोर अनुभव प्राप्त करने से विकसित होता है।
- **सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को आकर्षित करने में योजना विफल हो सकती है:** ऐसा इसलिए है, क्योंकि श्रेष्ठ उम्मीदवार पहले स्थायी नौकरियों, जैसे पुलिस या अर्धसैनिक बलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, युवा उम्मीदवारों की वरीयता में सेना दूसरे या तीसरे स्थान पर आ सकती है।
- **संभावित उम्मीदवारों के प्रति अन्यायपूर्ण:** इसमें चार वर्ष की समाप्ति के बाद स्थायी रोजगार की गारंटी नहीं है, जबकि चार वर्ष की सेवा से मुक्ति के बाद ऐसे उम्मीदवारों की आयु लगभग 23 वर्ष ही होगी। ऐसे में असैनिक/कॉर्पोरेट क्षेत्र में आगे बढ़ने या नौकरी पाने के लिए आवश्यक कौशल या प्रमाण-पत्र का न होना उनके मनोबल को गिराने वाला हो सकता है।
- **प्रशिक्षण के लिए कम समय:** एक सैनिक को प्रशिक्षित करने में कथित तौर पर दो से तीन वर्ष लगते हैं, लेकिन अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों को केवल छह महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- **अपरीक्षित योजना:** यह एक ऐसी योजना है, जो तीनों सेवाओं में भर्ती का प्रमुख माध्यम होगी, किंतु इस योजना की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए कोई स्वतंत्र अध्ययन, प्रायोगिक परियोजना और/या परीक्षण नहीं किया गया है।
    - रक्षा विश्लेषकों ने कथित तौर पर इस ओर ध्यान दिलाया है कि जिन रूसी सैनिकों को यूक्रेन में युद्ध में जाने से पहले सीमित समय के लिए प्रशिक्षण दिया गया था उन्होंने युद्ध में बहुत खराब प्रदर्शन किया है।
- **समाज का संभावित सैन्यीकरण:** पूरे 15 वर्षों तक सेना में सेवा करने की महत्वाकांक्षा वाले निराश और बेरोजगार व असंगठित अग्निवीर आपराधिक संगठनों तथा कट्टरपंथी राजनीतिक संगठनों के प्रलोभन का शिकार हो सकते हैं।
- **क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ना:** योजना के तहत राज्य आधारित भर्ती की बजाय अखिल भारतीय आधार पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में सेना के उच्च पदों पर उत्तरी राज्यों का प्रतिनिधित्व अधिक हो सकता है। इससे सेना के भीतर क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है।

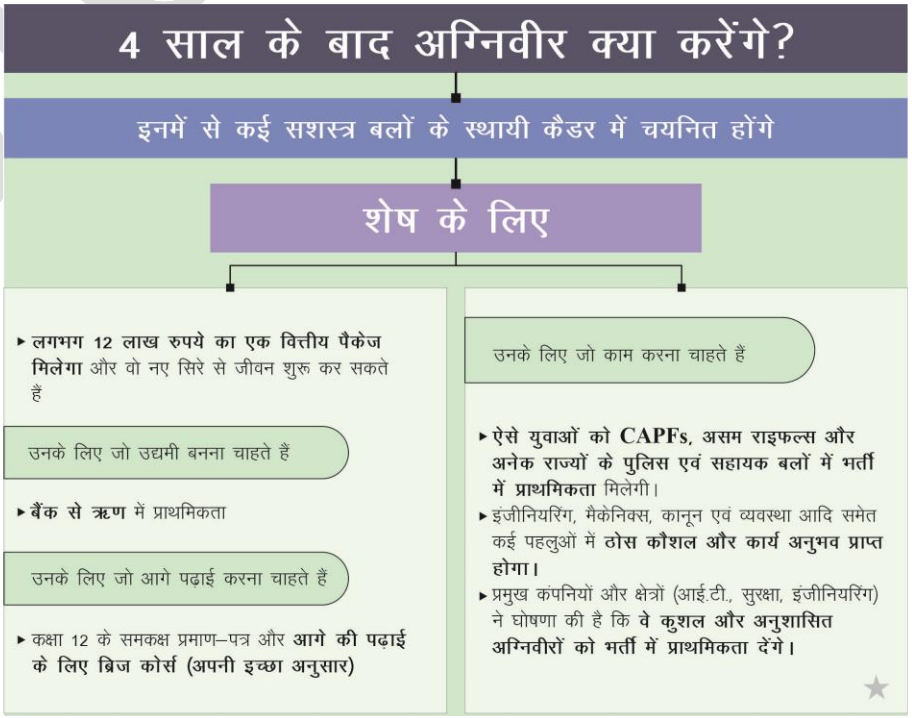

आगे की राह

- **योजना को जनबल के प्रबंधन से संबंधित अन्य सुधारों से जोड़ा जाना चाहिए।** ये सुधार जनबल को इष्टतम बनाने, छंटनी करने और पुनर्गठित करने पर आधारित होने चाहिए।

 ©Vision IAS

- सशस्त्र बलों को अधिक तकनीक-सक्षम बनाने के लिए **शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर 10+2 किया जा सकता है।** साथ ही, योग्यता आधारित एक अधिक कठोर अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा शुरू की जानी चाहिए। इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण अवश्य शामिल किए जाने चाहिए। इससे अधिक तकनीक-सक्षम बनने के प्रति बदलाव हो सकेंगे।
- यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान दिया जाना चाहिए कि **अग्निपथ योजना भारतीय सेना की रेजिमेंट संबंधी संरचना को विरूपित न करे।**
- **अग्निवीरों की प्रारंभिक सेवा अवधि के विस्तार और कम से कम 50% अग्निवीरों की अनिवार्य पुन: भर्ती** जैसे संशोधनों पर विचार किया जा सकता है, जैसा कि कुछ पूर्व सैनिकों ने सुझाव दिया है।
- **गहन प्रशिक्षण और अन्य नवीन विधियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करके घटी हुई प्रशिक्षण अवधि की भरपाई करनी होगी।** साथ ही, सैन्य नेतृत्व को सैनिकों के बीच कम समय में वफादारी और सौहार्द विकसित करने के लिए अभिनव विधियों का उपयोग करना होगा।
- यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि **अग्निवीर लाभकारी रूप से समाज का हिस्सा बनें,** ऐसा न हो कि वे समाज के लिए संभावित खतरा बन जाएं।
- **इस नई योजना के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।** उदाहरण के लिए, अमेरिका में अल्पकालिक सेवा अवधि वाले सैनिक सरकारी खर्च पर शिक्षा प्राप्त करते हैं।

4.2. रक्षा आधुनिकीकरण (Defence Modernization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF) के तहत अभिनव रक्षा परियोजनाओं के वित्तपोषण की सीमा को वर्तमान 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना कर दिया गया है।

प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF) योजना के बारे में

- TDF का कार्यान्वयन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रक्षा अनुप्रयोग के लिए स्वदेशी अत्याधुनिक प्रणालियों का निर्माण करके **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु एक माहौल तैयार करना है।**

अन्य संबंधित तथ्य:

- अभिनव TDF उत्पादों हेतु वित्तपोषण बढ़ाने के लिए **वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% भाग निजी उद्योगों, स्टार्ट-अप्स और अकादमिक जगत के लिए निर्धारित** किया गया है।
- बढ़े हुए वित्तपोषण से रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को और बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा आधुनिकीकरण की आवश्यकता:

- **चुनौतीपूर्ण रणनीतिक परिवेश:** इसमें भारत के संपूर्ण भूभाग का एक विस्तृत क्षेत्र शामिल है। यह पश्चिमी प्रशांत से लेकर हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) तक और पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमाओं से लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गतिरोध तक फैला हुआ है।
- **युद्ध के बदलते परिदृश्य:** भविष्य में युद्ध साइबर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वचालित हथियारों से लड़े जायेंगे। इसमें लक्ष्य का सटीक निर्धारण और अनुकूलन योग्य शिक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इन कार्यों में श्रेष्ठता ही भविष्य के युद्धों का परिणाम निर्धारित करेगी।

- **आयात पर निर्भरता घटाना:** स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-21 के बीच भारत सऊदी अरब के साथ विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातक के रूप में उभरा है। हथियारों की संपूर्ण वैश्विक बिक्री में दोनों देशों का 11% हिस्सा है।
- **क्षेत्रीय शक्ति:** क्षेत्र में एक निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए भारत को उन्नत रक्षा हार्डवेयर/हथियार और प्रौद्योगिकी के विकास के मामले में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है।
- **अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए क्षमताओं को बढ़ाना:** इसमें आपदाओं के प्रति अनुक्रिया, बचाव अभियान, मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) कार्य आदि शामिल हैं।

रक्षा आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदम:

रक्षा उत्पादन और स्वदेशीकरण के लिए उठाए गए कदम	• **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020** का उद्देश्य 'मेक इन इंडिया' परियोजनाओं के माध्यम से भारतीय घरेलू उद्योगों को सशक्त बनाना है। इससे भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। • **सृजन पोर्टल:** यह एक 'वन स्टॉप शॉप' ऑनलाइन पोर्टल है। यह विक्रेताओं को उन वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करता है, जिन्हें स्वदेशीकरण के लिए लिया जा सकता है। • **योजनाओं के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना, जैसे-** ○ **रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (Innovation for Defence Excellence: iDEX):** इसका उद्देश्य रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है। ○ **प्रौद्योगिकी विकास कोष (Technology Development Fund: TDF) योजना:** इसे 'मेक इन इंडिया' पहल के एक भाग के रूप में रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु बनाया गया है।
सैन्य संगठन में सुधार के लिए उठाए गए कदम	• **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)** का गठन तीनों सशस्त्र बलों को "शीर्ष स्तर पर प्रभावी नेतृत्व" प्रदान करने के लिए किया गया है। इसका गठन सैन्य संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं खरीद के लिए निर्मित नए **सैन्य मामलों के विभाग** के अतिरिक्त किया गया है। • **एकीकृत युद्ध समूह (Integrated Battle Groups: IBGs):** ये ब्रिगेड के आकार के फुर्तीले व आत्मनिर्भर लड़ाकू समूह होते हैं। ये युद्ध की स्थिति में तेजी से हमले करने में सक्षम होते हैं। • **त्रि-सेवा क्षमताओं के साथ थिएटर कमांड:** इसके तहत सशस्त्र बलों को कई थिएटर कमांड में पुनर्गठित किया जाएगा। इनमें तीनों सेवाएं क्षेत्रीय रूप से एकीकृत तरीके से संचालित होंगी।

अन्य प्रयास	• 15वें वित्त आयोग ने **रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक समर्पित गैर-व्यपगत आधुनिकीकरण कोष (MFDIS)** के गठन की सिफारिश की है। • रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग आरंभ करने के लिए वर्तमान AI क्षमताओं का आकलन करने और आवश्यक कदमों का सुझाव देने के लिए **टास्क फोर्स का गठन किया गया है।** • **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की दो समर्पित प्रयोगशालाएं भी हैं-** ○ सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स (CAIR), बेंगलुरु तथा ○ **AI में अनुप्रयोग-उन्मुख अनुसंधान हेतु** DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी (DYSL)-AI, बेंगलुरु। • **DRDO ने पूरे देश में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से 10 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं।** इनका उद्देश्य सशस्त्र बलों की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। • रक्षा मंत्रालय ने पहली बार आयोजित 'रक्षा में AI' संगोष्ठी और प्रदर्शनी के दौरान **75 कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादों/प्रौद्योगिकियों का शुभारंभ किया।**

रक्षा आधुनिकीकरण में चुनौतियां:

- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश की कमी:** भारत रक्षा बजट का लगभग 6% रक्षा अनुसंधान एवं विकास पर व्यय कर रहा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन क्रमशः लगभग 12% और 20% खर्च कर रहे हैं।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी का अभाव:** विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की भागीदारी का अभाव है। ये आधुनिकीकरण के लिए अनुकूल प्रौद्योगिकी (Niche Technology) विकसित करने और आवश्यक समाधान प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।
- **सार्वजनिक क्षेत्रक की सीमित विनिर्माण क्षमता और सामर्थ्य:** आयुध कारखाने, DRDO, HAL आदि जैसी एजेंसियों की क्षमता सीमित है और इन पर अत्यधिक भार है। साथ ही, ये कई समस्याओं का भी सामना कर रही हैं।
- **एक ठोस रक्षा औद्योगिक आधार का अभाव:** रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्रक की भागीदारी सीमित कर दी गई है। इसका प्राथमिक कारण उद्योग जगत और रक्षा क्षेत्र के बीच संचार प्लेटफॉर्म्स की अनुपस्थिति है।
- **निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया:** रक्षा संबंधी खरीद और विकास के लिए कई मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद, उत्पादन शुरू होने से पहले उत्पादन और अधिग्रहण अनुबंधों को अंतिम रूप देने में करीब 7 से 9 वर्ष लग जाते हैं।

आगे की राह

- **दीर्घकाल के लिए आवश्यक क्षमताओं की पहचान करना:** जहाजों, पनडुब्बियों, टैंकों और लड़ाकू विमानों जैसे जटिल प्लेटफॉर्म्स के निर्माण में एक लंबा समय लगता है। ऐसे में बदलती प्रौद्योगिकी के साथ स्पर्धा में बने रहना लगातार चुनौतीपूर्ण होता है।
- **उन्नत रक्षा विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (BRADS) के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना:** रामा राव समिति ने संयुक्त राज्य अमेरिका की **डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी (DARPA)** की तर्ज पर कार्य करने के लिए BRADS के गठन की सिफारिश की है, ताकि परिचालन में लचीलापन और नौकरशाही मुक्त अनुसंधान परिवेश सुनिश्चित किया जा सके।
- **अनुकूल वित्तीय ढांचा:** रक्षा उत्पादन क्षेत्र का वित्त पोषण और विकास करने के लिए अनुकूल वित्तीय ढांचा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया की सरकार ने रक्षा प्रोत्साहन के प्रारंभिक चरण के दौरान एक विशेष रक्षा कर के माध्यम से धन जुटाया है।
- **5Is को अपनाना:** प्रगति में तेजी लाने, लागत कम करने और समयबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण करने के लिए 5 Is की अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता है। **5 Is का अर्थ है- आइडेंटिफाई, इनक्यूबेट, इनोवेट, इंटीग्रेट और इंडीजेनाइज़।**
- **मानव संसाधन विकास:** मानव शक्ति का वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित पूल, अनुसंधान एवं विकास कौशल में वृद्धि तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक की तकनीकी विशेषज्ञता आधुनिकीकरण को प्राप्त करने की कुंजी होंगे।
- अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने के लिए **उद्योग-रक्षा-अकादमिक संबंधों का विकास करना।**

रक्षा उद्योग का स्थानीयकरण: आवश्यकता से अवसर की ओर	एक ओर भारत अपनी वास्तविक सामरिक स्वायत्तता हासिल करने की ओर अग्रसर है। दूसरी ओर, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और तकनीकी रूप से मजबूत स्वदेशी रक्षा उद्योग की आधारशिला रखने के लिए उसे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। स्वदेशी रक्षा निर्माण की दिशा में भारत के प्रयासों का विश्लेषण करते हुए, यह दस्तावेज़ विभिन्न कमियों की जांच करता है और देश में एक मजबूत सुरक्षा ढांचे के निर्माण के लिए विकल्प सुझाता है।

4.3. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों की योग्यता के दायरे का विस्तार करती है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह अधिसूचना, CDS के रूप में नियुक्ति की अर्हता हेतु सैन्य जनरलों के लिए आवश्यक **पेशेवर योग्यता और आयु सीमा** का निर्धारण करती है।
- इसके अंतर्गत तीनों सेनाओं के अधिकारियों को **मोटे तौर पर दो समान योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है:**
  - पहला, किसी अधिकारी को **जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल (थ्री-स्टार जनरल) के पद पर या तो सेवारत होना चाहिए या उस पद से सेवानिवृत्त होना चाहिए।**
  - दूसरा, **नियुक्ति की तिथि पर उसकी आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए।**
  - केंद्र सरकार **CDS के कार्यकाल को अधिकतम 65 वर्ष तक बढ़ा सकती है।**
- नई अधिसूचना **बड़ी संख्या में अधिकारियों को CDS के लिए योग्य बनाएगी। इससे चयन के लिए एक व्यापक विकल्प मौजूद होगा।**

CDS के बारे में

- CDS के पद को **सशस्त्र बलों के बीच दक्षता एवं समन्वय बढ़ाने** तथा दोहराव को कम करने के लिए गठित किया गया था।
- **इसका उद्देश्य**
  - सशस्त्र बलों और सिविल सेवाओं के बीच प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित कर **सभी स्तरों पर बेहतर परिणाम प्राप्त करना है।**
  - राष्ट्र के उच्च रक्षा संगठन में **अंतर-सेवा एकीकरण** और बेहतर नागरिक-सैन्य समन्वय को **सुविधाजनक बनाने में मदद करना।**
  - **संयुक्त नियोजन, संचालन और खरीद की प्रक्रिया को मजबूत बनाना।** इससे सशस्त्र बलों को अधिक प्रभावी एवं कुशल बनाया जा सकेगा।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित किसी सैन्य बल पर सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करेंगे, ताकि वे राजनीतिक नेतृत्व को सैन्य मामलों में एक निष्पक्ष सुझाव दे सकें।

CDS की आवश्यकता

- **राजनीतिक कार्यपालिका को बेहतर सलाह देने के लिए:** CDS सैन्य सेवाओं की आंतरिक प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठकर कार्य करता है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर समग्रता से सलाह देता है। इन मुद्दों में संयुक्त रणनीति एवं योजना, हथियारों की खरीद, जनशक्ति का परिनियोजन (Manpower allocation) और संयुक्त संचालन शामिल हैं।
  - जब चीफ ऑफ स्टाफ किसी मुद्दे पर अलग-अलग विचार व्यक्त करते हैं, तो **CDS मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है।** उदाहरण के लिए, युद्ध के मैदान में सैन्य संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में।
- **सशस्त्र बलों का एकीकरण:** CDS की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि सशस्त्र बल अलग-थलग कार्य करने की बजाय एकीकृत होकर कार्य करें।
  - इसके तहत **नई सैन्य कमानों का निर्माण** भी शामिल है, जो सशस्त्र बलों को एक साथ मिलकर लड़ने के लिए एकीकृत करेगी।

CDS के कर्तव्यों और कार्यों में शामिल हैं:

- रक्षा मंत्रालय में नवनिर्मित **सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के प्रमुख** और इसके सचिव के रूप में कार्य करना।
- तीनों सेनाओं के मामलों में **रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में** कार्य करना।
- **चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।** साथ ही, तीनों सेनाओं के संगठनों/एजेंसियों/कमानों का प्रशासन करना।
- रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाले **रक्षा अधिग्रहण परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करना।**
- **परमाणु कमान प्राधिकरण** के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करना।
- बुनियादी ढांचे का **इष्टतम उपयोग** सुनिश्चित करना और सेवाओं के बीच संयुक्तता के माध्यम से इसे तर्कसंगत बनाना।
- एकीकृत क्षमता विकास योजना के बाद आगे के कदम के रूप में **पंचवर्षीय रक्षा पूंजीगत अधिग्रहण योजना (DCAP) और दो वर्षीय सतत वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं (AAPs) को कार्यान्वित करना।**
- **सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताएं बढ़ाने** के उद्देश्य से तीनों सेनाओं के कामकाज में सुधारों को लागू करना।

- **लगातार परिवर्तनशील सुरक्षा समीकरण:** इसके लिए आवश्यक है कि भारत की सेना युद्ध में और प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में कुशल हो। यह तभी संभव है जब सेना एकीकृत होगी।
- **खरीद को प्राथमिकता देना:** CDS, देश की सैन्य आवश्यकताओं को कुछ इस तरह पूरा कर सकता है कि इसमें सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं के साथ समझौता न हो। साथ ही, उपलब्ध मौद्रिक संसाधनों से अन्य सैन्य आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके।
- **वैश्विक समानता:** विश्व के कई प्रमुख देशों ने अपने सशस्त्र बलों में एकीकरण और सामूहिकता लाने के लिए CDS पद का गठन किया है। इन देशों में इटली, फ्रांस, चीन, यू.के., यू.एस.ए., कनाडा और जापान शामिल हैं।

चुनौतियाँ

- **अन्य लंबित सुधार इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं:** एकीकृत थिएटर कमांड के निर्माण सहित अन्य संरचनात्मक सुधारों के बिना, CDS की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं।
- **सेना का वर्चस्व:** यह तर्क दिया जाता है कि CDS के कारण थल सेना का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा और अन्य सेनाएं सहायक की भूमिका में आ जाएंगी।
- वर्तमान खरीद पारितंत्र में **खरीद आवश्यकताओं को संतुलित** करना। उदाहरण के लिए, जहां एक तरफ वायु सेना 114 नए लड़ाकू विमानों के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ, नौसेना उसके समानांतर और उससे सरोकार न रखने वाला खरीद कार्यक्रम चला रही है। यह व्यवस्था उस उद्देश्य के ठीक विपरीत है, जिसके लिए CDS के पद को गठित किया गया था।
- **सशस्त्र बलों में लैंगिक संतुलन:** हाल ही में, न्यायालय ने सेना में लैंगिक भेदभाव पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके मद्देनजर, CDS को इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करना होगा और इस प्रक्रिया को सुचारू बनाना होगा।

निष्कर्ष

भारत में सशस्त्र बलों और रक्षा प्रतिष्ठान के एकीकरण की प्रक्रिया में काफी समय से देरी हो रही थी। CDS के निर्माण के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आएगी। CDS सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की कुंजी है। इसलिए, इसे अन्य संरचनात्मक सुधारों द्वारा मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। इन सुधारों में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, उपकरणों का उत्पादन, नवाचार को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। इससे सशस्त्र बलों को भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा।

4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

4.4.1. महत्वपूर्ण अवसंरचना {Critical Infrastructure (CI)}

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने ICICI, HDFC तथा NPCI के आई.टी. संसाधनों को महत्वपूर्ण अवसंरचना (CI) घोषित किया है।
- महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical Infrastructure: CI) को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) के रूप में भी जाना जाता है। यह उस **भौतिक या साइबर-आधारित प्रणाली** को कहा जाता है, जिसकी अक्षमता या जिसके नुकसान से **राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या रक्षा-ढांचे** को हानि हो सकती है।
    - **महत्वपूर्ण अवसंरचना (CI) के समक्ष खतरों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
        - प्राकृतिक खतरे: भूकंप, सुनामी आदि,
        - मानव जनित खतरे: आतंकवाद, आर्थिक जासूसी आदि और
        - दुर्घटना: पावर ग्रिड/ सुरक्षा प्रणाली की विफलता इत्यादि।
- आई.टी. संसाधन देश की अवसंरचना में **अनगिनत महत्वपूर्ण परिचालनों का आधार** हैं। इनकी परस्पर संबद्धता को देखते हुए, इनमें किसी भी प्रकार की बाधा सभी क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** के तहत सरकार किसी भी डेटा, डेटाबेस, आई.टी. नेटवर्क या संचार अवसंरचना की सुरक्षा के लिए इन्हें महत्वपूर्ण अवसंरचना के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है।
- **महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय**
    - **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC):** यह महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचनाओं (CIIs) की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करने हेतु एक **नोडल एजेंसी** है।
    - **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In):** यह कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर प्रतिक्रियात्मक कदम उठाने वाली नोडल एजेंसी है।
    - **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC):** यह साइबर सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है।
    - **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013** घोषित की गयी है। इसका उद्देश्य एक सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस बनाना है।

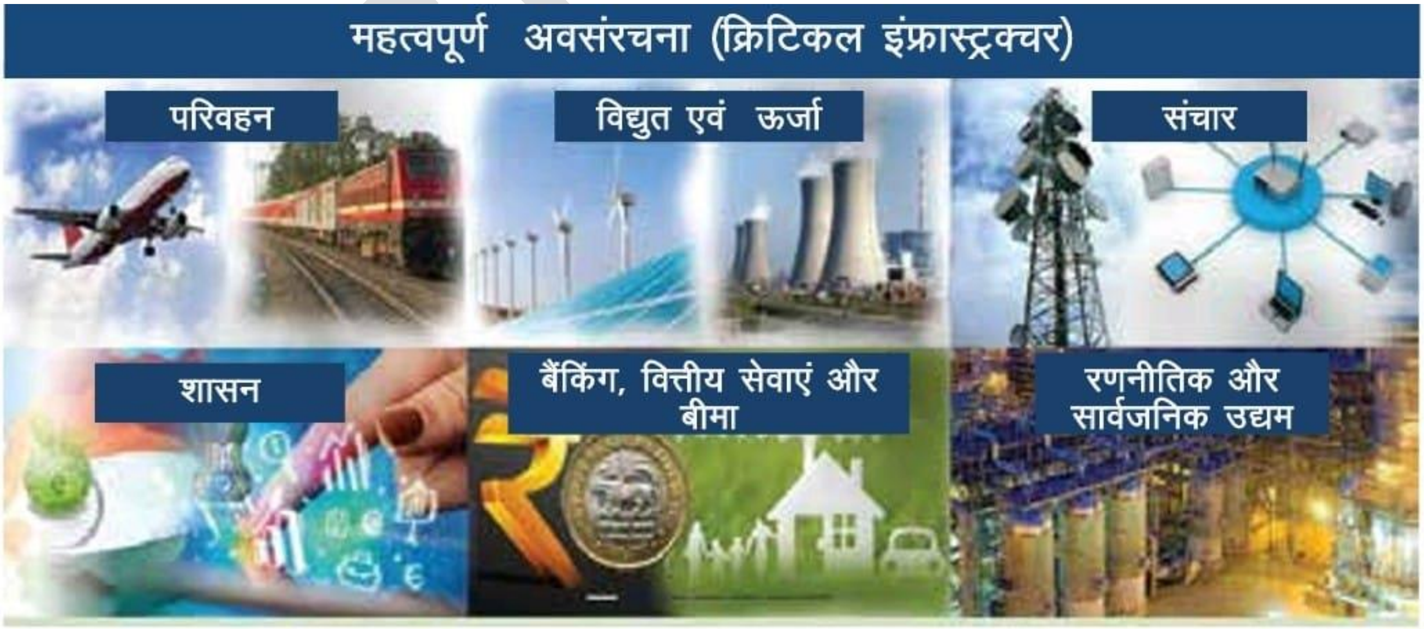

4.4.2. मल्टी एजेंसी सेंटर {Multi Agency Centre (MAC)}

- गृह मंत्रालय ने **MAC को अपग्रेड करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) को 138.48 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।**
- MAC इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत देश का सबसे बड़ा **इंटेलिजेंस इनपुट साझा करने वाला प्लेटफॉर्म** है।
  - MAC को कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। इसका **मुख्यालय नई दिल्ली** में है।
    - **28 एजेंसियां,** जैसे- रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW), राज्य पुलिस, वित्तीय खुफिया निकाय आदि MAC के माध्यम से खुफिया जानकारी साझा करती हैं।
  - राज्य स्तरीय MAC नोडल अधिकारियों के माध्यम से केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करती है।
  - वर्तमान में इसे **जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जोड़ने** की योजना है।

4.4.3. ओवरग्राउंड वर्कर्स {Overground Workers (OGWs)}

- जम्मू और कश्मीर में लगभग 250 ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) को गिरफ्तार किया गया है।
- इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को **लोक सुरक्षा अधिनियम (PSA)** और **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)** के तहत गिरफ्तार किया गया है।
  - **लोक सुरक्षा अधिनियम 1978** जम्मू-कश्मीर का एक **प्रशासनिक नजरबंदी कानून** है। यह कानून किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे या आरोप के दो वर्ष तक नजरबंद रखने की अनुमति देता है।
    - इस अधिनियम के तहत **18 वर्ष से कम आयु** के व्यक्ति को **हिरासत में रखना सख्त वर्जित** है।
    - साथ ही, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को **24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए।**
  - UAPA, 1967 व्यक्तियों और संगठनों की कुछ **गैरकानूनी गतिविधियों की** अधिक **प्रभावी तरीके से रोकथाम** से संबंधित है।
    - साथ ही, यह कानून आतंकवादी गतिविधियों और गैर-कानूनी गतिविधियों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए भी प्रावधान करता है।
- जम्मू एवं कश्मीर में **संदिग्ध उग्रवादियों या आतंकवादियों को सुरक्षित आश्रय, बच निकलने की सुविधा या सूचना प्रदान करने या उनके लिए एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को ओवर-ग्राउंड वर्कर** कहा जाता है।
  - ओवरग्राउंड वर्कर कुछ **गतिविधियों को अंजाम** देता है, फिर **निष्क्रिय** रहता है और **सामान्य जीवन** व्यतीत करता है। इस प्रकार, सुरक्षा बलों के लिए उन तक पहुंचना **बड़ी चुनौती** है।
  - उन्हें **हाइब्रिड आतंकवादी** या **आतंकवादियों के सहयोगी** के रूप में भी जाना जाता है।
- **ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या करते हैं?**
  - वे भूमिगत उग्रवादियों की **आंख और कान** के रूप में कार्य करते हैं,
  - वे उनके छिपने के **ठिकाने की व्यवस्था** करते हैं,
  - वे हथियारों को जगह-जगह पहुंचाते हैं,
  - वे रक्षा बलों की **गतिविधियों पर नज़र** रखते हैं,
  - वे अलगाववाद से जुड़े **साहित्य का वितरण** करते हैं, और
  - वे सुरक्षा बलों के खिलाफ **घृणा भड़काने** वाले अभियानों में संलग्न होते हैं।

4.4.4. अभ्यास (Abhyas)

- ओडिशा के तट पर **एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR), चांदीपुर** से **'अभ्यास'** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अभ्यास का पूरा नाम है- हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT)।
  - इसमें **ट्विन अंडर-स्लंग बूस्टर होते हैं जो यान को प्रारंभिक त्वरण (initial acceleration) प्रदान करते हैं।** इसके अलावा, **यह हवाई यान छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित होता है, जो इसे उच्च सबसोनिक गति पर लंबी उड़ान भरने में सक्षम बनाता है।**

VISIONIAS

- अभ्यास **एक स्वदेशी व मानव रहित एरिअल टारगेट प्रणाली** है। यह हवाई खतरों से निपटने में भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करती है।
    - इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के **एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट** द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

4.4.5. अग्नि-4 (Agni-4)

- **अग्नि-4 का प्रशिक्षण आधारित सफल प्रक्षेपण** किया गया है।
- अग्नि-4 एक **मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल** है। इसकी मारक क्षमता लगभग 4,000 कि.मी. है।
- इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है। **यह 1,000 किलोग्राम का पेलोड वहन करने में सक्षम है। यह 900 कि.मी. की ऊंचाई तक** उड़ान भर सकती है।

श्रेणी	रेंज
अग्नि-1	1,000 किलोमीटर
अग्नि-2	2,000 किलोमीटर
अग्नि-3	2,500 किलोमीटर
अग्नि-4	4,000 किलोमीटर
अग्नि-5	5,000-8,000 किलोमीटर
अग्नि-P (प्राइम)	2,000 किलोमीटर की अतिरिक्त रेंज के साथ दोहरी नेविगेशन और निर्देशित प्रणाली

4.4.6. हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम {High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS)}

- यूक्रेन को अपने समर्थन के हिस्से के रूप में, **संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन में अपने उन्नत मिसाइल सिस्टम, HIMARS** को भेजने की घोषणा की है।
    - HIMARS, **एक लंबी दूरी की, सचल व सटीक तोपखाने की प्रणाली है।** इसे **लॉकहीड मार्टिन** ने विकसित किया है।

4.4.7. सुर्ख़ियों में रहे सैन्य अभ्यास (Military Exercises in News)

- **"सम्प्रीति-X" अभ्यास:** यह **भारत और बांग्लादेश** के बीच एक **संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण** अभ्यास है।
- **खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास:** यह एक **बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास** है। इसमें **16 देशों (भारत सहित) के सैन्य दल भाग ले रहे हैं।**
    - इसका आयोजन **मंगोलिया** में किया गया है।
- **IND-INDO CORPAT:** यह भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच एक संयुक्त समन्वित गश्त है।

4.4.8. ऑपरेशन संकल्प (Operation Sankalp)

- यह ऑपरेशन अपने **संचालन के तीसरे वर्ष** में प्रवेश कर चुका है।
- खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति की पृष्ठभूमि में, भारतीय नौसेना ने **जून, 2019 में खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा अभियान** शुरू किया था। इसे **'ऑपरेशन संकल्प'** कूटनाम दिया गया था।
- इसका उद्देश्य **'होर्मुज जलडमरूमध्य' से गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाले पोतों के लिए सुरक्षित मार्ग** सुनिश्चित करना है।
- भारत अपनी तेल आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है। साथ ही, **भारत का लगभग 60% तेल आयात खाड़ी क्षेत्र से होता है।**

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष (50 years of Stockholm Conference)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में **"स्टॉकहोम+50"** का आयोजन किया गया। इसे **1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCHE)**[52] के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। **UNCHE को स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।** स्टॉकहोम सम्मेलन में पहली बार पर्यावरण को एक गंभीर वैश्विक मुद्दे के रूप में स्वीकार किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- **स्टॉकहोम+50 की थीम:** 'सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ पृथ्वी - हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर'[53] **है।**
- **स्टॉकहोम+50 का एजेंडा:**
  - पृथ्वी की रक्षा के लिए अनुभवों और पहलों को साझा करना।
  - कोविड-19 महामारी के बाद से संधारणीय एवं समावेशी रिकवरी।

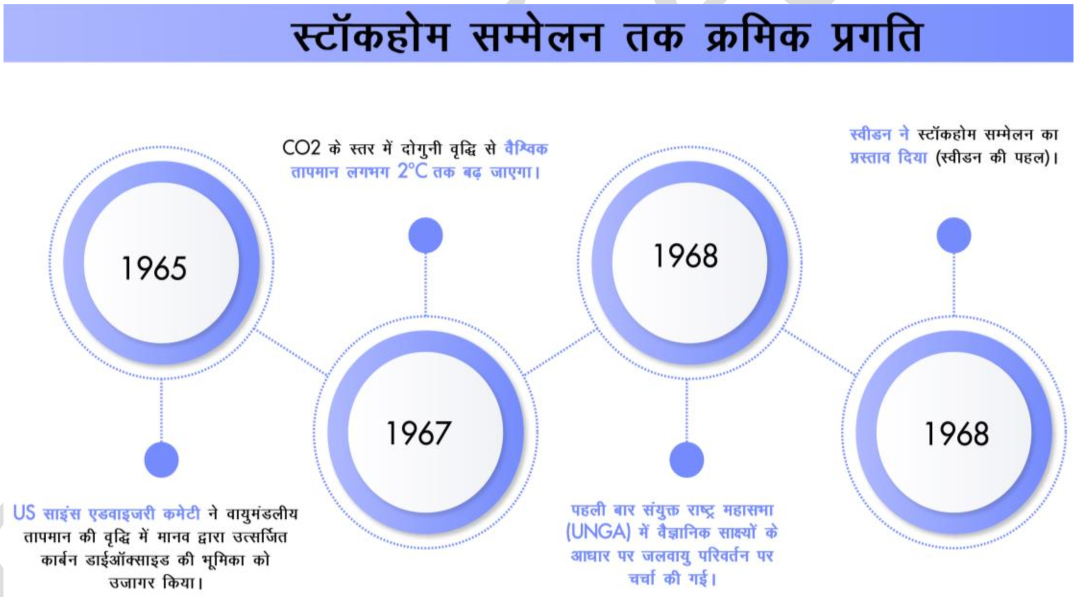

स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में

- यह **अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र का पहला प्रमुख सम्मेलन** था। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय राजनीति के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था।
- इसका आयोजन वर्ष 1972 में किया गया था। इसका उद्देश्य संधारणीयता को बढ़ावा देने और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए वैश्विक प्रयासों को एकजुट करना था। इसकी थीम **'केवल एक पृथ्वी (Only One Earth)'** थी।
  - **स्टॉकहोम घोषणा-पत्र में 26 सिद्धांत और कार्य योजना शामिल थी। इस घोषणा-पत्र को 122 देशों द्वारा अपनाया गया था।**
- **इस सम्मेलन के तीन निम्नलिखित आयाम थे:**
  - देशों के बीच एक-दूसरे के पर्यावरण या अपने-अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों को नुकसान नहीं पहुंचाने पर सहमति;
  - पृथ्वी के पर्यावरण के लिए खतरों के बारे में अध्ययन करने हेतु एक कार्य योजना का निर्माण करना; तथा
  - देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) नामक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की स्थापना करना।
- **स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम और उसकी सफलता**
  - **UNEP की स्थापना:** इसकी स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणामस्वरूप की गई थी।
  - UNEP एक वैश्विक प्राधिकरण है और इसके निम्नलिखित कार्य हैं:

---

52 United Nations Conference on the Human Environment

53 A healthy planet for the prosperity of all — our responsibility, our opportunity

 ©Vision IAS

- पर्यावरण संबंधी एजेंडा निर्धारित करना,
- संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में संधारणीय विकास से संबंधित पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देना,
- वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक समर्थक के रूप में कार्य करना।

UNEP के तत्वावधान में बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते

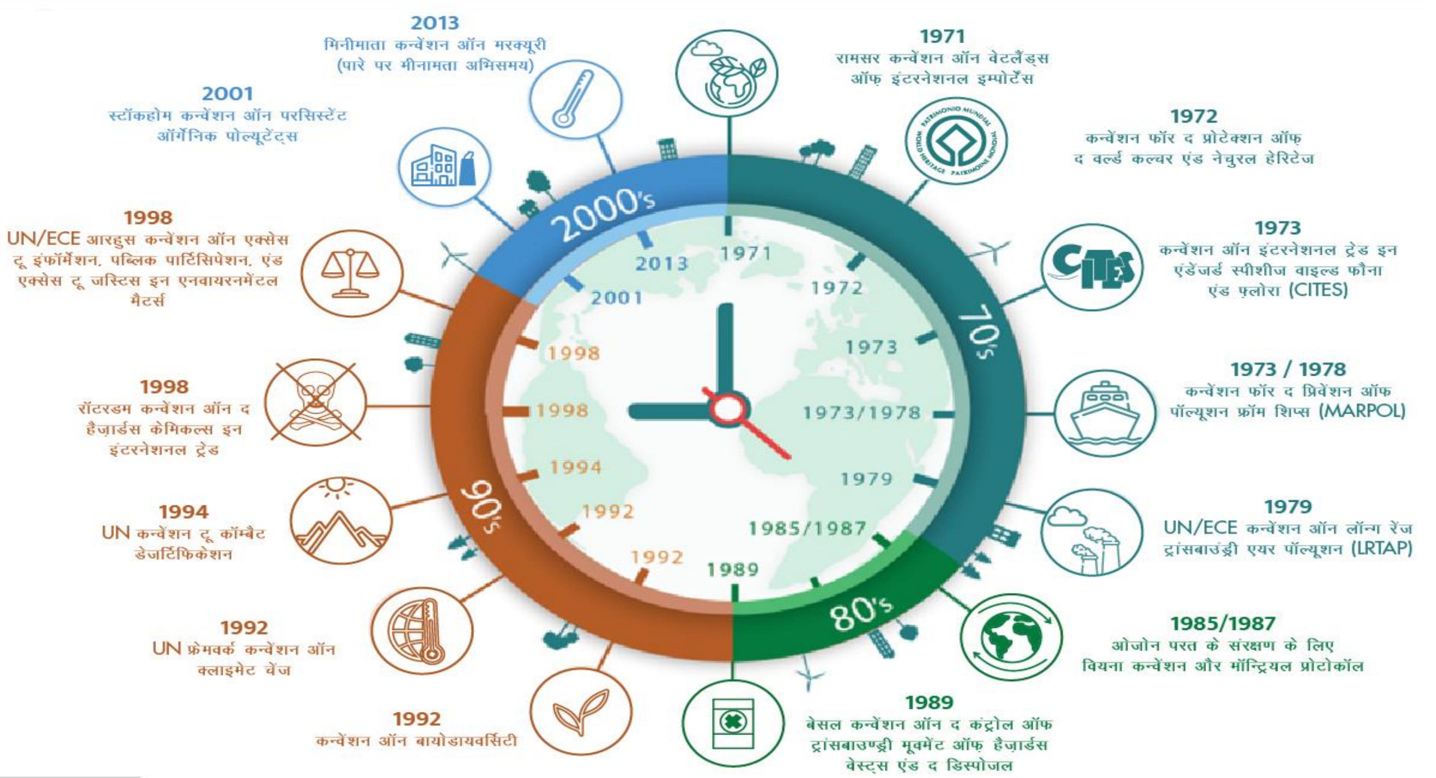

- **व्यापक बदलाव:** इस सम्मेलन से वास्तव में **समकालीन "पर्यावरणीय युग"** की शुरुआत हुई। इसने कई मायनों में, पृथ्वी या पर्यावरण को लेकर जन्मी चिंताओं की बहुपक्षीय गवर्नेंस को मुख्यधारा में शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप पिछले 50 वर्षों में 500 से अधिक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों को अपनाया गया है।
  - पृथ्वी के पर्यावरण से संबंधित चिंताओं को संबोधित करने वाले अधिकांश कन्वेंशन/अभिसमय स्टॉकहोम घोषणा-पत्र की ही देन हैं। इसमें **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)[54], संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD)[55] और जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD)[56] आदि शामिल हैं।**
- **संधारणीय विकास:** स्टॉकहोम सम्मेलन ने **संधारणीय विकास के थीम को निर्धारित किया** है। यही थीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी प्रयासों और वार्ताओं का केन्द्रीय आधार रही है।
  - स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष बाद, 1992 में **पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED)[57]** का आयोजन किया गया। **इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) के नाम से भी जाना जाता है।** इसका आयोजन **रियो डी जेनेरियो** में किया गया था। इसके तहत वैश्विक एजेंडे में प्रमुखता से संधारणीय विकास को अपनाने पर जोर दिया गया। संधारणीय विकास से आशय भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित किए बिना, वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने से है।

---

[54] United Nations Framework Convention on Climate Change

[55] United Nations Convention to Combat Desertification

[56] Convention on Biological Diversity

[57] UN Conference on Environment and Development

- प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना
  - **एहतियाती सिद्धांत (Precautionary principle):** ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन[58] का आयोजन वर्ष 1985 में किया गया था। यह पहला बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता (MEA)[59] है, जिसमें एहतियाती उपायों को संहिताबद्ध किया गया है।
  - **प्रदूषणकर्त्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत (Polluter-Pays Principle: PPP):** यह प्रदूषण पैदा करने वालों के लिए प्रदूषण के प्रबंधन की लागत को वहन करना अनिवार्य करता है। इससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।
- **बहु हितधारक दृष्टिकोण:** इसके तहत **संधारणीय विकास के क्षेत्र में** कई **हितधारकों को शामिल करते हुए व्यापक भागीदारी** को सुनिश्चित किया गया। इन हितधारकों में **गैर-सरकारी संगठन ,** देशज लोग, वैज्ञानिक समुदाय और निजी क्षेत्रक शामिल हैं। साथ ही, इसके द्वारा पर्यावरणीय फोरम की स्थापना भी की गई।
- **पर्यावरण कूटनीति की शुरुआत:** इसके कारण पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में **पर्यावरण संबंधी मंत्रालयों की स्थापना** हुई। वर्ष 1972 तक किसी भी देश में पर्यावरण संबंधी मंत्रालय स्थापित नहीं किया गया था। भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी।

कार्रवाई योग्य एजेंडे के लिए 'स्टॉकहोम 50+' की सिफारिशें

- **मानव कल्याण को केंद्र में रखकर 'स्वस्थ पृथ्वी'** और 'सभी के लिए समृद्धि' को हासिल करना।
- **स्वच्छ,** स्वस्थ और संधारणीय पर्यावरण **के अधिकार को मान्यता देना और उसे लागू करना।**
- एक स्वस्थ पृथ्वी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी वर्तमान **आर्थिक प्रणाली के काम करने के तरीके में व्यापक बदलाव को अपनाना।**
- उच्च प्रभाव डालने वाले क्षेत्रकों में रूपांतरण की गति **में तेजी लाना।**
- डिजिटल एवं तकनीकी समाधानों तक पहुंच और समर्थन प्रदान करके **विकासशील देशों** को पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में **मदद करना।**

5.2. जलवायु समता (Climate Equity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने बॉन जलवायु सम्मेलन के समापन अधिवेशन के दौरान कहा कि **जलवायु वार्ताओं या समझौतों में समता की अनदेखी की जा रही है।**

बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में

- वर्ष 2021 के COP26 में ग्लासगो जलवायु समझौते को अपनाया गया था। इसके बाद बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में **UNFCCC[60] के सभी पक्षकार पहली बार बैठक में भाग लिए।**
  - ग्लासगो में, पेरिस समझौते को पूर्ण रूप से लागू करने में सहायक कुछ निर्णय लिए गए थे। सभी सरकारों ने इन निर्णयों पर सहमति प्रकट की थी।
  - **UNFCCC के COP27 का आयोजन मिस्र के शर्म-अल-शेख शहर में नवंबर, 2022** में किया जाएगा।
- **बॉन जलवायु सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों या आउटकम्स पर एक नज़र:**
  - इस दौरान **ग्लोबल स्टॉकटेक की पहली तकनीक वार्ता का आयोजन किया गया।** इसे पेरिस समझौते के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु की गई सामूहिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उल्लेखनीय है कि, पेरिस जलवायु समझौते का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है।
    - हालांकि, बॉन जलवायु सम्मेलन ग्लासगो एजेंडा (COP26) को शामिल नहीं किया जा सका और वार्ता समाप्त हो गई।
  - इस दौरान **"अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (GGA)[61]"** के मसौदे पर चर्चा की गई। GGA के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
    - जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सुभेद्यता को कम करना और प्रत्यास्थता (resilience) में वृद्धि करना, और
    - जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन के संबंध में लोगों के साथ-साथ पृथ्वी की क्षमता में वृद्धि करना है।
  - **साथ ही, अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) और अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों के बेहतर संचालन पर भी वार्ता की गई। अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार के संबंध में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में प्रावधान किया गया है।**

---

[58] The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer

[59] Multilateral Environmental Agreement

[60] जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेशन

[61] Global Goal on Adaptation

- इसके अतिरिक्त इस दौरान निम्नलिखित विषयों पर भी वार्ताएं की गई, जैसे-
  - लैंगिक कार्य योजना पर केंद्रित मुद्दे,
  - कोरोनिविया ज्वाइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर, और
  - जलवायु सशक्तीकरण के लिए कार्रवाई[63]। यह जलवायु संबंधी कार्रवाई में सार्वजनिक भागीदारी पर केंद्रित है।

कार्बन बजट क्या है?

- **कार्बन बजट:** यह वैश्विक स्तर पर मानव जनित कुल CO_2 उत्सर्जन की अधिकतम मात्रा को संदर्भित करता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग को निश्चित स्तर तक सीमित रखा जा सकेगा।
- **छठी आकलन रिपोर्ट (AR6) में वर्किंग ग्रुप- III (WG3) के द्वारा योगदान किया गया है।** इसके अनुसार ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1850 से 2019 तक संचयी निवल CO_2 उत्सर्जन[62] की मात्रा थी:
  - ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने (50% संभावना के साथ) के लिए कुल **कार्बन बजट का 4/5वां भाग।**
  - ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने (67% संभावना के साथ) के लिए **कुल कार्बन बजट का 2/3 भाग।**
- **वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों का भंडार लंबे समय तक बना रहता है।** इसलिए कार्बन बजट एक महत्वपूर्ण कदम है।
  - उदाहरण के लिए, भारत वार्षिक वैश्विक उत्सर्जन में 6% का योगदान करता है, किंतु यह वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों के केवल 3% भंडार के लिए उत्तरदायी है।
  - विकसित देश वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों के 70% से अधिक भंडार के लिए उत्तरदायी हैं।

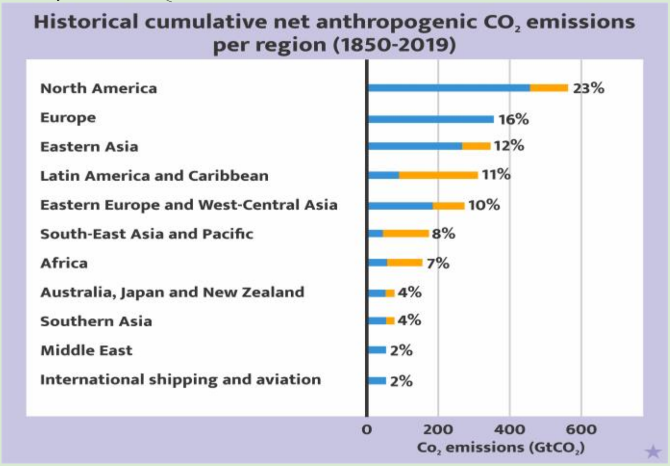

जलवायु समता क्या है?

- **जलवायु समता:** यह जलवायु संरक्षण प्रयासों से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करती है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन से निर्मित असमान बोझ को भी समाप्त करती है।
- यह किसी वर्ग पर अनुचित बोझ या नकारात्मक प्रभाव डाले बिना संधारणीय तरीके से जलवायु संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करती है।
- समानता के सिद्धांत की व्याख्या "साझा किंतु अलग-अलग जिम्मेदारी और सापेक्षिक क्षमता (CBDR-RC)[64]" के सिद्धांत के समान ही की गई है। CBDR-RC के तहत जलवायु परिवर्तन का समाधान करने में अलग-अलग देशों की अलग-अलग क्षमताओं और अलग-अलग जिम्मेदारियों को स्वीकार किया जाता है।
  - इस सिद्धांत के अनुसार, जलवायु से संबंधित कार्रवाई अर्थात् जलवायु वित्त में योगदान करना, उत्सर्जन में कटौती करने संबंधी लक्ष्यों आदि के संदर्भ में **विकसित देशों को अधिकतम जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से देखें तो बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** और कार्बन बजट की सीमा को पार करने **के लिए मुख्य रूप से विकसित देश ही जिम्मेदार हैं।**
  - साथ ही, अतीत में हुए उत्सर्जन से विकसित देशों को व्यापक विकासात्मक और आर्थिक लाभ हुआ है। इस स्थिति ने विकसित देशों को यह जिम्मेदारी को निभाने के लिए और अधिक सक्षम बना दिया है। इस प्रकार ऐसे देश, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने तथा अनुकूलन संबंधी प्रयासों में अतिरिक्त सहायता कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, **जलवायु समता की अवधारणा व्यक्तिगत स्तर पर भी लागू होती है।** जलवायु परिवर्तन संभवतः जलवायु परिवर्तन संबंधी उत्सर्जन के लिए न्यूनतम रूप से जिम्मेदार कमजोर और वंचित समुदायों को अधिक प्रभावित करता है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं में जलवायु समता को शामिल करने का क्या महत्व है?

भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि **देशों को वैश्विक कार्बन बजट और समता हेतु, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC)[65] के सुझावों** को स्वीकार करना चाहिए।

---

[62] cumulative net CO_2 emissions

[63] Action for Climate Empowerment

[64] Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities

[65] The Intergovernmental Panel on Climate Change

- **जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु अनिवार्य सामाजिक और आर्थिक बदलाव:** इसके तहत विकसित देशों को अपने उत्सर्जन में व्यापक कटौती करनी चाहिए। साथ ही, इन्हें विकासशील देशों की जलवायु संबंधी कार्रवाइयों को मजबूती प्रदान करने के लिए त्वरित वित्तीय सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। यह प्रयास शमन संबंधी कार्रवाई (mitigation action) को तेज करने में सहायक हो सकते हैं। **न्यायसंगत रूप से कम उत्सर्जन वाले विकास की दिशा में बढ़ने को सक्षम करना:** विकसित देशों में केंद्रित प्रौद्योगिकी और वित्त का विकासशील देशों में हस्तांतरण किया जा सकता है। इनका उपयोग विकासशील देशों द्वारा भविष्य में उत्सर्जन को कम करने के उपायों को अपनाने में किया जा सकता है।
- **संधारणीय विकास सुनिश्चित करना:** विकासशील देशों को कार्बन बजट की उचित हिस्सेदारी प्राप्त होनी चाहिए। यह विकासशील देशों को अपने विकासात्मक अधिकारों और संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
- **जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आधार:** वर्तमान में जारी जलवायु संबंधी वार्ताओं में जलवायु समता, विकासशील और विकसित देशों के बीच एक विवाद का मुद्दा है। यह विशेष रूप से क्षति और नुकसान के वित्तपोषण के संबंध में एक मुख्य विवाद बना हुआ है।
- **अन्य लाभ:**
  - यह जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों से **लाभान्वित होने वालों के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है।**
  - **यह सुभेद्य आबादी पर जलवायु शमन के नकारात्मक परिणामों को प्रबंधित करती है।**

क्या पेरिस जलवायु समझौता जलवायु समता सुनिश्चित करता है?

ग्लासगो में आयोजित COP26 के दौरान जलवायु समता सुनिश्चित करने के लिए कई समर्थ निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में शामिल हैं:

- नुकसान और क्षति के लिए वित्तपोषण पर ग्लासगो डायलॉग की स्थापना,
- अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य,
- नुकसान और क्षति पर सैंटियागो नेटवर्क के कार्यों को संस्थागत बनाना आदि।

हानि एवं क्षति (Loss and Damage: L&D) के बारे में:

- इसका आशय **जलवायु परिवर्तन के ऐसे प्रभावों से है जिनके प्रति अनुकूलन संभव नहीं है और जहां हानि स्थायी प्रकृति की होती है।**
- यह **समुद्री जल स्तर और तापमान में वृद्धि जैसी धीमी गति से बढ़ने वाली प्रक्रियाओं** को कवर करता है। साथ ही, यह बाढ़, हरीकेन एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों जैसी चरम घटनाओं को भी कवर करता है।
- **L&D के लिए वित्तपोषण को जलवायु संबंधी मुआवजे (Climate Reparations) के रूप में माना जाता है।** इस मुआवजे का भुगतान 'प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान के सिद्धांत' के आधार पर ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार उत्सर्जकों द्वारा किया जाता है।
- **L&D का छोटे द्वीपीय राष्ट्रों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है,** जबकि इनके द्वारा नगण्य उत्सर्जन किया जाता है। इन राष्ट्रों का वर्ष 2030 तक L&D के संबंधित लगभग 290 से लेकर 580 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान होगा।

हालांकि, इन वार्ताओं में कई बाधाएं भी आईं:

- **ऐतिहासिक जिम्मेदारी की अनदेखी करना:** सभी देशों से अनुरोध किया गया कि वे वर्ष 2022 के अंत तक अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के तहत लक्ष्यों पर फिर से विचार करें और उन्हें मजबूत करें। हालांकि, इसमें न तो विकसित और विकासशील देशों में अंतर की बात हुई और न ही किसी ठोस लक्ष्य की।
  - यह स्थिति बचे हुए कार्बन बजट में विकासशील देशों की न्यायसंगत हिस्सेदारी की अनदेखी करती है। साथ ही, यह विकासशील देशों को अपने NDCs के तहत लक्ष्यों में वृद्धि करने की संभावना को भी बनाए हुए है। इस प्रकार इससे कमजोर समुदायों पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा।
- **जीवाश्म ईंधन के खिलाफ लक्षित कार्रवाई:** इसके तहत "अनअबटेड कोयले को चरणबद्ध तरीके से कम करने" और अकुशल जीवाश्म-ईंधन सब्सिडी को "चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने" को कहा गया है। ऐसा करने से विकासशील देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विशेषकर तब, जब वे अपने नागरिकों की बड़ी संख्या को सुलभ और सस्ती ऊर्जा प्रदान करने के लिए कोयले और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। साथ ही, इन देशों के नागरिकों को आधुनिक ऊर्जा तक सीमित या नगण्य पहुंच उपलब्ध है।
  - **अनअबटेड कोयला (Unabated Coal):** इसका आशय कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के बिना कोयला का दहन करने से है।
- **नुकसान और क्षति पूर्ति के लिए वित्तीय तंत्र की अनुपस्थिति:** यह वार्ता तकनीकी सहायता और बीमा आधारित उपायों तक सीमित रही। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय संघ के पीछे हट जाने के कारण विकसित देशों के दायित्व और उनके द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने जैसे मुद्दों का समाधान नहीं हो सका।
- **क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सृजित कार्बन क्रेडिट को पेरिस समझौता तंत्र में शामिल करने की अनुमति देना:** यह कदम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की प्राप्ति को और अधिक कठिन बना देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित देशों से कार्बन कटौती संबंधी अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।

आगे की राह

- मौजूदा जलवायु संबंधी क्षति की पूर्ति के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में **ग्लासगो हानि और क्षति सुविधा की स्थापना,** कमजोर/सुभेद्य देशों की मदद कर सकती है। जलवायु संबंधी संकट के कारण ये देश और अधिक ऋणग्रस्त न हो जाए, इसलिए सहायता अनुदान-आधारित होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस संकट को पैदा करने में ऐसे देशों का न्यूनतम योगदान रहा है।
- कार्बन बजट में विकासशील देशों को न्यायसंगत हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन बजट में न्यायसंगत हिस्सा विकासशील देशों को अपना विकास करने संबंधी अधिकारों को साकार करने हेतु आवश्यक है। इसके लिए विकसित देशों को **अपने उत्सर्जन में कटौती करने के लक्ष्यों में वृद्धि करनी चाहिए।**
- कम उत्सर्जन करने वाली व्यवस्था की ओर बढ़ने में कमजोर देशों की सहायता करने हेतु **तकनीकी और वित्तीय हस्तांतरण के लिए एक तंत्र निर्मित किया जाना चाहिए।**
- **अनुकूलन कोष तक कमजोर समुदायों की पहुंच को बढ़ाने की आवश्यकता है।**

5.3. एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध {Ban on Single Use Plastic (SUP)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

एकल उपयोग वाले प्लास्टिक (SUP) से निर्मित अनेक वस्तुओं को 1 जुलाई, 2022 से पूरे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन वस्तुओं की पहचान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा की गई है।

SUP पर प्रतिबंध से संबंधित अन्य तथ्य

- MoEF&CC ने कुछ समय पहले **प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (PWM)[66] संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित** किया था। इसका उद्देश्य-
  - प्लास्टिक कचरे और अप्रबंधित प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाना, और
  - वर्ष 2022 तक SUP वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है।
- नए नियमों के तहत, कम उपयोगिता और अधिक कचरा पैदा करने की क्षमता वाली **अनेक SUP वस्तुओं की पहचान की गई है। 1 जुलाई, 2022 से इन वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है।**
  - यह प्रतिबंध **कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं** होगा।
- इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को '**पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' के तहत दंडित** किया जा सकता है। इसके तहत 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक: पॉलिसी सिनेरियो टू 2060

- हाल ही में, **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)** द्वारा 'ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक: पॉलिसी सिनेरियो टू 2060' रिपोर्ट जारी की गई थी।
- **वर्ष 2060 के लिए रिपोर्ट के अनुमान:**
  - आर्थिक और जनसंख्या वृद्धि के कारण **प्लास्टिक का उपयोग और प्लास्टिक कचरा विश्व स्तर पर लगभग तिगुना हो जाएगा।**
  - **उप-सहारा अफ्रीका और एशिया** जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक वृद्धि की संभावना है।
  - **कुल प्लास्टिक कचरे का संभवतः आधा हिस्सा अभी भी लैंडफिल्स में जाता है,** जिसमें पांचवें हिस्से से भी कम का पुनर्चक्रण होता है।
  - **पर्यावरण में प्लास्टिक का रिसाव दोगुना हो जाएगा और जलीय परिवेश में प्लास्टिक का संग्रह तीन गुना से भी अधिक हो जाएगा।** इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
  - प्लास्टिक के जीवनचक्र से निम्नलिखित के प्रभावों में दोगुने से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है:
    - **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन,**
    - **ओजोन का निर्माण,**
    - **अम्लीकरण और मानव विषाक्तता।**

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान:

- **30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50** माइक्रोन से बढ़ाकर **75 माइक्रोन** और 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दी गई है।
- **गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री** के लिए प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच के उपयोग पर **पूर्ण प्रतिबंध** लगा दिया गया है।
- **विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व** (EPR)[67] **दिशा-निर्देशों को कानूनी आधार:** इस नियम में **निर्धारित की गई SUP वस्तुओं के तहत कवर नहीं किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को पर्यावरण के अनुकूल पद्धतियों से एकत्र और प्रबंधित किया जाएगा।** यह कार्य प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार इन वस्तुओं के उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक (PIBO) के द्वारा विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के तहत किया जाएगा।

---

[66] Plastic Waste Management

[67] Extended Producer Responsibility

SUP क्या है?

- इसे ऐसी **प्लास्टिक वस्तु** के रूप में परिभाषित किया गया है, **जिसका** निपटान या पुनर्चक्रण करने से पहले **एक ही उद्देश्य से केवल एक बार उपयोग किया जाता है।**
- SUP को इकट्ठा करने से संबंधित आवश्यक प्रयास करने हेतु **पर्याप्त प्रोत्साहन भी नहीं मिलता** है। इस प्रकार, भारत में SUP पर प्रतिबंध लगाना पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **भारत में प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति ;**
    - भारत में सालाना 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है।
    - पिछले पांच वर्षों में प्रति व्यक्ति द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की मात्रा लगभग दोगुना हो गई है।
    - वर्तमान में, केवल 60% प्लास्टिक कचरा ही एकत्र किया जाता है।

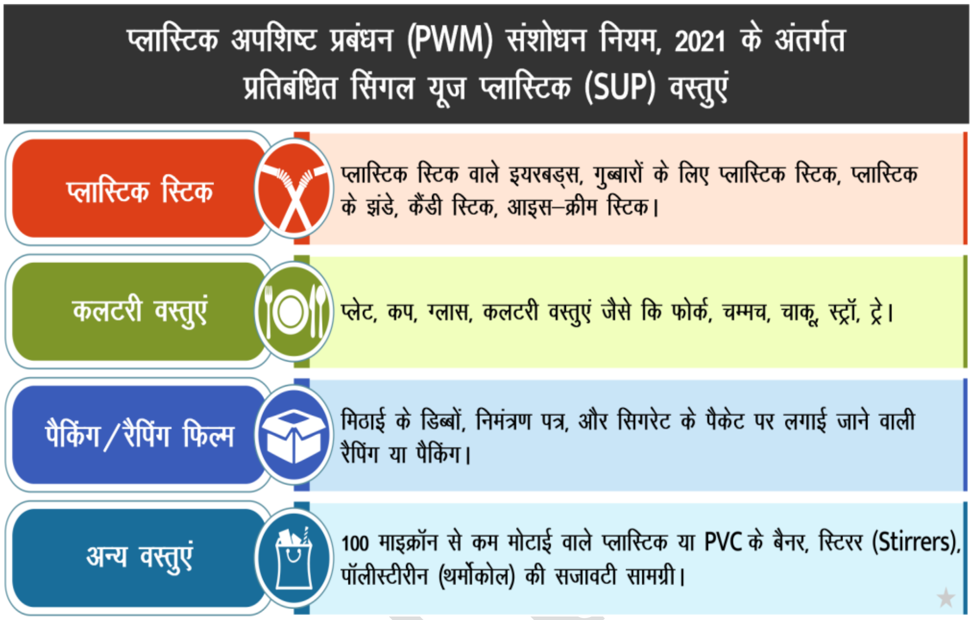

सरकार ने प्रतिबंध को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

- इसके लिए **राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष** और **विशेष प्रवर्तन दलों (Special Enforcement Teams) की स्थापना की गई है**। इनका उद्देश्य प्रतिबंधित SUPs के अवैध विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर नजर रखना है।
- **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को,** किसी भी प्रतिबंधित SUPs के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन को रोकने के लिए **बोडर चेक पॉइंट्स स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।**
- जनता के बीच अधिक जागरूकता फैलाने और व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने के लिए **"प्रकृति" को शुभंकर बनाया गया है।**
- **MoEF&CC और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने विभिन्न ई-गवर्नेंस पोर्टल और ऐप लॉन्च किए**, जैसे कि-
    - MoEF&CC ने **एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड**[68] को आरंभ किया है। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों को एक मंच पर लाना और SUPs के उन्मूलन में हुई प्रगति को ट्रैक करना है।
    - **CPCB ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR)**[69] **पोर्टल को आरंभ किया है । इसका** उद्देश्य उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों से EPR के तहत बाध्यताओं का अनुपालन करवाना है।
    - **CPCB ने SUP शिकायत निवारण के लिए एक मोबाइल ऐप को आरंभ किया है।** इसका उद्देश्य नागरिकों को अपने क्षेत्र में SUP की बिक्री / उपयोग / उत्पादन पर नजर रखने और प्लास्टिक संबंधी खतरे से निपटने के लिए मजबूत बनाना है।
    - जिला स्तर पर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में SUP के उत्पादन या बिक्री और उपयोग के विवरण की सूची बनाने और SUP पर प्रतिबंध लागू करने को लेकर **SUP के लिए निगरानी मॉड्यूल** बनाया गया है।
        - ज्ञातव्य है कि **CPCB ने SUP के लिए निगरानी मॉड्यूल** बनाया है। यह स्थानीय निकायों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) / प्रदूषण नियंत्रण समितियों (PCC) और स्वयं CPCB के लिए बनाया गया है।
- **राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:** उदाहरण के लिए-

---

[68] National Dashboard on Elimination of Single Use Plastic and Plastic Waste Management

[69] Extended Producer Responsibility

सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव

पर्यावरणीय प्रभाव

- इसके अपघटन में अत्यधिक समय लगता है।
- यह मृदा और जल में मिलकर उनको प्रदूषित करता है।
- इसके उत्पादन और अपशिष्ट प्रबंधन के दौरान ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जित होती है, क्योंकि प्लास्टिक को मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त किया जाता है।
- यह पक्षियों, समुद्री और स्थलीय वन्यजीव के लिए खतरा पैदा करता है। तैरते प्लास्टिक के कचरे में फसने और प्लास्टिक को निगलने से समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है। साथ ही, प्रवाल भित्तियों पर इनके जमाव के कारण भी जैवविविधता प्रभावित होती है।
- ये रसायनों और स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (Persistent Organic Pollutants: POPs) के लिए सिंक और परिवहन के माध्यम का कार्य करते हैं।

आर्थिक प्रभाव

- पर्यटन में गिरावटः गलियों और सड़कों पर तथा तटों पर बह कर इकट्ठा हुआ प्लास्टिक कचरा पर्यटन के प्रति आकर्षण को कम करता है।
- ये जल निकासी और सीवर सिस्टम को जाम कर देते हैं।
- समुद्री प्लास्टिक कचरा कई बार जलयानों के लिए बाधा बन जाता है।
- इससे मत्स्य उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

- यह आसानी से मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। समुद्री खाद्य पदार्थ, नल के जल, बोतल के जल इत्यादि में भी प्लास्टिक के अत्यंत सूक्ष्म कण (माइक्रोप्लास्टिक) पाए गए हैं।
- यह खाद्य और पेय पदार्थों को विषाक्त बना देता है, जिससे हॉर्मोन संबंधी विकार और कैंसर आदि हो सकता है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने से वायु प्रदूषण होता है।

  - **सभी प्रमुख पेट्रोकेमिकल उद्योग,** प्रतिबंधित SUP के उत्पादन में लगे उद्योगों को **प्लास्टिक के कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करेंगे।**
  - **SPCB/PCCs** को, प्रतिबंधित SUP के उत्पादन में लगे उद्योगों **को** वायु/जल अधिनियम के तहत **संचालन के लिए दी गई सहमति संशोधित करने या रद्द करने का निर्देश दिया गया है।**
  - **सीमा शुल्क प्राधिकरण** द्वारा प्रतिबंधित SUP वस्तुओं के **आयात को रोका जाएगा।**
  - **स्थानीय प्राधिकरण इस शर्त के साथ नए वाणिज्यिक लाइसेंस जारी करेंगे कि** उनके परिसर में **SUP वस्तुएं नहीं बेची जाएंगी।**

भारत में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे

- लागत व संसाधन-कुशल तरीके से प्लास्टिक कचरे को अलग करने, संग्रह करने और निपटान हेतु **पर्याप्त बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का अभाव है।**
- इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए जिम्मेदार **स्थानीय प्राधिकरणों और नगर निकायों में आवश्यक कार्यबल, वित्त एवं परिचालन क्षमता सीमित है।**
- **भारत में** पर्याप्त बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी की कमी के कारण इसके लिए एक **बायोडिग्रेडेबल विकल्प प्रदान करना भी एक कठिन कार्य है।**
- प्लास्टिक विनिर्माण इकाइयों के बंद होने से उसमें काम कर रहे लोगों को **आजीविका संबंधी हानि** होगी। इससे मुख्यतः छोटे विक्रेताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- इस संबंध में उपभोक्ताओं के बीच **व्यवहार संबंधी बदलाव लाना भी चुनौतीपूर्ण है,** विशेष रूप से तब जब **रोजमर्रा की SUP वस्तुओं के विकल्प महंगे हैं।**
- **अत्यधिक खपत के कारण** अल्प अवधि में किसी अन्य विकल्प को लाना कठिन है।
- **विक्रेताओं के पास SUP के मौजूदा भंडार और गलियों/समुद्र तटों पर पड़ा हुआ प्लास्टिक कचरा, लैंडफिल आदि में दबे SUP का निपटान करना भी एक बड़ी समस्या है।**
- भारत में, **EPR व्यवस्था का प्रदर्शन भी खराब रहा है।**

* नए मानदंडों का पालन करने में **प्लास्टिक बैग विनिर्माताओं को तकनीकी और वित्तीय चुनौतियां का भी सामना करना पड़ रहा है।**
* इस त्वरित बदलाव के प्रति **अनिच्छा जताते हुए प्लास्टिक उद्योग ने बदलाव की अवधि को लंबा करने की मांग की है।**
    * इस त्वरित बदलाव से प्लास्टिक के स्ट्रॉ, प्लेट आदि पर निर्भरता के कारण **फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) कंपनियों** जैसे क्षेत्रकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आगे के राह

* **निम्नलिखित के माध्यम से प्लास्टिक की मांग पर रोक लगाना और प्लास्टिक के पुनर्चक्रण की क्षमता को बढ़ाना:**
    * प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग को हतोत्साहित करने वाले वित्तीय साधन के रूप में **प्लास्टिक पैकेजिंग पर कर** जैसे उपायों को अपनाना।
    * प्लास्टिक उत्पाद के डिजाइन को बेहतर बनाने वाली नीतियों को अपनाना। इससे प्लास्टिक उत्पाद के टिकाऊपन में वृद्धि और पुनः उपयोग और मरम्मत संभव हो सकेगी।
* **SUP के विकल्पों और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक की उपलब्धता के साथ-साथ इन्हें किफायती बनाने पर भी सुधार करना चाहिए।** यह इनके उत्पादन में कार्य नवाचार को बढ़ावा देकर और कर लाभ प्रदान करके किया जा सकता है।
* प्लास्टिक कचरे को बेहरत रूप से एकत्रित करने और सैनिटरी लैंडफिल में निवेश करके **प्लास्टिक कचरे के प्रभावी निपटान में शामिल खामियों को समाप्त करना चाहिए।** साथ ही, प्लास्टिक उत्पादों का अधिक से अधिक **पुनर्चक्रण** भी करना चाहिए।
* प्लास्टिक के स्रोत और उसके वितरण से संबंधित **प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें लक्षित** करना चाहिए।
* **प्लास्टिक और जलवायु परिवर्तन का शमन करने संबंधी नीतियों में समन्वय स्थापित** करना चाहिए। इसके तहत प्लास्टिक से संबंधित गतिविधियों (जैसे-उत्पादन और रूपांतरण) में कम उत्सर्जन करने वाले स्रोतों से ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे इस क्षेत्रक से होने वाले उत्सर्जन में कमी आएगी।
* सरकार ने SUP प्रतिबंधों को मजबूती से लागू करने, SUP की मांग को कम करने और संबंधित जागरूकता को बढ़ाने के लिए **ULBs को कई सहायक पहलें अपनाने की सलाह** दी है-
    * **बाजार में आसानी से उपलब्ध SUP के विकल्पों** (जैसे- कपड़ा / जूट / प्लास्टिक बैग, डिग्रेडेबल कटलरी इत्यादि) **की पहचान** करना। साथ ही, नागरिकों के बीच ऐसे विकल्पों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
    * EPR संबंधी दायित्वों के रूप में कंपनियों से **बोतल बैंक** स्थापित करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। इन बोतल बैंकों में उपयोगकर्ताओं को पॉलीथिन टैरीपिथालेट (PET) बॉटल्स देने के बदले भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, उनसे सब्सिडी युक्त पुन: उपयोग करने योग्य प्लास्टिक **बोतल बूथ** स्थापित करने का अनुरोध करना चाहिए।
    * नागरिकों को SUP के विकल्प प्रदान करने के लिए ***थैला* (बैग)/*बर्तन* (पात्र) कियोस्क या *भंडार*** स्थापित करने चाहिए।
    * SUP के उपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और अन्य अत्यधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में **'*स्वच्छता रथ*' तैनात** किए जाने चाहिए।

5.4. वन (संरक्षण) नियम, 2022 {Forest (Conservation) Rules, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** ने वन (संरक्षण) नियम 2022 को अधिसूचित किया है।

वन (संरक्षण) नियम, 2022 की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

* इस नियम को **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980** के तहत अधिसूचित किया गया है। यह **वन (संरक्षण) नियम, 2003 का स्थान लेगा।**
* **यह नियम अलग-अलग कार्यों को करने के लिए कुछ समितियों का गठन करता है-**

समितियां	विशेषताएं
परियोजना जांच समिति (Project Screening Committee)	• राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित की जाएँगी। • यह राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को परियोजनाओं की सिफारिश करेगी। इसके लिए यह हर महीने कम से कम दो बार बैठक करेगी। • **यह राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करेगी।** हालांकि, इनमें **पांच हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्र वाले वन भूमि के प्रस्ताव शामिल नहीं होंगे।**
क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति (Regional	• इसे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा।

Empowered Committee)	• विचार हेतु भेजी गई प्रत्येक परियोजना की स्वीकृति या अस्वीकृति संबंधी जांच करने के लिए हर महीने कम से कम दो बार बैठक करेगी।
सलाहकार समिति (Advisory Committee)	• इसे केंद्र सरकार द्वारा गठित जाएगा। इसमें 6 सदस्य होंगे और इसकी बैठक हर महीने होगी। • इस सलाहकार समिति की भूमिका **नियमों की अलग-अलग धाराओं के तहत स्वीकृति प्रदान करने के संदर्भ में सलाह देना है।**

- **समय सीमा**:
  - **5 से 40 हेक्टेयर के बीच की गैर-खनन परियोजनाओं की** 60 दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए।
  - **5 से 40 हेक्टेयर के बीच की खनन परियोजनाओं की** 75 दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए।
  - **बड़े क्षेत्र वाली** परियोजनाओं के लिए:
    - **100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाली गैर-खनन परियोजनाओं की 120 दिनों** के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए।
    - **100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाली खनन परियोजनाओं की 150 दिनों** के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980
- इसे वनों की कटाई को रोकने के लिए लागू किया गया था। हालांकि, भारतीय वन अधिनियम वर्ष 1927 से ही लागू है। इसे इमारती लकड़ी की कटाई और आवाजाही पर औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रशासन का नियंत्रण स्थापित करने के लिए तैयार किया गया था।
- **FCA में** वर्ष 1988 और 1996 में **प्रमुख संशोधन** किए गए थे। वर्ष 1996 **का संशोधन वन की परिभाषा से संबंधित गोदावर्मन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शामिल करने के लिए किया गया था।**

- **केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के लिए प्रस्ताव**
  - **सैद्धांतिक स्वीकृति: सलाहकार समिति की सिफारिश पर विचार करने के बाद सरकार सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करेगी।**
  - **अंतिम स्वीकृति: केंद्र सरकार से 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्राप्त होने के बाद नोडल अधिकारी संबंधित अधिकारियों को अंतिम स्वीकृति दे सकता है।**
- **क्षतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation)**
  - **क्षतिपूरक** वनीकरण के लिए ऐसी भूमि प्रदान की जाएगी, जिसे:
    - **न तो भारतीय वन अधिनियम, 1927 या किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो, और**
    - **न ही** वन विभाग द्वारा **वन के रूप में प्रबंधित किया गया हो।**

वन (संरक्षण) नियम 2022 का विश्लेषण

- **क्षतिपूरक वनीकरण:** इन नियमों **का उद्देश्य क्षतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि की उपलब्धता को आसान बनाना है।**
  - लेकिन **यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि क्षतिपूर्ति के रूप में लगाए गए वृक्षों या किए गए वृक्षारोपण से वही पारिस्थितिक सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त हों, जो मूल प्राकृतिक वन से प्राप्त होती थीं।**
- **वनवासियों के अधिकार**: इन नियमों के तहत, केंद्र सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद **वनवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होगा।**
  - **यह नियम वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ है।** ऐसा इसलिए है क्योंकि **ग्राम सभा को** व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। साथ ही, **ग्राम सभा को** वन अधिकार को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया पूर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने का भी अधिकार है।

क्षतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम (Compensatory Afforestation Fund Act), 2016
- **क्षतिपूरक वनीकरण (CA):** यह गैर-वन उद्देश्यों हेतु उपयोग की गई वन भूमि की क्षतिपूर्ति करने के संबंध में वृक्षारोपण और वनीकरण गतिविधियों को संदर्भित करता है।
- इस अधिनियम **में इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधियों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।**
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु एकत्रित किए गए **कुल धन का 90% राज्य निधि में और शेष 10% धन को राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित किया जाएगा।**
  - राष्ट्रीय और राज्य निधि में प्राप्त धन लोक निधि के तहत जमा किया जाएगा। **साथ ही, इस पर ब्याज भी प्राप्त होगा और यह गैर-व्यपगत होगा।**
- **राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरण**
  - इनका कार्य इस अधिनियम के उद्देश्यों (जैसे- वन और वन्यजीवों का संरक्षण और विकास) के लिए संबंधित निधियों का प्रबंधन और उपयोग करना है।

- **उचित जांच का अभाव:** यह नियम वन भूमि का बुनियादी ढांचे या अन्य विकास परियोजना के उपयोग करने से संबंधित मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल और छोटा बनाने का प्रयास करता है।
  - हालांकि, यह नियम **5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाली** परियोजनाओं के प्रभावों की **जांच का प्रावधान नहीं करता है।**

VISIONIAS

निष्कर्ष

यह नए नियम विकास के उद्देश्य हेतु प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाते हैं। साथ ही, वन भूमि पर आदिवासी और अन्य वनवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को उनकी सहमति से सुरक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार विकास को अधिक समावेशी बनाया जा सकेगा।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (इसे वन अधिकार अधिनियम भी कहते हैं)

- इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि **ग्राम सभा शुरू में एक प्रस्ताव पारित करेगी। इस प्रस्ताव में सिफारिश की जाएगी कि किस संसाधन पर किसके अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए।** इसके बाद इस प्रस्ताव की पहले उप-मंडल स्तर पर और बाद में जिला स्तर पर जांच की जाएगी। अंततः इसे अनुमोदित किया जाएगा।
- **अधिनियम के तहत दिए गए अधिकार हैं:**
  - **स्वामित्व का अधिकार (Title Rights):** यह उन आदिवासियों या वनवासियों को भू- स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है जिनके द्वारा भूमि पर 13 दिसंबर 2005 तक खेती की जा रही थी। इसकी अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर है।
  - **उपयोग का अधिकार (Use Rights):** इसमें लघु वनोपज का उपयोग और उसका स्वामित्व; चरागाह क्षेत्र, पशुचारण मार्ग आदि उपयोग करने के अधिकार का शामिल हैं।
  - **राहत और विकास का अधिकार (Relief and Development Rights):** इस अधिकार का प्रयोग अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन के मामले में पुनर्वास हेतु और बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि यह अधिकार वन संरक्षण हेतु लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन होगा।
  - **वन प्रबंधन अधिकार (Forest Management Rights):** वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना।

5.5. पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zones: ESZ)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के संबंध में एक निर्देश दिया है। इसके तहत कहा गया है कि प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की निर्धारित सीमाओं के चारों ओर **अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1 किलोमीटर का क्षेत्र पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) होना चाहिए।**

इस निर्णय से संबंधित अन्य तथ्य

- ये निर्देश **टी. एन. गोदावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ वाद** के तहत दायर याचिकाओं के संदर्भ में जारी किए गए थे।
- यह आदेश **ऐसे सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लागू होगा, जहां न्यूनतम ESZ निर्धारित नहीं किए गए हैं।**
- **इस निर्णय से संबंधित अन्य मुख्य विशेषताएं:**
  - यदि मौजूदा ESZ का विस्तार 1 किलोमीटर के बफर जोन से अधिक है अथवा यदि किसी वैधानिक संस्था द्वारा इस उच्चतर सीमा को निर्धारित किया गया है, तो **ऐसी स्थिति में विस्तारित सीमा ही मान्य होगी।**
  - ESZ के भीतर किसी भी **नए स्थायी ढांचे के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।**
  - **राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के भीतर खनन की अनुमति नहीं होगी।**
  - ESZ के 1 किलोमीटर या विस्तारित ESZ के भीतर **पहले से ही जारी गैर-प्रतिबंधित गतिविधियों को करने की अनुमति दी जा सकती है।**

इस निर्णय का महत्व

- **मात्र न्यूनतम कानूनी अनुपालन से आगे बढ़ना:** कुछ राज्यों ने ESZs के लिए मात्र कुछ मीटर का क्षेत्र ही निर्धारित किया है। यह ESZs के उद्देश्य तथा इसकी भूमिका को पूरा करने में अपर्याप्त है।
- अलग-अलग संरक्षित क्षेत्रों (PAs) के बीच **पारिस्थितिकी संबंधी संपर्क को बनाए रखना।**
- **पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पारिस्थितिक क्षति को रोकना। पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में अभी** तक ESZs के सीमांकन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
- राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास की भूमि पर **बढ़ती पर्यटन संबंधी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को प्रबंधित करना।** इन नकारात्मक प्रभावों में वनोन्मूलन, स्थानीय लोगों का विस्थापन, कूड़ा-करकट फैलाना, प्रदूषण आदि शामिल हैं।

- इसमें प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के **प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCFs)**[70] के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें PCCFs को ESZ के भीतर मौजूदा संरचनाओं की एक सूची तैयार करने और **3 माह के भीतर कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।**
- **"अपरिहार्य लोकहित" की स्थिति में** ESZ के दायरे संबंधी अनिवार्यताओं में छूट दी जा सकती है।
- ऐसे संरक्षित क्षेत्रों (PAs) के संदर्भ में जिनके लिए किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्रस्ताव नहीं दिया गया है, उनके लिए-
  - पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के दिशा-निर्देशों के अनुसार **ESZ के रूप में 10 किलोमीटर के बफर जोन को लागू किया जाएगा।**
  - यह तब तक लागू रहेगा जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है।

पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्रों (ESZs) के बारे में

- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986** के तहत संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर मौजूद **पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण व संवेदनशील क्षेत्र को ESZ** के रूप में माना जाता है। इन्हे औद्योगिक प्रदूषण और अनियंत्रित विकास से संरक्षण प्रदान करने हेतु निर्धारित किया गया था।
- इसे **केंद्र सरकार** अर्थात् MoEF&CC **द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है।**
- **भारत में ESZs की पृष्ठभूमि:**
  - **वर्ष 2002:** इस दौरान **'वन्यजीव संरक्षण रणनीति**[71]**-2002'** को अपनाया गया था। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सीमाओं के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली भूमि को **इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन (EFZs) के रूप में अधिसूचित करने** की परिकल्पना की गई थी।
    - सभी **मुख्य वन्यजीव वार्डनों से** पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्रों (ESZs) के रूप में अधिसूचित करने हेतु **ESZs क्षेत्रों की पहचान करने का अनुरोध किया गया था।**

ESZ के भीतर की गतिविधियों को सामान्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:	
प्रतिबंधित (Prohibited)	वाणिज्यिक खनन, आरा मिलों की स्थापना, प्रदूषणकारी उद्योग, वृहद जलविद्युत परियोजनाएं आदि।
विनियमित (रक्षोपायों के साथ अनुमति) {(Regulated) Restricted with safeguards}	वृक्षों की कटाई, होटलों और रिजॉर्ट्स की स्थापना, कृषि प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, सड़कों का चौड़ीकरण, विदेशी प्रजातियों को लाना आदि।
स्वीकृत (Permissible)	वर्षा जल संचयन, जैविक कृषि, स्थानीय समुदायों द्वारा की जा रही कृषि और बागवानी पद्धतियां, सभी गतिविधियों के लिए हरित तकनीकों को अपनाना आदि।

    - **कई राज्यों ने** बस्तियों और विकास संबंधी गतिविधियों पर **ESZ के प्रभाव से जुड़ी चिंताओं के कारण इसका अनुपालन नहीं किया।**
  - **वर्ष 2005:** राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBW)[72] द्वारा राज्यों की उपर्युक्त चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। NBW ने निर्णय किया कि **ESZs का परिसीमन संरक्षित क्षेत्रों की अवस्थिति को देखते हुए किया जाना चाहिए।** साथ ही, इसके तहत गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के बजाय, विनियमित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  - **वर्ष 2006: गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ वाद** में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वर्ष 2005 के NBW के निर्णय का अनुपालन करने का आदेश दिया।

---

[70] Principal Chief Conservator of Forests

[71] Wildlife Conservation Strategy

[72] National Board of Wildlife

- साथ ही, सुप्रीम कोर्ट द्वारा **संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्रों को ESZs के रूप में अधिसूचित करने का भी** विचार किया गया है। ऐसा तब किया जाए जब कोई राज्य/संघ राज्यक्षेत्र **संरक्षित क्षेत्रों की अवस्थिति को देखते हुए** ESZs के निर्धारण में विलंब कर रहा हो।

  - **वर्ष 2011:** MoEF&CC द्वारा **'राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के चारों ओर पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र की घोषणा के लिए दिशा-निर्देश**[73] **'** अधिसूचित किए गए थे। ये दिशा-निर्देश ESZ को घोषित करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और प्रणाली से संबंधित थे।

- ESZs की घोषणा किए जाने से संबंधित क़ानूनी प्रावधान निम्नलिखित में मौजूद हैं:
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972,**
  - **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और**
  - **पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में।**

वर्ष 2011 के दिशानिर्देशों के अनुसार ESZs का विस्तार

- एक सामान्य सिद्धांत के रूप किसी **संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर ESZ की चौड़ाई 10 किलोमीटर तक निर्धारित की जा सकती है।** यह प्रावधान वन्यजीव संरक्षण रणनीति-2002 में किया गया है।
- ऐसे **संवेदनशील कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी परियोजनाएं और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र,** जो **संरक्षित क्षेत्र** के लैंडस्केप (या भूदृश्यों) को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं, यदि वे इनसे 10 किलोमीटर से अधिक दूर भी हैं, तो भी उन्हें ESZ में शामिल किया गया है।
- ESZ के क्षेत्र का **वितरण** और विनियमों का **विस्तार** अलग-अलग संरक्षित क्षेत्रों के आधार पर अलग-अलग है।

ESZs के निर्माण से संबंधित मुद्दे

- **राज्यों का विरोध:** केरल, कर्नाटक आदि जैसे कई राज्य विकास संबंधी गतिविधियों और राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। वे ESZs के रूप में निर्धारित किए जाने वाले क्षेत्र के दायरे में कमी करने की मांग कर रहे हैं।
- ESZ को लागू करते समय **सबको शामिल करते हुए योजना बनाने संबंधी प्रयासों का अभाव है।**
- **सभी संरक्षित क्षेत्रों में '1 किलोमीटर' के बफर जोन को लागू करना** कठिन होगा।
- इसके तहत प्रस्तावों की वास्तविक धरातल पर **जांच नहीं की जाती** है। ESZ के दायरे का निर्धारण नक्शे (टोपोग्राफिक शीट) पर मनमाने रूप से ही कर दिया जाता है।

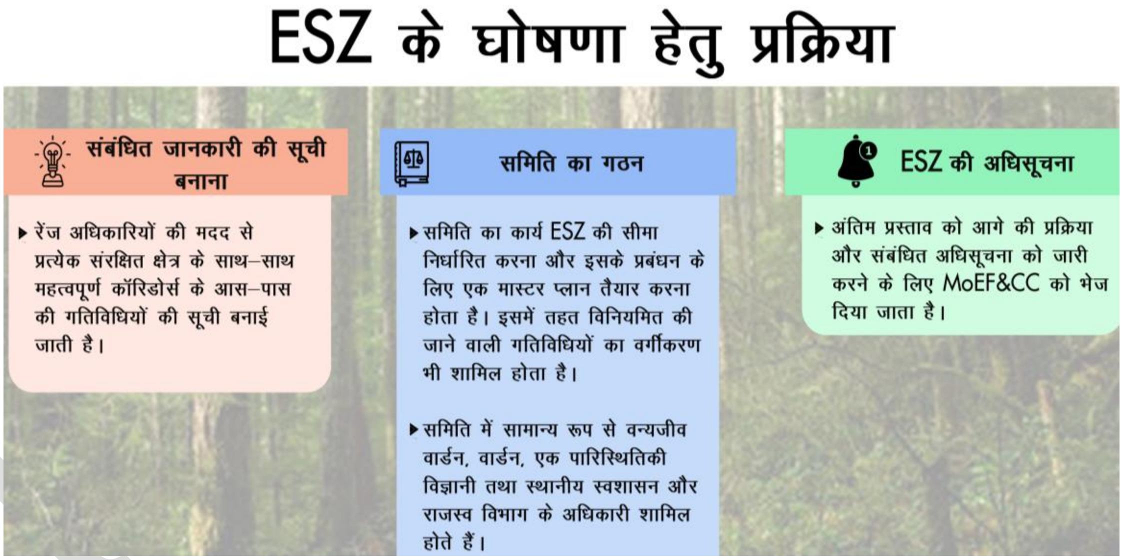

- **सामुदायिक विरोध:** संबंधित समुदायों की मांग है कि वन सीमा के निकट स्थित मानव बस्तियों को ESZs के दायरे में लाने से छूट दी जानी चाहिए। उनका मत है कि ESZs के दायरे में आने से भूमि-उपयोग में परिवर्तन प्रतिबंधित हो जाएगा और स्थानीय निवासियों की आजीविका संबंधी संभावनाएं भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी।
- **व्यावहारिक कठिनाइयां:** कुछ क्षेत्रों में वन भूमियों के आसपास मानव आबादी का अधिक घनत्व मौजूद है। इससे ESZ के विनियमों को लागू करना और कठिन हो जाता है।

आगे की राह

[73] Guidelines for Declaration of ESZ Around National Parks and Wildlife Sanctuaries

- **ESZs की योजना तैयार करते समय हितधारकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए।** इससे पर्यावरण एवं जैव विविधता का संरक्षण करने के साथ-साथ स्थानीय और देशज लोगों की आवश्यकताओं व अपेक्षाओं को भी पूरा किया जा सकेगा।
- उपग्रह से ली गई तस्वीरों के आधार पर चिह्नित **इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन** को सत्यापित करने के लिए **जमीनी स्तर पर जाकर जांच की जानी चाहिए।**
- **अधिसूचित ESZs के भीतर आने वाले क्षेत्रों में पारिस्थितिक रूप से अनुकूल आजीविका की पद्धतियों जैसे- प्राकृतिक खेती, कृषि वानिकी आदि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।** साथ ही, इसके लिए स्थानीय लोगों में क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए।
- **इसके संबंध में वार्ता के माध्यम से राज्यों के बीच आम सहमति बनाई जानी चाहिए।**
- **अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए** अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व वन और वन्यजीवों पर **उनके प्रभावों का व्यापक रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए।**

5.6. जल असुरक्षा (Water Insecurity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कुछ अनुमानों के अनुसार, **भारत में जल की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता में 75% की गिरावट आई है। यह वर्ष 1947 में 6,042 घन मीटर से घटकर वर्ष 2021 में 1,486 घन मीटर रह गई है।** यह स्थिति भारत को एक अत्यधिक जल असुरक्षा वाले देश के रूप में प्रस्तुत करती है।

संबंधित अवधारणा: जल की अभावग्रस्तता

- **फाल्कनमार्क वाटर स्ट्रेस इंडेक्स** जल की अभावग्रस्तता का आकलन करने के लिए विश्व का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सूचकांक है। इसके अनुसार, जहां जल की उपलब्धता 1,700 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम है, वहां जल की अभावग्रस्तता मौजूद है।
- इस मानदंड के अनुसार, **वर्तमान में भारत में लगभग 76% लोग जल की अभावग्रस्तता का सामना कर रहे हैं।**

जल असुरक्षा के बारे में

इसे **मानव की मूलभूत आवश्यकताओं, आजीविका और पारितंत्र के कार्यों को पूरा करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले जल की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता के** रूप में परिभाषित किया जाता है। साथ ही, इसमें जल से जुड़ी आपदाओं के बढ़ते जोखिम को भी शामिल किया जाता है।

भारत की बढ़ती जल असुरक्षा के लिए उत्तरदायी कारक		
कारक (Factors)	तथ्य (Facts)	कारण (Reasons)
भूजल स्तर में गिरावट	• **वर्ष 2007 और वर्ष 2017 के बीच** भारत में भूजल स्तर में **61 प्रतिशत की गिरावट आई है।** • भूजल को निकालने की दर प्राकृतिक रूप से उनके पुनर्भरण की दर से अधिक है।	• औद्योगिक, घरेलू और कृषि संबंधी उपयोग के लिए भूजल **जल का अवैध और अत्यधिक मात्रा में दोहन करना।** • **शहरी अवसंरचना का कंक्रीट से निर्मित होना** भूमिगत जलभृतों (Aquifers) के पुनर्भरण को बाधित कर रहा है। • **कृषि में जल का कम दक्षतापूर्वक उपयोग:** इसमें परंपरागत पद्धति जैसे कि खेत में जलभराव, खेतों में अंधाधुंध जल का उपयोग, जल गहन फसलों की खेती करना आदि शामिल है।
सतही जल का प्रदूषण	• **भारत में लगभग 70% सतही जल** उपभोग के लिए **ठीक नहीं है।** • **वर्ष 2018 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने भारत में 351 प्रदूषित** नदीय विस्तार की पहचान की है।	• **नदियों, झीलों आदि में अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट जल छोड़ना:** भारत में शहरी क्षेत्र द्वारा उत्पन्न 60% से अधिक सीवेज अनुपचारित रह जाता है और सीधे जल निकायों में छोड़ दिया दिया जाता है। • **कृषि संबंधी अपवाह।** • सीवेज (मल-जल) उपचार संयंत्रों की **कम क्षमता** और अपर्याप्त संख्या। • पर्यावरण संबंधी मानदंडों को **प्रभावी रूप से लागू न करना।**
जल निकायों अर्थात्- तालाब, झीलों, जलाशयों, आर्द्रभूमियों का लुप्त होना	• **भारत के 2% जल निकायों की भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए** उपयोग कर लिया गया है।	• तीव्र शहरीकरण और अनियोजित विकास के कारण **जलाशयों की भूमि का उपयोग।** • **जलीय निकाय की जल संग्रहण क्षमता के पुनर्भरण हेतु उचित रखरखाव का अभाव।** • **जलग्रहण क्षेत्र (Catchment Area) से वनस्पति की कटाई करना ।** • **गाद, लवणता, सुपोषण (Eutrophication) की घटनाओं में वृद्धि।** • **जल की आपूर्ति करने वाले जल-मार्गों (Channels) में व्यवधान पड़ना।** • **अवैध बालू खनन।** • **असंधारणीय पर्यटन।**
जल विज्ञान (Hydrological)	• भारत में वर्ष 1951 से वर्ष 2015	• **वर्षा के प्रतिरूप में बदलाव।**

संबंधी कारक	की अवधि के दौरान ग्रीष्मकालीन मानसून से होने वाली **वर्षा में 6% की गिरावट दर्ज की गई।**	• **नदियों के जल-अपवाह में कमी।** • **अत्यधिक मात्रा में वाष्पन-वाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration)।** ○ **वाष्पन-वाष्पोत्सर्जन:** यह दो अलग-अलग प्रक्रियाओं का संयुक्त रूप है। इसके तहत एक तरफ मृदा की सतह से वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि होती है और दूसरी तरफ फसल/पादपों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि होती है।

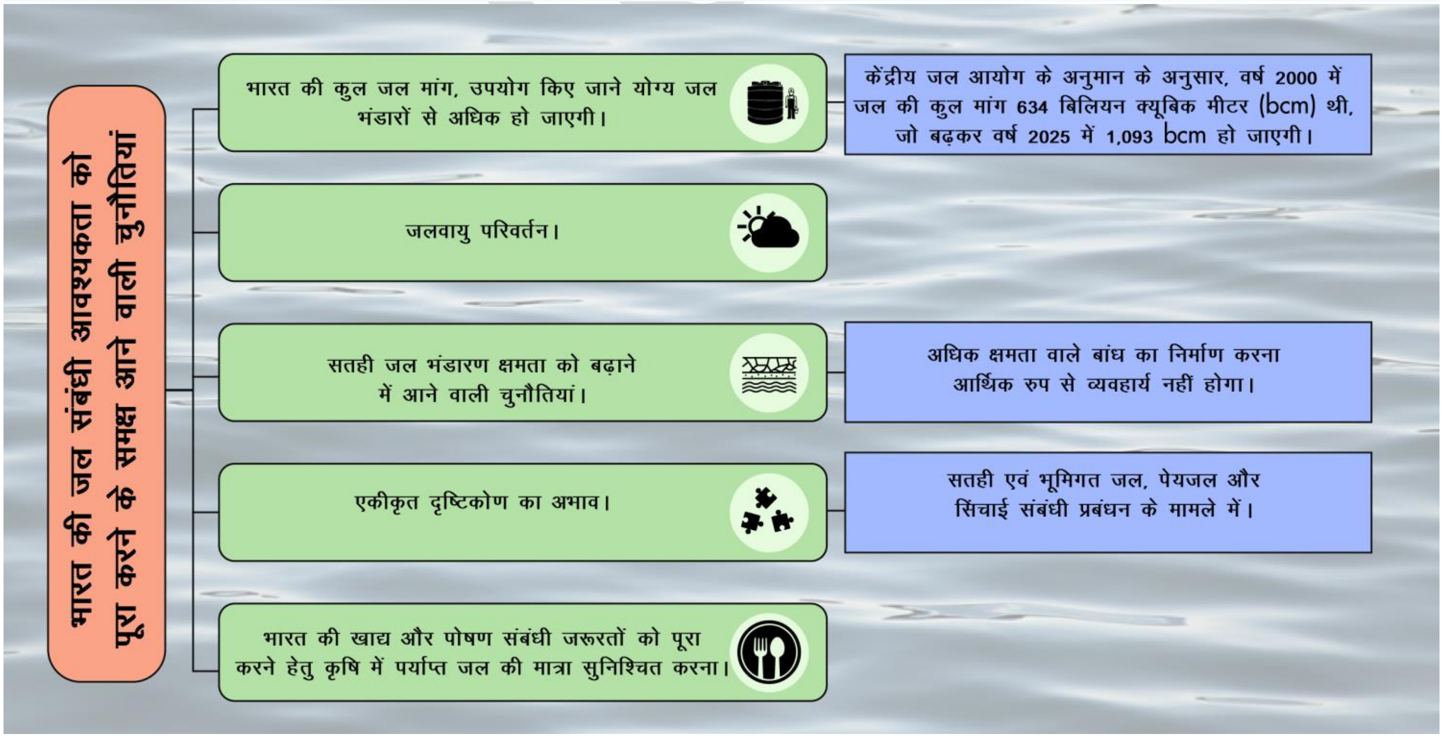

आगे की राह

- **कृषि क्षेत्रक में जल उपयोग दक्षता को** निम्नलिखित के माध्यम से **बढ़ाना:**
    - ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी **आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देकर,**
    - कम जल गहन फसलों के लिए **फसल विविधीकरण हेतु आर्थिक प्रोत्साहित देकर,**
    - मल्चिंग, चावल गहनता प्रणाली (System of Rice Intensification: SRI), आदि जैसी **संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाने संबंधी बढ़ावा देकर।**
- **गवर्नेंस संबंधी सुधार:**
    - **नीति निर्माण में "वन वाटर" दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए।** यह दृष्टिकोण सभी जल संसाधनों को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इन जल संसाधनों में सतही जल, भूजल, वर्षा का जल और अपशिष्ट जल आदि शामिल हैं।
    - **मौजूदा उपचार संयंत्रों की क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए निवेश किया जाना चाहिए।** साथ ही, नई एवं कुशल सीवेज (मल-जल) ट्रीटमेंट सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए।
    - जल के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए **जल का सही मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए।**
- **जल निकायों का पुनरुद्धार और जलभृतों का पुनर्भरण करना:**
    - प्रकृति-आधारित समाधानों जैसे विशेष तौर पर तैयार किए गए "ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर" को अपनाया जाना चाहिए। ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में मुख्यतः रेन गार्डन, आर्द्र घासभूमियों द्वारा नदियों का पुनर्भरण, जैव-उपचार के लिए निर्मित आर्द्रभूमियां इत्यादि को शामिल किया जाता है।
        - **ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर:** यह शहरी और भूमि-उपयोग संबंधी नियोजन में ब्लू (जल) घटकों जैसे कि नदियों, नहरों, तालाबों, आर्द्रभूमि, बाढ़ के मैदान, जल उपचार सुविधाओं एवं ग्रीन घटकों (भूमि) जैसे कि वृक्ष, वन, खेतों और पार्कों के उपयोग को संदर्भित करता है।
    - नियमित रूप से गाद निकालकर मौजूदा जल निकायों का बेहतर रखरखाव करना चाहिए।
    - **जलभृत के पुनर्भरण हेतु कम लागत वाली कृत्रिम तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए,** जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो।
- **चक्रीय जल अर्थव्यवस्था:**
    - कठोर निगरानी प्रक्रियाओं और उचित उपचार के माध्यम से **ग्रे-वाटर और अपरंपरागत जल संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।**
    - आवासीय परिसरों में गैर-पेयजल उपयोग के लिए **अपशिष्ट जल का उपचार और पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए।**
- **जागरूकता सृजन और समुदाय आधारित हस्तक्षेप:**
    - हितधारकों की भागीदारी के साथ एक प्रभावी जल प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए।
    - मंदिर परिसर या उसके निकट जल निकाय, बावली आदि जैसे परंपरागत जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए।
    - मौजूदा जल निकायों को साफ करने के लिए पुनरुद्धार अभियान चलाया जाना चाहिए।

जल संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहलें

- **जल शक्ति अभियान (JSA):** यह जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा अभियान है। इसके तहत जल संबंधी संकट की स्थिति वाले जिलों और ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
    - **जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान,** वर्षा जल का संचयन करने और संरक्षित करने पर केंद्रित है।
- **जल जीवन मिशन (JJM):** इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- **राष्ट्रीय जल मिशन (National Water Mission):** यह एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर केन्द्रित है। इसका उद्देश्य राज्यों के भीतर और अलग-अलग राज्यों में जल संरक्षण, जल की न्यूनतम बर्बादी और जल के अधिक समान वितरण को सुनिश्चित करने में सहायता करना है।
- **मिशन अमृत सरोवर:** इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना है।
- **अटल भूजल योजना (अटल जल):** यह योजना देश के सात राज्यों में जल संकट वाले निर्धारित क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसके तहत संधारणीय भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और मांग पक्ष संबंधी पहलुओं को महत्व दिया गया है।
- **भूजल निकासी पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए दिशा-निर्देश:** इसके तहत नए और मौजूदा उद्योगों, समूह आवास समितियों और निजी जल आपूर्ति टैंकरों के लिए NOC संबंधी आवेदन करना अनिवार्य किया गया है।
- **समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index: CWMI):** इसे नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय राज्यों में प्रभावी जल प्रबंधन को संभव करना है।

5.6.1. वाटर कन्वेंशन (Water Convention)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2022 में **वाटर कन्वेंशन (जल अभिसमय)** की **30वीं वर्षगांठ** है।

वाटर कन्वेंशन के बारे में

- इसका पूरा नाम **"कन्वेंशन ऑन दी प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ ट्रांसबाउड्री वाटरकोर्सेस एंड इंटरनेशनल लेक्स 1992" है।** इसे **संक्षिप्त रूप में वाटर कन्वेंशन** भी कहा जाता है।
- यह **एक अंतर्राष्ट्रीय क़ानूनी उपाय और एक अंतर-सरकारी मंच भी** है। इसका उद्देश्य ट्रांसबाउंडरी वाले जल संसाधनों के संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करना है। (दो या दो से अधिक देशों में विस्तृत झील, नदी घाटियां और जलभृतों आदि को ट्रांसबाउंडरी जल संसाधन कहते हैं।)
    - यह पक्षकारों (देशों) के द्वारा ट्रांसबाउंडरी जल के उचित और न्यायसंगत उपयोग के साथ-साथ जल के **संधारणीय प्रबंधन** को भी अनिवार्य करता है।
    - किसी ट्रांसबाउंडरी जल संसाधन के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को **संबंधित समझौते और संयुक्त निकायों की स्थापना करने** हेतु सहयोग करना होगा।

अन्य संबंधित तथ्य

जिनेवा वाटर डायलॉग

- **पहला जिनेवा वाटर डायलॉग स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया था।** यह नीदरलैंड, ताजिकिस्तान और मिस्र के **स्थायी मिशनों (Permanent Missions)** द्वारा सह-आयोजित किया गया था।
- **इस आयोजन को निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया गया था:**
    - विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO),
    - यू. एन. वाटर,
    - संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR),
    - मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय (OHHCR), तथा
    - जिनेवा वाटर हब
- इसमें राजनयिक मिशनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ-साथ **संयुक्त राष्ट्र प्रणाली संगठनों** के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।
- **उद्देश्य:** वर्ष **2023 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन** हेतु जिनेवा स्थित संगठनों और मिशनों से **महत्वपूर्ण इनपुट** प्राप्त करना। साथ ही, 2030 से पहले ही **SDG 6 को प्राप्त करने में तेजी लाने के लिए ठोस समाधानों की पहचान करना और उन्हें प्रस्तावित करना।**

- प्रारंभ में इसे एक क्षेत्रीय उपाय के रूप में लागू किया गया था। **वर्ष 2016 में इसे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया गया था।**
- **यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (UNECE)[74] द्वारा संचालित इस वाटर कन्वेंशन को वर्ष 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया था।** यह कन्वेंशन **वर्ष 1996 में लागू हुआ था।**
- **यह वाटर कन्वेंशन SDG 6** (स्वच्छ जल और स्वच्छता) तथा **लक्ष्य 6.5 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली साधन है।** SDG 6.5 सभी देशों से वर्ष 2030 तक सभी स्तरों पर **एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन** को लागू करने का आह्वान करता है, जिसमें ट्रांसबाउंडरी **सहयोग** करना भी शामिल है।

यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (United Nations Economic Commission for Europe: UNECE) के बारे में

- इसकी **स्थापना वर्ष 1947 में** संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (ECOSOC) द्वारा की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र के **पांच क्षेत्रीय आयोगों में से एक है।** अन्य चार क्षेत्रीय आयोग निम्नानुसार हैं:
    - अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग (ECA),
    - इकॉनोमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पसिफ़िक (ESCAP),
    - लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए आर्थिक आयोग (ECLAC),
    - पश्चिमी एशिया के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCWA)।
- UNECE का प्रमुख उद्देश्य **संपूर्ण यूरोपीय क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण** को बढ़ावा देना है।
- इसमें **यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के 56 सदस्य देश शामिल हैं।** हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के सभी इच्छुक सदस्य देश UNECE के कार्य में भाग ले सकते हैं।

- वर्ष 2022 में, **वाटर कन्वेंशन** द्वारा नौवें वर्ल्ड वाटर फोरम में **पहली बार ट्रांसबाउंडरी पवेलियन का आयोजन किया गया।** नौवें वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन सेनेगल के डकार (Dakar) शहर में हुआ था।

---

[74] United Nations Economic Commission for Europe

- वर्ल्ड वाटर फोरम **जल से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है।** यह वर्ष 1997 से **प्रत्येक तीन वर्ष** में एक बार आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन विश्व जल परिषद् (जो एक थिंक टैंक है) द्वारा एक मेजबान देश के साथ साझेदारी में किया जाता है।
- यह **फोरम मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय जल समुदाय और प्रमुख निर्णय निर्माताओं** को वैश्विक जल सम्बन्धी चुनौतियों पर **सहयोग करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।**

5.7. तटीय क्षेत्रों में भूमि का धंसाव (Land Subsidence in Coastal Areas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

IIT बॉम्बे के विशेषज्ञों द्वारा किए गए नए शोध के अनुसार **मुंबई शहर 2 मिली मीटर प्रतिवर्ष की दर से धंस रहा है। इसके लिए भू-अवतलन अथवा भू-निमज्जन (Land subsidence) नामक भौगोलिक परिघटना उत्तरदायी है।**

भूमि का धंसाव क्या है?

- **पृथ्वी की ऊपरी सतह के मंद गति से धंसने या अचानक जल स्तर से नीचे चले जाने** को **भूमि के धंसाव** के रूप में जाना जाता है। यह पृथ्वी के उप-सतही क्षेत्रों में पदार्थों के हटने या विस्थापित होने के कारण होता है। भूमि का धंसाव, भूमि का अवतलन और भूमि का निमज्जन तीनों समानार्थी शब्द हैं।

- इसे **प्रकृति-मानव जनित खतरा** माना जाता है। इस तरह की घटना को **टाला नहीं जा सकता है।**
- एक अनुमान के अनुसार 2040 तक, भूमि के धंसाव की परिघटना पृथ्वी की शीर्ष परत के लगभग 8% भाग और दुनिया के 21% बड़े शहरों में रहने वाले लगभग 1.2 बिलियन लोगों को प्रभावित करेगी।
- भारत में मुंबई के अलावा अन्य क्षेत्रों जैसे कोलकाता और दिल्ली में भी भूमि का धंसाव हो रहा है।
  - **ऐसे भू-क्षेत्र जिनकी ऊपरी परत महीन मृदा कणों से बनी** होती है वहां भूमि के धंसाव की अधिक संभावना होती है। उदाहरण के लिए, गंगा के मैदानों के उपजाऊ जलोढ़ निक्षेप (alluvial deposit) वाले क्षेत्र।

भूमि के धंसाव के प्रमुख कारण

- **प्राकृतिक कारक:** भूमि का धंसाव प्राकृतिक रूप से धीरे-धीरे या अचानक होने वाले संकुचन या मृदा की परतों में क्षति के परिणामस्वरूप होता है। इसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं:
  - विवर्तनिक गतिविधियां (जैसे- भूकंप और भ्रंश के निर्माण से) ।
  - ज्वालामुखीय गतिविधियां।
  - भूस्खलन।
  - घोलरंध्रों (सिंकहोल्स) का निर्माण।
  - पर्माफ्रॉस्ट (स्थायी तुषार-भूमि) का पिघलना।
- **मानव जनित कारण:**
  - **व्यापक भूजल निकासी के कारण जलभृत-प्रणालियों में संकुचन:** जलभृतों से अत्यधिक मात्रा में जल निकासी से जल क्षेत्रों के बीच मौजूद मृत्तिका का संस्तर (क्ले की परत) धीरे-धीरे धंसने लगता है। इसके परिणामस्वरूप जलभृतों के ऊपर की परतें भी धंसने लगती है। इसे ही भूमि का धंसाव कहते हैं।
    - विश्व भर में 80% से अधिक भूमि धंसाव अत्यधिक भूजल निकालने के कारण होता है।
  - भूमिगत अवसंरचना, जैसे - मेट्रो, सुरंग आदि का विकास।
  - तेल, गैस और खनिजों का अत्यधिक मात्रा में भूमिगत खनन कार्य।
  - अत्यधिक भार वाली संरचना का निर्माण जैसे - गगनचुंबी इमारतें।

आगे की राह

- **उन्नत उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके** भूमि के धंसाव की संभावना वाले **हॉटस्पॉट का सटीक निर्धारण करना चाहिए।** इससे स्थानीय प्राधिकरण ऐसे क्षेत्रों में निर्माण कार्य को प्रभावी रूप से विनियमित कर सकती है।
- **भूमि के धंसाव के कारणों के समाधान के लिए ऐसे क्षेत्रों के भू-भौतिकीय गुणों को बेहतर रूप से समझना चाहिए।**
  - उदाहरण के लिए, अत्यधिक भूजल निकासी वाले क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के लिए कड़े उपाय करना और अवैध भूजल निकासी के लिए दंडित करना आदि।
- **भूजल के अत्यधिक दोहन की भरपाई के लिए निम्नलिखित समाधानों को लागू करना, जैसे -**
  - वर्षा जल संचयन द्वारा भूजल का पुनर्भरण करना,
  - कुशलतापूर्वक जलभृत का पुनर्भरण करना,
  - तालाब का पुनरुद्धार करना,
  - अवैध भूजल पंपिंग पर रोक लगाना, और
  - भूजल संरक्षण में मदद करने वाली देशज वृक्षों की प्रजातियों का रोपण करना।
- भूमि के धंसाव की संभावना वाले क्षेत्रों में **निर्माण कार्यों की स्थिति का मूल्यांकन करके** आवश्यक सुधार और रखरखाव करना चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों में **बाढ़ और जल प्लावन के आकलन एवं मॉडलिंग में भूमि धंसाव को शामिल करना।**
- **व्यापक आपदाओं से बचने के लिए भूमि धंसाव की व्यवस्थित एवं निरंतर निगरानी करना।** यह कार्य विशेष रूप से अत्यधिक जनसंख्या वाले और भूकंप, बाढ़ जैसे अन्य जोखिमों की संभावना वाले क्षेत्रों में की जानी चाहिए।

5.8. पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ (Floods in North-East India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ के कारण लाखों लोग विस्थापित हो गए।

VISIONIAS

पूर्वोत्तर भारत में बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण

प्राकृतिक कारण

- **भूगोल एवं स्थलाकृति (topography):** पूर्वोत्तर भारत की स्थलाकृतिक और भौगोलिक विशेषता के कारण यह विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में से एक है। इसलिए संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत बाढ़ प्रवण क्षेत्र है।
  - इसके अतिरिक्त, असम, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है। असम में लघु हिमालय से निकलने वाली कई प्रमुख नदियां बहती हैं। मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने पर इन नदियों से असम और पड़ोसी राज्यों के बाढ़ के मैदानों में अचानक बाढ़ आ जाती है।
  - **नदी मार्ग में बदलाव:** पूर्वोत्तर भारत की नदियां कई जल-धाराओं में विभाजित होकर प्रवाहित होती हैं तथा विसर्प का भी निर्माण करती हैं। इसलिए पूर्वोत्तर भारत की नदियां बार-बार अपने मार्ग में बदलाव करती रहती हैं। इसके कारण इनसे आने वाली बाढ़ का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वर्ष 1960 से अब तक कुमुतिया नदी (Kumutiya river) 3 कि.मी. स्थानांतरित हो गई है। इसलिए पूरे गांव को भी स्थानांतरित होना पड़ा।

- **अत्यधिक गाद और गुम्फित जलमार्ग:** नदियों के प्रवाह मार्ग में कई जल-धाराएं एवं सहायक नदियां उसमें आकार मिलती हैं। ये नदियां अपने साथ ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र से विशाल मात्रा में गाद (silt) लाती हैं। यह गाद नदी के तल को उथला कर देतीं हैं जिससे जल सभी दिशाओं में फैलने लगता है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ ही, गाद गुम्फित जलमार्गों का निर्माण करने वाली नदियों के मुहाने (mouth) को भी जाम कर देती है। इससे जल अपवाह बाधित हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप बाढ़ की संभावना पैदा हो जाती है।

मानव जनित कारण

- **कमजोर तटबंध:** जल संसाधन पर स्थायी समिति (SCWR)[75] के अनुसार, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की मुख्य जल-धारा पर बने अधिकांश तटबंध 1960 और 70 के दशक के हैं। ये तटबंध अत्यधिक कमजोर हैं और बाढ़ का कारण बनते हैं।
- **नदीय क्षेत्रों का अतिक्रमण:** बाढ़ का मैदान नदी प्रवाह प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा होता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या विकासात्मक गतिविधि नदी के प्रवाह मार्ग (Right of Way) में बाधा पैदा करती है। इसके कारण बार-बार भयंकर बाढ़ आती है।

बाढ़ प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें

- **ब्रह्मपुत्र बोर्ड:** यह एक सांविधिक निकाय है। इसे **ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980** के तहत स्थापित किया गया था। इस बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य शामिल हैं।
  - इसका उद्देश्य **पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्राज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय नदियों के बाढ़ और नदी बेसिनों का एकीकृत प्रबंधन** करना है। इसके लिए यह राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसके अलावा, यह अपने उद्देश्य को साकार करने के लिए इस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों, अत्याधुनिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी विशेषज्ञता का भी उपयोग करता है।
- **बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (FMP):** इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। इसका उद्देश्य **नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, अपरदन रोधी, जल निकासी विकास, फ्लड प्रूफिंग, क्षतिग्रस्त बाढ़ प्रबंधन कार्यों का पुनरुद्धार और समुद्र अपरदन रोधी संबंधित कार्य करना था।**
- **केंद्रीय जल आयोग (CWC):** इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। इसका उद्देश्य **लाभकारी उपयोग, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ प्रबंधन एवं नदी संरक्षण के क्षेत्रों में पूरे देश में बाढ़ नियंत्रण, जल संसाधनों के संरक्षण और उपयोग से संबंधी उपायों को बढ़ावा देना है।**
- **राष्ट्रीय जल नीति, 2012:** इस नीति में कहा गया है कि नदी की पारिस्थितिकी संबंधी आवश्यकताओं को वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके तहत नदी की विशेषताओं जैसे कम प्रवाह या शून्य प्रवाह, छोटी बाढ़, बड़ी बाढ़ और प्रवाह में परिवर्तनशीलता आदि को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही, विकासात्मक परियोजनाओं का निर्माण करते समय नदी की पारिस्थितिकी संबंधी आवश्यकताओं को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए।

---

[75] Standing Committee on Water Resources

- **वनों की कटाई और आर्द्रभूमि का विनाश:** वृक्षों और आर्द्रभूमियों में जल प्रवाह को कम करने की क्षमता होती है। विकासात्मक कार्यों की वजह से वनों की कटाई और आर्द्रभूमि के विनाश ने नदियों की अपरदन प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप बाढ़ आने की संभवना बढ़ जाती है।
- **जलवायु परिवर्तन:** भारत में जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभाव जैसे- हीटवेव और बंगाल की खाड़ी पर प्रबल निम्न दाब से जुड़ी चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। इसके परिणामस्वरूप प्रबल दक्षिण-पश्चिमी पवनों द्वारा समय से पूर्व वर्षा की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- **अंतर्राज्यीय सहयोग का अभाव:** SCWR की रिपोर्ट के अनुसार, असम और पूर्वोत्तर (NE) क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के समक्ष कुछ समस्याएं हैं, जैसे-
  - अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के संबंध में राज्यों के बीच सहयोग का अभाव।
  - फ्लड प्लेन ज़ोनिंग के कार्यान्वयन में कठिनाई, और
  - विनियमों संबंधी कठिनाई।

बाढ़ प्रबंधन के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपाय

- **संरचनात्मक उपाय**
  - **जलाशयों का निर्माण:** सहायक नदियों और वितरिकाओं पर जलाशयों के निर्माण के साथ-साथ बाढ़ के जल का संचयन और जलाशयों के एकीकृत परिचालन की भी आवश्यकता है।
  - **तटबंधों को मजबूत करना:** SCWR ने तटबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। साथ ही, समिति ने रेवेटमेंट या रिइंफोर्सड सीमेंट कंक्रीट (RCC) पॉर्क्यूपाइन के रूप में तट की सुरक्षा करने संबंधी उपायों के साथ तटबंधों की ऊंचाई को बढ़ाने की आवश्यकता को भी उजागर किया है।
  - **नदियों का तलकर्षण (ड्रेजिंग) करना:** नदी तल के ड्रेजिंग से नदियों की जल धारण क्षमता बढ़ती है। इसके तहत समय-समय पर नदी में एकत्रित गाद को हटाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप बाढ़ की तीव्रता में कमी आती है।
  - **मौसम स्टेशन:** पूर्वोत्तर में समस्त बांधों पर नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र (Catchment area) में आधुनिक मौसम स्टेशन स्थापित करने चाहिए और बांधों के पास नदी के किनारे सायरन लगाने चाहिए। इससे बाढ़ की स्थिति में नदी के निचले क्षेत्र में रहने वाली आबादी को सतर्क किया जा सकेगा।
- **प्रशासनिक उपाय**
  - **पूर्वोत्तर जल प्रबंधन प्राधिकरण (NEWMA):** यह सभी पूर्वोत्तर राज्यों में निम्नलिखित से संबंधित सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए शीर्ष संस्था होगी:
    - जल-विद्युत, जैव-विविधता संरक्षण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, अंतर्देशीय जलमार्ग, वानिकी, मत्स्य पालन और इको-पर्यटन।
  - **नदी बेसिन संगठन (RBO):** RBO की स्थापना नदी बेसिन के समग्र विकास के अलावा प्रभावी रूप से तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करेगी। यह एकीकृत बेसिन प्रबंधन में प्रभावी रूप से मदद करेगा और बाढ़ की स्थिति को कम करेगा।
  - **फ्लड प्लेन ज़ोनिंग:** फ्लड-प्लेन ज़ोनिंग उपायों का उद्देश्य अलग-अलग परिमाणों अथवा आवृत्तियों के आधार पर बाढ़ के क्षेत्रों का सीमांकन करना है। साथ ही, इसके तहत इन क्षेत्रों में स्वीकृत विकासात्मक कार्यों का विस्तृत विवरण भी तैयार किया जाता है ताकि जब भी वास्तव में बाढ़ आए तो कम से कम नुकसान हो।
- **अन्य उपाय**
  - **चिकित्सा तैयारी और राहत एवं बचाव कार्य:** प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़, बड़े पैमाने पर अप्रत्याशित जनहानि कर सकती है। बाढ़ के कारण **जल के दूषित होने और मच्छरों से जुड़ी बीमारियों के खतरे के साथ-साथ डूबने और शारीरिक आघात का खतरा** भी होता है। इसलिए **प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों और रोगियों को बचाने की योजना** के साथ बाढ़ के लिए चिकित्सा संबंधी तैयारी आवश्यक है।

बाढ़ पर NDMA के दिशा-निर्देशों का सारांश	
संरचनात्मक उपाय	**गैर-संरचनात्मक उपाय**
• नदी के मार्ग को बदलने से रोकने के लिए **तटबंधों/तटों, बाढ़ दीवारों/अवरोधकों और बाढ़ तटबंधों** का निर्माण करना। • बाढ़ के जल के प्रबंधन हेतु बांधों और जलाशयों का निर्माण करना। • नदी की वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए नदी के जल मार्ग में सुधार करना। • नदियों में से गाद को हटाना। • नदी जल अपवाह को नियंत्रित करने के लिए जलग्रहण क्षेत्रों में वनीकरण करना।	• बाढ़ के मैदानों में भूमि उपयोग को विनियमित करने के लिए **फ्लड प्लेन ज़ोनिंग** करना। • ऊंचे प्लेटफॉर्म्स पर भवन और बाढ़ आश्रयों आदि के निर्माण के साथ **फ्लड प्रूफिंग करना।** • **बाढ़ का पूर्वानुमान और चेतावनी देना।** • जल संसाधन आकलन, सामाजिक-आर्थिक आकलन, जल संसाधन नियोजन, कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन, दिन-प्रतिदिन जल संसाधन प्रबंधन के लिए **एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन करना।** • **गंगा और ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्डों को मजबूत** करने के उपाय करना।

VISIONIAS

5.9. सतत विकास रिपोर्ट 2022 (Sustainable Development Report 2022)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क (SDSN) ने सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक 'फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट: द SDGs एज रोडमैप टू 2030 एंड बियॉन्ड[76]' है।

पृष्ठभूमि

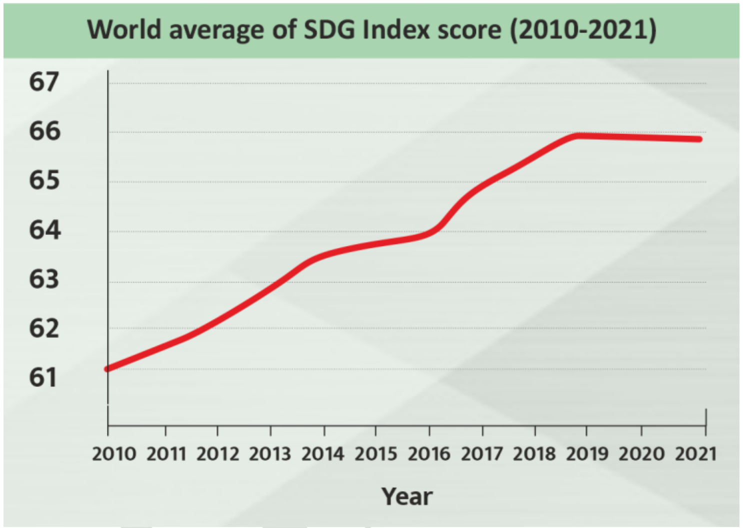

- सतत या संधारणीय विकास **संयुक्त राष्ट्र का एक व्यापक आदर्श है।** सतत विकास की अवधारणा को **वर्ष 1987 के ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट** में प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार **संधारणीय विकास से आशय भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने से है।**
- वर्ष 2015 में निम्नलिखित तीन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को अपनाया जाना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक **प्रमुख वैश्विक सफलता** माना जाता है:
  - **एजेंडा 2030 और SDGs,**
  - **पेरिस जलवायु समझौता तथा**
  - **आदिस अबाबा एक्शन एजेंडा ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट।**

सतत विकास रिपोर्ट 2022 के मुख्य निष्कर्ष

- **SDGs पर प्रगति के लिए शांति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मूलभूत आवश्यकताएं हैं।**
  - **यूक्रेन युद्ध और अन्य सैन्य संघर्ष एक प्रकार की मानवीय त्रासदी हैं।** ये दुनिया के बाकी हिस्सों में भी समृद्धि और सामाजिक परिणामों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। **इसमें निर्धनता, खाद्य असुरक्षा में वृद्धि होना और किफायती ऊर्जा तक पहुंच बाधित होना शामिल है।** साथ ही, **इन संकटों के प्रभाव को जलवायु और जैव विविधता संबंधी संकट और अधिक बढ़ा रहे हैं।**
- **लगातार दूसरे वर्ष भी, विश्व SDGs की दिशा में प्रगति नहीं कर सका है।**
  - **2021 में औसत SDG इंडेक्स स्कोर में गिरावट आई है।** इसके लिए गरीब और कमजोर देशों में धीमी या न के बराबर पुनर्बहाली उत्तरदायी है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्पिलओवर:** अंतर्राष्ट्रीय स्पिलओवर प्रभाव के तहत एक देश द्वारा की गई कार्रवाइयों से दूसरे देश को लाभ या हानि होती है। यह लाभ और हानि दूसरे देश के बाजार की कीमतों में परिलक्षित नहीं होती है। इसलिए इसे उपभोक्ताओं और उत्पादकों द्वारा इंटरनलाइज नहीं किया जाता हैं। यह **असंधारणीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से नकारात्मक सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय स्पिलओवर उत्पन्न करता है।**

समृद्ध देशों द्वारा उत्पन्न नकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय स्पिलओवर को रोकने के लिए की जाने वाली प्रमुख प्राथमिकताएं:

- **अंतर्राष्ट्रीय विकास और जलवायु वित्त को बढ़ाना:** वर्ष 2023 तक **वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर दर** को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता सही दिशा में उठाया गया एक कदम है, लेकिन इसका प्रभावी कार्यान्वयन अनिवार्य होगा।
- **तकनीकी सहयोग और SDG कूटनीति का लाभ उठाना:** तकनीकी सहयोग और ज्ञान हस्तांतरण, प्रभावित देशों में अधिक संधारणीयता को साकार करने में मदद कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि **प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा निवेश कार्यक्रम** मुख्यतः SDGs के अनुरूप हों और विकासशील देशों में उत्पादन प्रणालियों तथा कनेक्टिविटी का आधुनिकीकरण करते हों। इन **प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा निवेश कार्यक्रमों में संयुक्त राज्य अमेरिका की बिल्ड बैक बेटर योजना, यूरोपीय संघ की वैश्विक गेटवे रणनीति और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल शामिल है।**
- **अन्य देशों पर खपत-आधारित प्रभावों से निपटने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों और साधनों को अपनाना:** समृद्ध देशों को **अपशिष्ट और विषैले कीटनाशकों के व्यापार पर भी अंकुश लगाना चाहिए।** साथ ही, बेहतर संतुलित आहार प्रथाओं और सामग्री की खपत को कम करते हुए असंधारणीय खपत को कम करना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए **2022 में, स्वीडन, आयातित खपत-आधारित CO_2 उत्सर्जन को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने** वाला **पहला देश** बन गया है।
- **जवाबदेही, डेटा और सांख्यिकी: एक मजबूत डेटा सिस्टम** अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, औद्योगिक और कॉरपोरेट स्तरों पर **SDG की रिपोर्टिंग करने का बेहतर और अभिन्न अंग हैं।** यह SDG पर स्पिलओवर के नकारात्मक प्रभावों को ट्रैक करने में सहायता करेगा।

---

[76] From Crisis to Sustainable Development: The SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond

सतत विकास रिपोर्ट 2022 और भारत

- इस रिपोर्ट में वर्ष 2022 में **फ़िनलैंड को शीर्ष स्थान मिला** है। साथ ही, **भारत को 163 देशों में से 121 वां स्थान मिला है।** भारत वर्ष 2020 में 117 वें स्थान पर और 2021 में 120 वें स्थान पर था। 2022 की रिपोर्ट लगातार तीसरे वर्ष भी भारत की रैंकिंग में गिरावट देखी गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार **भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 11 को प्राप्त करने में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है।** हालांकि, इसमें यह उल्लेख किया गया है कि भारत जलवायु कार्रवाई पर SDG 13 को प्राप्त करने की सही राह पर है। **(इन्फोग्राफिक देखें)**
- रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि **भारत के नवीनतम केंद्रीय या संघीय बजट में SDG का उल्लेख नहीं किया गया है।**

भारत का SDG डैशबोर्ड और 2022 की रिपोर्ट में रुझान

भारत और सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

- **भारत सरकार SDG सहित एजेंडा 2030 के लिए प्रभावी रूप से प्रतिबद्ध** है। भारत के राष्ट्रीय विकास लक्ष्य और **"सबका साथ, सबका विकास" जैसी समावेशी विकास संबंधी नीतिगत पहलें SDGs के अनुरूप हैं।**
- **भारत में SDGs के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई**
  - भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक **नीति आयोग** को **SDGs के समन्वय का कार्य सौंपा** गया है।
  - नीति आयोग द्वारा संबंधित योजनाओं को SDGs और उनके लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है। साथ ही, नीति आयोग प्रत्येक लक्ष्य के लिए नोडल और सहायक मंत्रालयों का भी सहयोग करता है।
  - इसके अलावा, **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा SDGs के लिए राष्ट्रीय संकेतकों को विकसित करने के लिए चर्चाओं का आयोजन भी किया जा रहा है।**
- **SDG के संबंध में प्रगति के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है:**
  - **राज्यों को सलाह दी गई है कि वे** संबंधित केंद्र प्रायोजित योजनाओं और अपनी योजनाओं को SDGs एवं उनके लक्ष्यों के साथ जोड़ें। **राज्य सरकारों द्वारा किया जाने वाला प्रभावी प्रयास SDG एजेंडा पर भारत की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।** साथ ही, कई राज्य SDGs के लिए विजन, योजना, बजट और कार्यान्वयन तथा निगरानी प्रणाली विकसित करने पर भी गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं।
  - **स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे सरकार के कई प्रमुख कार्यक्रम SDGs के अनुरूप हैं।** साथ ही, **इनमें से कई कार्यक्रमों में राज्य और स्थानीय सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका** भी निभाती हैं।
  - **17 SDGs में से 15 SDGs देश में स्थानीय सरकारों द्वारा की जा रही गतिविधियों से सीधे संबंधित** हैं । इसलिए स्थानीय सरकारों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन, वैश्विक भुखमरी, आंतरिक और बाहरी संघर्ष जैसी चुनौतियों की व्यापकता ने **सतत विकास दृष्टिकोण के महत्व को उजागर किया है।** हालांकि, ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी के आगमन और समावेशी विकास के महत्व को मान्यता मिलने से **विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध संभव हो पाया है।** इसलिए, भारत के लिए SDGs के कार्यान्वयन, निगरानी और प्रगति को मापने के लिए प्रभावी तरीके विकसित करना अत्यंत आवश्यक है।

5.10. यूरेनियम खनन (Uranium Mining)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राजस्थान सरकार ने यूरेनियम खनन के लिए आशय पत्र (LOI)[77] जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **सीकर जिले के रोहिल (खंडेला तहसील) में** यूरेनियम अयस्क के खनन के लिए भारतीय यूरेनियम निगम (UCI)[78] को पट्टे पर खनन के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है।
    - **आशय पत्र (LOI):** यह एक प्रकार का दस्तावेज होता है। इसमें किसी कानूनी समझौते को अंतिम रूप देने से पहले दो या दो से अधिक पक्षों के बीच समझौते की सामान्य योजनाओं की रूपरेखा का ब्यौरा होता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **भारत में यूरेनियम संसाधन:** 2021 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 650 हजार टन।
- **भारत में यूरेनियम का उत्पादन:** सरकार भारत में यूरेनियम के कुल उत्पादन की मात्रा का खुलासा नहीं करती है।
- **यूरेनियम का आयात:** भारत ने पिछले 3 वर्षों में लगभग 7600 टन यूरेनियम का आयात किया है। इसका अधिकांश भाग कजाकिस्तान और कनाडा से आयात किया जाता है।

यूरेनियम के बारे में

- यूरेनियम **प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रेडियोधर्मी खनिज** है। यह भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
    - **यूरेनियम पृथ्वी पर पाया जाने वाला दुर्लभ तत्व नहीं है।**
    - पृथ्वी की प्रति मिलियन भूपर्पटी में 2.8 भाग यूरेनियम है (Parts Per Million)। साथ ही, यह अलग-अलग भूगर्भिक संरचनाओं में काफी बड़ी मात्रा में भी पाया जाता है।
    - यह **सोने, चांदी या पारा की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसकी उपलब्धता लगभग टिन के बराबर है। साथ ही यह कोबाल्ट, सीसा या मोलिब्डेनम से थोड़ा ही कम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।**
    - **विश्व के महासागरों में भी** बड़ी मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है, **किंतु उसकी सांद्रता बहुत कम है।**
- **कजाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार स्थित है और वह इसका सबसे बड़ा उत्पादक** (विश्व आपूर्ति का लगभग 45%) देश **भी है।** इसके बाद नामीबिया और कनाडा का स्थान आता है।
    - दुनिया भर में अधिकांश यूरेनियम भंडार निम्न श्रेणी के हैं, लेकिन विशेष रूप से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मध्यम से लेकर उच्च श्रेणी के भी कुछ भंडार मौजूद हैं।
- **यूरेनियम के सभी समस्थानिक (Isotope) रेडियोधर्मी होते हैं** और समय के साथ हल्के तत्वों (Lighter Elements) में उनका क्षय हो जाता है।

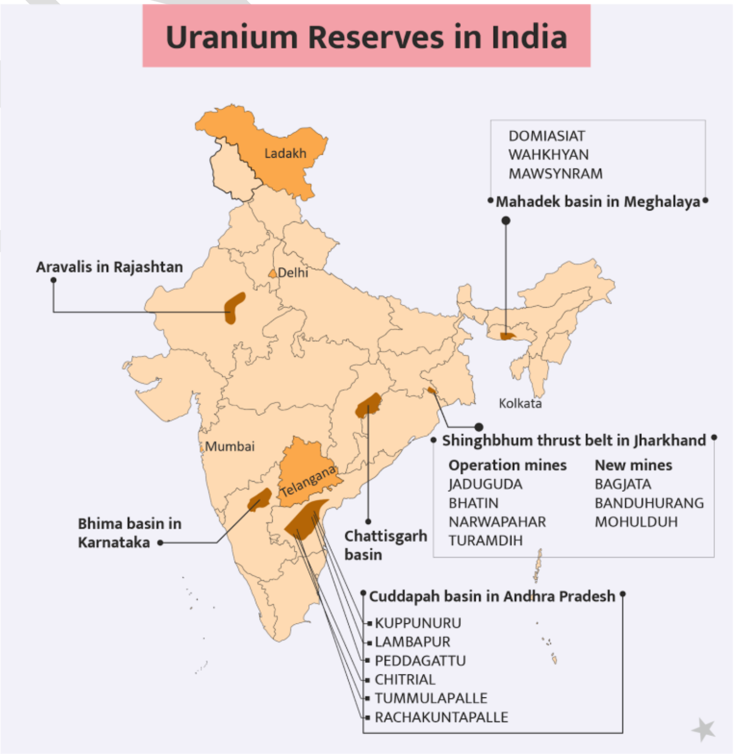

77 Letter Of Intent

78 Uranium Corporation of India

- **यूरेनियम का सबसे सामान्य समस्थानिक U-238 है।** प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम का 99.3% भाग **U-238 होता** है। दूसरा **सबसे सामान्य समस्थानिक U-235 है।** प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम का 0.7% भाग **U-235 होता** है। **साथ ही, बाकी अन्य समस्थानिक अल्प मात्रा में पाए जाते होते हैं।**
- **U-235 विखंडनीय पदार्थ है।** इसलिए विखंडन के दौरान उत्सर्जित न्यूट्रॉन अन्य U-235 नाभिकों के भी विखंडन को प्रेरित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक ऊर्जा पैदा होती है।

- वर्तमान में, विश्व के परमाणु ऊर्जा केंद्रों के परिचालन का आधार यह विखंडन प्रक्रिया है। इसलिए यूरेनियम एक मूल्यवान खनिज संसाधन है।
- भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है **जिसने परमाणु ईंधन चक्र के सभी चरणों में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। इन चरणों में शामिल हैं:**
  - **यूरेनियम की खोज, खनन, निकलना;**
  - **ईंधन के रूप में रूपांतरित करना;**
  - **रिप्रोसेसिंग और अपशिष्ट प्रबंधन करना।**
- भारत **यूरेनियम का उत्पादक और आयातक दोनों है।** भारत अपने सीमित भंडार से उत्पादित सभी यूरेनियम का उपयोग कर लेता है।

भारत में यूरेनियम खनन

- भारत 1949 से यूरेनियम का सर्वेक्षण और खोज कर रहा है।
  - UCIL के अनुसार, **जादूगोड़ा में खनन कार्य 1967 में शुरू हुआ। साथ ही, यह भारत की पहली यूरेनियम खदान भी है।**
- **परमाणु खनिज** अन्वेषण और अनुसंधान **निदेशालय**[79] **देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक यूरेनियम संसाधनों की पहचान और मूल्यांकन करता है।**
  - इसके द्वारा यूरेनियम का अंतिम अन्वेषण पूरा करने के बाद, **यह यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) को सूचना/डेटा सौंप देता है।**
  - भारत में, **UCIL एकमात्र ऐसा संगठन है जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए यूरेनियम अयस्क के खनन और प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है।**
- यूरेनियम के खनन और अन्वेषण के संबंध निम्नलिखित कानूनों में भी दिशा-निर्देश मौजूद हैं:
  - **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957**,
  - खनिज संरक्षण और विकास नियम 2017,
  - खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम 2021

यूरेनियम खनन

- यूरेनियम संसाधनों का खनन तीन तरीकों से किया जा सकता है: **ओपन पिट, भूमिगत खनन और इन-सीटू लीच (ISL)।**
  - **ओपन पिट (Open Pit):** जब यूरेनियम अयस्क धरातल से आमतौर पर लगभग 100 मीटर तक की गहराई में पाया जाता है, तो इसका खनन ओपन पिट माइनिंग के माध्यम से किया जाता है। इसके तहत मशीनों के द्वारा मिट्टी और बेकार चट्टान को हटा दिया जाता है, ताकि अयस्क तक पहुँचा जा सके।
  - **भूमिगत खनन:** धरातल से 100 मीटर से अधिक गहराई पर मौजूद यूरेनियम की गुणवत्ता एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर भूमिगत खदानें स्थापित की जाती हैं।
  - **इन-सीटू लीच (ISL) खनन:** जब यूरेनियम अयस्क अधिक गहराई में मौजूद होता है तब ओपन पिट खनन नहीं किया जा सकता है। साथ ही, अधिक गहराई में होने और अन्य कारकों के कारण भूमिगत खनन की तुलना में इन-सीटू लीच विधि अधिक व्यावहारिक भी होती हैं। इस विधि से धरातल पर बहुत कम पर्यावरणीय व्यवधान उत्पन्न होता है।

यूरेनियम खनन में चुनौतियां

- **लघु निम्न-श्रेणी के भंडार (Small Low-Grade Deposits):** भारत में अब तक प्राप्त हुए अधिकांश यूरेनियम भंडार निम्न श्रेणी के हैं।

[79] Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research

- **विकिरण संबंधी खतरा:** भूमिगत खदानों में खनन करने वाले लोगों को विकिरण का खतरा हो सकता है। एक कुशल वेंटिलेशन प्रणाली के अभाव में रेडॉन गैस खदानों में एकत्रित हो सकती है, और सांस के माध्यम से खनिकों के शरीर में प्रवेश कर सकती है।
- **पर्यावरण को नुकसान:** यूरेनियम खनन का व्यापक प्रभाव होता है। यह रेडियोधर्मी धूल, रेडॉन गैस, जल-जनित विषाक्तता और आस-पास के क्षेत्र में विकिरण के बढ़े हुए स्तर आदि के माध्यम से पर्यावरण और भूजल को दूषित करता है।
- **नकारात्मक सार्वजनिक धारणा:** परमाणु और खनन उद्योगों के बारे में जनता में नकारात्मक धारणा भी एक बड़ी चुनौती है।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी उन्नयन:** यूरेनियम की खोज करने हेतु वर्तमान प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, ताकि बेहतर गुणवत्ता वाले, विशाल यूरेनियम भंडारों का पता लगाया जा सके।
- **कार्यबल को जुटाना:** किसी एक ऑपरेटिंग यूनिट में समर्पित प्रशिक्षण केंद्र या राष्ट्रीय ख्याति के किसी भी शैक्षणिक संस्थान से ऑपरेटिंग यूनिट की संलग्नता, कार्यबल के भीतर व्यावसायिक क्षमता पैदा करने में मदद कर सकती है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन:** वर्तमान में, उभरते यूरेनियम खनन क्षेत्रक को रेडियोधर्मी अपशिष्ट (ठोस और तरल अपशिष्ट) का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही, इससे जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों और कड़े पर्यावरणीय दिशानिर्देशों के बारे में अधिक जन जागरूकता लानी चाहिए।
- **विदेशों में यूरेनियम संपत्तियों में हिस्सेदारी हासिल करना:** हालिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सहयोग ने भारत को सहयोगी देशों से यूरेनियम ईंधन के आयात द्वारा अपनी ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने का अवसर प्रदान किया है।
  - हालांकि, देश के तीन चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में और अधिक स्वदेशी ईंधन की आवश्यकता होगी।
- **जागरूकता बढ़ाना:** यूरेनियम खनन को लेकर बनी नकारात्मक सार्वजनिक धारणा का समाधान सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। इस कार्य को समुदाय और नागरिक समाज को शामिल करते हुए अलग-अलग मंचों के मध्यान से सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों द्वारा किया जा सकता है।
- **वैश्विक सहयोग:** वैश्विक प्रौद्योगिकी और यूरेनियम उत्पादन क्षेत्रक में सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाकर वैश्विक सहयोग का लाभ उठाया जाना चाहिए।

5.11. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News In Shorts)

5.11.1. जलवायु और ऊर्जा पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच की बैठक का आयोजन {Major Economies Forum (MEF) On Climate And Energy}

- **MEF बैठक के निम्नलिखित उद्देश्य थे:**
  - जलवायु कार्रवाई को और मजबूत करके **COP-26 में हासिल की गई प्रगति** को जारी रखना, तथा
  - रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न होने वाली **ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा** से संबंधित तत्काल चिंताओं को दूर करना।
- MEF को वर्ष 2009 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लॉन्च किया था।
  - इस मंच का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ बेहतर प्रयासों के लिए **प्रमुख उत्सर्जक देशों (विकसित और विकासशील) के बीच वार्ता** को सुविधाजनक बनाना है।
  - MEF में **भाग लेने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं:** ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, यू.के. आदि।
  - वैश्विक **सकल घरेलू उत्पाद और वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** में इन अर्थव्यवस्थाओं का लगभग **80 प्रतिशत हिस्सा** है।
- **बैठक में निम्नलिखित नई पहलों की घोषणा की गयी:**
  - **ग्लोबल मीथेन प्लेज एनर्जी पाथवे:** इसमें तेल और गैस क्षेत्र से मीथेन रिसाव, वेंटिंग (निकास) और फ्लेयरिंग से निपटना आदि शामिल हैं।
  - **सामूहिक 2030 शून्य-उत्सर्जन वाहन लक्ष्य और हरित नौवहन चुनौती:** इसे परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
  - **स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन चुनौती:** इस पहल की घोषणा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए की गयी है।
  - उर्वरक दक्षता बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों की भी घोषणा की गयी।
- **भारत** ने इस मंच के सदस्यों से **लाइफ/LIFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट)** पर एक **वैश्विक आंदोलन** शुरू करने का भी आह्वान किया।
  - भारतीय प्रधानमंत्री ने **ग्लासगो में आयोजित COP26 में 'लाइफ' का विचार** प्रस्तुत किया था।

5.11.2. लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट {Leaders in Climate Change Management (LCCM)}

- **राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA) और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (WRI) ने** संयुक्त रूप से LCCM की घोषणा की है।
- LCCM एक **अभ्यास-आधारित लर्निंग कार्यक्रम है।** इसका लक्ष्य भारत में विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक स्थानों में **जलवायु कार्रवाई का नेतृत्व करने के लिए शहरी पेशेवरों में क्षमता का निर्माण** करना है।
- LCCM ने **5,000 पेशेवरों को सक्षम** बनाने तथा उन्हें **जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन से जुड़े चैंपियन (कारगर) समाधानों** के लिए तैयार करने की परिकल्पना की है।
- प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (ATI), **मैसूरु LCCM कार्यक्रम का पहला डिलीवरी पार्टनर** बना है।

5.11.3. वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद {Global Environment Facility (GEF) Council}

- 62वीं बैठक **जी.ई.एफ. ट्रस्ट फंड (GEF-7) की अंतिम बैठक** होगी। इसी के साथ चार वर्ष का **वित्त पोषण चक्र समाप्त** हो जायेगा। इसके बाद **GEF-8 चक्र** शुरू होगा।
- **GEF-7 के निम्नलिखित कार्य हैं:**
  - यह विश्व के वनों, भूमि, जल, जलवायु और महासागरों की **रक्षा** करता है,
  - यह **हरित शहरों का निर्माण** करता है,
  - यह संकटापन्न **वन्य जीवों की रक्षा** करता है और
  - यह समुद्री **प्लास्टिक प्रदूषण** से निपटता है।
- **मुख्य निष्कर्ष**
  - विश्व के नेताओं ने **वर्ष 2030 तक** प्रजातियों के विलुप्त होने की घटना को उलटकर उनकी पुनर्प्राप्ति हेतु **'प्रकृति के लिए संकल्प'** लिया है। इस संकल्प की प्राप्ति वैश्विक स्तर पर जैव विविधता वाले महत्वपूर्ण स्थलों और महासागर क्षेत्रों की रक्षा करके की जाएगी।
  - **29 दाता देशों** ने प्रकृति और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए GEF-8 पुनर्पूर्ति अवधि हेतु **5.33 अरब डॉलर देने का वादा** किया है। GEF-8 की अवधि जुलाई 2022 से जून 2026 तक है।
  - यह जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और रसायनों एवं अपशिष्ट से जुड़े **खतरों को दूर करने का प्रयास** करेगा। साथ ही, यह समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय जल पर दबाव को भी कम करेगा।
- GEF की स्थापना वर्ष **1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान** हुई थी। यह **एकमात्र** ऐसा **बहुपक्षीय कोष** है, जो पर्यावरणीय स्थिति के सभी पहलुओं पर काम कर रहा है।
  - यह 18 एजेंसियों की एक अनूठी साझेदारी है। इसमें संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक आदि शामिल हैं। ये जैव विविधता चुनौतियों का समाधान करने के लिए 183 देशों के साथ कार्य कर रहे हैं।
  - यह निम्नलिखित **पांच प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभिसमयों के लिए वित्तीय तंत्र प्रदान करता है:**
    - संयुक्त राष्ट्र जलवायु विविधता अभिसमय (UNCBD),
    - संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD),
    - जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC),
    - पारा पर मिनामाता अभिसमय, और
    - चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय।
  - **GEF ट्रस्ट फंड** की स्थापना पृथ्वी ग्रह की सबसे अधिक दबाव वाली पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए की गई थी।

GEF परिषद के बारे में

- यह GEF का **मुख्य शासी निकाय** है। इसमें GEF सदस्य देशों के निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा नियुक्त **32 सदस्य** शामिल हैं। 32 सदस्यों में 14 विकसित देशों से, 16 विकासशील देशों से और दो संक्रमण से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं से नियुक्त किये जाते है।
- इसके सदस्य प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा निर्धारित **अलग-अलग अंतरालों पर बारी-बारी से** नियुक्त होते हैं।

VISIONIAS

- **भारत वर्तमान में एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य** है, जिसमें अग्रलिखित देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका।
- इसकी **बैठक वर्ष में दो बार** होती है। यह GEF-वित्तपोषित गतिविधियों के लिए परिचालनात्मक नीतियों और कार्यक्रमों का विकास, अंगीकरण एवं मूल्यांकन करती है।
- यह कार्ययोजना की समीक्षा और उसे स्वीकृति प्रदान करती है। यह **सर्वसम्मति से निर्णय** लेती है।

5.11.4. पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक {Environment Performance Index (EPI)}

- पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, 2022 में **18.9 EPI के स्कोर के साथ भारत 180वें स्थान पर है।**
- EPI, का प्रकाशन **द्विवार्षिक** रूप से किया जाता है। इसे **वर्ष 2002 में पर्यावरण संधारणीयता सूचकांक** के रूप में आरंभ किया गया था।
  - इसे **विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने येल सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से** तैयार किया है।
  - EPI जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र की जीवतता (vitality) के आधार पर **180 देशों को रैंकिंग** प्रदान करता है।

5.11.5. लिविंग लैंड्स चार्टर (Living Lands Charter)

- **राष्ट्रमंडल के सभी 54 सदस्य देश, अपने-अपने राज्यक्षेत्रों में आगामी पीढ़ियों को स्वेच्छा से एक 'लिविंग लैंड' समर्पित करने के लिए** सहमत हुए हैं।
- इसका **उद्देश्य सदस्य देशों को** तीन रियो सम्मेलनों **के तहत उनकी प्रतिबद्धताओं को पूरा** करने में सहायता करना है, अर्थात्,
  - संयुक्त राष्ट्र **जैव विविधता** अभिसमय (CBD)।
  - संयुक्त राष्ट्र **मरुस्थलीकरण** रोकथाम अभिसमय (UNCCD)।
  - **जलवायु परिवर्तन** पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)।
- **राष्ट्रमंडल राष्ट्र के बारे में**
  - इसका गठन 1900 के दशक की शुरुआत में तब किया गया था, **जब राष्ट्रों ने ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होना शुरू** कर दिया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश **विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को आसान** बनाना था।
  - **भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है।**

5.11.6. संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UN Ocean Conference)

- **केन्या और पुर्तगाल की सह-मेजबानी** में पांच दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की शुरुआत हुई है।
  - इसके तहत विश्व के 130 से अधिक देशों के नेता दुनिया के **महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर पहुंचने** के लिए पांच दिनों तक विचार-विमर्श करेंगे।
- यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण समय पर आयोजित किया जा रहा है। इस समय विश्व **सतत विकास लक्ष्य-14** को प्राप्त करने के लिए **संरचनात्मक परिवर्तनों तथा अभिनव एवं हरित समाधानों की आवश्यकता वाली कई चुनौतियों का समाधान** करने के लिए प्रयासरत है।

5.11.7. कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट 2021-22 (Carbon Pricing Leadership Report 2021-22)

- यह रिपोर्ट **कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन (CPLC)** के सचिवालय द्वारा जारी की गयी है। **यह रिपोर्ट अग्रलिखित विषयों पर समीक्षा प्रदान करती है:** कार्बन मूल्य निर्धारण में वैश्विक विकासक्रम, कार्बन बाजार के विकास के निहितार्थ और कार्बन मूल्य निर्धारण क्षमता की व्यापक सीमाएं।
  - **कार्बन मूल्य निर्धारण,** उत्सर्जन पर शुल्क लगाकर और/या कम उत्सर्जन के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाता है।
  - कार्बन उत्सर्जन पर **निम्नलिखित दो तरीके से मूल्य लागू किया जाता है:**
    - **कार्बन कर:** यह वह मूल्य है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक मीट्रिक टन उत्सर्जन के लिए सरकारें उत्सर्जकों से वसूल करती हैं।

- **उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (कैप एंड ट्रेड/सीमा और व्यापार):** यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक **व्यापार योग्य-परमिट प्रणाली** है। इसके तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की ऊपरी सीमा (कैप) निर्धारित की जा सकती है। इस सीमा तक उत्सर्जन की अनुमति होती है।

- **कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन (CPLC)** एक **स्वैच्छिक पहल** है। यह **सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज और शिक्षा जगत के नेतृत्व** को एक साथ लाती है। इससे प्रभावी **जलवायु कार्रवाई** में तेजी लाने और उसके **वित्तपोषण** के लिए एक साधन के रूप में **कार्बन मूल्य निर्धारण** की वैश्विक समझ में वृद्धि की जा सकेगी।
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**
  - वर्तमान में **वैश्विक उत्सर्जन का 4% से कम कार्बन मूल्य निर्धारण के दायरे में** है। यह पेरिस समझौते के वैश्विक तापन रोधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक की आवश्यक सीमा के भीतर है।
  - कई देशों ने अपनी **कार्बन कर दरों में वृद्धि** की है और अधिक महत्वाकांक्षी मार्ग को अपनाया है।
  - कई देशों में **प्रायोगिक उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS)**[80] पर विचार किया जा रहा है।
  - **अनुच्छेद 6 पर समझौता** कार्बन बाजारों में रुचि को और प्रोत्साहित कर रहा है।
    - यह राष्ट्रों को **दोहरी गणना से बचने हेतु पर्यावरणीय समग्रता** के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। यह विकासशील देशों में निजी पूंजी आने का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

5.11.8. कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का वर्तमान स्तर 40 लाख वर्ष पहले के स्तर के बराबर हो गया {Carbon dioxide (CO2) Levels Are Now Comparable to What They Were 4 Million Years Ago}

- हाल ही में, **मौना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी (MLABO), हवाई** में CO_2 का मापन किया गया है। निष्कर्ष के अनुसार इसकी मात्रा, मई 2022 में **421 पार्ट्स प्रति मिलियन (PPM)** के स्तर को पार कर गई थी।
  - MLABO का संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका का **नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन** (NOAA) करता है।
  - MLABO मौना लोआ ज्वालामुखी की ढलानों पर CO_2 को मापने के लिए **एक मानक स्थल** है। मौना लोआ **विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी** है।
  - मापी गई अन्य गैसों में शामिल हैं: **कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड** आदि।
- MLABO वर्ष 1958 से, **कीलिंग कर्व** के तहत वैश्विक वायुमंडलीय CO_2 सांद्रता का **दैनिक रिकॉर्ड** रखने वाला स्थल है।
  - कीलिंग कर्व का नाम डॉ. **चार्ल्स डेविड कीलिंग** के नाम पर रखा गया है। यह विश्व में वायुमंडलीय CO_2 का **सबसे लंबा निर्बाध तकनीकी रिकॉर्ड** है।

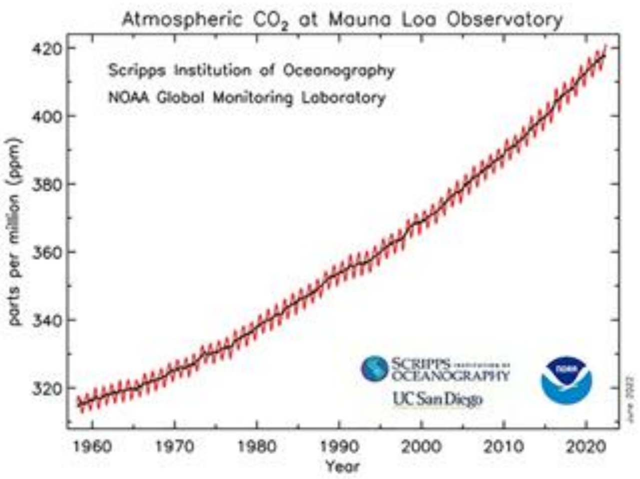

- **इस वर्ष MLABO में मापी गई CO2 के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:**
  - **औद्योगिक क्रांति-पूर्व स्तर के 280 PPM से 50% अधिक** है (वर्ष 2021 से 1.8 PPM अधिक)।
  - यह लगभग **41 से 45 लाख वर्ष पहले के प्लायोसीन युग के स्तर के बराबर** है।
    - उस समय वर्तमान की तुलना में तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था और समुद्र का स्तर 5 से 25 मीटर अधिक था।
- CO2 एक **ग्रीनहाउस गैस** है। यह ऊष्मा को रोक लेती है। इससे धीरे-धीरे **वैश्विक तापवृद्धि** होती है।
- **CO2 उत्सर्जन के पीछे मुख्य मानव जनित कारण निम्नलिखित हैं:**
  - जीवाश्म ईंधन का दहन (परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि के लिए):
  - वनों की कटाई, भूमि उपयोग में परिवर्तन:
  - पशुधन आदि।

---

80 Emissions Trading System

VISIONIAS

5.11.9. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने जनवरी 2023 से दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है {Commission for Air Quality Management (CAQM) bans Use of Coal in Delhi, nearby Cities from January 2023}

- CAQM ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए **औद्योगिक, घरेलू और अन्य विविध** अनुप्रयोगों में **कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध** लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
  - हालांकि, **ताप विद्युत संयंत्रों में सल्फर की कम मात्रा वाले कोयले** के उपयोग को **प्रतिबंध से छूट** दी गई है।
  - कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध **1 अक्टूबर से PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) अवसंरचना और आपूर्ति वाले क्षेत्रों में** लागू होगा।
  - जहां PNG की आपूर्ति अभी **उपलब्ध नहीं** है, वहां यह प्रतिबंध **1 जनवरी, 2023 से** लागू होगा।
- **प्रतिबंध का महत्व**
  - **इससे पार्टिकुलेट मैटर (PM), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), CO2 और कार्बन मोनोआक्साइड (CO)** सहित अन्य प्रदूषकों में कमी आएगी।
  - सालाना 17 लाख टन कोयले की बचत होगी। इसका उपयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में औद्योगिक उपयोग में किया जाता है।
- **CAQM के बारे में**
  - यह एक वैधानिक निकाय है। इसे **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021** के तहत स्थापित किया गया है।
    - इसे पहली बार वर्ष 2020 में एक अध्यादेश के माध्यम से स्थापित किया गया था।
  - **अध्यक्ष:** पर्यावरण और प्रदूषण के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष के कार्य-अनुभव या 25 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति को इसका **अध्यक्ष नियुक्त** किया जाता है।
  - **अपील:** CAQM के आदेशों, निर्देशों आदि को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal: NGT) में चुनौती दी जा सकती है।
- **CAQM के कार्य**
  - यह **वायु गुणवत्ता की निगरानी** पर कार्रवाई का समन्वय करता है।
  - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region: NCR) में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए **योजना** बनाता है तथा उसे **क्रियान्वित** करता है।
  - तकनीकी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से **अनुसंधान और विकास** का संचालन करता है।

5.11.10. पर्यावरणीय मंजूरी के बिना अब वनों में भी चिड़ियाघर स्थापित किए जा सकते हैं (Zoos Exempted From Permissions Under FCA)

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने **केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA)**[81] के एक प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इसमें **वन संरक्षण अधिनियम (FCA), 1980** के तहत वन भूमि पर CZA द्वारा अनुमोदित **चिड़ियाघरों को वानिकी गतिविधि** मानने का प्रस्ताव किया गया था।
  - वन संरक्षण अधिनियम के तहत चिड़ियाघरों, वन्य जीव बचाव केंद्रों आदि को गैर-वानिकी गतिविधि के रूप में स्वीकार किया गया है। इनकी स्थापना के लिए **केंद्र सरकार से वन मंजूरी लेना अनिवार्य** है।
  - अब, चिड़ियाघरों को FCA के तहत अलग-अलग **मंजूरी लेने से छूट** दी जाएगी।
- **वन संरक्षण अधिनियम के बारे में**
  - इसे **42वें संविधान संशोधन** के बाद लाया गया था। संशोधन के द्वारा **वन विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में** स्थानांतरित कर दिया गया था।
  - यह कानून **वनों की कटाई की समस्या** से निपटने के लिए लाया गया था।
  - इस कानून ने राज्यों को **"गैर वानिकी उद्देश्यों"** के लिए **वन भूमि का उपयोग** करने से पहले **केंद्र सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य** कर दिया है।
  - इस तरह के पुनर्वर्गीकरण की सिफारिश करने के लिए एक **वन सलाहकार समिति** भी बनाई गयी है।

---

[81] Central Zoo Authority

VISIONIAS

- गैर-वानिकी उद्देश्य का अर्थ है पुनर्वनीकरण के अलावा किसी **अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी वन भूमि या उसके हिस्से को साफ करना।**
    - चाय, कॉफी, मसाले, रबड़, ताड़, तेल युक्त पौधे, बागवानी फसलों या औषधीय पौधों की खेती भी **गैर-वानिकी उद्देश्य** में आती है।
    - हालांकि, वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, विकास एवं प्रबंधन से संबंधित किसी भी कार्य को **गैर-वन प्रयोजन** के रूप में नहीं माना जाता है।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) के बारे में

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** देश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को सहायता और मजबूती प्रदान करने के लिए CZA (1992) की स्थापना का प्रावधान करता है।
- CZA में **एक अध्यक्ष, दस सदस्य और एक सदस्य सचिव** होते हैं।
- भारत में प्रत्येक चिड़ियाघर को अपने संचालन के लिए CZA की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

5.11.11. भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया (India Achieved 10% Ethanol Blending Target In Petrol)

- पेट्रोल में **10% इथेनॉल मिश्रण** (ethanol blending) का **मूल लक्ष्य नवंबर 2022** तक हासिल करना निर्धारित किया गया था।
    - केंद्र सरकार ने **वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण** (जिसे E20 भी कहा जाता है) का लक्ष्य रखा था।
- इथेनॉल मिश्रण को एक ऐसे मिश्रित मोटर ईंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें **इथाइल अल्कोहल** होता है। यह कम से कम 99% शुद्ध होता है। यह इथेनॉल कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है और विशेष रूप से गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जाता है।
    - चूंकि, यह पादप आधारित उत्पाद है, इसलिए इसे **नवीकरणीय ईंधन** माना जाता है।
- **इथेनॉल मिश्रण में सुधार के लिए किए गए उपाय**
    - सरकार ने **मक्का** और भारतीय खाद्य निगम के **चावल** से इथेनॉल का **लाभकारी मूल्य** तय किया है।
    - सरकार **चीनी मिलों और आसवनियों** (डिस्टिलरीज) को उनकी **आसवन क्षमता बढ़ाने के लिए** प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार उन्हें बैंकों से ऋण लेने की सुविधा प्रदान कर रही है। सरकार ऐसे ऋणों पर 6% तक की ब्याज छूट वहन कर रही है।
    - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने बायो-इथेनॉल (E100) की सीधी बिक्री की अनुमति देने के लिए **मोटर स्पिरिट और हाई-स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण और कदाचार निवारण) आदेश, 2005** में संशोधन किया है।
    - इथेनॉल के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए **इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम** (Ethanol Blended Programme : EBP) शुरू किया गया है।
- अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ और चीन के बाद **भारत विश्व का पांचवां सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक** देश है।
- **इथेनॉल मिश्रण का महत्व**
    - **प्रदूषण कम** करता है।
    - बायोमास से बने इथेनॉल के दहन को वायुमंडलीय दृष्टिकोण से **कार्बन तटस्थ** माना जाता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि जैसे-जैसे बायोमास बढ़ता है, यह CO_2 को अवशोषित करता जाता है, जो इथेनॉल के दहन पर उत्पादित CO_2 को समायोजित कर सकता है।
    - यह भारत की **ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करेगा।** इस प्रकार कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी।
    - यह किसानों और चीनी मिलों के लिए लाभदायक है।

5.11.12. REN21 की नवीकरणीय ऊर्जा 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट (REN21's Renewables 2022 Global Status Report)

- **रिपोर्ट में भारत से संबंधित निष्कर्ष:**
    - भारत ने वर्ष 2021 में लगभग **15.4 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता** जोड़ी है। इसी वर्ष **चीन** ने 136 GW और **अमेरिका** ने 43 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के मामले में भारत **तीसरे** स्थान पर है।
    - भारत अब नई **सौर फोटोवोल्टिक** (सोलर PV) क्षमता के मामले में **विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार** है।

- कुल **सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता** के मामले में **चीन** (305.9 GW), **अमेरिका (121.4 GW)** और **जापान (78 GW)** के बाद **भारत** (60.4 गीगावॉट) **विश्व में चौथे स्थान** पर है।
- **वर्ष 2021 में ऊर्जा क्षमता जोड़ने के मामले में भारत की रैंकिंग इस प्रकार है:**
  - भारत नई **सौर जल तापन क्षमता** वृद्धि के मामले में **दूसरे स्थान पर** है।
  - भारत **जल विद्युत क्षमता वृद्धि** के मामले में **तीसरे स्थान** पर है।
  - भारत **इथेनॉल उत्पादन** के मामले में **पांचवें स्थान** पर है।
- भारत ने सौर ऊर्जा योजनाओं के लिए **24.3 बिलियन डॉलर आवंटित** किए हैं। इस कदम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को बैटरी निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिला है।

- REN21 विज्ञान, सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का **एकमात्र वैश्विक समुदाय** है। यह समुदाय सामूहिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विस्तार के लिए कार्य कर रहा है।
  - इसे वर्ष 2004 में **नवीकरणीय ऊर्जा पर बॉन 2004 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** के परिणाम के रूप में गठित किया गया था।
- **नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की पहलें:**
  - भारत ने वर्ष 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा में 11.3 अरब डॉलर का निवेश किया था। इस क्षेत्र की **प्रमुख योजनाएं और नीतियां निम्नलिखित हैं:**
    - प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम/PM-KUSUM),
    - सोलर पार्क योजना,
    - राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 आदि।

5.11.13. विद्युत (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियमावली, 2022 {Electricity (Promoting Renewable Energy Through Green Energy Open Access) Rules, 2022}

- विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियमावली, 2022 को अधिसूचित कर दिया है।
- **नियमावली के निम्नलिखित मुख्य प्रावधान हैं:**
  - हरित ऊर्जा के लिए **ओपन एक्सेस (खुली पहुंच) लेन-देन की सीमा** 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई है।।
    - इसका उद्देश्य **छोटे उपभोक्ताओं** को भी खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय **ऊर्जा खरीदने में सक्षम** बनाना है।
  - खुली पहुंच की अनुमोदन प्रक्रिया में **पारदर्शिता** अपनाई गई है।
    - **अनुमोदन 15 दिनों में** प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर इसे तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन अनुमोदित माना जाएगा। यह **राष्ट्रीय पोर्टल** के माध्यम से होगा।
  - वितरण लाइसेंसधारियों के क्षेत्र में सभी बाध्य संस्थाओं पर एक **समान नवीकरणीय खरीद दायित्व** होगा।
  - उपभोक्ताओं को **हरित प्रमाण-पत्र** दिया जाएगा, यदि वे हरित ऊर्जा का उपभोग करते हैं।
  - यदि हरित ऊर्जा का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो **क्रॉस सब्सिडी अधिभार** (surcharge) और **अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं** होगा।
- **इस कदम का महत्व**
  - सभी की **वहनीय, विश्वसनीय, सतत और हरित ऊर्जा** तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
  - हरित ऊर्जा के **उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा** मिलेगा। इसमें **अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों** से प्राप्त ऊर्जा भी शामिल है।
  - **खुली पहुंच प्रदान करने के लिए अनुमोदन** की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इसमें समय पर अनुमोदन आदि भी शामिल हैं।
  - हरित ऊर्जा तक **खुली पहुंच के लिए आसान प्रक्रिया** को संभव बनाने में मदद मिलेगी।
  - **वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट (GW) गैर-जीवाश्म ईंधन** की भारत की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

VISIONIAS

5.11.14. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की बैटरियों के लिए प्रदर्शन संबंधी मानक निर्धारित किये {Bureau of Indian Standard (BIS) formulates performance standards for Electric Vehicle (EV) Batteries}

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने विद्युत चालित सड़क वाहनों के लिथियम-आयन ट्रैक्शन बैटरी पैक एवं सिस्टम (प्रदर्शन परीक्षण) के परीक्षण संबंधी विनिर्देशों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं।
  - IS 17855:2022 मानक वास्तविक जीवन परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। वास्तविक जीवन स्थितियों में **पार्क किए गए वाहन** (लंबे समय तक बैटरी का उपयोग नहीं करना), **उच्च और निम्न तापमान पर चलने वाली बैटरी** आदि शामिल हैं।
- इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी **इलेक्ट्रिक ऊर्जा से संचालित** होती हैं। ली-आयन (Li-ion), सॉलिड स्टेट, निकल-मेटल हाइड्राइड आदि जैसी अलग-अलग प्रकार की बैटरियां उपलब्ध हैं।
  - **ली-आयन बैटरियों को निम्नलिखित कारणों से सबसे अधिक पसंद किया जाता है:**
    - वजन की तुलना में उच्च ऊर्जा शक्ति अनुपात,
    - उच्च ऊर्जा दक्षता,
    - स्वतः कम डिस्चार्ज होना आदि।
- **इलेक्ट्रिक बैटरियों (EV) से संबंधित समस्याएं**
  - बैटरी सेल और डिजाइन में खराबी के कारण **आग लगने की घटनाएं** सामने आ रही हैं।
  - बैटरी के **प्रदर्शन की विश्वसनीयता** (रेंज) संदेह में रहती है, क्योंकि यह आस-पास के परिवेश की स्थितियों और बैटरी की आयु के साथ बदलती रहती है।
  - **EV बैटरियों के निपटान** से जुड़ी चिंताएं भी हैं। यह समस्या इसकी लागत और बैटरियों के विषाक्त निपटान से संबंधित हैं।
- **उठाए गए कदम**
  - वाहनों में आग लगने की घटनाओं का कारण जानने के लिए **एक जांच समिति का गठन** किया गया है।
  - ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति के द्वारा इसकी रेंज बढ़ाने के लिए **रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल** किया जा रहा है ।
  - कारखानों और घरों में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में **EV बैटरियों के पुन: उपयोग** को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  - BIS विभिन्न यात्री और माल ढोने वाले वाहनों के लिए **बैटरी मानक** प्रकाशित कर रहा है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के बारे में

- BIS, **भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986** के माध्यम से अस्तित्व में आया। इसे BIS अधिनियम, 2016 के तहत **भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय** में स्थापित किया गया है।
- **BIS निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों में शामिल है:**
  - **प्रमाणन:** एक निर्माता को BIS मानक चिह्न (ISI मार्क) का स्वयं से मार्किंग करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
  - **हॉलमार्किंग:** सोने व चांदी के आभूषण, स्वर्ण बुलियन आदि पर हॉलमार्किंग की जाती है।
  - **इको मार्क:** पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए दिए जाते हैं।
  - **अनिवार्य पंजीकरण योजना:** इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की श्रेणियों पर लागू है।
  - **प्रयोगशाला सेवाएं:** ये सेवाएं अनुपालन मूल्यांकन योजनाओं से उत्पन्न नमूनों की परीक्षण आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रदान की जाती हैं।

5.11.15. 11वां वर्ल्ड अर्बन फोरम (WUF), 2022 {11th World Urban Forum (WUF), 2022}

- इसका आयोजन पोलैंड के कैटोविस शहर में किया गया है। यह WUF, यू.एन.-हैबिटेट द्वारा सह-आयोजित सतत शहरीकरण पर प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है।
- **WUF की स्थापना वर्ष 2001** में **संयुक्त राष्ट्र** द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य **तीव्र शहरीकरण** और समुदायों, शहरों, अर्थव्यवस्थाओं, जलवायु परिवर्तन और नीतियों पर **इसके प्रभाव का परीक्षण** करना है।
  - **प्रथम WUF** का आयोजन **वर्ष 2002** में **केन्या के नैरोबी** में किया गया था।
- **11वें WUF** में, **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स** (NIUA) **क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज** (NIUA C-Cube), **वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया** (WRI India) आदि ने **शहरी प्रकृति-आधारित समाधान** (NbS) के लिए भारत का पहला **राष्ट्रीय गठबंधन प्लेटफॉर्म** लॉन्च किया।

5.11.16. आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन {Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)}

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI) को "अंतर्राष्ट्रीय संगठन" के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने CDRI के साथ **हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट (HQA)** पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी है। यह मंजूरी CDRI को **संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947** की धारा 3 के तहत अपेक्षित **छूट, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार** प्रदान करने के लिए दी गयी है।
  - **संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों पर अभिसमय** को प्रभावी बनाने के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम लागू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **वर्ष 1946** में इस अभिसमय को अपनाया था।
  - **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 104 और 105** संयुक्त राष्ट्र को उसके प्रत्येक सदस्य के राज्यक्षेत्र में ऐसी कानूनी क्षमता, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति का लाभ उठाने की अनुमति देता है। ये इसके कार्यों के संचालन तथा इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा CDRI को एक स्वतंत्र और **अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था की मान्यता** प्रदान करेगा। इससे यह वैश्विक स्तर पर अपने कार्यों को **कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से** निष्पादित कर सकेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा मिलने से CDRI को निम्नलिखित की अनुमति प्राप्त हो जाएगी:**
  - **विशेषज्ञों की भारत में नियुक्ति** करने और सदस्य देशों के **विशेषज्ञों को भारत लाने** की अनुमति।
  - **विश्व स्तर पर फंड्स के इस्तेमाल** और सदस्य देशों से अंशदान प्राप्त करने की अनुमति।
  - आपदा रोधी अवसंरचना विकसित करने में राष्ट्रों की सहायता के लिए **तकनीकी विशेषज्ञता** उपलब्ध कराने की अनुमति।
  - देश में आपदा रोधी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का लाभ** उठाने की अनुमति।
- **CDRI के बारे में**
  - इसका सचिवालय **नई दिल्ली** में है।
  - CDRI राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र के एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों व वित्तपोषण तंत्रों, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक तथा अन्य संस्थानों की एक **बहु-हितधारक वैश्विक भागीदारी** है।
  - इसे **वर्ष 2019 में** संयुक्त राष्ट्र **जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (न्यूयॉर्क)** में भारत के **प्रधान मंत्री** ने लॉन्च किया था।
  - इसे अवसंरचना प्रणालियों को जलवायु और आपदा जोखिमों को सहने लायक बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। इससे सतत विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
  - इसकी शुरुआत के बाद से, **31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन** सदस्य के रूप में CDRI में शामिल हुए हैं।

5.11.17. एजूजैंथिली मूंगा (azooxanthellate corals)

- पहली बार, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI)[82] ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जल से **एजूजैंथिली मूंगा (प्रवाल/ कोरल) की चार प्रजातियों** की मौजूदगी को दर्ज किया है।
- मूंगा की सभी चार प्रजातियां एक ही कुल फ्लेबिलिडे (Flabellidae) से संबंधित है।
- **दर्ज की गयी चार प्रजातियां निम्नलिखित हैं;**
    - ट्रुनकेटोफ्लैबेलम क्रैसम (Truncatoflabellum crassum),
    - टी. इनक्रस्टैटम (T. incrustatum),
    - टी. एक्यूलेटम (T. aculeatum), और
    - टी. इरेगुलरे (T. irregulare)।
- ये प्रजातियां पहले **जापान से लेकर फिलीपींस और ऑस्ट्रेलियाई जल** में पाई गई थीं।
    - उपर्युक्त प्रजातियों में से केवल **टी. क्रैसम को अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी सहित हिंद-पश्चिमी प्रशांत महासागर की सीमा के भीतर** पाया गया है।
- एजूजैंथिली मूंगा, मूंगों का एक ऐसा समूह है, जिसमें **जूजैंथिली नहीं** होता है। ये **सूर्य से नहीं बल्कि प्लवक के अलग-अलग रूपों से पोषण** प्राप्त करते हैं।
    - मूंगों के ये समूह **गहरे समुद्र** को दर्शाते हैं। इनमें अधिकांश प्रजातियां 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच पायी जाती हैं।
    - इन्हें **उथले तटीय जल** में भी देखा गया है।
    - **भारत** में कठोर मूंगा की लगभग **570 प्रजातियां** पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 90% प्रजातियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के जल में पाई जाती हैं।
    - **मूंगा पृथ्वी की सतह के 1% से भी कम हिस्से** में पाए जाते हैं, लेकिन वे लगभग 25% समुद्री जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं।

मूंगा चट्टानों (प्रवाल भित्तियों) के बारे में

- मूंगा चट्टान विश्व के महासागरों (विशेष रूप से उथले तटीय जल में) के सबसे अधिक **उत्पादक, सतत और प्राचीन पारिस्थितिक तंत्रों में से एक** हैं।
- ये **निडारिया (Cnidaria)** कुल से संबंधित **अकशेरुकी जीव** हैं। इनका जूजैंथिली शैवाल के साथ **सहजीवी (symbiotic)** संबंध होता है।
- भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में विशाल मूंगा चट्टानें प्राप्त होती हैं
    - **मन्नार की खाड़ी,**
    - **पाक-खाड़ी,**
    - **कच्छ की खाड़ी,**
    - **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा**
    - **लक्षद्वीप।**
- ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 की **अनुसूची I** के तहत संरक्षित हैं।

5.11.18. नन चो गा (Nun cho ga)

- कनाडा के **युकोन राज्यक्षेत्र के दक्षिण में पर्माफ्रॉस्ट** में उत्खनन के दौरान **बेबी मैमथ के अवशेष** प्राप्त हुए हैं।
- इसे **नन चो गा** नाम दिया गया है। इसका अर्थ है " जानवर का बड़ा बच्चा।"
- ऐसा माना जाता है कि यह मादा थी और इसकी मृत्यु **हिमयुग के दौरान लगभग 30,000 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व हो गई होगी।**
- इससे पहले, वर्ष 1948 में अलास्का के आंतरिक भाग में एक सोने की खदान में भी एक मैमथ के बच्चे के अवशेष पाए गए थे। इसे **एफी (Effie)** नाम दिया गया था।

---

[82] Zoological Survey of India

©Vision IAS

5.11.19. मेघालय की बांस में रहने वाली चमगादड़ प्रजाति (Bamboo dwelling bat in Meghalaya)

- मेघालय में **'नोंगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य'** के वन्य क्षेत्र के निकट बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसका वैज्ञानिक नाम **ग्लिस्क्रोपसमेघलायनस** है।
  - इस नई खोज के साथ, भारत में **ज्ञात चमगादड़ प्रजातियों की कुल संख्या 131 हो गई है।**
  - **मेघालय, देश में सबसे अधिक चमगादड़ विविधता रखता है।**
- **वे बांस के इंटरनोड्स** (दो जोड़ो के बीच का नाजुक भाग) **में रहते हैं।** वर्तमान खोज दक्षिण एशिया से **मोटे अंगूठे वाले चमगादड़ की पहली रिपोर्ट है।**
- 'ग्लिस्क्रोपस' वंश के मोटे-अंगूठे वाले चमगादड़, **वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया की चार मान्यता प्राप्त प्रजातियों में शामिल हैं।**

5.11.20. हीटवेव 2022: कारण, प्रभाव और भारतीय कृषि के लिए आगे की राह (Heat Waves 2022: Causes, Impacts and Way Forward for Indian Agriculture)

- हीट वेव (लू) का उपर्युक्त विश्लेषण और अध्ययन **केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान** ने किया था। यह संस्थान **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** के अधीन है।
- **हीटवेव के कारण**
  - राजस्थान के **पश्चिमी हिस्सों में प्रति-चक्रवात (मार्च)** की स्थिति और **पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति** (वर्षा की अनुपस्थिति) से शुरुआती एवं चरम हीटवेव की स्थिति पैदा हुई है।
    - **प्रति-चक्रवात,** वायुमंडल में उच्च दबाव प्रणालियों के आसपास हवाओं के नीचे आने से गर्म और शुष्क मौसम का कारण बनते हैं।
- हीट वेव को **किसी क्षेत्र में वास्तविक तापमान के संदर्भ में तापमान सीमा के आधार पर या उसके सामान्य तापमान से अत्यधिक विचलन के आधार पर परिभाषित** किया जाता है।
- **हीट वेव का प्रभाव**
  - इससे **अनाज में पीलापन** आ जाता है और ये **सिकुड़ जाते** हैं। इससे **फसल समय से पहले पक जाती है।**
  - इसके अन्य दुष्प्रभाव हैं; नमी जन्य दबाव, सनबर्न, फूलों का गिरना आदि।
  - दुधारू जानवर /पक्षियों की भूख में कमी हो जाती है और शरीर का तापमान अधिक हो जाता है।
- **हीट वेव शमन के लिए सुझाव**
  - **फसल की सही किस्मों को चुनाव, पशुओं को नहलाना और मल्चिंग तकनीक** (जैसे प्लास्टिक मल्चिंग) को अपनाना चाहिए।
  - **समय पर बुवाई और ताप-सहिष्णु गेहूं की फसल** की किस्मों जैसी PBW03, DBW187 आदि को अपनाना चाहिए।
  - पत्ते और फूल आने की अवस्था में **पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव** उपज की हानि को कम करता है।
  - **गन्ने, मेड़ (ridge) और हल रेखा (furrow) में मल्चिंग** (खरपतवार से ढकना) करने से मिट्टी की नमी बनी रहती है तथा दबाव कम होता है।
  - फलदार पेड़ों को धूप से बचाने के लिए उन्हें छायादार जाल/ सूती कपड़े से ढक देना चाहिए।

5.11.21. असम में आया विशाल भूकंप विवर्तनिकी से संबंधित (Tectonic Linkage To Great Assam Earthquake)

- शोधकर्ताओं के अनुसार वर्ष 1950 में असम में आया विशाल भूकंप निम्नलिखित की जटिल विवर्तनिकी से जुड़ा हुआ है:
  - **पूर्वी हिमालयी भारतीय प्लेट की पूर्वोत्तर सीमा/ किनारा, और**
  - **इंडो-बर्मा रेंज (IBR)।**

VISIONIAS

- असम का विशाल भूकंप **अब तक दर्ज सबसे बड़ा अंतर-महाद्वीपीय भूकंप** है। इसका केंद्र **अरुणाचल हिमालय की मिश्मी पहाड़ियों के निकट** भारत-चीन सीमा पर स्थित था।
- अरुणाचल प्रदेश में **ईस्टर्न हिमालयन सिंथेसिस (EHS) और असम से सटे क्षेत्रों को** विश्व में भूकंपीय गतिविधियों के सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक के रूप में जाना जाता है।
    - यह भूकंपीय क्षेत्र V **(भूकंप के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र)** के अंतर्गत आता है।
    - अध्ययन में कहा गया है कि, **ऊपरी असम और मिश्मी ब्लॉक** के बीच के क्षेत्र को एक **भूकंपीय अंतराल क्षेत्र** माना जाता है।
        - यह **सक्रिय भ्रंश (फॉल्ट) वाला क्षेत्र** है। इसमें **लंबे समय से भूकंप नहीं** आया है।
    - **टिडिंग-ट्यूटिंग सूचर ज़ोन (Tidding-Tuting Suture Zone: TTSZ):** यह ~ 40 कि.मी. की गहराई तक भूकंपीय रूप से सक्रिय है।
    - वहीं इंडो-बर्मा रेंज (IBR) में भूकंप सक्रियता लगभग 200 कि.मी. की गहराई तक देखी जाती है। यह IBR के नीचे **भारतीय प्लेट की सक्रिय सबडक्शन प्रक्रिया का संकेत** देती है।
    - यह इस तथ्य का संकेत है कि इंडो-बर्मा रेंज में गहरे भूकंपों की अधिक आशंका है, जबकि TTSZ में पर्पटी स्तर के भूकंप आने की अधिक संभावना रहती है।
- **TTSZ पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख हिस्सा** है। यहां हिमालय दक्षिण की ओर एक तीक्ष्ण मोड़ लेता है और IBR से जुड़ जाता है। इस मोड़ को **अक्षसंघीय मोड़ (Syntaxial bend)** कहा जाता है।
    - पश्चिमी हिमालयी अक्षसंघीय मोड़ **नंगा पर्वत** के पास स्थित है।
    - पूर्वी हिमालयी अक्षसंघीय मोड़ **नामचा बरवा** में स्थित है।

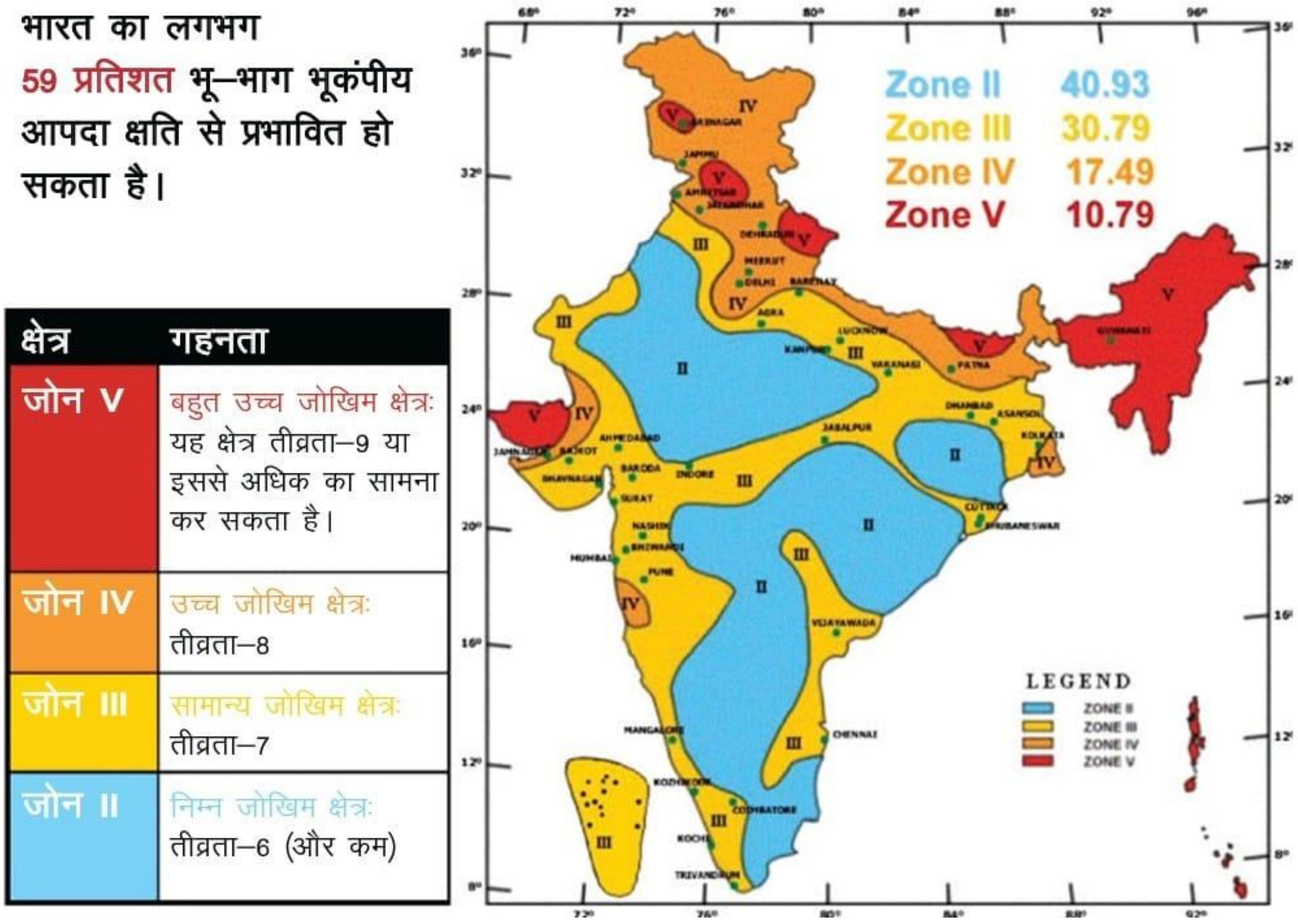

5.11.22. मौसिनराम और चेरापूंजी (Mawsynram and Cherrapunji)

- मौसिनराम और चेरापूंजी में जून माह के एक दिन में संपूर्ण देश के औसत से अधिक वर्षा हुई है।
- चेरापूंजी और मौसिनराम दोनों **मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले** में पवनाभिमुख (Windward) दिशा में स्थित है।
- यहां दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के माध्यम से अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि यह स्थान इन पवनों के मार्ग में स्थित है।
    - ये स्थल 'तीन तरफ से पहाड़ियों' से घिरे हुए हैं। **इसलिए, बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसूनी पवनें इन पहाड़ियों द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं।** यही कारण है कि यहां भारी वर्षा होती है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) (Accredited Social Health Activist: ASHAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के आशा कार्यक्रम को विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक के **'ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड'** से सम्मानित किया गया है। भारत इस पुरस्कार के छह प्राप्तकर्ताओं में से एक है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह सम्मान वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, नेतृत्व क्षमता विकसित करने को मान्यता देता है। साथ ही यह **स्थानीय स्वास्थ्य मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धताओं हेतु दिए गए योगदान को भी मान्यता प्रदान करता है।**
- **कुल छह प्राप्तकर्ताओं ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है।** अन्य पांच पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में डॉ. पॉल फार्मर, डॉ. अहमद हैंकिर, लुडमिला सोफिया ओलिवेरा वरेला, अफगानिस्तान में पोलियो कार्यकर्ता और योही सासाकावा शामिल हैं।

आशा कार्यकर्ताओं के बारे में

- आशा कार्यकर्ता **महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता** होती हैं। ये वर्ष 2005 में शुरू किए गए **'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन'** (NRHM)[83] **के अंतर्गत** आती हैं।
    - वर्ष 2013 में **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन** का शुभारंभ किया गया था। इसी के साथ, इन्हें शहरी क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया।
- आशा कार्यक्रम का मूल उद्देश्य **समुदाय के सदस्यों को उनके अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने में सक्षम** बनाना है। साथ ही, उन्हें स्वास्थ्य सेवा में भागीदार बनाना भी इसका उद्देश्य है।
- आशा कार्यकर्ताओं को **एक प्रक्रिया के माध्यम से चुना** जाता है। इस प्रक्रिया में **सामुदायिक समूह, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी संस्थान,** ब्लॉक नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी, ग्राम स्वास्थ्य समिति और ग्राम की सामान्य संस्था शामिल होती है।

आशा कार्यकर्ताओं का महत्व

बेहतर मातृत्व देखभाल

आशा कार्यकर्ताओं की सहायता से प्रसव पूर्व स्वास्थ्य देखभाल व जन्म के समय पेशेवर कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। साथ ही, विभिन्न जाति / धर्म तथा जनसांख्यिकीय समूहों के बीच स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था का उपयोग बढ़ा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए अधिक से अधिक उपलब्धता

ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की जनसंख्या के लिए टीकाकरण एवं मधुमेह, क्षय रोग इत्यादि के उपचार सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर अधिक से अधिक बल दिया गया है। साथ ही, दुर्गम निवास स्थलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

बेहतर स्वास्थ्य परिणाम

आशा कार्यकर्ताओं ने भारत को पोलियो–मुक्त बनाने, नियमित टीकाकरण की कवरेज को बढ़ाने, तथा मातृ मृत्यु को कम करने में महत्वपूर्ण सहयोग किया है। साथ ही, इन कार्यकर्ताओं ने नवजातों के जीवित रहने की संभावनाओं में सुधार और सामान्य रोगों के उपचार तक पहुँच को बढ़ाने में सुधार किया है।

बेहतर पहुंच

आशा कार्यकर्ता ऐसे समूहों तक आसानी से पहुंचने में सक्षम हैं जो आमतौर पर औपचारिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था से बाहर रह जाते हैं। इनकी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली निर्धन जनसंख्या और पिछड़ी जातियों से संबंधित महिलाओं तक पहुँच में वृद्धि हुई है।

---

[83] National Rural Health Mission

 ©Vision IAS

- देशभर में लगभग **10.4 लाख आशा कार्यकर्ता** हैं। उच्च आबादी वाले राज्यों जैसे - **उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश** में इनकी संख्या सबसे अधिक है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार, **गोवा** एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ऐसी **कोई आशा कार्यकर्ता नहीं हैं।**

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, **आशा कार्यकर्ताओं की आयु 25 से 45 वर्ष** के बीच होनी चाहिए। इसमें **दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण** उम्मीदवारों को वरीयता दी जाती है।
  - किसी योग्य उम्मीदवार के उपलब्ध न होने पर शिक्षा के मानदंडों में ढील दी जा सकती है।
  - ज्यादातर मामलों में, गांव की महिलाओं को ही आशा कार्यकर्ता के रूप में चुना जाता है। ये स्थानीय समुदाय के भीतर काम करती हैं।
- चूंकि उन्हें **"स्वयंसेवक"** माना जाता है, इसलिए **सरकार उन्हें वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है।**
  - उन्हें भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, सरकार के प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (Reproductive and Child Health: RCH) कार्यक्रम के लिए रेफरल एवं एस्कॉर्ट सेवाओं तथा घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
  - यह प्रोत्साहन राशि 6,000-8,000 रुपये प्रति माह के बीच होती है।

कोविड-19 के दौरान सामना की गयी चुनौतियां

- कोविड-19 महामारी की शुरुआत में, निगरानी करने के लिए घर-घर के दौरे के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में आशा कार्यकर्ताओं को कई हमलों का सामना करना पड़ा।
- कोविड-19 से संक्रमित होने के उच्च जोखिम के बावजूद, मास्क, दस्ताने और हैंड सैनिटाइज़र जैसे बुनियादी PPE तक सीमित या कोई पहुंच नहीं थी।
- उन्हें दूर स्थित स्वास्थ्य केंद्रों तक जाने में कठिनाई का अनुभव हुआ। ऐसा परिवहन में व्यवधान के कारण हुआ।
- आशा कार्यकर्ताओं ने सामाजिक संबंधों के टूटने, पलायन और परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से किसी महिला की पति की मृत्यु के कारण हुए नुकसान की सूचना दी।

आशा कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याएं

- **अपर्याप्त प्रोत्साहन राशि:** आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (Anganwadi Workers : AWW), सहायक नर्स मिडवाइफ (Auxiliary Nurse Midwife: ANM) और आशा कार्यकर्ताओं में, केवल आशा कार्यकर्ताओं का ही निश्चित वेतन नहीं है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:** ग्राम परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होता है। इस कारण से, ग्राम संबंधी मामलों में निर्णय लेने में उनकी भूमिका बहुत कम होती है। इसलिए, आशा कार्यकर्ताओं के लिए सामुदायिक कार्रवाई शुरू करना कठिन होता है।

- **खराब बुनियादी ढांचा:** अपर्याप्त परिवहन जैसे कारकों के कारण कार्यकर्ताओं को अपने नियमित कार्य करने में कठिनाई होती है।
- **अधिक कार्यभार:** नियमित कार्यों के अलावा, आशा कार्यकर्ताओं को अपनी भूमिकाओं के दायरे से बाहर अन्य कार्य (अन्य सरकारी विभागों से) भी करने पड़ते हैं।
- **अन्य हतोत्साहित करने वाले कारक:** इसमें दवाओं और प्रशिक्षण की कमी, पारिवारिक अस्वीकृति, रेफरल केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मचारियों का व्यवहार तथा सहायक नर्स मिडवाइफ /आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा असहयोग जैसे कारण शामिल हैं।

	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW)	सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM)	आशा कार्यकर्ता
संबंधित योजना	• समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)	• राष्ट्रीय ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	• राष्ट्रीय ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य मिशन।
योजना का आधार	• आंगनबाड़ी केंद्र	• उपकेंद्र पर देखभाल प्रदान करने के अलावा स्वास्थ्य उपकेंद्र व गांवों का दौरा करती हैं।	• ग्राम स्तर।
मुख्य कार्य	• लाभार्थियों अर्थात् 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रारंभिक बचपन की देखभाल तथा बच्चे की विकास में सहायता प्रदान करना। • आशा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना।	• स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता पैदा करना। • महिलाओं, परिवारों और किशोरों को बच्चे के जन्म की तैयारी से संबंधित सलाह देना। • उपचारात्मक देखभाल और आपूर्ति।	• यह टीकाकरण और संस्थागत प्रसव सहित मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
प्रोत्साहन राशि	• भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय। • इसके अलावा, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है।	• भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय।	• प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन।

आगे की राह

- **उच्च पारिश्रमिक:** भारतीय राज्यों को आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक निश्चित मासिक भुगतान की व्यवस्था करने और उन्हें समय पर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
- **क्षमता निर्माण:** क्षमता निर्माण के लिए मूल रूप से ही संस्थागत तंत्र बनाए जाने चाहिए। साथ ही, आशा कार्यकर्ताओं की प्रोन्नति के लिए ANM, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सों और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों जैसे अन्य संवर्गों में जाने के रास्ते खोले जाने चाहिए।
- **आशा कार्यकर्ता की स्थाई नियुक्ति:** प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में कर्मचारियों की व्यापक कमी है। इसे और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे विविध कार्यों को ध्यान में रखते हुए आशा कार्यकर्ताओं को स्थायी नियुक्ति नीतिगत विकल्प है, जिस पर गंभीर रूप से विचार किया जाना चाहिए।
- **सामाजिक क्षेत्र के लाभों का विस्तार:** स्वास्थ्य बीमा सहित (आशा कार्यकर्ता और उनके परिवारों के लिए) अन्य लाभों पर भी विचार किया जाना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं के स्वत: हकदार होने और सामाजिक कल्याण योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक उनकी पहुंच होने की संभावना को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता है।
- **बाहरी समीक्षा की आवश्यकता:** कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण को समझने के लिए कार्यक्रम की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही, आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और बनाए रखने के लिए रणनीतियों को मजबूत करना चाहिए।
- **विशेष प्रशिक्षण:** डायरिया और निमोनिया जैसी बच्चों से संबंधित विशेष घातक रोगों में उनकी भूमिका को विशेष रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए उनके प्रशिक्षण में वृद्धि की जानी चाहिए।
- **सामुदायिक जुड़ाव:** समुदाय को संवेदनशील बनाकर तथा आशा कार्यकर्ताओं की नौकरियों और जिम्मेदारियों के बारे में समुदाय के ज्ञान को बढ़ाकर आशा कार्यक्रम की सफलता व स्थिरता में वृद्धि की जा सकती है।

6.2. सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 {Surrogacy (Regulation) Rules,2022}

सुर्खियों में क्यों?

सरकार ने **सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022** जारी किए हैं।

VISION

सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के बारे में

- ये नियम निम्नलिखित से संबंधित हैं:
  - सरोगेसी क्लीनिक के पंजीकरण के लिए **फॉर्म और रीति,**
  - सरोगेसी क्लीनिक के पंजीकरण के लिए **फीस,**
  - एक **पंजीकृत सरोगेसी क्लीनिक** में नियोजित व्यक्तियों की आवश्यकता व योग्यता आदि।
- **नियमों की प्रमुख विशेषताएं:**
  - सरोगेट माता पर कोई भी **सरोगेट प्रक्रिया तीन बार से ज़्यादा नहीं** की जा सकती है।
  - **गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971**[84] के अनुसार सरोगेट माता को डॉक्टर के परामर्श से सरोगेसी के दौरान **गर्भपात कराने की अनुमति** है।
  - सरोगेट माता को एक समझौते के माध्यम से **बच्चे पर अपने सारे अधिकार त्यागने की सहमति** देनी होगी। उसे बच्चे/ बच्चों को निम्नलिखित में से किसी को सौंपना होगा:
    - **इच्छुक दंपति** को या,
    - यदि सरोगेट माता की प्रेगनेंसी के दौरान इच्छुक दंपति अलग हो जाते हैं या दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो इच्छुक दंपति द्वारा **नियुक्त/पूर्व नियुक्त व्यक्ति को** या
    - प्रेगनेंसी के दौरान यदि इच्छुक दंपति में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो **दूसरे जीवित साथी को।**
  - इच्छुक दंपति को सरोगेट माता के लिए 36 माह की अवधि का एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा कवर खरीदना होगा। यह कवर **'भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण'** (IRDAI) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बीमा कंपनी/ एजेंसी से लेना होगा।
    - बीमा राशि पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि **गर्भावस्था और प्रसव के बाद प्रसव** (डिलीवरी के बाद के छः हफ़्ते) संबंधी **सभी जटिलताओं के खर्च** को कवर किया जा सके।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के बारे में

- इस अधिनियम के अनुसार **सरोगेसी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक महिला किसी इच्छुक दंपति के लिए गर्भधारण करती है** और बच्चे को जन्म देती है। इसका उद्देश्य जन्म के बाद बच्चे को इच्छुक दंपति को सौंपना है।
- यह अधिनियम **परोपकारी सरोगेसी** (Altruistic surrogacy) की अनुमति देता है। इसमें सरोगेट माता को मेडिकल खर्च तथा बीमा कवरेज के अलावा और कोई भी आर्थिक प्रोत्साहन या इनाम नहीं दिया जा सकता है।
- इसका उद्देश्य **'व्यावसायिक सरोगेसी'** (Commercial surrogacy) **को प्रतिबंधित करना है।** इसमें मानव भ्रूण और युग्मकों का व्यापार तथा आर्थिक इनाम (बीमा के अलावा) के माध्यम से सरोगेट की सेवाओं का क्रय-विक्रय शामिल होता है।

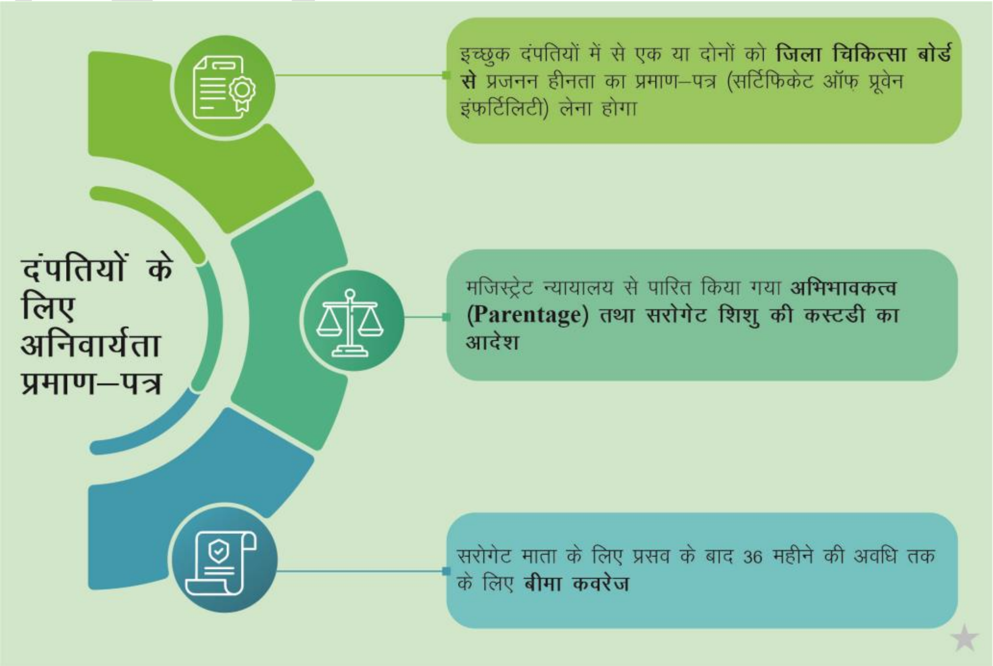

---

[84] Medical Termination of Pregnancy Act, 1971

- **इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित नई इकाइयों का गठन किया गया है:**
    - केन्द्रीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा **राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (NART)[85] और सरोगेसी बोर्ड**
        - इसका अध्यक्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होता है। **इसके निम्नलिखित कार्य हैं:**
            - ✶ सरोगेसी से संबंधित नीतिगत मामलों पर **केंद्र सरकार को सलाह देना**;
            - ✶ अधिनियम के कार्यान्वयन की **समीक्षा और निगरानी** करना,
            - ✶ सरोगेसी क्लीनिक्स के लिए **आचार संहिता निर्धारित करना;**
            - ✶ सरोगेसी क्लीनिक्स के भौतिक बुनियादी ढांचे, प्रयोगशाला और नैदानिक उपकरण एवं विशेषज्ञ समूहों के लिए **न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना;**
            - ✶ अधिनियम के तहत गठित विभिन्न निकायों के प्रदर्शन की निगरानी करना;
            - ✶ राज्य से सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों के कामकाज की निगरानी करना।
        - विधान मंडल वाले प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर **राज्य सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड।**
        - सरोगेसी क्लीनिकों के पंजीकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री।
- **अधिनियम की अन्य विशेषताएं:**
    - यह अधिनियम, पंजीकरण के माध्यम से सरोगेसी क्लीनिक्स को विनियमित करता है। साथ ही, यह अयोग्य पेशेवरों की सेवाएं लेने या विज्ञापनों या अन्य साधनों के माध्यम से महिलाओं को सरोगेट बनने के लिए प्रेरित करने पर प्रतिबंध लगाता है।
    - **सरोगेट माता के लिए पात्रता मानदंड:** एक इच्छुक महिला सरोगेट माता बन सकती है। निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर उसे सरोगेसी की प्रक्रिया से गुज़रने की अनुमति होगी:

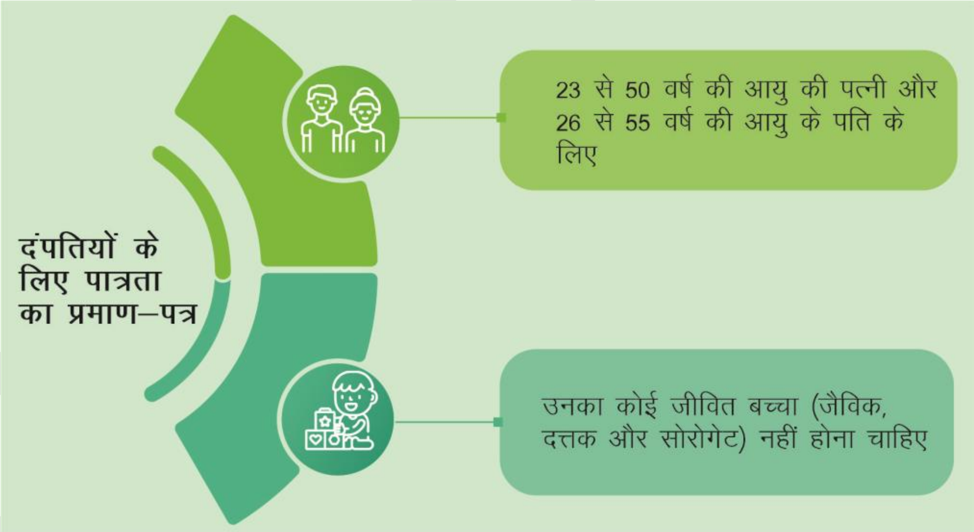

        - उसके पास अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया **योग्यता प्रमाण-पत्र** होना चाहिए;
        - वह 25-35 वर्ष के बीच की एक विवाहित महिला होनी चाहिए, जिसकी स्वयं की कोई संतान हो;
        - कोई भी महिला स्वयं के युग्मक (gametes) प्रदान करके सरोगेट माता नहीं बन सकती है;
        - सरोगेसी के लिए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है;
        - कोई भी महिला अपने जीवनकाल में केवल एक बार सरोगेट माता बन सकती है।
    - **इच्छुक दंपति के लिए योग्यता मानदंड:** इच्छुक दम्पति के पास उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी **"आवश्यकता का प्रमाण-पत्र"** और **"पात्रता का प्रमाण-पत्र[86]"** होना चाहिए। (इन्फोग्राफिक्स देखें)
    - सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को इच्छुक दंपति या इच्छुक महिला की जैविक संतान माना जाएगा।

---

[85] National Assisted Reproductive Technology

[86] certificate of essentiality and certificate of eligibility

○ व्यावसायिक उद्देश्यों से सरोगेसी में शामिल होना दंडनीय अपराध है। इसके तहत, अपराधी को पहले अपराध (First Offence) के लिए पांच वर्षों तक की कैद और पाँच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

- **अधिनियम का महत्व**
    - ○ **प्रगतिशील कदम:** इसका उद्देश्य देश भर के हजारों सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी क्लिनिक्स को कानून के दायरे में लाना है। इससे भारत में अभी तक चलते आ रहे अनियंत्रित सरोगेसी उद्योग में सुधार होगा।
    - ○ **सरोगेट माताओं के अधिकारों का संरक्षण करना:** इससे अब तक कानूनी विनियमों की कमी के कारण सरोगेट माताओं को होने वाली कठिनाइयों को रोका जा सकेगा, जैसे - **शोषण, रहने की अस्वच्छ परिस्थितियां और अनुचित व्यवहार आदि।**
    - ○ **बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना:** आनुवंशिक या अन्य दिव्यांगता के कारण **बच्चे का परित्याग** या दम्पति की सामाजिक या वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन की कानूनी रूप से **अनुमति नहीं है।**
    - ○ **देश में चिकित्सीय पर्यटन को प्रोत्साहन:** भारत सरोगेसी के लिए एक बड़ा बाजार है। जैसा कि इस तथ्य से पता चलता है कि **वर्ष 2012 में, भारत के सरोगेसी उद्योग का आकार 2 अरब डॉलर प्रति वर्ष था।** इसमें देश भर में 3,000 से अधिक फर्टिलिटी क्लीनिक सम्मिलित थे।

अधिनियम से संबंधित मुद्दे:

- **अपवर्जनात्मक प्रवृत्ति:** यह अधिनियम केवल कानूनी रूप से विवाहित महिला और पुरुष को ही सरोगेसी सेवाएं लेने की अनुमति देता है। यह **'नॉन-बाइनरी'** और **'समान लिंग वाले युगलों'** को सरोगेसी के ज़रिए संतान प्राप्त करने से रोकता है।
- **देविका विश्वास बनाम भारत संघ** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **प्रजनन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' का एक अनिवार्य पहलू है।**
- **'बंध्यता' की परिभाषा में समस्याएं:** 'बंध्यता' के अर्थ को केवल गर्भ धारण करने की असमर्थता (बांझपन) तक ही सीमित रखा गया है। इसमें उन सभी मामलों को शामिल नहीं किया गया है, जिनकी वजह से एक दंपत्ति बच्चा पैदा करने में असमर्थ होता है।
- **व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध** सरोगेट की आय के स्रोत को वैध नहीं मानता है। इसके कारण, महिलाओं के स्वैच्छिक रूप से सरोगेट माता बनने का विकल्प सीमित हो जाता है।

निष्कर्ष:

भारत में सरोगेसी की सबसे बड़ी बाधा **दोनों पक्षों के विभिन्न हितों को संतुलित करना है।** एक तरफ सरोगेट माताओं के शोषण को रोकना और अजन्मे बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। वहीं दूसरी ओर, महिलाओं के अपने स्वयं के प्रजनन संबंधी निर्णय लेने और इच्छित माता-पिता के अधिकारों का प्रश्न है। अभी भी, भारत का सरोगेसी विनियमन इन परस्पर विरोधी हितों के बीच सही संतुलन खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है।

6.3. बाल विवाह (Child Marriage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के पांचवें चरण की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 20 से 24 आयु वर्ग की हर चौथी महिला का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले कर दिया जाता है।

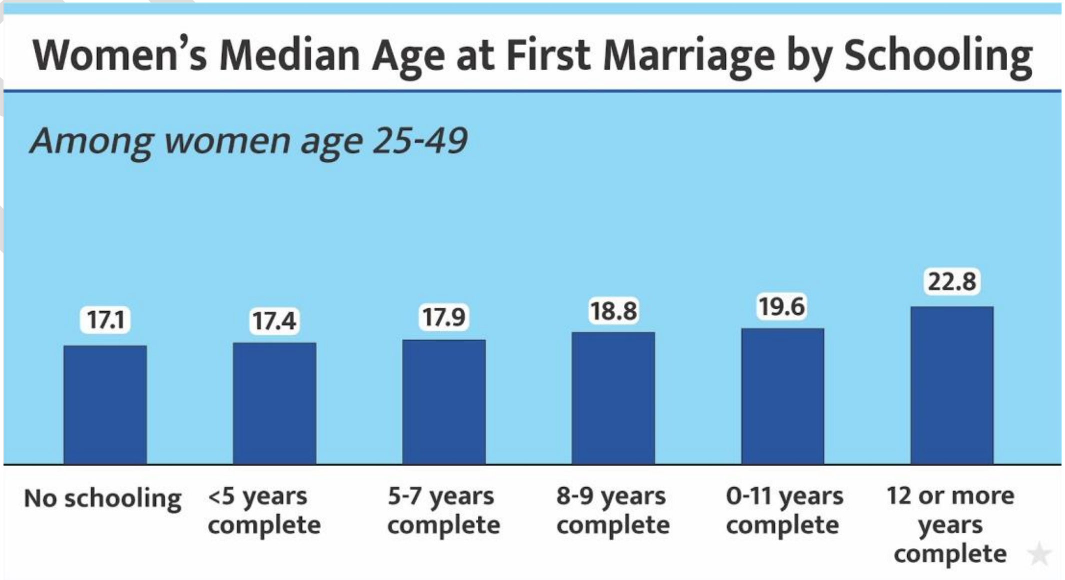

NFHS-5 में बाल विवाह से संबंधित निष्कर्ष

- **पहले विवाह के समय उम्र**
    - ○ **कानूनी रूप से मान्य आयु से पहले विवाह:** 20 से 49 वर्ष की आयु की 38% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की न्यूनतम कानूनी आयु सीमा से पहले हो जाता है। 25 से 49 वर्ष की आयु के 23% पुरुष 21 वर्ष की न्यूनतम कानूनी आयु सीमा से पहले विवाह कर लेते हैं।

        - हालांकि, पुरुषों एवं महिलाओं दोनों में कम आयु में विवाह की प्रवृत्ति में गिरावट देखी गई है।
    - **औसत आयु:** 20 से 49 वर्ष की महिलाओं में पहले विवाह की औसत आयु 19.2 वर्ष है। 25 से 49 वर्ष के पुरुषों के पहले विवाह की औसत आयु 24.9 वर्ष है।
    - **वे राज्य जहाँ बाल विवाह की दर उच्च है: पश्चिम बंगाल** में, सर्वाधिक 2/5 महिलाओं का विवाह, विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु सीमा तक पहुंचने से पहले ही हो जाता है। इसके बाद **बिहार** का स्थान है।
- **किशोरावस्था में गर्भधारण**
    - भारत में, 7% महिलाओं ने 15 से 19 वर्ष की आयु में गर्भधारण किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरावस्था में गर्भधारण की दर अपेक्षाकृत अधिक है।
    - स्कूली शिक्षा के बढ़ते स्तर के साथ किशोरावस्था में गर्भधारण का स्तर कम हो गया है। बिना स्कूली शिक्षा प्राप्त 18% महिलाओं ने 15 से 19 वर्ष की आयु में पहली बार गर्भधारण किया है, जबकि 12 या इससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा प्राप्त महिलाओं में यह दर केवल 4% रही है।

बाल विवाह और उसके कारण

- बाल विवाह को **18 वर्ष की आयु से पहले एक औपचारिक या अनौपचारिक संबंध** के रूप में परिभाषित किया गया है। यह प्रथा ज्यादातर लड़कियों को प्रभावित करती है। बाल विवाह को **व्यापक रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन और लड़कियों के खिलाफ हिंसा का एक रूप** माना जाता है।
- वर्ष 2030 तक **बाल विवाह का उन्मूलन 'सतत विकास लक्ष्यों' (SDGs)** के तहत एक वैश्विक लक्ष्य है।
- **बाल विवाह के विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं**
    - **सांस्कृतिक और सामाजिक कारक:** कई क्षेत्रों और संस्कृतियों में सामाजिक मानदंडों के कारण लड़की के मासिक धर्म शुरू होने के साथ ही माता-पिता उसके विवाह की तैयारी शुरू कर देते हैं।
        - कई समाजों में बहु-विवाह को बाल विवाह से जोड़ा जाता है।
    - **गरीबी और दहेज का बोझ:** कई गरीब परिवार आर्थिक अस्तित्व के लिए एक रणनीति के तहत अपनी बेटी का कम आयु में विवाह कर देते हैं। इससे एक सदस्य को खिलाने, कपड़े पहनाने और शिक्षित करने का आर्थिक बोझ कम हो जाता है।
        - साथ ही, अधिक आयु में विवाह करने पर दहेज की उच्च मांग परिवारों को कम आयु में बालिका का विवाह करने के लिए बाध्य करती है।
    - **सुरक्षा और संरक्षण:** माता-पिता लड़कियों का बाल विवाह इसलिए भी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह लैंगिक हिंसा सहित अन्य हिंसाओं से उनकी रक्षा करेगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा।
    - **शिक्षा का अभाव:** कम या शून्य स्कूली शिक्षा कम आयु में विवाह का एक बहुत बड़ा कारण है। लड़कियों को शिक्षित करना अक्सर प्राथमिकता में नहीं होता है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पत्नी, मां और गृहिणी के रूप में मानी जाती है, जो उन्हें कम आयु में विवाह करने के लिए मजबूर करती है।

- **कानून का अपर्याप्त कार्यान्वयन:** बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में केवल बल/धमकी/धोखाधड़ी/अपहरण या किसी न्यायालय के निषेधाज्ञा आदेश (Injunction Order) के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले विवाह को रोकने तथा शून्य घोषित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार, इन कारणों के अलावा अन्य कारणों से हुआ बाल विवाह वैध है।

बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय

- **शिक्षा:** गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच माता-पिता तथा समुदाय के सदस्यों के लिए बाल विवाह करने से रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है।
  - वर्तमान में 'नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अधिनियम 2009' केवल 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कवर करता है। इसलिए, इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। इसमें शिक्षा प्राप्ति की आयु को बढ़ा कर 18 वर्ष कर देना चाहिए। इससे बाल विवाह को कम करने में मदद मिलेगी।
- **आर्थिक सशक्तीकरण:** माता-पिता को घर के भीतर वित्तीय जागरूकता का परिवेश बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए। यह परिवेश उनकी बेटियों को वित्त का प्रबंधन करने, वित्तीय निर्णय लेने और बचत खाते संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे उन्हें अपनी कमाई या बचत को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।
- **कानून का प्रवर्तन:** केवल कानून के बारे में जागरूकता की कमी ही नहीं, बल्कि गैर-जवाबदेही और कानून में मौजूद कमजोरियां भी बाल विवाह का कारण बनती हैं। इस संदर्भ में, विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण बाल विवाह को रोकने में सहायक हो सकता है। 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसकी समीक्षा करने की भी आवश्यकता है।
- **संचार अभियान:** ये अभियान विवाह के बारे में पारंपरिक मान्यताओं का परीक्षण करेंगे और समुदायों के भीतर व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देंगे। साथ ही, ये समानता, शिक्षा तक पहुंच तथा शोषण और भेदभाव से मुक्ति के लिए भी प्रयास करेंगे।
- **बाल विवाह की रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्य योजना:** क्षेत्रीय परामर्श के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना की आवश्यकता है। यह क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करने और बाल विवाह को समाप्त करने में मदद करेगी।

बाल विवाह को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के प्रयास

- **बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006:** यह अधिनियम **लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष की आयु को विवाह की न्यूनतम आयु** के रूप में निर्धारित करता है। इससे कम आयु में किए गए विवाह को बाल विवाह माना जाता है। इस प्रकार यह कानून बाल विवाह को प्रतिबंधित, अवैध और दंडनीय अपराध घोषित करता है।
  - हाल ही में, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए **'बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021'** को संसद में प्रस्तुत किया गया था।
- 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' ने इस संबंध में **'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (BBBP)** योजना की शुरुआत की है।
- **चाइल्ड हेल्प लाइन:** भारत सरकार ने पुलिस और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के समन्वय से बाल विवाह की रोकथाम के लिए पहल की है। इस पहल के तहत संकटग्रस्त बच्चों के लिए **शॉर्ट कोड 1098 के साथ एक 24X7 टेलीफोन आपातकालीन आउटरीच सेवा, चाइल्ड हेल्पलाइन** की शुरुआत की गई है।
- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)[87]:** यह बाल विवाह और संबंधित मामलों के मुद्दे पर **समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों तथा कार्यक्रमों का संचालन** करता है। इसके अलावा, NCPCR ने सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है, कि वे **बाल विवाह को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने और निवारक उपाय करने** के लिए सरपंचों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों सहित सभी को निर्देश जारी करें।

निष्कर्ष

लड़कियों को स्कूल भेजने, उनके आर्थिक सशक्तीकरण, उनसे जुड़े कानूनों के कठोर अनुपालन और इस तरह के अन्य प्रयासों में निवेश करने की आवश्यकता है। इन कार्यों के प्रभावों का समुचित प्रलेखन करना चाहिए। साथ ही, लैंगिक रूप से संवेदनशील नीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार के आशाजनक प्रयास बाल विवाह को रोकने और लड़कियों के साथ-साथ पूरे देश के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

[87] National Commission for Protection of Child Rights

6.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News In Shorts)

6.4.1. श्रेष्ठ योजना (SHRESTHA Scheme)

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 'लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना' (श्रेष्ठ/SHRESHTA) शुरू की है
- श्रेष्ठ योजना कक्षा **9वीं से कक्षा 12वीं तक के अनुसूचित जाति (SC) के गरीब और मेधावी** छात्रों के लिए है।
    - योजना का उद्देश्य ऐसे छात्रों को समान अवसर और उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करना है।
    - इस योजना के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से छात्रों (लगभग 3,000) का चयन **'श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा' (NETS)** के माध्यम से किया जाएगा। यह परीक्षा **राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA)** द्वारा आयोजित की जाएगी।
    - चयनित छात्रों को CBSE से संबद्ध सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा।
- **श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य**
    - सरकार की **विकास पहलों तक पहुंच को बढ़ाना।**
    - शिक्षा के क्षेत्र में **सेवा से वंचित** अनुसूचित जाति वाले प्रमुख क्षेत्रों में **अंतराल को भरना।** इसके लिए स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लिया जायेगा।
    - अनुसूचित जातियों के **सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास** के लिए एक **परिवेश सृजित** करना।
    - **अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा** तक पहुंच प्रदान करना, ताकि वे भविष्य के अवसरों का लाभ उठा सकें।
- **पात्रता**

छात्र	विद्यालय
• माता-पिता की **वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष** व इससे कम हो। 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले माता-पिता को वरीयता दी जाएगी। • शारीरिक अक्षमता वाले छात्रों को वरीयता दी जाएगी।	• स्कूल कम से कम पिछले **5 वर्षों से अस्तित्व में** हो। • पिछले 3 वर्षों में 10वीं और 12वीं कक्षा में ऐसे **स्कूलों के बोर्ड के परिणाम 75 प्रतिशत से अधिक** रहे हों। • 9वीं और 11वीं कक्षा में अनुसूचित जाति के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्कूलों में **पर्याप्त अवसंरचना** मौजूद हो।

- **क्रियान्वयन एजेंसी**
    - मोड 1: जिला प्रशासन
    - मोड 2: स्वैच्छिक संगठन (VO)/गैर-सरकारी संगठन (NGO)/अन्य संगठन।

6.4.2. 'परख' (समग्र विकास के लिए कार्य-प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) {PARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development)}

- **परख** एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है। इसे **शिक्षा मंत्रालय** ने आरंभ किया था। इसे सभी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा **अनुमोदित संस्थानों** के लिए गठित किया गया है।
    - परख सर्वेक्षण, कॉलेजों को सीखने की प्रक्रिया में मौजूद कमियों की पहचान करने में मदद करेगा, ताकि छात्रों को उद्योग के लिए तैयार किया जा सके।
    - यह **छात्रों को सीखने के परिणामों के स्व-मूल्यांकन** और छात्रों द्वारा प्राप्त 21वीं सदी के जीवन कौशल के लिए एक मंच की सुविधा प्रदान करता है।
    - यह छात्रों के बीच **उच्च स्तरीय वैचारिक कौशल में सुधार करने में मदद करता है।**
- इसे **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** के तहत प्रस्तुत किया गया था।

6.4.3. वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए जिला प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (PGI-D) जारी {Performance Grading Index for Districts (PGI-D) for the year 2018-19 and 2019-20}

- शिक्षा मंत्रालय के तहत **स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग** ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए PGI-D पर **पहली रिपोर्ट** जारी की है।
    - PGI-D का उद्देश्य अलग-अलग जिले को स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की **प्राथमिकता** निर्धारित करने में मदद करना है। इस तरह सुधार कर इन्हें **उच्चतम ग्रेड तक पहुंचाना** है।

- **PGI-D जिलों को दस ग्रेड में वर्गीकृत करता है:**
    - उच्चतम प्राप्त करने योग्य ग्रेड को **दक्ष** कहा जाता है। यह ग्रेड उस श्रेणी में या समग्र रूप से कुल अंकों के 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जिलों के लिए है।
    - निम्नतम ग्रेड को **आकांक्षा-3** कहा गया है। इसमें कुल अंकों का 10% तक प्राप्त करने वाले जिले शामिल हैं।
    - उपर्युक्त दोनों ग्रेड्स के बीच में **'उत्कर्ष'** (81-90%), **'अति उत्तम'** (71-80%), **'उत्तम'** (61 से 70%), **'प्रचेष्टा -1'** (51 से 60%), **'प्रचेष्टा-2'** (41 से 50%) आदि ग्रेड मौजूद हैं।
- PGI-D संरचना में **कुल 600 अंक** हैं। इन्हें **छह श्रेणियों** में बांटा गया है: (चित्र में देखें)
    - इन श्रेणियों को पुनः **12 डोमेन में विभाजित** किया गया है।
- **इसी तरह की अन्य पहलें**
    - **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण:** यह **शिक्षा मंत्रालय** की एक पहल है। यह स्कूली शिक्षा की प्रभावशीलता पर एक व्यवस्था आधारित मूल्यांकन प्रदान करती है।
    - **स्कूल समानता सूचकांक:** यह सूचकांक **नीति आयोग** जारी करता है। यह स्कूली शिक्षा क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
- **मुख्य निष्कर्ष**
    - सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने वाले शीर्ष पांच राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश हैं: **चंडीगढ़, गुजरात, केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र।**
    - दोनों वर्षों (2018-19 और 2019-20) में **किसी भी जिले ने 'दक्ष' रेटिंग हासिल नहीं** की है।
    - राजस्थान के तीन जिले **सीकर, झुंझुनू और जयपुर** सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के रूप में उभरे हैं।

6.4.4. प्रधानमंत्री ई-विद्या (PM eVIDYA)

- **"पीएम ई-विद्या" योजना शिक्षा मंत्रालय** की एक पहल है। विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान **इस योजना के तहत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग** किया गया था। इस योजना ने यूनेस्को की मान्यता अर्थात यूनेस्को का राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार प्राप्त किया है।
- पीएम ई-विद्या पहल, **डिजिटल/ ऑनलाइन/ ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है।** इससे बच्चों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करने और सीखने के नुकसान को कम करने के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम किया जा सकेगा।
- इसे **आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू** किया गया है।

6.4.5. क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 {Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings 2023}

- **प्रमुख निष्कर्ष:**
  - **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु** को 155वां स्थान प्रदान किया गया है। इस प्रकार यह एक **सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान** के रूप में उभरा है।
  - **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे (172) और IIT दिल्ली (174)** ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है।
- QS **यूनिवर्सिटी रैंकिंग का प्रकाशन वार्षिक** रूप से होता है। इसमें वैश्विक रूप से समग्र और विषयगत रैंकिंग शामिल है।
  - इसका मापन **अकादमिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, शिक्षक/ छात्र अनुपात, प्रति शिक्षक साइटेशन और अंतर्राष्ट्रीय छात्र/ शिक्षक अनुपात** के आधार पर किया जाता है।

6.4.6. 'सड़क पर रहने वाले बच्चे' {'Children in Street Situations (CiSS)'}

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)[88] ने **CiSS** की पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए **"CiSS एप्लिकेशन"** लॉन्च किया है। इसे **बाल स्वराज पोर्टल** के तहत लॉन्च किया गया है।
  - **बाल स्वराज** NCPCR द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। यह देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की **ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल** तंत्र के माध्यम से उनकी **रियल-टाइम निगरानी** के लिए शुरू किया गया है।
    - इस पोर्टल के दो कार्य हैं- **कोविड देखभाल** और **CiSS।**
  - यह पहल **उच्चतम न्यायालय के निर्देश** के बाद शुरू की गई है।
- CiSS एप्लिकेशन का उपयोग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सड़क पर रहने वाले बच्चों का **डेटा प्राप्त करने के लिए** किया जाएगा। इसके तहत उनके **बचाव और पुनर्वास** प्रक्रिया पर भी नजर रखी जाएगी।
  - सड़क पर रहने वाले बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए **मानक संचालन प्रक्रिया 2.0** (SOP 2.0) में ऐसे बच्चों को परिभाषित किया गया है। यह निम्नलिखित बच्चों को **सड़क पर रहने वाले बच्चों** के रूप में वर्गीकृत करती है:
    - यदि बच्चा सड़कों पर अकेले रह रहा है,
    - वह दिन की अवधि में सड़कों पर रह रहा है, या
    - वह परिवार के साथ सड़कों पर रह रहा है।
- यह कार्यक्रम संविधान के **अनुच्छेद 51(A)** के संगत है। यह नागरिकों को सहायता की आवश्यकता वाले किसी भी बच्चे की रिपोर्ट करने और जरूरतमंद बच्चों को हर संभव **सहायता** प्रदान करने के लिए एक **मंच** प्रदान करता है।
- **NCPCR, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005** के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- **बाल स्वराज बच्चों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित छह चरणों की रूपरेखा का पालन करता है:**
  - पोर्टल के माध्यम से **बच्चे के विवरण का संग्रह।**
  - जिला बाल संरक्षण इकाई की देखरेख में **बच्चे की पृष्ठभूमि** (सामाजिक जांच रिपोर्ट) **की जांच** करना।
  - बच्चे के लिए एक **व्यक्तिगत देखभाल योजना** तैयार करना।
  - सामाजिक जांच रिपोर्ट के आधार पर **बाल कल्याण समिति** का आदेश।
  - उन योजनाओं और **लाभों का आबंटन करना**, जिनका लाभार्थी लाभ उठा सकता है।
  - उपर्युक्त **उपायों की प्रगति** (फॉलो अप) के मूल्यांकन के लिए एक निगरानी सूची बनाई गई है।

6.4.7. भारत में प्रवास 2020-2021' रिपोर्ट ('Migration in India 2020-2021' Report)

- यह रिपोर्ट जुलाई 2020-जून 2021 के लिए **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** के वार्षिक चक्र के दौरान प्रवास पहलुओं पर **पहली बार संग्रहित अतिरिक्त डेटा** पर आधारित है।

---

[88] National Commission for the Protection of Child Rights

- यह रिपोर्ट **'अस्थायी आगंतुकों'** और **'प्रवासियों'** की श्रेणियों में अंतर करती है।

- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**
  - **अखिल भारतीय प्रवास दर 28.9%** है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रवास दर क्रमशः **26.5% और 34.9%** थी।
  - **पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रवास दर** (47.9%) अधिक दर्ज की गयी है।
    - महिलाओं में, **विवाह के लिए प्रवास दर का उच्चतम स्तर** (86.8%) देखा गया है।
  - 48.9% 'अस्थायी आगंतुक' परिवार/ रिश्तेदारों/ मित्रों से मिलने के लिए स्थानांतरित हुए थे।
  - महामारी के दौरान **रिवर्स माइग्रेशन** के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी दर देखी गयी। इसने ग्रामीण संकट को जन्म दिया।

रिपोर्ट में परिभाषित अवधारणात्मक रूपरेखा	
सामान्य निवास स्थान (UPR)	यह वह स्थान (गांव/कस्बा) होता है, जहां व्यक्ति कम से कम छह महीने से लगातार रह रहा हो। यदि कोई व्यक्ति लगातार छह महीने से गांव/कस्बे में नहीं रह रहा था, लेकिन सर्वेक्षण के दौरान वहां लगातार छह महीने या उससे अधिक समय तक रहने के इरादे से वहां मौजूद था, तो वह जगह उसकी UPR के रूप में दर्ज होगी।
प्रवासी	एक पारिवारिक सदस्य, जिसका अंतिम **सामान्य निवास स्थान**, अतीत में किसी भी समय, **गणना के वर्तमान स्थान से अलग था**, उसे परिवार में प्रवासी सदस्य माना जाएगा।
प्रवास दर	किसी भी श्रेणी के व्यक्ति (जैसे, ग्रामीण या शहरी, पुरुष या महिला) के लिए प्रवास दर, उस श्रेणी के **व्यक्तियों से संबंधित प्रवासियों का प्रतिशत** है।
अस्थायी आगंतुक	ऐसे व्यक्ति, जो **मार्च 2020 के बाद** आए हैं और **लगातार 15 दिनों** या उससे अधिक लेकिन 6 महीने से कम की अवधि के लिए परिवार के साथ रहे हैं।

6.4.8. 'ग्लोबल ट्रेंड्स: फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2021' ('Global Trends: Forced Displacement in 2021')

- यह रिपोर्ट निम्नलिखित से जुड़े **प्रमुख सांख्यिकीय रुझान और उनकी हालिया संख्या** बताती है:
  - शरणार्थी,
  - शरण की मांग करने वाले,
  - आंतरिक रूप से विस्थापित लोग,
  - विश्व भर में राज्य विहीन (stateless) व्यक्ति, और
  - जो अपने मूल देश या मूल क्षेत्र में लौट आए हैं।
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**
  - वर्ष 2021 के अंत तक, **युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकारों के हनन से विस्थापित** होने वालों की संख्या **8.93 करोड़** थी। यह संख्या एक वर्ष पहले की तुलना में 8% अधिक है।
  - वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारण **भारत में लगभग 50 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित** हुए थे।
    - अपने ही देश के भीतर विस्थापित हुए लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित कहा जाता है।
    - वर्ष 2021 में आपदाओं की वजह से **सबसे बड़ा विस्थापन चीन में** हुआ (60 लाख लोग) था।
  - **व्यक्तिगत शरण** के लिए विश्व में **सर्वाधिक आवेदन अमेरिका को** प्राप्त हुए थे। **जर्मनी** दूसरे स्थान पर था।
  - सभी शरणार्थियों में से **69% केवल पांच देशों** से आए थे। ये देश निम्नलिखित हैं:
    - सीरियाई अरब गणराज्य: 68 लाख,
    - वेनेजुएला: 46 लाख,
    - अफगानिस्तान: 27 लाख,

        - दक्षिण सूडान: 24 लाख, और
        - म्यांमार: 12 लाख।
    - **बच्चे** विश्व की आबादी का 30% हिस्सा हैं, लेकिन सभी जबरन **विस्थापित लोगों में** उनका **41%** हिस्सा है।
    - **57 लाख विस्थापित** लोग वर्ष 2021 में अपने क्षेत्रों या मूल देशों में **लौट आए।** इनमें 53 लाख आंतरिक रूप से विस्थापित लोग और 429,300 शरणार्थी शामिल हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR)**
    - एक वैश्विक संगठन है। यह शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों का जीवन बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने तथा उनके लिए बेहतर भविष्य के निर्माण के प्रति समर्पित है।
    - **इसका गठन वर्ष 1950 में** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में हुआ था।

6.4.9. आंतरिक विस्थापन पर कार्य एजेंडा (Action Agenda on Internal Displacement)

- संयुक्त राष्ट्र (UN) महासचिव ने 'आंतरिक विस्थापन पर कार्य एजेंडा' जारी किया है।
- यह कार्य एजेंडा **आंतरिक विस्थापन** संकटों को बेहतर ढंग से हल करने, रोकने और दूर करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र प्रणाली** की प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करता है।
- आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (Internally Displaced Persons: IDPs) वे लोग हैं, जो **कई कारणों से अपने घरों से पलायन** के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन **अपने देश के भीतर** ही रहते हैं। **आंतरिक विस्थापन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:**
        - सशस्त्र संघर्ष,
        - सामान्य हिंसा,
        - मानवाधिकारों का उल्लंघन,
        - प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आदि।
    - आंतरिक रूप से विस्थापितों की संख्या **5.9 करोड़ से अधिक** (2021) हो गई है। भारत में भी वर्ष 2021 में **आंतरिक विस्थापितों की संख्या 49 लाख** थी।
    - आंतरिक रूप से विस्थापित लोग **निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करते हैं:**
        - शारीरिक हमले, लैंगिक हमले और अपहरण का **अत्यधिक खतरा।**
        - पर्याप्त आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं आदि से **वंचित होना।**
- **यह कार्य एजेंडा निम्नलिखित तीन लक्ष्यों को साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करता है:**
    - आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की उनके विस्थापन का एक **स्थायी समाधान** खोजने में मदद करना;
    - नए विस्थापन संकटों को उभरने से **बेहतर तरीके से रोकना; तथा**
    - यह सुनिश्चित करना कि विस्थापन का सामना करने वालों को **प्रभावी सुरक्षा और सहायता** मिले।
- **भारत में, आंतरिक विस्थापन को निम्नलिखित श्रेणियों में शामिल किया जाता है:**
    - प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन,
    - विकास गतिविधियों के कारण विस्थापन, तथा
    - हिंसा और संघर्ष की घटनाओं के कारण विस्थापन।
- **भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013** और **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 पहली दो श्रेणियों को संबोधित** करते हैं।
    - इनके अलावा, **प्रवासियों और स्वदेश लौटने वालों के राहत व पुनर्वास** की एक अम्ब्रेला योजना भी चलाई जा रही है। इसके तहत वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

6.4.10. ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए मानदंड (Norms to protect kids working in OTT platforms)

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने **दिशा-निर्देशों का मसौदा प्रकाशित किया है।** इसका उद्देश्य फिल्मों, टीवी शो, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आदि में काम करने वाले **बच्चों को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव से बचाना है।**
- **प्रमुख प्रावधान**
  - **एक बच्चे को शूटिंग में शामिल करने से पहले** निर्माताओं को **जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी।**
  - **निर्माता निम्नलिखित सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे:**
    - कार्यस्थल सुरक्षित हो,
    - बच्चा जोखिमपूर्ण प्रकाश व्यवस्था से दूर हो,
    - बच्चा घातक रसायनों से दूर हो, तथा
    - बच्चा दूषित सौंदर्य प्रसाधनों के संपर्क में नहीं हो।
  - इवेंट से **बच्चे को होने वाली आय का कम से कम 20%** हिस्सा शीघ्र बच्चे के नाम पर **एक सावधि जमा खाते में जमा करा दिया** जाना चाहिए।

6.4.11. विश्व व्यापार संगठन (WHO) ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की (WHO Releases World Mental Health Report)

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **वर्ष 2019 में लगभग एक अरब लोग** (जिनमें से 14% किशोर थे) वे किसी न किसी रूप में **मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विकार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे।**
- वैश्विक स्तर पर, **मनोविकृति के 71 प्रतिशत रोगियों को उपचार प्राप्त नहीं होता है।**
- व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना (CMHAP)[89] 2013-2030 की **दिशा में प्रगति धीमी** रही है।
  - CMHAP को WHO के सभी 194 सदस्यों ने अपनाया है। इसके उद्देश्य **मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना, मानसिक विकारों को रोकना** आदि हैं।
- **CMHAP को प्राप्त करने के 3 प्रमुख मार्ग**
  - मानसिक स्वास्थ्य में केंद्रित **निवेश** करना।
  - घरों, समुदायों, स्कूलों, कार्यस्थलों और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं आदि में **परिवेश** को फिर से आकार प्रदान करना।
  - **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल** में विविधता लाकर इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करना।

6.4.12. गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स (GOAL) कार्यक्रम {Going Online as Leaders (GOAL) Programme}

- हाल ही में, **जनजातीय कार्य मंत्रालय** ने GOAL कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है।
- **GOAL कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक इंडिया** की संयुक्त पहल है। इसका लक्ष्य डिजिटल मोड के माध्यम से जनजातीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य **जनजातीय समुदायों** के 10 लाख **युवाओं** को **डिजिटल रूप से सक्षम बनाना** और **डिजिटल प्रौद्योगिकी** का उपयोग करके उनके लिए अवसर खोलना है।
- **यह स्वयं सहायता समूहों** और **भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED)** से जुड़े परिवारों के लिए उनके उत्पादों की वैश्विक स्तर तक पहुंच बनाने हेतु **एक मंच तैयार करेगा।**

6.4.13. राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान {National Tribal Research Institute (NTRI)}

- गृह मंत्री ने **नई दिल्ली में NTRI** का उद्घाटन किया है।

---

[89] Comprehensive Mental Health Action Plan

- o यह **राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख संस्थान होगा।** यह शैक्षणिक, कार्यकारी एवं विधायी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मुद्दों और मामलों पर केंद्रीय तंत्र के रूप में कार्य करेगा।
- o यह **जनजातीय कार्य मंत्रालय** और राज्य कल्याण विभागों को डिजाइन अध्ययनों तथा कार्यक्रमों की नीतिगत जानकारी उपलब्ध कराएगा। इससे एक ही स्थान पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन होगा।
- o यह अन्य संस्थानों के साथ **सहयोग और नेटवर्क का सृजन** करेगा। साथ ही, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRIs), उत्कृष्टता केंद्रों (CoEs) आदि की **परियोजनाओं की निगरानी भी** करेगा।

6.4.14. राष्ट्रीय वायु खेल नीति (NASP) 2022 {National Air Sports Policy (NASP) 2022}

- राष्ट्रीय वायु खेल नीति का लक्ष्य देश में **हवाई खेलों के लिए सुरक्षित, वहनीय और संधारणीय परिवेश** प्रदान करना है।
  - o इसका विजन वर्ष 2030 तक **भारत को हवाई खेलों में शीर्ष पर रहे देशों में शामिल** करना है।
  - o इस नीति के तहत **ग्यारह हवाई खेलों को बढ़ावा** दिया जाएगा। इनमें शामिल हैं: एयरोबेटिक्स, एयरो मॉडलिंग और रॉकेट्री, बैलूनिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरा-मोटरिंग आदि।
- **NASP, 2022 के उद्देश्य**
  - o हवाई खेलों में अवसंरचना, उपकरण, संचालन, रखरखाव और प्रशिक्षण सहित सुरक्षा के लिए भी बेहतर अंतर्राष्ट्रीय **प्रथाओं को अपनाया** जायेगा।
  - o वैश्विक हवाई खेल आयोजनों में **भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी और सफलता** को बढ़ाना।
  - o आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप भारत में हवाई खेल उपकरणों के **डिजाइन, विकास और निर्माण** को बढ़ावा देना।
- **शासी संरचना**
  - o NASP-2022, 11 अलग-अलग हवाई खेलों को शामिल करती है। यह एक चार स्तरीय शासी संरचना का प्रावधान करती है। **एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFSI)** इसका **शीर्ष शासी निकाय** होगा।
  - o AFSI नागर विमानन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय होगा।
    - ▪ AFSI **फेडरेशन एयरोनॉटिक इंटरनेशनेल (FAI)** और हवाई खेलों से संबंधित अन्य वैश्विक प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
      - ✶ FAI का मुख्यालय **स्विट्जरलैंड के लुसाने** में स्थित है।
      - ✶ FAI हवाई खेलों के लिए वैश्विक स्तर का शासी निकाय है।

6.4.15. "संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय" (UNODC) ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 जारी की {United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) World Drug Report 2022}

- **इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:**
  - o वर्ष 2020 के दौरान दुनिया भर में **15-64 आयु वर्ग** के लगभग **28.4 करोड़** लोगों ने मादक पदार्थों (ड्रग्स) का सेवन किया था। यह पिछले दशक की तुलना में **26% अधिक** है।
    - ▪ हालांकि वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों का सेवन करने वाली महिलाओं की संख्या कम है। इसके बावजूद महिलाओं में मादक पदार्थों के सेवन में वृद्धि दर पुरुषों की तुलना में **अधिक तीव्र** है।
  - o **मादक पदार्थों के उत्पादन और तस्करी में निरंतर वृद्धि** हुई है।
  - o अवैध मादक पदार्थों पर **निर्भर अर्थव्यवस्थाएं** मुख्यतः आंतरिक संघर्ष की स्थितियों में और कमजोर कानून व्यवस्था वाले देशों में फल-फूल सकती हैं। इससे देश में संघर्ष की स्थिति अधिक लंबी हो सकती है।
    - ▪ मध्य-पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में संघर्ष की स्थिति सिंथेटिक मादक पदार्थों के विनिर्माण के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करती है।
  - o **पर्यावरणीय प्रभाव:** कोका की गैर-कानूनी खेती के लिए **वनों की कटाई की जाती है।** इसके अलावा **सिंथेटिक मादक पदार्थों के विनिर्माण** के दौरान अत्यधिक मात्रा में अपशिष्ट पैदा होता है।
    - ▪ ऐसे अपशिष्ट के कारण प्रत्यक्ष रूप से **मृदा, जल और वायु पर नकारात्मक प्रभाव** पड़ सकता है। साथ ही, इससे अप्रत्यक्ष रूप से सजीव, प्राणी और खाद्य श्रृंखलाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत **उपभोगकर्ताओं के मामले में दुनिया के सबसे बड़े अफीम बाजारों में से एक** है। साथ ही, यहाँ **इसकी आपूर्ति बढ़ने की भी संभावना है।**
    - **अफगानिस्तान में उत्पादित अफीम की तस्करी** बढ़ने की संभावना है।
    - इससे **गैर-कानूनी व्यापार** और इससे जुड़े संगठित अपराधों के स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है।
- **UNODC के बारे में:**
    - इसका मुख्यालय **वियना** में है।
    - इसकी स्थापना **वर्ष 1997 में अवैध मादक पदार्थों और इससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए** की गई थी।
    - इसका गठन **संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम** और **अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र** का विलय कर किया गया था।

6.4.16. स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) ने खुले में शौच से मुक्त (ODF) होने की स्थिति को बनाए रखने के लिए संशोधित स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल जारी किया {Swachh Bharat Mission- Urban 2.0 (SBM-U 2.0) launches Revised Swachh Certification Protocols to sustain ODF status}

- **SBM-U 2.0 ने खुले में शौच मुक्त (ODF), ODF+, ODF++ और वाटर+** प्रमाणन के लिए संशोधित स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल जारी किया है।
    - स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 को **वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26** तक की अवधि के लिए **अक्टूबर 2021** में आरम्भ किया गया था।
    - इसे स्वच्छ भारत मिशन के दौरान प्राप्त **स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परिणामों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने लिए** आरंभ किया गया था।
        - स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (SBM-U) को सभी शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष **2014 में शुरू** किया गया था। इसे व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और **सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों** के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच से मुक्ति की 100% स्थिति प्राप्त करने के लिए आरंभ किया गया था।

- **प्रमाणन की प्रत्येक श्रेणी के लिए किये गए उपाय**

स्थिति	कब घोषित की जाती है?	उपाय
ODF	• **यदि एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते नहीं पाया जाता है।**	• **सर्वेक्षण नमूना आकार और स्थान प्रकारों की संख्या में वृद्धि** करके मजबूत निगरानी तंत्र सुनिश्चित किया गया है।
ODF+	• ODF **दर्जे** के साथ सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय चालू स्थिति में हैं और उनका अच्छी तरह से रखरखाव किया जा रहा है।	• **सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों** के चालू अवस्था में रहने पर ध्यान दिया गया है। • लंबी अवधि तक कारगर बनाए रखने के लिए **अभिनव संचालन और रखरखाव व्यवसाय मॉडल** को अपनाया गया है।
ODF++	• **ODF+ दर्जे के साथ** और **मलयुक्त गाद एवं सेप्टेज** प्रबंधन से युक्त शौचालय।	• सेप्टिक टैंक और सीवर की **यंत्रीकृत सफाई।** • उपयोग किए गए जल के सुरक्षित संग्रह और उपचार के साथ-साथ मल युक्त गाद के **सुरक्षित प्रबंधन** पर बल दिया जा रहा है।
जल+	• **छोड़े गए सभी अपशिष्ट जल** को पर्यावरण में मुक्त करने से पहले संतोषजनक स्तर (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानदंडों के अनुसार) पर **उपचारित** किया जाता है।	• उपयोग किए गए जल और मल युक्त गाद, दोनों के **संग्रह, परिवहन, उपचार और पुन: उपयोग** पर बल दिया जा रहा है।

6.4.17. हैबिटस (Habitus)

- हैबिटस एक **सामूहिक इकाई** को संदर्भित करता है। इसके द्वारा **समाज की प्रमुख सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां स्थापित तथा पुन: उत्पन्न** की जाती हैं।
    - यदि कोई व्यक्ति किसी को **'स्वाभाविक', 'वर्जित', 'तटस्थ' और 'अच्छा' या 'बुरा'** मानता है, तो वह उसके **हैबिटस से निर्मित** होता है।
    - इस विचार को **फ्रांसीसी समाजशास्त्री पियरे बॉर्डियू** ने अपनी पुस्तक **आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस** (1977) के जरिए लोकप्रिय बनाया था।

- यह भौतिक या अभौतिक वस्तुओं में सांस्कृतिक मूल्य का आरोपण कर **व्यक्तियों में वैश्विक भावना पैदा करने में** मदद करता है।
- पियरे ने बताया है कि **कैसे असमानता को प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के माध्यम से पुन: उत्पन्न किया जाता है,** जिसका एक व्यक्ति आदी है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

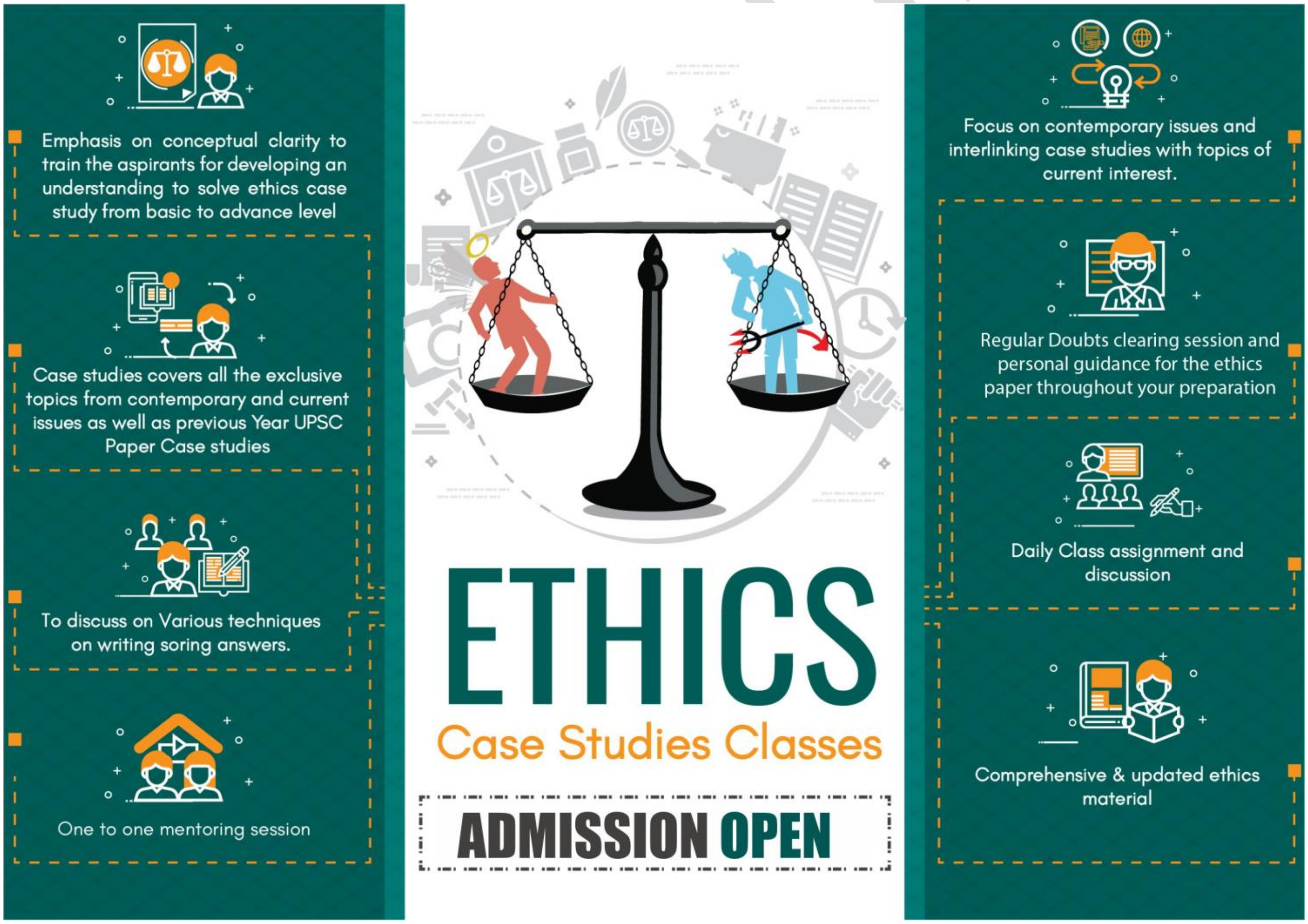

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्रक (Private Sector in Space Programme of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री **अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)** के मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्रक की अधिक से अधिक भागीदारी का आह्वान किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) की स्थापना के साथ, **अंतरिक्ष क्षेत्रक अब निजी क्षेत्रक के लिए खोल दिया गया है। इसे निजी क्षेत्रक और शिक्षाविदों** से प्रक्षेपण वाहनों व उपग्रहों के निर्माण से लेकर पृथ्वी अवलोकन अनुप्रयोगों तक की गतिविधियों के लिए लगभग 40 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
- यह भी उल्लेखनीय है कि **इसरो केंद्रों में पांच निजी उपग्रहों का परीक्षण किया गया है।** इसके अलावा छात्रों द्वारा बनाए गए चार उपग्रहों को पी.एस.एल.वी. C-51 पर लॉन्च किया गया था।

> **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)**
>
> - भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र एक स्वायत्त, सिंगल विंडो वाली नोडल एजेंसी है। इसे **भारत में गैर-सरकारी निजी संस्थाओं (NGPEs) की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, उन्हें अधिकृत करने, उनकी निगरानी करने और पर्यवेक्षण** करने के लिए गठित किया गया है।
> - **IN-SPACe को सौंपे गए कार्य:**
>   - इसरो के नियंत्रण वाली **अंतरिक्ष संबंधी अवसंरचना और परिसर को साझा करना।**
>   - इसरो के अधीन परिसर के भीतर **अस्थायी इकाइयों की स्थापना** करना।
>   - **गैर-सरकारी निजी संस्थाओं द्वारा नई अंतरिक्ष अवसंरचना और इकाइयों की स्थापना करना।**
> - भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का निर्णय इसरो सहित सभी हितधारकों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। गैर-सरकारी निजी संस्थाओं को इसरो से अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
> - **संरचना:** भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र में एक अध्यक्ष, अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए तकनीकी विशेषज्ञ, सुरक्षा विशेषज्ञ, शिक्षा और उद्योग के विशेषज्ञ, प्रधान मंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के सदस्य होंगे।

    - भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने पी.एस.एल.वी. C-53 के **पी.एस.एल.वी. ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (POEM)** पर पेलोड के प्रक्षेपण के लिए दो संस्थाओं को अधिकृत किया था। ये दो संस्थाएं हैं: **हैदराबाद का ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड** और **बेंगलुरु का दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड।**
    - **टाटा प्ले ने** संचार उपग्रह GSAT-24 की क्षमता का उपयोग करने के लिए **NSIL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।** GSAT-24 का **निर्माण इसरो ने** और प्रक्षेपण एरियनस्पेस ने किया था।
- यह एक ऐसा **इकोसिस्टम** बनाने में मदद करेगा, जो भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने में मदद करेगा। साथ ही यह **हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़े योगदानकर्ता बनने में** अंतरिक्ष उद्योग की **सहायता करेगा।**
    - वर्तमान में, **भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में केवल दो प्रतिशत का भागीदार है।** वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान मूल्य लगभग 447 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और 2040 तक इसके 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्रक को शामिल करने के लाभ

- **लागत में कमी:** अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक और स्टार्टअप की भागीदारी से परिचालन की लागत में कमी आएगी।
    - **उदाहरण के लिए चेन्नई के अग्निकुल** और **हैदराबाद के स्काईरूट** स्टार्टअप्स प्रक्षेपण यान विकसित कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे अंतरिक्ष में प्रक्षेपण की लागत में काफी कमी आएगी।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** निजी क्षेत्रक की भागीदारी से नए नवाचार और प्रौद्योगिकियां उपलब्ध होंगे।
    - उदाहरणार्थ **हैदराबाद स्थित स्टार्टअप ध्रुव स्पेस** उपग्रहों के लिए उच्च तकनीक आधारित सौर पैनल विकसित करने पर काम कर रहा है। इसके अलावा एक अन्य अंतरिक्ष स्टार्टअप **दिगंतरा,** अंतरिक्ष में मौजूद मलबे की मात्रा का आकलन करने की कोशिश कर रहा है।

अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी कंपनियों की भूमिका

अपस्ट्रीम अवसर

- निजी कंपनियां कोर अनुसंधान और ऑर्बिटल सिस्टम, प्रक्षेपण यान, उपग्रह प्रणोदन आदि के विकास में सहायक होती हैं। ये छोटी कंपनियों के संचालन को संभव बनाने वाली अवसंरचना का निर्माण करती हैं।
- इसमें शामिल मुख्य कंपनियां हैं:
    - बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस (उपग्रह प्रणोदन प्रणाली),
    - अग्निकुल कॉसमॉस (3D प्रिंटेड लॉन्च व्हीकल), और
    - स्काईरूट एयरोस्पेस (छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की प्रणालियों का विकास)।

डाउनस्ट्रीम अवसर

- इसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित गतिविधियां, जैसे– मौसम और जलवायु की निगरानी, उपग्रह संचार, प्रसारण, चयनित ळै सक्षम सेवाएं, अर्थ इमेजिंग, रक्षा इत्यादि शामिल हैं।
- इसमें शामिल मुख्य कंपनियां हैं:
    - पिक्सल (पृथ्वी का अवलोकन)
    - कावा स्पेस (सैटेलाइट इमेजिंग और मौसम का अवलोकन), और
    - गैलेक्सआई (सेटेलाइट इमेजरी के माध्यम से जानकारी प्रदान करना)।

- **निवेश और क्षमता विकास:** निजी क्षेत्रक, ग्रहों की खोज सहित प्रौद्योगिकी विकास और अधिग्रहण, क्षमता निर्माण एवं अंतरिक्ष अन्वेषण में निवेश को आसान बनाता है।
- **प्रतिभाओं का सदुपयोग:** भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। वे अवसरों की तलाश कर रहे हैं। इसलिए, अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी संस्थाओं की भागीदारी इसरो के बाहर बड़े पैमाने पर उपलब्ध प्रतिभाओं का सदुपयोग करने में सहायक होगी।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** निजी संस्थाओं की भागीदारी से हितधारकों की संख्या में वृद्धि होगी। इससे अधिक पारदर्शिता और बेहतर जवाबदेही एवं नियामक प्रथाओं को शामिल करना सुनिश्चित होगा।
- **प्रतिस्पर्धात्मकता:** भारत के अंतरिक्ष क्षेत्रक में कम लागत, नवाचार और बेहतर प्रतिभाओं के शामिल होने से यह विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित निजी अंतरिक्ष उद्योग के संदर्भ में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएगा।
    - निजी उद्यमियों की भागीदारी होने से भारत **'अंतरिक्ष पर्यटन' और 'अंतरिक्ष कूटनीति'** में बड़े प्रतिभागी के रूप में उभरेगा।

अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी प्रतिभागियों को बढ़ावा देने के लिए किये गए अन्य सुधार

- **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)**
    - यह अंतरिक्ष क्षेत्रक में **देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्रक का उपक्रम** है। यह **इसरो की वाणिज्यिक शाखा है,** जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं का उत्पादन और विपणन करना है। इसे इसरो द्वारा प्रयोग किये जा रहे प्रक्षेपण वाहनों और अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए भी सक्षम बनाया गया है।
    - यह सरकारी हस्तक्षेप के बिना स्टार्ट-अप्स और निजी क्षेत्रक के प्रतिभागियों **के साथ बेहतर सहयोग को** संभव करता है।
- **अंतरिक्ष आधारित संचार नीति-2020 का प्रारूप**
    - इसका **उद्देश्य राष्ट्र की अंतरिक्ष-आधारित संचार आवश्यकताओं की बढ़ती मांगों को पूरा करना** है। इसके अन्य उद्देश्यों में वाणिज्यिक, सुरक्षित और सामाजिक संचार के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की दिशा में प्रगति करना भी शामिल है।

- **संचार अवसंरचना की कमी को पूरा करना:** निजी क्षेत्रक के पास उपलब्ध व्यापक क्षमता और संसाधन भारत के अंतरिक्ष उद्योग को विकसित होने में मदद करेंगे। ये इंटरनेट प्रदान करने के पारंपरिक तरीकों से परे जाकर और अंतरिक्ष-आधारित समाधानों की खोज करके संचार अवसंरचना की कमी को पूरा करने में भी सहायक होंगे।

अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी संस्थाओं की भागीदारी से जुड़ी चिंता

- **एकाधिकार की संभावना:** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी महंगी है और इसे भारी निवेश की आवश्यकता होती है। केवल कुछ संपन्न कॉर्पोरेट ही इसकी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार, यह प्रवृत्ति **अंतरिक्ष क्षेत्रक पर संपन्न कॉरपोरेट के एकाधिकार** का कारण बन सकती है।

* **लाभ प्राप्त करने में रुचि:** निजी कंपनियां देश की तात्कालिक सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को पूरा करने वाले समाधान विकसित करने की तुलना में लाभ अर्जित करने पर अधिक ध्यान देंगी।
* **बौद्धिक संपदा का मुद्दा:** निजी क्षेत्रक विशेष रूप से अपने द्वारा विकसित उत्पादों के लिए बौद्धिक संपदा साझा करने जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित है। लेकिन वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्रक में बौद्धिक संपदा केंद्रित ऐसी कोई नीति मौजूद नहीं है।
* **राष्ट्रीय सुरक्षा:** ऐसी चिंताएं हैं कि निजी प्रतिभागी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी लीक कर सकते हैं। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति की बजाय बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
* **नीतिगत अड़चनें:** भारत में निजी क्षेत्रक के लिए ऐसी नीति और अंतरिक्ष संबंधी कानून का अभाव है जो कार्यशील ढांचे को खुलापन व स्पष्टता दे सके।

आगे की राह

* **इनक्यूबेटर और अनुदान कार्यक्रम:** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है। इसलिए, इसमें प्रारंभिक अनुसंधान एवं विकास के दौरान क्षेत्र का समर्थन करने वाले इनक्यूबेटर और अनुदान कार्यक्रम स्थापित करने से उद्यमिता तथा निवेशकों की भागीदारी में काफी सुधार होगा। साथ ही इस क्षेत्र के स्टार्टअप्स की सफलता दर में वृद्धि होगी।
* **अंतरिक्ष योग्यता:** अंतरिक्ष योग्यता या स्पेस क्वालिफिकेशन का अर्थ अंतरिक्ष में किसी प्रौद्योगिकी के कार्य करने की योग्यता और उपयुक्तता के परीक्षण से है। इसकी लागत अधिक होने के कारण अधिकांश स्टार्ट-अप्स इसे वहन नहीं कर सकते। यदि पेलोड लॉन्च करने में इसरो की मदद मिल जाए, तो अनेक स्टार्ट-अप्स कई बार किये जाने वाले अंतरिक्ष योग्यता परीक्षण का व्यय वहन करने में सक्षम हो सकते हैं।
* **बौद्धिक संपदा केंद्रित नीति:** ऐसे सुधारों की आवश्यकता है जहां स्थानीय उद्योग अपनी स्वयं की बौद्धिक संपदा और/या उत्पादों के निर्माण में निवेश कर सकें जो वैश्विक मानकों से मेल खाते हों।
* **विधायी ढांचा:** भारत को संधारणीय और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्रक हेतु मजबूत विधायी ढांचा विकसित करने की जरूरत है।

अंतरिक्ष उपयोग के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी आवश्यकताएं निजी क्षेत्रक सर्वोत्तम रूप से पूरा कर सकता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनकी आवश्यकताएं सार्वजनिक क्षेत्रक द्वारा पूरी की जा रही हैं और आगे भी सार्वजनिक क्षेत्रक ही सर्वोत्तम रूप से इन्हें पूरा करने में सक्षम होगा। इस प्रकार, दोनों के बीच का संबंध परजीवी प्रकृति का नहीं है, बल्कि यह एक **सहजीवी संबंध** है।

भारत और विश्व व्यापार संगठन	अंतरिक्ष अन्वेषण ने देशों के लिए उनकी अर्थव्यवस्थाओं और सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह क्षेत्र पर्याप्त वृद्धि का अनुभव कर रहा है। इसलिए इस क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता भी बढ़ गई है। भारत इस क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति होने के नाते अंतरिक्ष सहयोग स्थापित करने और उसे सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।	

7.2. ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग ने 'ग्रीन हाइड्रोजन: अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया' नामक रिपोर्ट जारी की है।** इसमें बताया गया है कि वर्ष 2070 तक भारत की शुद्ध-शून्य महत्वाकांक्षाओं (net-zero ambitions) के लिए ग्रीन हाइड्रोजन महत्वपूर्ण है।

VISIONIAS

ग्रीन हाइड्रोजन

- **ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से** जल के **विद्युत अपघटन (इलेक्ट्रोलिसिस) द्वारा** किया जाता है। **इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक** ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन प्रक्रिया के केंद्र में है।

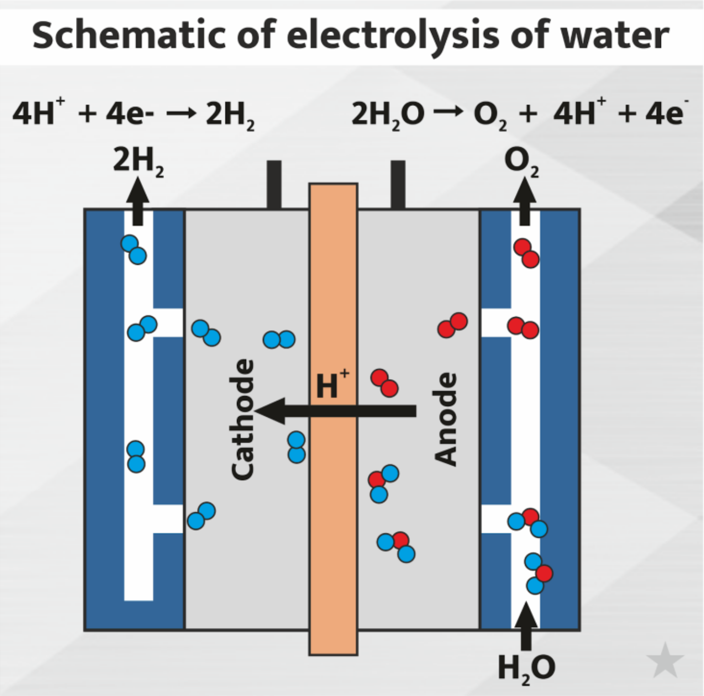

- **एल्कलाइन, पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन (PEM) और सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर,** ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्रौद्योगिकियां हैं।
  - **एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर:** एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर का संचालन इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से हाइड्रॉक्साइड आयनों (OH-) के परिवहन द्वारा किया जाता है। यह आयन कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन की उत्पत्ति कैथोड की तरफ होती है।
  - **पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन (PEM) इलेक्ट्रोलाइज़र:** इसमें इलेक्ट्रोलाइट एक ठोस विशिष्ट प्लास्टिक सामग्री होता है।
  - **सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर:** इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक ठोस सिरेमिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह, हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए उच्च तापमान (700°-800°C) पर चयनात्मक रूप से ऋणात्मक (-ve) चार्ज युक्त ऑक्सीजन आयनों (O^{2-}) का चालन करता है।
- **अनुप्रयोग (Applications)**: ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है:
  - प्रत्यक्ष दहन,
  - ईंधन कोशिकाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए तथा
  - अमोनिया, इस्पात निर्माण और पेट्रोलियम रिफाइनरी जैसी औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से रासायनिक फीडस्टॉक के रूप में।

ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा का महत्व और भारत की क्षमता

- **कार्बन उत्सर्जन कम करना:** यह वर्ष 2050 तक CO_2 उत्सर्जन में संचयी रूप से 3.6 गीगाटन की कमी करने में मदद कर सकता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना:** साथ ही ऊर्जा आयात को कम करना। औद्योगिक प्रक्रियाओं में संभावित रूप से जीवाश्म ईंधन की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है।

ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित भारत द्वारा की गई कई पहल

- **नेशनल हाइड्रोजन मिशन:** भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किया गया।
  - इस मिशन का उद्देश्य जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में सरकार की सहायता करना है। इसके साथ ही, वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है।
- **भारत की ग्रीन हाइड्रोजन नीति:** भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पर नीति तैयार की है जो निम्नलिखित प्रावधान करती है:
  - ग्रीन हाइड्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके, जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
  - ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादक को **25 वर्ष की अवधि के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क से छूट** दी जाएगी।
  - एक उत्पादक **नवीकरणीय ऊर्जा** का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण कर सकता है। यह ऊर्जा सह-स्थित या सुदूर, किसी भी **नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र से** प्राप्त की जा सकती है।
  - ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की भूमि का आवंटन किया जा सकता है।
  - भारत सरकार ने **मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (विनिर्माण क्षेत्र)** स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन में **ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा सकता है।**
  - ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु उपभोग की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा को उपभोक्ता इकाई के **नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO)[90] के अनुपालन में शामिल किया जाएगा।**

---

[90] Renewable Purchase Obligation

- **लागत प्रभावी:** हालांकि हाइड्रोजन का उत्पादन कई स्रोतों से किया जा सकता है, लेकिन कम लागत वाली नवीकरणीय बिजली में भारत को विशिष्ट श्रेष्ठता प्राप्त है; यानी ग्रीन हाइड्रोजन सर्वाधिक लागत प्रभावी रूप में उभरेगी।
- **मांग:** ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में हाइड्रोजन की मांग वर्ष 2050 तक चार गुना से अधिक बढ़ सकती है। यह वैश्विक मांग का लगभग 10% हिस्सा होगा, जिसमें से अधिकांश मांग को ग्रीन हाइड्रोजन से पूरा किया जा सकता है।
- **वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global manufacturing hub):** QUAD[91] समूह भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में देखता है, जो चीन के प्रभाव से मुक्त है।
    - भारत-प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन बाज़ार एक उपयुक्त विकल्प होगा।
    - यह संभव है क्योंकि भारत में आर्थिक श्रम शक्ति और विनिर्माण के लिए उपलब्ध भूमि इसके लिए अनुकूल हैं।
- **संयुक्त हित:** संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे देश भारत में निवेश करने के लिए तैयार हैं। जर्मनी और जापान सहित अन्य देशों ने भारत से ग्रीन हाइड्रोजन आयात करने में रुचि दिखाई है।

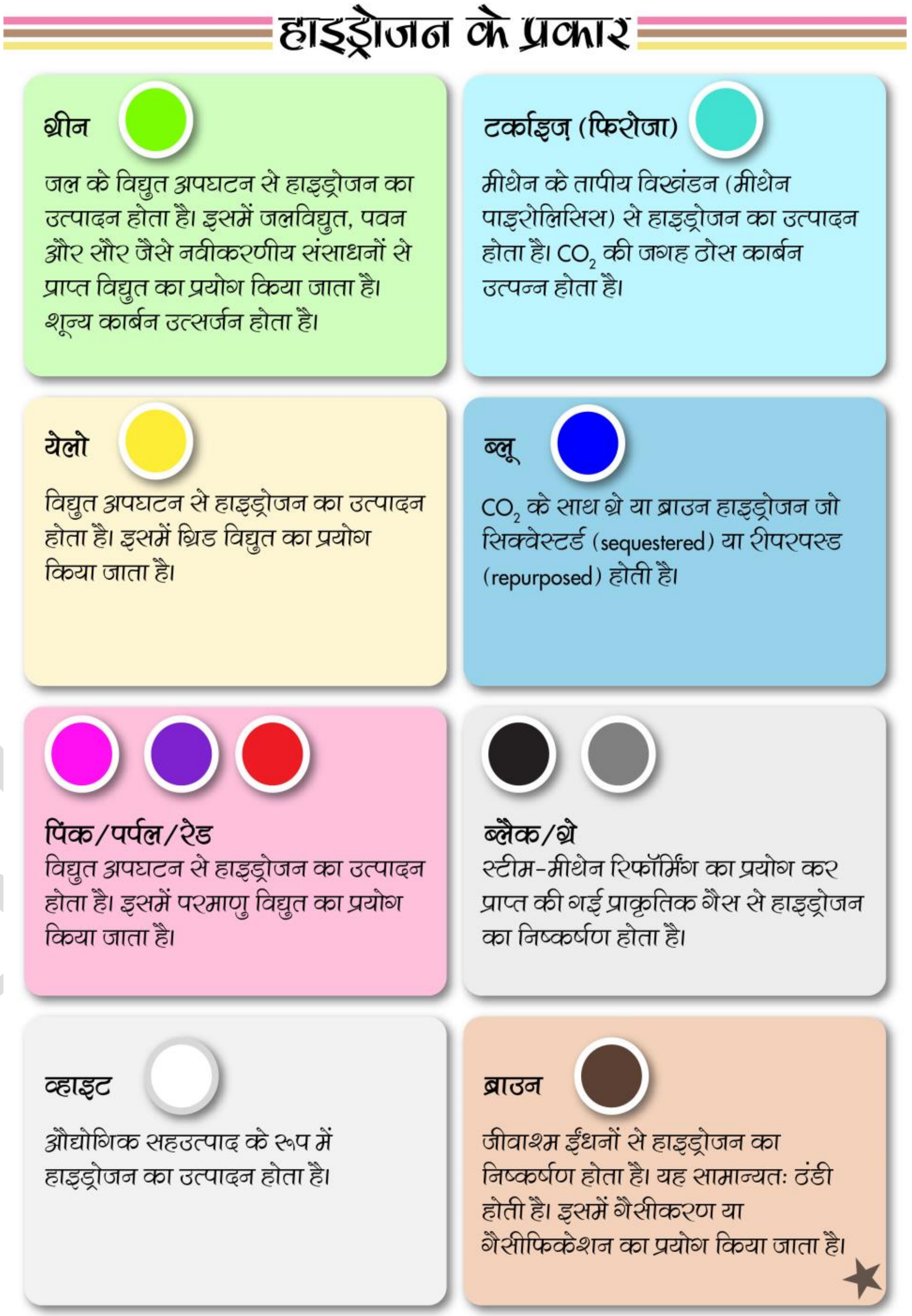

ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी चिंताएं

- **परिवहन और भंडारण:** पहले से ही, गैस की ज्वलनशीलता, कम घनत्व, फैलाव में आसानी, और भंगुरता (हवा में मिल जाने) के कारण हाइड्रोजन का भंडारण तथा परिवहन कठिन होता है।
- **उच्च लागत:** चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाने वाली दुर्लभ मृदा तत्वों[92] की कीमतें बहुत उच्च होती हैं, इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की लागत जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन की लागत से बहुत अधिक है।
- **उच्च ऊर्जा खपत:** ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए अन्य ईंधनों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं है।
- **सुरक्षा के मुद्दे:** हाइड्रोजन एक अत्यधिक अस्थिर और ज्वलनशील तत्व है। इसलिए रिसाव या लीकेज और विस्फोटों को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

---

[91] Quadrilateral Security Dialogue

[92] Rare Earth Elements

क्या किए जाने की आवश्यकता है?

- **राज्य स्तरीय कार्रवाई:** राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों के पूरक के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित राज्य स्तरीय कार्रवाई और नीति निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **क्षमता निर्माण और कौशल:** समस्त पारिस्थितिकी तंत्र में क्षमता निर्माण और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना। इसके तहत ऐसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसमें सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाए।
- **वित्तीय तंत्र:** ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त वित्तीय तंत्र जैसे व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण[93], उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं, GST और सीमा शुल्क जैसे करों और शुल्कों में कमी या छूट को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण को प्रोत्साहित करना:** दुर्लभ मृदा धातुओं के न्यूनतम उपयोग वाली कम लागत वाली इलेक्ट्रोलाइजर प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास और व्यावसायीकरण की पहचान करके उनमें निवेश किया जाना चाहिए।
- **अनुसंधान और विकास:** प्रारंभिक चरण में अनुसंधान और विकास किया जाना चाहिए। इससे ऐसी प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाया जा सकेगा, जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर इलेक्ट्रोलाइजर घटकों के निर्माण की लागत को कम कर सकें।
- **निकट-अवधि और मध्यम-अवधि के लक्ष्य:** ये ग्रीन हाइड्रोजन की मौजूदा लागत को कम करने में मदद करते हैं ताकि इसे हाइड्रोजन के मौजूदा स्वरूप के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

7.3. खाद्य सुरक्षा (Food Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने **राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक[94] 2021-22** जारी किया।

[93] viability gap funding

[94] State Food Safety Index: SFSI

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) के बारे में:

- SFSI को पहली बार 2018-19 में जारी किया गया था; यह इसका चौथा संस्करण है। इसे **वर्ष में एक बार** जारी किया जाता है।
- सूचकांक का उद्देश्य **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अधिकार क्षेत्र में एक उचित खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित** करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही, इसका उद्देश्य **इस क्षेत्र में कार्य करने और अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए उन्हें बढ़ावा देना है।**
- **राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-2022 के निष्कर्ष**
    - **बड़े राज्यों में तमिलनाडु** पहले नंबर पर है, उसके बाद **गुजरात और महाराष्ट्र** हैं।
    - **छोटे राज्यों में गोवा** पहले नंबर पर है, उसके बाद **मणिपुर और सिक्किम** का स्थान आता है।
    - **केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर** पहले नंबर पर है, उसके बाद **दिल्ली और चंडीगढ़** का स्थान है।
    - **उत्तराखंड, त्रिपुरा और लद्दाख** ने क्रमशः बड़े, छोटे और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पिछले साल की तुलना में अपनी **रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार** किया है।

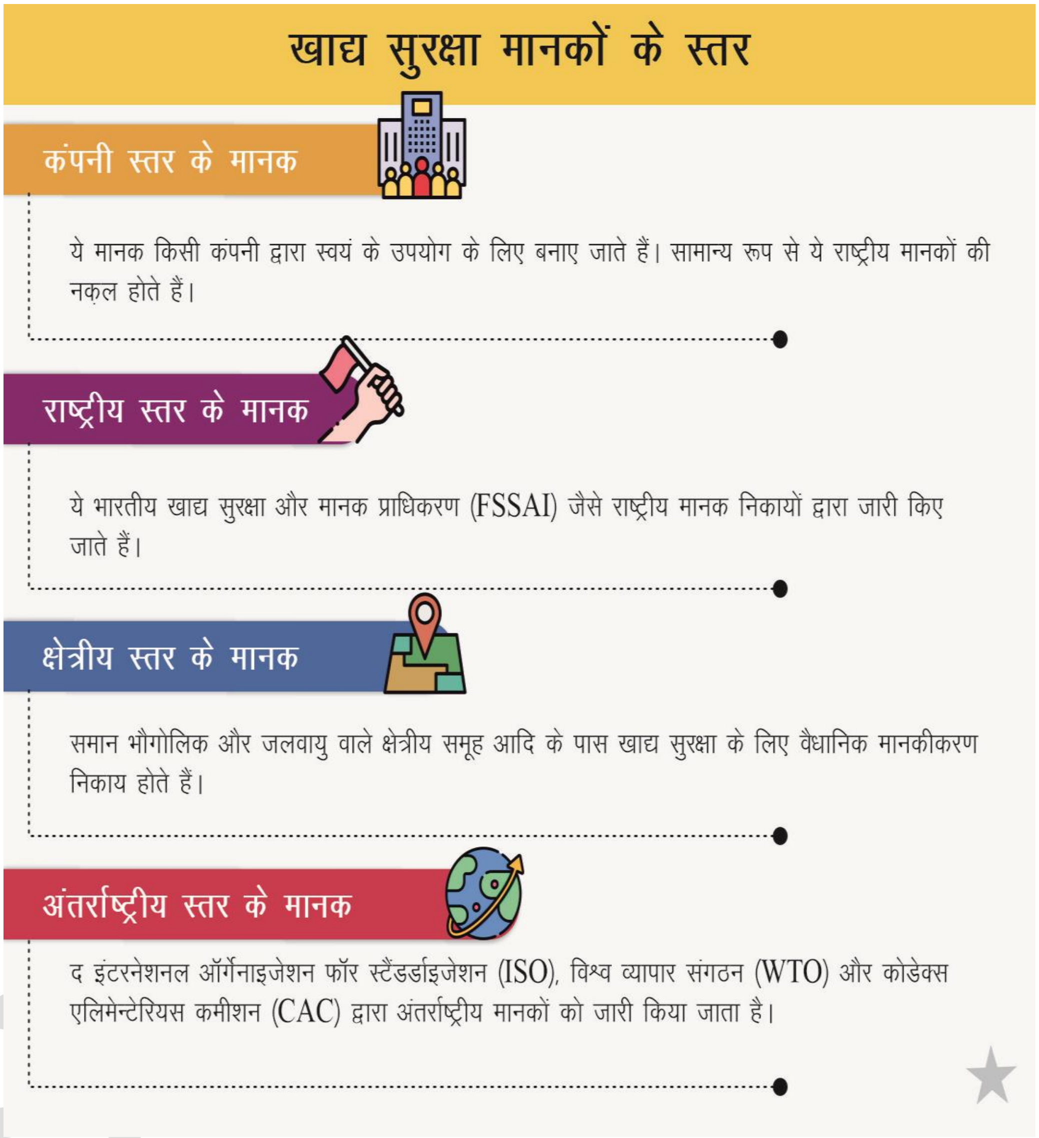

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI): इसे निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 द्वारा अधिकृत किया गया है।

- खाद्य पदार्थों के लिए मानक और दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए **विनियम बनाना** तथा कई मानकों को लागू करने की प्रणाली बनाना।
- **प्रमाणन निकायों और प्रयोगशालाओं के एक्रेडिशन (प्रत्यायन) हेतु तंत्र और दिशा-निर्देश निर्धारित करना।** इसका उद्देश्य खाद्य व्यवसायों हेतु खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणीकरण के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को अधिसूचित करना है।
- खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित नीति तथा नियम बनाने के लिए **केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करना।**
- **खाद्य खपत,** जैविक जोखिम के मामले और उसकी व्यापकता, भोजन में संदूषक, खाद्य उत्पादों में कई संदूषकों के अवशेष, उभरते जोखिमों की पहचान और रैपिड अलर्ट सिस्टम की शुरुआत के संबंध में **डेटा एकत्र करना और मिलान करना।**
- **देश भर में एक सूचना नेटवर्क बनाना** ताकि जनता, उपभोक्ताओं, पंचायतों आदि को खाद्य सुरक्षा और उससे जुड़ी चिंता के मुद्दों के बारे में तेजी से, विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
- भोजन, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता मानकों[95] के लिए **अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान करना।**

[95] food, sanitary and phyto-sanitary standards

 ©Vision IAS

खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं

- **अपर्याप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं:** वर्तमान में, भारत में उत्तरी क्षेत्र में लगभग 28, पश्चिम में 25, दक्षिण में 24 और पूर्वी क्षेत्र में 5 मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं हैं, जो खाद्य उत्पादों और इसकी मांग की तुलना में बहुत कम हैं। साथ ही, इन प्रयोगशालाओं में आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी है।
- **पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन:** खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में जलवायु की परिवर्तनशीलता में वृद्धि, चरम मौसमी या जलवायवीय घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि अत्यंत चिंताजनक हैं। साथ ही अत्यधिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाला पर्यावरण प्रदूषण भी खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में चिंताएं उत्पन्न करता है। अंततः जलवायु परिवर्तन से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अतः इससे भी खाद्य सुरक्षा से जुडी समस्याएँ पैदा होती हैं।
- **नए और उभरते हुए वैरिएंट और एंटीबायोटिक प्रतिरोध:** कई उत्परिवर्तन के कारण पौध रोगों के नए प्रकार के रोगाणुओं का उदय होता है। इसके अलावा, एंटीबायोटिक प्रतिरोध विकसित होना खाद्य सुरक्षा और सेफ्टी के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।
- **उपभोक्ता की प्राथमिकताओं और आदतों में बदलाव:** घरेलू वातावरण में खाद्य पदार्थों के रख-रखाव और भंडारण के बारे में जागरूकता की कमी है। साथ ही एडिटिव्स वाले प्रसंस्कृत या प्रोसेस्ड भोजन और रेडी टू ईट आहार को तरजीह देना आदि खाद्य सुरक्षा की चिंताओं के प्रमुख कारण हैं।

क्या आप जानते हैं?

हर साल दूषित भोजन खाने से लगभग 4,20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त, रोगों और कुपोषण का दुष्चक्र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बढ़ाता है। इससे सामाजिक और आर्थिक प्रगति नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है तथा जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है।

- **जनसंख्या और खाद्य सुरक्षा का बोझ:** जनसंख्या वृद्धि **खाद्य मांग और सुरक्षा में वृद्धि** का एक महत्वपूर्ण चालक है। लेकिन इस तरह की बढ़ी हुई मांग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है।

खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के तरीके

- **गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज़ (GMP):** GMP एक अच्छा व्यावसायिक उपकरण है जो विनिर्माताओं/उत्पादकों द्वारा अनुपालन और प्रदर्शन को परिष्कृत करने में मदद करता है।
    - यह ज़रूरी है कि विनिर्माता/प्रसंस्करणकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं कि उनके उत्पाद संदूषण और झूठी लेबलिंग के तौर-तरीकों से दूर हैं। इससे उनके द्वारा तैयार खाद्य पदार्थ भी सुरक्षित होगा और उनके उपभोक्ता भी सुरक्षित रहेंगे।
- **सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SSOP):** SSOP उत्पादों के **प्रत्यक्ष संदूषण या मिलावट को रोकने के लिए** एक संस्था में विकसित और कार्यान्वित लिखित प्रक्रियाएं हैं।
    - इन लिखित प्रक्रियाओं को फाइल पर बनाए रखने के लिए सुविधाओं की आवश्यकता होती है, और ये अनुरोध पर नियामक या सरकारी निकायों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

खाद्य सुरक्षा के संबंध में विभिन्न पहल

- **ईट राइट इंडिया:** यह सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान है। इसकी टैगलाइन है **"सही भोजन बेहतर जीवन"** और इसमें निम्नलिखित पहल शामिल हैं-
    - **ईट राइट रिसर्च अवॉर्ड्स एंड ग्रांट्स**
    - **ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज**
    - **ईट राइट कैंप**
- **ब्लिसफुल हाईजेनिक ऑफरिंग टू गॉड (BHOG):** भगवान को चढ़ने वाले प्रसाद की तैयारी, परोसने और बिक्री में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को अपनाने और बनाए रखने के लिए पूजा स्थलों को प्रोत्साहित करना।
- **रेस्तरां की स्वच्छता रेटिंग (Hygiene Rating of Restaurants):** यह पूरे भारत में मान्यता प्राप्त एक सार्वभौम प्रणाली है और सभी ताजा खाद्य व्यवसायों को रेट करने के लिए एकल बेंचमार्क प्रदान करती है।

- **गुड हाइजीन प्रैक्टिसेज़ (GHP):** GHP को आम तौर पर पूर्वापेक्षित उपाय कहा जाता है। इसमें कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और प्रशिक्षण के उपायों की एक विस्तृत सूची शामिल होती है। यह सुनिश्चित करता है कि भोजन तैयार करने के वातावरण में सुरक्षा प्रथाओं का उपयोग होता है और उन्हें बनाए रखा जाता है।

- **खाद्य पदार्थ की हैंडलिंग के बेहतर तौर तरीके**[96]: यह जोखिम के संभावित स्रोतों की पहचान करने के लिए खेत से स्टोर या उपभोक्ता तक एक व्यापक दृष्टिकोण का संकेत देती है। साथ ही यह इंगित करती है कि संदूषण के जोखिम को कम करने के लिए कौन से कदम और प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं।
- **हेजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वॉइन्ट (HACCP):** HACCP भोजन की सुरक्षा को लेकर उसके उपभोक्ता को आश्वस्त करने का एक साधन है। इसमें कच्चे माल की खरीद, निर्माण, वितरण, खाद्य उत्पादों के उपयोग जैसी खाद्य श्रृंखला की विशिष्ट प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्तिगत कदम पर विस्तार पूर्वक विचार किया जाता है। साथ ही रोगजनक सूक्ष्मजीवों या अन्य खाद्य खतरों के विकास में योगदान करने की इसकी क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।
- **खाद्य विकिरण (Food irradiation):** यह भोजन के लिए आयनकारी विकिरण का एक अनुप्रयोग है। यह सुरक्षा में सुधार करता है। साथ ही, सूक्ष्मजीवों और कीड़ों को कम या समाप्त कर खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ (भंडारण से उपयोग किए जाने तक की अवधि) को बढ़ाता है।

7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (NEWS IN SHORTS)

7.4.1. 5जी ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क {5G Open Radio Access Network (RAN)}

- **5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क (O-RAN)** और अन्य उत्पादों को एक साथ विकसित करने के लिए एक **समझौते पर हस्ताक्षर** किए गए हैं। इस समझौते पर **निम्नलिखित संस्थाओं ने हस्ताक्षर किए हैं:**
  - सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT),
  - वाईसिग (WiSig) नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, और
  - वी.वी.डी.एन. टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड।
- अलग-अलग संस्थाओं के बीच सहयोग का उद्देश्य **दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास और उद्योग की पूरक शक्तियों का लाभ उठाना** है। इससे एंड-टू-एंड 5G समाधानों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और परिनियोजन में तेजी आएगी।

- RAN, उपयोगकर्ताओं को **रेडियो तरंगों के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करता** है। साथ ही, वेब पर उपलब्ध सभी प्रमुख एप्लीकेशनों को एक्सेस करने के लिए RAN एक साधन के रूप में भी कार्य करता है।
  - मौजूदा RAN तकनीक **हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों से युक्त एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में** प्रदान की जाती है। इसके तहत **हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर** की आपूर्ति लगभग एक ही विक्रेता द्वारा की जाती है।
  - इसलिए, इसके तहत अपनी **अलग-अलग इकाइयों के लिए कई विक्रेताओं को एक साथ लाना कठिन** हो जाता है। साथ ही, अधिकांश मामलों में अलग-अलग इकाइयां एक ही आपूर्तिकर्ता से आती हैं।

[96] Good Handling Practices

- O-RAN का उद्देश्य **ऑपरेटरों को अलग-अलग विक्रेताओं के घटकों को शामिल करना और एकीकरण में सक्षम बनाना** है।
  - O-RAN **एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं वाला रेडियो एक्सेस नेटवर्क समाधान निर्मित करेगा।** इस प्रकार, O-RAN मुख्यतया ओपन इंटरफेस के आधार पर विक्रेता-तटस्थ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करने पर केंद्रित है।

7.4.2. वेब 5.0 (Web 5.0)

- ट्विटर के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने **वेब 5.0** के लिए अपने **विज़न** की घोषणा की है। इसका उद्देश्य **"एक अतिरिक्त विकेंद्रीकृत वेब का निर्माण** करना है, जो आपके **डेटा और पहचान को आपके नियंत्रण में** रखेगा।"
  - वेब 5.0 में भावनात्मक और तार्किक स्तरों जैसे अधिक **जटिल स्तरों पर सूचना की व्याख्या** करने में सक्षम एप्लीकेशन होंगे।
- **वर्ल्ड वाइड वेब, अरबों लोगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक साधन है।** इसका प्रयोग इंटरनेट के माध्यम से अन्य **लोगों के साथ इंटरैक्ट** करने के लिए सूचना साझा करने, पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है।
- **वेब्स के अलग-अलग संस्करण**
  - **वेब 1.0** को अक्सर "केवल पढ़ने योग्य" (रीड ओनली) इंटरनेट के रूप में वर्णन किया जाता है।
    - यह स्थिर वेब-पेजेस (web-pages) से बना होता है। इससे केवल **निष्क्रिय तौर पर** जुड़ा जा सकता है।
  - **वेब 2.0** ने इंटरनेट को और **अधिक इंटरैक्टिव** बना दिया है। इस इंटरनेट संस्करण को **"रीड एंड राइट वेब"** भी कहा जाता है।
    - इसका उपयोग करने वाले अब सर्वर के साथ-साथ अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संचार करने में सक्षम हो गए थे। इससे **सोशल वेब** का निर्माण हुआ।
  - **वेब 3.0 "रीड-राइट-एग्जीक्यूट" वेब** संस्करण है। इसे ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाकर बनाया गया है।
    - यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित होगा। इस संस्करण में **मशीनें इंसानों की तरह सूचना की व्याख्या करने में सक्षम** होंगी।
  - **वेब 4.0** सेवाएं स्वायत्त, सक्रिय, स्वयं सीखने वाली, सहयोगी और कंटेंट-बनाने वाली एजेंट होंगी।
    - **इसके आधार होंगे:** पूरी तरह से परिपक्व **अर्थ ज्ञान (तार्किक)** और **तर्क करने वाली प्रौद्योगिकियां** तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

7.4.3. लिक्विड-मिरर टेलिस्कोप (Liquid-Mirror Telescope: LMT)

- LMT, **भारत की पहली और एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलिस्कोप** है। इसे **नैनीताल (उत्तराखंड) में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (ARIES)**[97] **की देवस्थल वेधशाला में स्थापित** किया गया है।
  - ARIES, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- LMT **क्षुद्रग्रहों, सुपरनोवा, अंतरिक्ष मलबे** और अन्य सभी खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करेगा।
- LMT को **भारत, बेल्जियम और कनाडा** के खगोलविदों ने निर्मित किया है। यह **घूर्णन करने वाले एक दर्पण का प्रयोग करता है।** यह दर्पण **तरल पारे (एक परावर्तक तरल) की पतली फिल्म** से बना हुआ है। यह प्रकाश को एकत्रित करने और केंद्रित करने पर लक्षित है।
  - LMT में एक प्राथमिक तरल दर्पण है। इसे **किसी भी दिशा में घुमाया और पॉइंटेड नहीं किया जा सकता है।** यह पृथ्वी के घूर्णन के साथ-साथ आकाश का अवलोकन भी करता है।

7.4.4. तीव्र रेडियो प्रस्फोट (Fast Radio Bursts: FRBs)

- खगोलविदों ने **एक FRB की सूचना दी है। इसकी विशेषताएं** पूर्व में ज्ञात लगभग सभी अन्य **FRBs से अलग** हैं।
  - प्रथम **FRB को वर्ष 2007 में खोजा गया था।**
- FRBs **रेडियो तरंगों के चमकीले प्रस्फोट होते हैं। इनकी अवधि मिलीसेकंड-स्केल में होती है।** इसी कारण इनका पता लगाना और आकाश में इनकी अवस्थिति निर्धारित करना कठिन होता है।
  - **परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र वाले खगोलीय पिंड** रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं।
- **FRBs की उत्पत्ति का कारण अज्ञात है।** साथ ही, उनकी उपस्थिति का पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता है।

---

[97] Aryabhatta Research Institute of Observational-Sciences

7.4.5. आर्टेमिस अकॉर्ड्स (Artemis Accords)

- फ्रांस **संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले उन बहुपक्षीय समझौतों** पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जिन्हें **आर्टेमिस अकॉर्ड्स** कहा जा रहा है।
    - इन समझौतों का **उद्देश्य** अमेरिकी सहयोगियों और निजी कंपनियों की मदद से **वर्ष 2025 तक मनुष्यों को चंद्रमा की सतह पर वापस लाना है।**
- समझौतों का यह सेट **वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के व्यापक सिद्धांतों** के आधार पर निर्मित किया गया है।
    - इसमें **अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए सिद्धांतों की एक श्रृंखला** शामिल है। इसमें चंद्रमा पर भावी मानव केंद्रों के आसपास सुरक्षा जोन की स्थापना से लेकर अन्य देशों के साथ वैज्ञानिक डेटा साझा किया जाएगा।
- **यूनाइटेड किंगडम, जापान और कनाडा** ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब फ्रांस इसके हस्ताक्षरकर्ता के रूप में 7वां **यूरोपीय देश** बनने जा रहा है।

7.4.6. सिस-लूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment: CAPSTONE)

- नासा ने CAPSTONE नामक एक क्यूबसैट को लॉन्च किया है। **यह चंद्रमा के निकट** और उसके दीर्घवृत्ताकार **कक्षीय क्षेत्र** में उड़ान भरेगा, जिसे **सिस लूनर स्पेस कहते हैं।**
- **CAPSTONE के बारे में:**
    - यह **नासा के आर्टेमिस अभियान के हिस्से** के रूप में भविष्य में गेटवे **(चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करने वाली चौकी)** के लिए **नियत कक्षा की ओर अग्रसर है।**
    - भविष्य में गेटवे के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में, CAPSTONE का उद्देश्य **भविष्य के अंतरिक्ष यानों के लिए जोखिम को कम करने में मदद करना है।** CAPSTONE यह कार्य नवीन नेविगेशन प्रौद्योगिकियों की पुष्टि करने के साथ-साथ प्रभामंडल के आकार की कक्षा (halo-shaped orbit) की गतिशीलता को सत्यापित करके करेगा।
        - प्रभामंडल के आकार की कक्षा को **नियर-रेक्टिलिनियर हैलो ऑर्बिट (NRHO**) के रूप में जाना जाता है। यह पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में एक सटीक संतुलन बिंदु पर स्थित है।

7.4.7. कैंसर का इलाज (Cancer Cure)

- संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 मरीज एक विशेष प्रकार के **मलाशय (Rectal) के कैंसर** से पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इसे **'मिसमैच रिपेयर डेफिसिट' कैंसर** भी कहा जाता है।
    - यह कैंसर **कोलोरेक्टल, जठरांत्रिय (gastrointestinal) और अंतर्गर्भाशयकला (endometrial) कैंसर** में सबसे सामान्य है।
    - इस विकार से पीड़ित मरीजों के **DNA में त्रुटियों** को ठीक करने वाले **जीन की कमी** होती है। जब **कोशिकाएं प्रतियां बनाती** हैं, तब ये त्रुटियां प्राकृतिक रूप से होती हैं।
    - परीक्षण के दौरान, दूसरे या तीसरे चरण के मलाशय के कैंसर के उपचार के लिए एक **मोनोक्लोनल एंटीबॉडी** का उपयोग किया गया। इसे **डोस्टारलिमैब (Dostarlimab)** कहा जाता है।

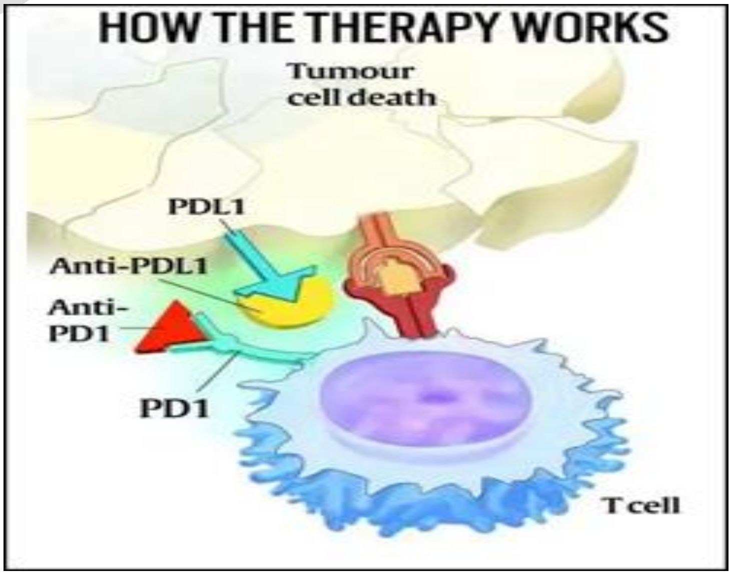

- **उपचार के बारे में**
    - यह प्रतिरक्षी उपचार (इम्यूनोथेरेपी) **PD1 ब्लॉकेड्स** नामक श्रेणी से संबंधित है।
        - **PD1** एक प्रकार का **प्रोटीन** है। यह **T-कोशिकाओं की गतिविधियों को बाधित** करता है। साथ ही, **प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्यों को नियंत्रित** भी करता है।

- **T-कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा** हैं। ये शरीर को संक्रमण और कैंसर से बचाने में मदद करती हैं।
    - **PD1 ब्लॉकेड** चिकित्सा इस **बाधा से T-कोशिकाओं को मुक्त** करती है। इस प्रकार, T-कोशिकाओं को **कैंसर के विकास को नष्ट करने में सक्षम** बनाती है।
    - पहले, इस उपचार का उपयोग सर्जरी के बाद किया जाता था, लेकिन अध्ययन से पता चला है कि इसमें **सर्जरी की आवश्यकता नहीं** पड़ती।
- परीक्षण से पता चलता है कि **केवल इम्यूनोथेरेपी** ही ऐसे रोगियों को **पूरी तरह से ठीक** कर सकती है। इसमें **कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी** जैसे कैंसर के उपचार के अन्य तरीकों की आवश्यकता नहीं होगी।

7.4.8. देश का पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र (Country's First Liquid Nano Urea Plant)

- हाल ही में, **प्रधान मंत्री ने कलोल (गुजरात) में देश के पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया।**
- तरल नैनो यूरिया **पेटेंटकृत रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक** है। इसका विकास IFFCO के कलोल स्थित नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ने किया है। यह उर्वरक नैनो नाइट्रोजन कणों {20-50 नैनोमीटर (nm)} से निर्मित है।
    - यह **विश्व का पहला नैनो यूरिया (तरल)** संयंत्र है।
    - एक नैनोमीटर एक मीटर के **अरबवें हिस्से** के बराबर होता है।

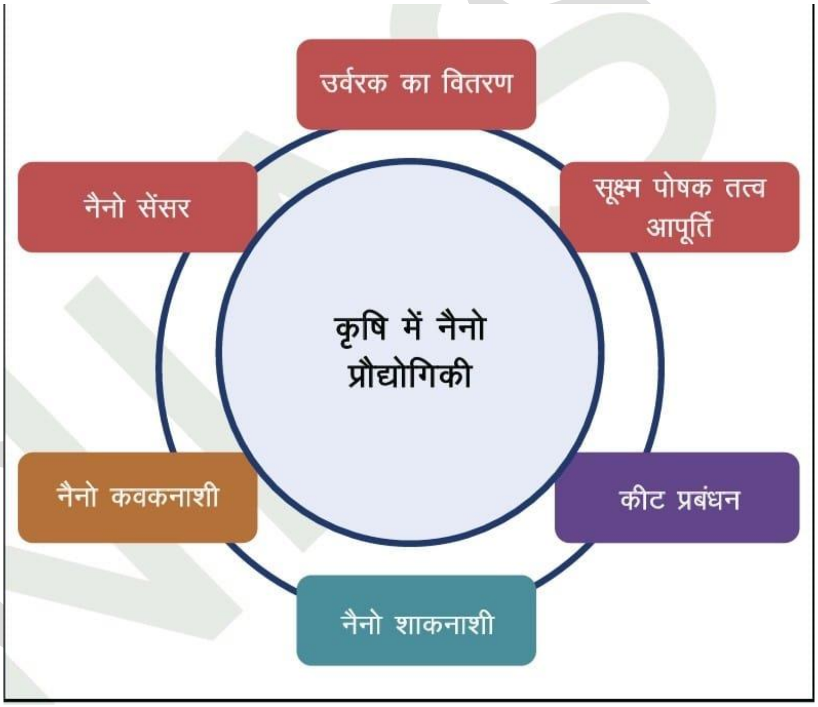

- यह **सीधे पौधों की पत्तियों पर** छिड़का जाता है। इसे पत्तियों के एपिडर्मिस (बाह्यपरत) पर पाए जाने वाले **रंध्र-छिद्र (स्टोमेटा) अवशोषित** कर लेते हैं।
- **नैनो यूरिया के लाभ**
    - पारंपरिक यूरिया की 25% दक्षता की तुलना में नैनो यूरिया की दक्षता 85-90% तक है। इससे **यूरिया की कम खपत** होगी। साथ ही, **कृषि उपज में भी सुधार** होगा।
    - **यूरिया आयात में कमी** आएगी।
    - सरकारी **सब्सिडी व लॉजिस्टिक लागत में कमी** आएगी।
    - यूरिया से होने वाले **मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण में कमी** होगी।
    - इसके अलावा, भूमिगत जल की गुणवत्ता में सुधार होगा और ग्लोबल वार्मिंग में कमी करने में मदद मिलेगी।
    - नमी के संपर्क में आने पर घनीभूत (caking) होने की कोई समस्या नहीं होने के कारण इसकी **शेल्फ लाइफ अधिक** होगी।
- **कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी के अन्य संभावित उपयोग**
    - शाकनाशियों, कीटनाशकों और अन्य उर्वरकों के **नैनोफॉर्म्यूलेशन का उपयोग** किया जा सकता है।
    - कृषि-रसायन के अवशेषों और रोगों की पहचान करने के लिए **नैनोसेंसर का उपयोग** किया जा सकता है।
    - उत्पादकता, पोषण मूल्य या शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पौधों की **आनुवंशिकी में सुधार** में उपयोग किया जा सकता है।

7.4.9. स्टील स्लैग (इस्पात धातुमल) (Steel slag)

- हाल ही में, केंद्रीय इस्पात मंत्री ने **गुजरात के सूरत में 'स्टील स्लैग' से निर्मित पहली छह लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन किया है।**
- **स्टील स्लैग के बारे में:**
    - यह **स्टील निर्माण का एक उप-उत्पाद है।** यह स्टील बनाने वाली भट्टियों में पिघले हुए स्टील को अशुद्धियों से अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है।
    - मृदा की अम्लता में सुधार करने की क्षमता के कारण **कृषि क्षेत्र में भी स्टील स्लैग का उपयोग किया जाता है।**

 ©Vision IAS

- इसमें **पौधों के लिए कुछ पोषक तत्व** होते हैं। इसमें **सिलिकेट उर्वरक भी होते हैं,** जो पौधों को **सिलिकॉन** प्रदान करने में सक्षम होते हैं।
- **अन्य अनुप्रयोग:** परिवहन उद्योग, निर्माण, सीमेंट उत्पादन, अपशिष्ट जल एवं जल उपचार आदि।

7.4.10. निक्सटामलाइज़ेशन (Nixtamalisation)

- एक अध्ययन ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि कैसे **माया सभ्यता के लोगों ने अपनी मक्का (maize) को रासायनिक प्रक्रिया के साथ फोर्टीफाइड किया था।** इस प्रक्रिया को **'निक्सटामलाइज़ेशन'** कहा जाता है।
- निक्सटामलाइज़ेशन एक ऐसी विधि है, जिसके द्वारा मेसोअमेरिका के प्राचीन लोग (जैसे कि माया सभ्यता) अपनी मक्का को एक क्षारीय घोल में भिगोकर पकाते थे। इस प्रकार वे मक्का को अधिक स्वादिष्ट, पौष्टिक और गैर-विषाक्त बनाते थे।
  - मेसोअमेरिका, मेक्सिको और मध्य अमेरिका का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है।
  - इस प्रक्रिया के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता था कि **मक्के में अमीनो एसिड, कैल्शियम और विटामिन बी 2 होता है। इनका मानव शरीर द्वारा उपयोग किया जा सकता है।**
  - यह प्रक्रिया **मक्का में मौजूद कुछ माइकोटॉक्सिन को भी समाप्त** कर देती थी।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

8. संस्कृति (Culture)

8.1. संत तुकाराम (Sant Tukaram)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **महाराष्ट्र के मंदिर शहर देहू में संत तुकाराम शिला (चट्टान) मंदिर** का उद्घाटन किया है।

संत तुकाराम (1608-1650) के बारे में

- वह **महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संतों** में से एक थे और **मराठी भाषा के सबसे महान कवियों** में से एक थे।
- उन्हें **तुकोबा, तुकाराम बोल्होबा अम्बिले** आदि के नाम से भी जाना जाता था।
- **साहित्यिक कार्य:**
  - उन्होंने साहित्य की एक **मराठी शैली** की रचना की थी। इसे **अभंग काव्य** कहा जाता है। यह **आध्यात्मिक विषयों के साथ लोक कथाओं** पर केंद्रित है। अभंग के विषय **पारिस्थितिकी, समानता, भाईचारे और ईश्वर के प्रति प्रेम** पर आधारित हैं।
  - उनके कीर्तन अर्थात् आध्यात्मिक गीत हिंदू भगवान विष्णु के अवतार **विठोबा या विट्ठल को समर्पित** थे।
  - 1632 ई. और 1650 ई. के बीच उन्होंने अपनी कृतियों का **'तुकाराम गाथा'** नामक मराठी भाषा के एक ग्रंथ में संकलन किया था। यह **'अभंग गाथा'** के नाम से भी लोकप्रिय था। इसमें लगभग 4,500 अभंग शामिल हैं।
- **समाज सुधार और अन्य योगदान**
  - उन्होंने **जाति व्यवस्था को अस्वीकृत किया** और कर्मकांडों का विरोध किया।
  - तुकाराम ने **लैंगिक आधार पर भेदभाव किए बिना** भक्तों और शिष्यों को स्वीकृति दी थी।
  - तुकाराम ने साहित्यिक कृतियों की रचना की थी। इन कृतियों ने **अखिल भारतीय भक्ति साहित्य में वारकरी परंपरा'** का विस्तार करने में मदद की थी।
  - उन्हें **वारी तीर्थयात्रा शुरू करने** का श्रेय दिया जाता है।
  - उनका कार्य पूरे महाराष्ट्र में फैले **वारकरी संप्रदाय** का केंद्र है।
  - **वे छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। शिवजी उनका बहुत सम्मान करते थे।**
  - उन्होंने **मराठों में एकता स्थापित करने में** योगदान दिया था। साथ ही, उन्हें मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करने में सक्षम बनाया था।
  - 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, **महात्मा गांधी** ने यरवदा सेंट्रल जेल में अपनी कारावास अवधि के दौरान **उनकी कविताएँ पढ़ी थीं और उनका अनुवाद किया था।**

वारकरी के बारे में

- वारकरी को उस **व्यक्ति या समूह के रूप में** संदर्भित किया जा सकता है, जो महाराष्ट्र के **पंढरपुर शहर में भगवान विठोबा या विट्ठल के मंदिर की तीर्थ यात्रा करता है।**
- पंढरपुर की यात्रा महाराष्ट्र के **विभिन्न शहरों और कस्बों** से शुरू होती है। प्रत्येक तीर्थयात्री **मध्ययुग के महत्वपूर्ण कवि संतों** द्वारा शुरू किए गए पथ का अनुसरण करता है। ये संत भगवान विट्ठल के अति निष्ठावान भक्त थे।
- कस्बों और शहरों में **जलगाँव, पैठण, दौलताबाद, आलंदी, देहू** तथा कई अन्य शहर शामिल हैं।
  - प्रत्येक शहर या कस्बा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के एक या अधिक संतों जैसे **मुक्ताबाई, एकनाथ, जनार्दनस्वामी, ज्ञानेश्वर और तुकाराम** से जुड़ा हुआ है।

संत तुकाराम महाराज - गाथा मंदिर के बारे में

- गाथा मंदिर **देहू** नाम के एक गाँव में स्थित है। यह गांव **पुणे से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है।**
- यह **सफेद संगमरमर** से बना है और संत तुकाराम महाराज के पुराने मंदिर के निकट **इंद्रायणी नदी के तट** पर स्थित है।

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News In Shorts)

8.2.1. चापेकर बंधुओं का मामला (Chapekar brothers case)

- **22 जून, 1897** को चापेकर बंधुओं ने महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू.सी. रैंड और उनकी सैन्य सुरक्षा में तैनात लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी थी।
  - **दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर** को **चापेकर बंधुओं** के नाम से जाना जाता था। ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध में **डब्ल्यू.सी. रैंड की हत्या** में शामिल भारतीय क्रांतिकारी थे।

        - इस हत्याकांड में **महादेव विनायक रानाडे** भी उनके सहयोगी थे।
    - 1857 के विद्रोह के बाद **भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद का यह पहला मामला** था।
- 1896-97 के दौरान पुणे (पूना) में **बुबोनिक प्लेग** फैला था। इसे **पूना प्लेग** भी कहा जाता है।
    - सरकार ने प्लेग के खतरे से निपटने और बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1897 में एक **विशेष प्लेग समिति** की स्थापना की थी। **चार्ल्स वाल्टर रैंड (डब्ल्यू.सी. रैंड) इस समिति के अध्यक्ष थे।**
    - प्लेग आयोग ने पुणे में चिकित्सकों को नियुक्त करने की बजाय 800 से अधिक अधिकारियों और सैनिकों को तैनात कर दिया था।
    - लोगों को **उनके रोग प्रभावित परिजनों का अंतिम संस्कार करने नहीं दिया जा रहा था।** ब्रिटिश सैनिकों द्वारा स्थानीय लोगों का उत्पीड़न बढ़ने लगा था।
    - रैंड आयोग के निरंतर उत्पीड़न ने चापेकर बंधुओं और क्रांतिकारी **"चापेकर क्लब"** के अन्य सदस्यों को रैंड के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया।
        - चापेकर बंधुओं ने **शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण के लिए "चापेकर क्लब"** नामक एक क्रांतिकारी संगठन गठित किया था।

8.2.2. मुंबई समाचार (Mumbai Samachar)

- प्रधान मंत्री ने मुंबई में 'मुंबई समाचार' के **'द्विशताब्दी महोत्सव'** में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर **एक डाक टिकट भी जारी** किया।
- **मुंबई समाचार (जिसे पहले बॉम्बे समाचार कहा जाता था) के बारे में:**
    - यह एक **गुजराती अखबार** है। इसका कार्यालय मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में स्थित है। इसे **पहली बार 1822 ई. में प्रकाशित** किया गया था।
    - इसकी स्थापना एक पारसी विद्वान **'फरदूनजी मुराज़बान'** ने की थी।
    - यह एक **साप्ताहिक संस्करण** के रूप में शुरू हुआ था। यह मुख्य रूप से **समुद्र पार माल की आवाजाही** और अन्य **व्यावसायिक ख़बरों** को प्रकाशित करता है।
    - यह अखबार **200 वर्षों से लगातार प्रकाशित किया जा रहा है।**

8.2.3. कोडवा समुदाय (Kodavas)

- **कोडवा,** एक छोटा समुदाय है। यह **कुर्ग समुदाय के रूप में भी जाना जाता है।** यह समुदाय मुख्य रूप से **कर्नाटक के कोडागू (कूर्ग) जिले** में रहता है।
- यह एक योद्धा जनजाति है। इसमें मुख्यतः तीन जनजातीय समूह हैं- **कोडवा मोपला या कोडवा मप्पिला, कोडगु गौड़ा और ब्यारी।**
- उनके **रीति-रिवाज और अनुष्ठान अनूठे** हैं, जैसे - **दहेज प्रथा की अनुपस्थिति, विवाह में पुजारी की कोई भूमिका न होना** आदि।
- **भाषा:** कोडवा टक्क। यह एक संकटग्रस्त भाषा (यूनेस्को द्वारा घोषित) है। यह द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है।
- **त्यौहार: कावेरम्मे** (कावेरी की पूजा), **कालीपोध** (हथियारों का त्यौहार), **पुट्टारी** (फसल कटाई उत्सव) आदि।

8.2.4. भारत गौरव ट्रेन (Bharat Gaurav Train)

- **'भारत गौरव योजना'** के तहत कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिर्डी के लिए **'भारत गौरव ट्रेन'** की पहली सेवा शुरू की गई है।
- भारत गौरव ट्रेनें **थीम-आधारित ट्रेनें** हैं। इन्हें **नवंबर, 2021** में भारतीय रेलवे ने शुरू किया था।
- **लक्ष्य: भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों** को भारत तथा विश्व के लोगों को दिखाना।
- इस योजना का उद्देश्य थीम-आधारित ट्रेनों के संचालन हेतु पर्यटन क्षेत्र के **पेशेवरों की प्रमुख क्षमता का लाभ उठाना** है। इससे भारत की विशाल पर्यटक क्षमता का दोहन हो सकेगा।
- भारत गौरव योजना के दिशा-निर्देश, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन (IRCTC) द्वारा पहले से चल रही पर्यटक सर्किट ट्रेनों के साथ-साथ **'बौद्ध सर्किट पर्यटक ट्रेनों'** पर भी लागू होते हैं।

8.2.5. राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का शुभारंभ (Rashtriya Puruskar Portal Launched)

- गृह मंत्रालय के तहत एक सामान्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in) लॉन्च किया गया है। पोर्टल के तहत भारत सरकार के **विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/ एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक साथ लाया जाना है।** इससे पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।

- इस पोर्टल का उद्देश्य **नागरिकों को ऐसी सुविधा प्रदान करना है, जिससे वे निम्नलिखित विभिन्न पुरस्कारों** के लिए व्यक्तियों/संगठनों को नामांकित कर सकेंगे-
  - पद्म पुरस्कार,
  - सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार,
  - तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार,
  - जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार,
  - पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार आदि।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी नैतिकता (Ethics of Artificial Intelligence)

परिचय

एलॉन की गाड़ी के एक अन्य गाड़ी से टकराने की घटना कैमरे में कैद हो गई, किन्तु एलॉन को दोषी नहीं ठहराया गया। उसका तर्क था कि गाड़ी ऑटोनॉमस (स्व-चालित) मोड पर थी, इसलिए दुर्घटना की जिम्मेदारी उसकी नहीं, कार विनिर्माता की है। एलॉन दोषी है या नहीं?

हमारे जीवन के कई हिस्सों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का समावेश हो गया है। इस कारण हमारे समक्ष इस तरह की असंख्य दुविधाएं पैदा हो गई हैं। इस संदर्भ में, यूनेस्को इस बात पर विचार कर रहा है कि सरकार और टेक कंपनियों द्वारा AI का उपयोग किस तरह किया जाना चाहिए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में नैतिकता

"कृत्रिम बुद्धिमत्ता" (AI) की धारणा को, मुख्य रूप से, ऐसी कृत्रिम कम्प्यूटेशनल प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है, जो बुद्धिमान व्यवहार का प्रदर्शन करती है। बुद्धिमान व्यवहार से तात्पर्य ऐसे जटिल व्यवहार से है, जो लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक होता है।

लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए AI प्रणाली को ऐसे **निर्णय लेने पड़ते हैं,** जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे- स्वचालित गाड़ियां। ऐसे निर्णय लेने के लिए यह समझना आवश्यक होता है कि मनुष्य किस तरह सोचते हैं और वे कौन से मूल्य हैं, जिन्हें आधार बनाकर वे निर्णय लेते हैं। यह समझ तर्कसंगत होने के साथ-साथ भावनात्मक भी होनी चाहिए।

AI नैतिकता, नैतिक सिद्धांतों और तकनीकों से बनी एक ऐसी प्रणाली है, जो इसे जागरूक निर्णय लेने में मदद करती है। यह निर्णय नैतिक रूप से स्वीकार्य और तार्किक रूप से श्रेष्ठ होने चाहिए।

AI से जुड़ी नैतिक समस्याएं क्या हैं?

- **स्वचालन (ऑटोमेशन) और बेरोजगारी:** AI, रोजगार बाजार के एक बड़े हिस्से को स्वचालित बनाने पर केंद्रित तकनीक है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि AI को बड़े पैमाने पर अपनाने से नए प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अभी यह देखा जाना बाकी है कि ये नए अवसर, इसके कारण बढ़ने वाली बेरोजगारी की क्षतिपूर्ति किस हद तक कर पाएंगे।
- **निजता और निगरानी:** AI के आने से, पहले से विद्यमान समस्याओं जिसमें डेटा निगरानी, चोरी, प्रोफाइलिंग शामिल हैं, को अधिक बढ़ावा मिला है। उदाहरण के लिए, AI-आधारित इमेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके फ़ोटो और वीडियो में चेहरा पहचानने की तकनीक व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग करने और उन्हें खोजने में मदद करेगी।
- **व्यवहार को प्रभावित करना:** उपयोगकर्ता डेटा प्रणालियों के साथ गहनता से जुड़ जाते हैं। इसके अलावा AI डेटाबेस में व्यक्तियों के बारे में निजी और गहन जानकारियां मौजूद होती हैं। इस प्रकार AI के कारण उपयोगकर्ता 'परोक्ष दबाव' (nudging), चालाकी/ पैंतरेबाज़ी और छल का शिकार हो जाते हैं।
  - उदाहरण के लिए, कई विज्ञापनदाता अधिकतम लाभ कमाने के लिए AI-प्रमाणित मनोवैज्ञानिक प्रभावों का उपयोग करते हैं। जैसे- व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रहों का मनवांछित उपयोग करवाना, छल-कपट करना और लत लगवाना शामिल है।
- **AI प्रणाली का अपारदर्शी होना:** AI प्रणाली द्वारा लिए गए निर्णय पारदर्शी नहीं होते हैं। इस अस्पष्टता के कारण जवाबदेही और ईमानदारी बनाए रखने की संभावना समाप्त हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह लोगों के बीच अविश्वास पैदा करती है।
- **निर्णय प्रक्रिया में पूर्वाग्रह/ पक्षपात:** बहुत सी AI प्रणालियां, न्यूरल नेटवर्क (सिम्युलेटेड) में मशीन लर्निंग की तकनीकों पर आधारित होती हैं। यहां सिम्युलेटेड न्यूरल नेटवर्क से तात्पर्य हमारे मस्तिष्क के समान ही कृत्रिम रूप से बनाया गया इनफार्मेशन प्रोसेसिंग के एक नेटवर्क से है। ये प्रणालियां निर्धारित डेटासेट के पैटर्न के अनुसार काम करती हैं। ये पैटर्न मानव पूर्वाग्रहों जैसे लैंगिक पक्षपात, जातिगत पक्षपात आदि की नकल करते हैं।
  - उदाहरण के लिए- प्रिडिक्टिव पुलिसिंग द्वारा विकसित किए गए ट्रायल एप्लीकेशंस में कुछ समुदायों के लोगों को संभावित खतरों के रूप में दर्शाने की प्रवृत्ति रहती है (यानी, **नस्लवादी या जातिवादी रोबोट**)।

©Vision IAS

- **मानव-रोबोट पारस्परिकता:** बुद्धिमान रोबोट्स के साथ पारस्परिकता स्थापित करने से कई प्रश्न उठते हैं, जैसे- मानवीय भावनाओं का अनुकरण करने वाले रोबोट्स के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? हम इन रोबोट्स से खुद को या वंचित वर्ग को शारीरिक या मानसिक हानि से कैसे बचा सकते हैं? और सोशल रोबोट के साथ पारस्परिकता स्थापित करते समय हम अपनी निजता की रक्षा कैसे करें?
- **सिंगुलेरिटी:** सिंगुलेरिटी की अवधारणा के अनुसार यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव मानव बुद्धिमत्ता के स्तर तक पहुंच जाता है, तो ये प्रणालियां स्वयं ही कुछ विशेष AI प्रणालियां विकसित कर सकती हैं। ये विशेष प्रणालियां मानव बुद्धिमत्ता के स्तर से भी आगे निकल सकती हैं, अर्थात् वे **"अति बुद्धिमान" (super intelligent)** हो सकती हैं।

ये प्रणालियां हमें कैसे प्रभावित कर रही हैं?

कुछ उदाहरण:

AI को अपनाने से पैदा होनी वाली समस्याएं सार्वभौमिक हैं, यानी वे जीवन के कई क्षेत्रों में मौजूद हैं। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं -

पूर्वाग्रह ग्रस्त AI

अपने पसंदीदा सर्च इंजन में "अब तक के सबसे महान नेता" टाइप कीजिए और आपको संभवतः दुनिया के प्रमुख पुरुष व्यक्तित्वों की सूची दिखाई देगी। आपको इसमें कितनी महिलाओं के नाम मिलते हैं? (कृत्रिम बुद्धिमत्ता में लैंगिक पक्षपात का यह उदाहरण, **हमारे समाज में निहित रूढ़िवादी प्रतिनिधित्व की गहरी जड़ों से उत्पन्न हुआ है।**)

स्वचालित कार

एक ऐसी स्वचालित कार की कल्पना करें, जिसके ब्रेक खराब हो गए हों और वह पूरी गति से एक बुजुर्ग महिला और बच्चे की ओर जा रही हो। कार को थोड़ा सा घुमाने से किसी एक की जान को बचाया जा सकता है। आप किसे चुनेंगे? **(ऐसी निर्णय प्रणाली बनाने के दौरान नैतिक दुविधा का उदाहरण)**

AI कला का निर्माण करती है

ऐसी कला का कलाकार किसे कहा जाएगा? प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी को, इंजीनियरों को, एल्गोरिदम, या ... सामूहिक नस्ल के रूप में हम सभी को? (**मशीनों और रोबोट्स के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेहिता के मानकों** की अनुपस्थिति का उदाहरण)

अदालतों में AI

विश्व भर की न्यायिक व्यवस्था में AI का उपयोग बढ़ रहा है। इसके कारण नैतिकता से जुड़े अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके उत्तर खोजना बाकी है। संभवतः न्यायाधीश की तुलना में AI, मामलों का मूल्यांकन और न्याय को बेहतर, तेज और अधिक कुशल तरीके से लागू कर सकता है। लेकिन क्या यह न्याय निष्पक्ष होगा, क्या यह मानवाधिकारों और मौलिक आदर्शों को बनाकर रख पाएगा? (**AI के कुशल लेकिन अप्रत्याशित उपयोग का** उदाहरण)

नीतिपरक AI प्रणाली का निर्माण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?

हर दिन, AI के नए उपयोग के मामले सामने आ रहे हैं। हर संभावित उपयोग का पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं है। इस समस्या को दूर करने के लिए, यूनेस्को में सामूहिक रूप से 193 देशों ने AI के नैतिक उपयोग के लिए उसके डिजाइन के निम्नलिखित सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया है:

- **आनुपातिकता आधारित और हानि रहित:** AI प्रणाली का उपयोग करने और AI की किसी विशेष पद्धति का उपयोग करने का चुनाव, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के अनुपात में होना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो तथा यह मजबूत वैज्ञानिक आधारों पर आधारित होना चाहिए।
- **न्यायसंगतता और भेदभाव रहित:** AI अभिकर्ताओं को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुपालन करते हुए हर प्रकार की न्यायसंगतता तथा भेदभाव-रहित व्यवहार का संरक्षण करना चाहिए।
- **संधारणीयता:** AI प्रौद्योगिकियों के मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का निरंतर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- **निजता का अधिकार और डेटा संरक्षण:** एल्गोरिदम आधारित प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित की आवश्यकता है:
  - निजता पर पड़ने वाले प्रभाव के पर्याप्त आकलन की ,

- इनके उपयोग के सामाजिक और नैतिक परिणामों पर ध्यान देने की, और
    - डिजाइन सिद्धांत द्वारा नीति के अभिनव उपयोग की।
- **मानव निरीक्षण और अवधारण:** यह सुनिश्चित करना चाहिए कि AI प्रणाली के जीवन चक्र के किसी भी चरण के लिए भौतिक व्यक्तियों या मौजूदा कानूनी संस्थाओं को नैतिक और कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसा AI प्रणाली से संबंधित समाधान के मामलों में भी किया जा सकता है।
- **पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता:** इससे AI प्रणाली की प्रक्रियाओं को स्पष्टता से समझा जा सकेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि AI की निर्णय लेने की प्रक्रिया और संबद्ध परिणामों से लोग सहमत हैं।
    - पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता का पर्याप्त जिम्मेदारी और जवाबदेहिता के उपायों के साथ नजदीकी संबंध है। साथ ही, इससे AI प्रणालियों के प्रति विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।
- **बहु-हितधारक और अनुकूल कार्यप्रणाली एवं सहयोग:** AI प्रणाली के जीवन चक्र में अलग-अलग हितधारकों की भागीदारी आवश्यक है ताकि,
    - AI गवर्नेंस के लिए समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जा सके
    - इसके लाभों को सभी के साथ साझा किया जा सके और
    - इसके संधारणीय विकास में योगदान दिया जा सके।

निष्कर्ष

कुछ नैतिक प्रश्न कष्ट को कम करने से संबंधित हैं और कुछ प्रश्न नकारात्मक परिणामों के जोखिमों के बारे में है। इन जोखिमों पर विचार करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुल मिलाकर, इस तकनीकी प्रगति से सभी के लिए बेहतर जीवन बनाया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अपार संभावनाएं हैं तथा इसका जिम्मेदारी से कार्यान्वयन हम पर निर्भर करता है। हमें मानव-केंद्रित AI की आवश्यकता है।

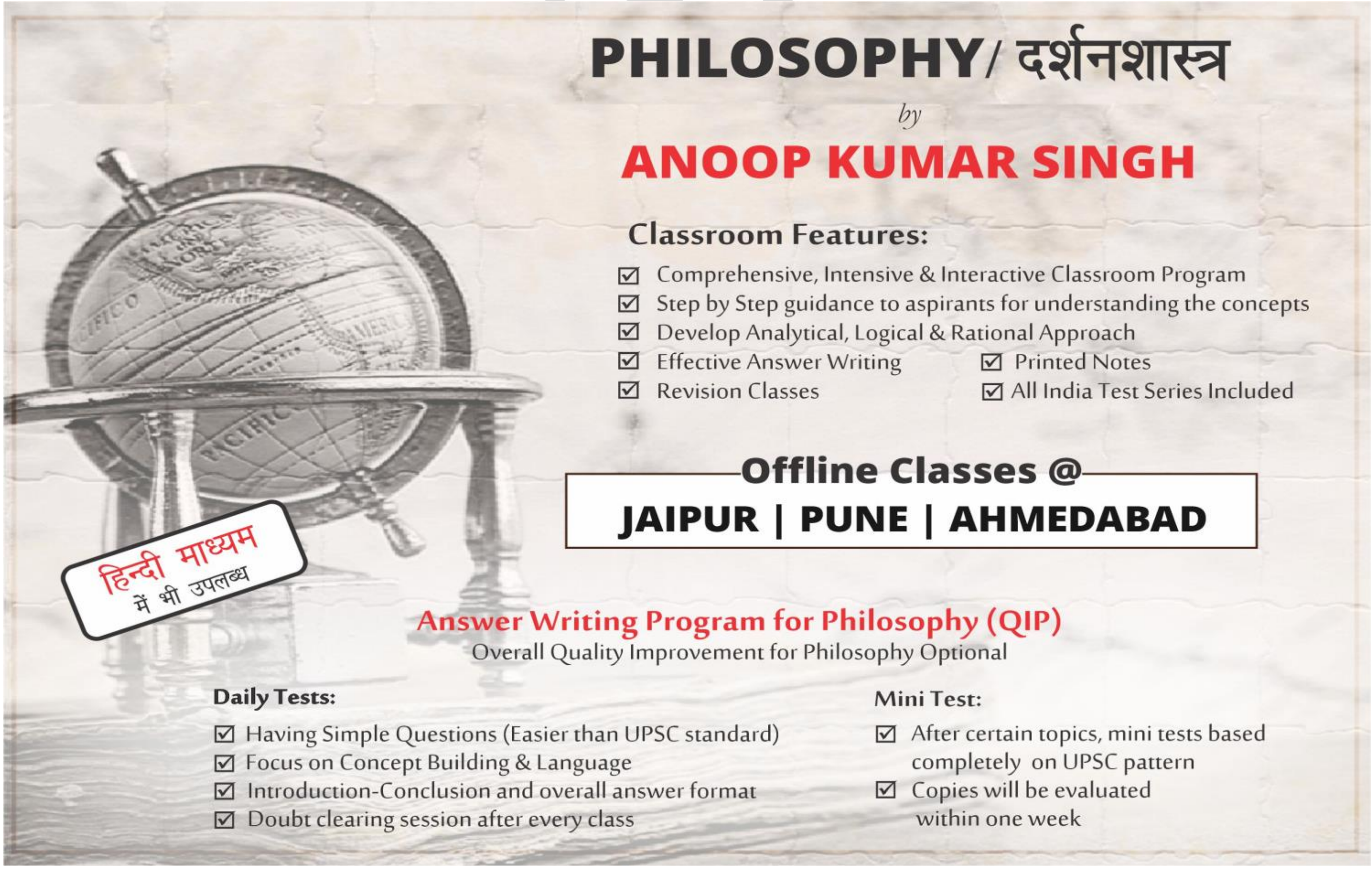

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएँ (Schemes in News)

10.1. प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने 'प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी' (PMAY-U) के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• इस मिशन के तहत **वर्ष 2022 तक** सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए **पक्का घर सुनिश्चित करने का लक्ष्य** रखा गया है। इस तरह यह **मलिन बस्ती वासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/ निम्न आय समूह (LIG) और मध्य आय समूह (MIG) श्रेणियों** की शहरी आवास की कमी को दूर करता है। • यह लाभार्थियों के लिए सुरक्षा की भावना और स्वामित्व के गर्व के साथ-साथ गौरवपूर्ण तथा **सम्मानजनक जीवन** सुनिश्चित करता है।	• यह भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है। इसे **'आवास और शहरी कार्य मंत्रालय'** (MoHUA) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। **वर्ष 2015 में इसे 'श्रम और रोजगार मंत्रालय' के अंतर्गत** शुरू किया गया था। • **कवरेज:** यह मिशन **पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करता है।** इसमें सांविधिक कस्बे, अधिसूचित नियोजन क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य के कानून के तहत ऐसे प्राधिकरण शामिल हैं, जिन्हें शहरी नियोजन और विनियमों के कार्य सौंपे गए हैं। • **पात्र नहीं हैं:** इसके तहत, लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भी हिस्से में **उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।** • **महिला सशक्तीकरण:** यह मिशन **महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।** इस मिशन में, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और समाज के अन्य कमजोर व उपेक्षित वर्गों को प्राथमिकता दी गई है। ○ इस मिशन के तहत केंद्रीय सहायता से निर्मित/अर्जित **घर परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त,** केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई प्रमुख वयस्क महिला नहीं हैं, तब घर परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है। • **कैफेटेरिया दृष्टिकोण:** PMAY(U) में भौगोलिक परिस्थितियों, स्थलाकृति, आर्थिक परिस्थितियों, भूमि की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे आदि के आधार पर व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप कैफेटेरिया दृष्टिकोण अपनाया गया है। ○ चार विकल्पों के माध्यम से आय, वित्त और भूमि की उपलब्धता के आधार पर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ विकल्पों को अपनाया गया है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

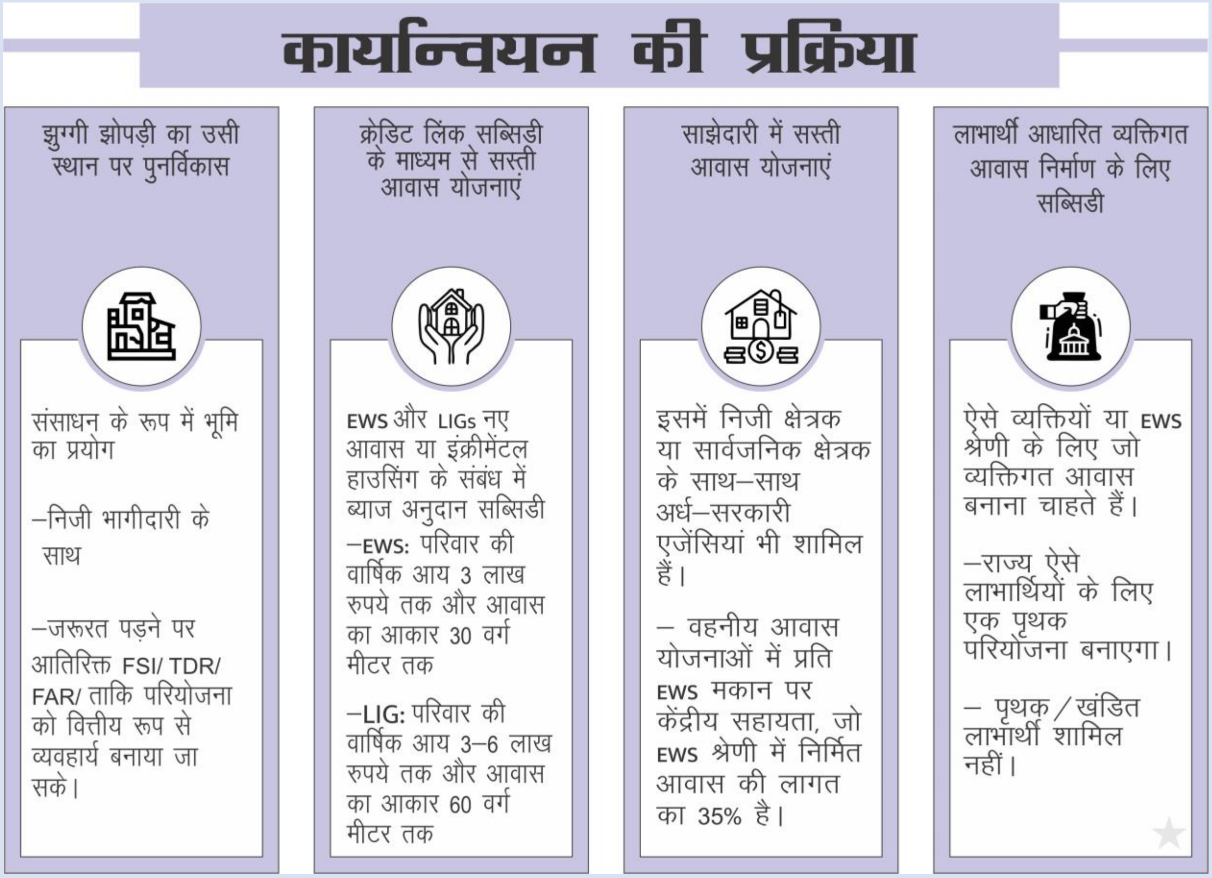

- **वित्तीय सहायता:** इसके तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)** और अन्य कार्यान्वियन एजेंसियों **को केंद्रीय सहायता** प्रदान की जाती है।
  - **राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB), हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO)** और **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)** को केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNAs) के रूप में नामित किया गया है। ये एजेंसियां इस सहायता राशि को उधार देने वाले संस्थानों को देंगे और इस घटक की प्रगति की निगरानी भी करेंगे।
  - **योजना को निम्नलिखित चार घटकों में विभाजित किया गया है:**
    - स्व स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास (ISSR),
    - क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS),
    - साझेदारी में वहनीय आवास, तथा
    - लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर का निर्माण या विस्तार।
  - **केवल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है,** जबकि अन्य **तीन घटकों को केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)** के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।
  - **EWS श्रेणी के लाभार्थी मिशन के सभी चार घटकों से सहायता के लिए पात्र हैं,** जबकि LIG और MIG श्रेणियां केवल CLSS घटक के तहत पात्र हैं।
  - इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी केवल एक घटक के तहत लाभ उठा सकते हैं।
- **प्रोत्साहन:** केंद्र सरकार किफायती आवास निधि (Affordable Housing Fund: AHF) और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (PSL) के तहत रियायती परियोजना वित्त प्रदान करेगी। साथ ही, आयकर और जी.एस.टी. में छूट तथा किफायती किराया आवास परिसर (ARHCs) में नवीन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान प्रदान करेगी।
  - सरकार ने PMAY को बढ़ावा देने के लिए किफायती आवास क्षेत्रक को **'अवसंरचना का दर्जा'** दिया है।
  - **मलिन बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम** के तहत **औसतन प्रति घर एक लाख रुपये** का केंद्रीय अनुदान दिया जाएगा।
- घरों के निर्माण की प्रगति की **निगरानी के लिए जियो-टैगिंग;** इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए 'सार्वजनिक

 ©Vision IAS

	वित्तीय प्रबंधन प्रणाली' (PFMS); तथा निर्माण कार्य से संबंधी नई प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी उप-मिशन भी शुरू किए गए हैं। • **किफायती किराया आवास परिसर (ARHC):** MoHUA ने शहरी प्रवासियों / गरीबों के लिए PMAY-U के तहत एक उप-योजना ARHC भी शुरू की है। ○ ARHC का उद्देश्य शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थल के निकट सम्मानजनक किफायती किराये के आवास उपलब्ध कराना है। ○ **ARHC योजना को दो मॉडलों के माध्यम से लागू किया जाएगा:** ▪ मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली घरों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा ARHC में परिवर्तित करना। ▪ सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर ARHC का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना। • **PMAY (U) के तहत क्षमता निर्माण:** योजना के तहत आवंटन का कुल 5% क्षमता निर्माण, सूचना शिक्षा और संचार (IEC) तथा प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों (A&OE) के लिए निर्धारित किया गया है। • **अंगीकार- प्रबंधन संबंधी परिवर्तन के लिए एक अभियान:** इसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। यह अभियान सामुदायिक लामबंदी और IEC गतिविधियों के माध्यम से PMAY (U) के लाभार्थियों के लिए जल एवं ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, स्वच्छता व सफाई जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर केंद्रित है। ○ **PMAY (U) का MoHUA के कई शहरी मिशनों तथा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया है।** इनमें 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण', 'जल शक्ति', 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन', 'नई और नवीकरणीय ऊर्जा', 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस', 'विद्युत', 'युवा मामले और खेल' तथा 'महिला एवं बाल विकास' जैसे मंत्रालय शामिल हैं। • **ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया:** MoHUA ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया (GHTC-India) की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य **आवास निर्माण क्षेत्रक के लिए** विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम निर्माण प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को मुख्यधारा में लाना है। इन प्रौद्योगिकियों में संधारणीय, पर्यावरण के अनुकूल और आपदा प्रतिरोधी आदि जसी प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं। • **CLSS आवास पोर्टल (CLAP):** यह एक वेब-आधारित निगरानी प्रणाली है। यह एक साझा मंच है। इसके तहत सभी हितधारक अर्थात् MoHUA, केंद्रीय नोडल एजेंसियां, प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने वाले संस्थान, लाभार्थी और नागरिक रियल टाइम में आपस में जुड़े होते हैं।

10.2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना (Employee State Insurance Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने वर्ष 2022 के अंत तक संपूर्ण देश में कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इसका उद्देश्य **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948** के तहत परिभाषित 'कर्मचारियों' को बीमारी, प्रसूति और रोजगार के नुकसान के मामले में सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही, कामगारों के	• कर्मचारी राज्य बीमा योजना वस्तुतः **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत उल्लेखित सामाजिक बीमा संबंधी एक एकीकृत उपाय है।** ○ वर्तमान में, ESI योजना **443 जिलों में पूर्ण रूप से तथा 153 जिलों में आंशिक रूप से लागू है। यद्यपि, इस योजना में अभी भी देश के 148 जिले शामिल नहीं हैं।** • ESI अधिनियम के अधिकांश भाग का निष्पादन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)[98] द्वारा किया जाता है, जबकि इससे संबंधित अधिकांश कार्यवाही का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है। ○ केंद्र सरकार द्वारा यह नियंत्रण इस अधिनियम की संवैधानिकता को बनाए रखने में काफी सीमा तक योगदान देता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि बीमा, चाहे वह सरकारी हो या निजी, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची का विषय है। इसका आशय यह हुआ कि इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है।

[98] Employees State Insurance Corporation

हितों से जुड़े कुछ अन्य मुद्दों के लिए भी प्रावधान करना है।
• ESI योजना में अंशदान, श्रमिकों की मजदूरी के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भुगतान क्षमता से संबंधित है। इसमें कामगारों को बिना किसी भेदभाव के व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ प्रदान किए जाते है।
	• **पात्रता:** इस योजना के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत आने वाले सभी प्रतिष्ठान पात्र हैं। साथ ही, इस योजना हेतु 10 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले और 21,000 रुपये प्रतिमाह (दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 25,000 रुपये) से कम वेतन देने वाले सभी कारखाने भी पात्र हैं। इन इकाइयों को ESIC के तहत पंजीकृत होना और ESI योजना में अंशदान का भुगतान करना अनिवार्य है ।
	  ○ **कुछ राज्यों में प्रतिष्ठानों को इसमें शामिल करने की सीमा अभी भी 20 कर्मचारी है।**
	  ○ यह अधिनियम उन **गैर-मौसमी कारखानों पर लागू होता है** जिनमें 10 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं।
	  ○ ESI निगम ने ESI योजना के लाभों का विस्तार किया है। इसके तहत इस **योजना के अधीन कार्यान्वित क्षेत्रों में स्थित निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों** को भी शामिल किया गया है।
	• **अंशदान:** इस योजना में कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत का भुगतान कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं द्वारा अंशदान के रूप में किया जाता है।
	  ○ वर्तमान में, योजना के तहत कवर किए गए **कर्मचारी अपने वेतन के 0.75% का अंशदान करते हैं,** जबकि **नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देय वेतन का 3.25% का अंशदान** करते हैं।
	  ○ ऐसे **कर्मचारी जिनकी प्रतिदिन की आय 176/- रुपये या इससे कम है,** उनको अपने हिस्से के **अंशदान** का भुगतान करने **से छूट दी गई है।**
	  ○ राज्य सरकारें प्रति व्यक्ति 1500/- रुपये की अधिकतम सीमा के साथ प्रति बीमित व्यक्ति हेतु चिकित्सा लाभ के व्यय के रूप में प्रतिवर्ष 1/8वें भाग का अंशदान करती हैं।
	• **लाभ**
	  ○ **चिकित्सा संबंधी लाभ:** इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों को उस दिन से पूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है जिस दिन से वह बीमा योग्य रोजगार कार्य करना शुरू करता है। इसमें बीमित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य के इलाज पर खर्च की कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं है।
	    ▪ सेवानिवृत्त और स्थायी रूप से दिव्यांग बीमित व्यक्तियों तथा उनके जीवनसाथी को 120/- रुपये के मामूली वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर चिकित्सा देखभाल की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
	  ○ **बीमारी के दौरान लाभ (SB):** इस योजना के तहत बीमित श्रमिकों को प्रमाणित बीमारी की अवधि के दौरान **एक वर्ष में अधिकतम 91 दिनों के लिए मुआवजा राशि के रूप में मजदूरी का 70% नकद प्रदान किया जाता है।**
	  ○ **मातृत्व लाभ (MB):** पूर्ववर्ती वर्ष में 70 दिनों के अंशदान देने की शर्त के अधीन प्रसूति/गर्भावस्था के लिए मातृत्व लाभ पूर्ण मजदूरी दर पर 26 सप्ताह के लिए अदा किया जाता है। इसे चिकित्सा परामर्श पर एक ओर महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
	  ○ **अपंगता संबंधी लाभ:** कर्मचारी अस्थायी अपंगता के मामले में स्वस्थ होने तक 90% मासिक वेतन के पात्र होते हैं। स्थायी अपंगता के मामले में मासिक वेतन का 90% जीवन भर के लिए प्राप्त किया जा सकता है।
	  ○ **आश्रितजन संबंधी लाभ (DB):** यदि कर्मचारी की मृत्यु रोजगार के दौरान चोट लगने या व्यावसायिक खतरों के कारण होती है तो मासिक भुगतान के रूप में मजदूरी के 90% की दर से किया जाता है। यह भुगतान मृतक बीमित व्यक्ति पर आश्रित लोगों को किया जाता है।
	• **अन्य लाभ**
	  ○ **अंत्येष्टि व्यय:** यह राशि आश्रितों या बीमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को दी जाती है। इसके तहत 15,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है।
	  ○ **प्रसूति व्यय:** यह एक बीमित महिला या बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी के संबंध में दी जाने वाली राशि है। यह प्रसव होने वाले स्थान पर ESI योजना के अंतर्गत आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध न होने पर दी जाती है।
	• **बेरोजगारी (राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना):** इस योजना में 24 माह की अवधि के लिए औसत मासिक वेतन का अधिकतम 50% प्रदान किया जाता है। यह राशि क्षति या चोट के कारण स्थायी रूप से अक्षमता के मामले में अस्वैच्छिक रूप से बेरोजगार हो जाने पर दी जाती है।
	• **दिव्यांग व्यक्तियों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्रक के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन:**
	  ○ ESIC लाभ प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए न्यूनतम मजदूरी सीमा 25,000/- है।
	  ○ केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए नियोक्ता के अंशदान का भुगतान किया जाता है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

हिमाचल प्रदेश
- हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

हरियाणा
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG), 2021 का चौथा संस्करण पंचकुला (हरियाणा) में आयोजित किया गया।

राजस्थान
- सीकर जिले में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं।

मध्य प्रदेश
- मध्य प्रदेश ने अवैध रेत खनन को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (NCS) के कुछ हिस्सों में इसे कानूनी बनाने की योजना बनायी है।

केरल
- दुर्लभ ड्रैगनफ्लाई– स्पाइनी हॉर्नटेल (बर्मागोम्फस चौकुलेंसिस) को केरल में पहली बार देखा गया है।

बिहार
- बिहार के वन विभाग ने वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व (VTR) में हाथी बचाव केंद्र की स्थापना की है।

अरुणाचल प्रदेश
- पर्यावरणविदों ने दिबांग घाटी में एटालिन जलविद्युत परियोजना पर चिंता प्रकट की है।

असम
- असम ONORC योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
- कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन हुआ।
- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिज़र्व को आक्रामक पादपों की प्रजातियों के नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

मेघालय
- मौसिनराम और चेरापूंजी में जून माह के एक दिन में संपूर्ण देश के औसत से अधिक वर्षा हुई है।
- 'नोंगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य' के वन्य क्षेत्र के निकट बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है।

पश्चिम बंगाल
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने रॉबर्ट क्लाइव हाउस के बाहर लगभग 2,000 वर्ष पुराने टीले का उत्खनन किया है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

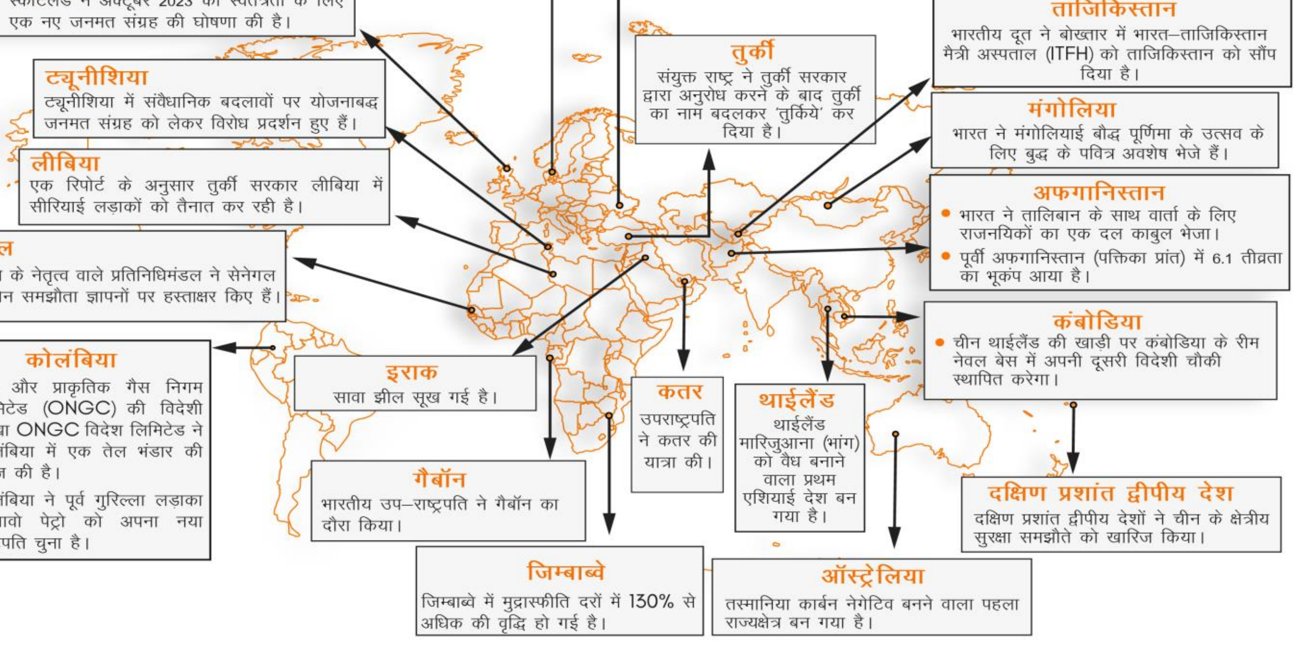

डेनमार्क
डेनमार्क और कनाडा ने 'हैंस द्वीप' पर लगभग 50 वर्ष पुराने विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता किया है।

स्कॉटलैंड
स्कॉटलैंड ने अक्टूबर 2023 को स्वतंत्रता के लिए एक नए जनमत संग्रह की घोषणा की है।

ट्यूनीशिया
ट्यूनीशिया में संवैधानिक बदलावों पर योजनाबद्ध जनमत संग्रह को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

लीबिया
एक रिपोर्ट के अनुसार तुर्की सरकार लीबिया में सीरियाई लड़ाकों को तैनात कर रही है।

सेनेगल
उपराष्ट्रपति के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने सेनेगल के साथ तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

कोलंबिया
- तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC) की विदेशी शाखा ONGC विदेश लिमिटेड ने कोलंबिया में एक तेल भंडार की खोज की है।
- कोलंबिया ने पूर्व गुरिल्ला लड़ाका गुस्तावो पेट्रो को अपना नया राष्ट्रपति चुना है।

इराक
सावा झील सूख गई है।

गैबॉन
भारतीय उप–राष्ट्रपति ने गैबॉन का दौरा किया।

जिम्बाब्वे
जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति दरों में 130% से अधिक की वृद्धि हो गई है।

यूक्रेन
- खेरसॉन क्षेत्र में प्रॉक्सी सरकार ने घोषणा की है कि सभी नवजात शिशुओं को रूसी नागरिकता प्रदान की जाएगी।
- स्नेक आइलैंड पर हवाई हमले में यूक्रेन ने रूसी सेना को अत्यधिक क्षति पहुँचाई है।

तुर्की
संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की सरकार द्वारा अनुरोध करने के बाद तुर्की का नाम बदलकर 'तुर्किये' कर दिया है।

ताजिकिस्तान
भारतीय दूत ने बोख्तार में भारत–ताजिकिस्तान मैत्री अस्पताल (ITFH) को ताजिकिस्तान को सौंप दिया है।

मंगोलिया
भारत ने मंगोलियाई बौद्ध पूर्णिमा के उत्सव के लिए बुद्ध के पवित्र अवशेष भेजे हैं।

अफगानिस्तान
- भारत ने तालिबान के साथ वार्ता के लिए राजनयिकों का एक दल काबुल भेजा।
- पूर्वी अफगानिस्तान (पक्तिका प्रांत) में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है।

कंबोडिया
- चीन थाईलैंड की खाड़ी पर कंबोडिया के रीम नेवल बेस में अपनी दूसरी विदेशी चौकी स्थापित करेगा।

कतर
उपराष्ट्रपति ने कतर की यात्रा की।

थाईलैंड
थाईलैंड मारिजुआना (भांग) को वैध बनाने वाला प्रथम एशियाई देश बन गया है।

दक्षिण प्रशांत द्वीपीय देश
दक्षिण प्रशांत द्वीपीय देशों ने चीन के क्षेत्रीय सुरक्षा समझौते को खारिज किया।

ऑस्ट्रेलिया
तस्मानिया कार्बन नेगेटिव बनने वाला पहला राज्यक्षेत्र बन गया है।

सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्ति

व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 कबीर	• हाल ही में, राष्ट्रपति ने **उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र** का उद्घाटन किया है। • कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। • **योगदानः** ▫ वह आत्मा की वेदांत की अवधारणाओं में विश्वास करते थे। **उन्होंने हमेशा भगवान के निराकार पहलू (निर्गुण रूप) पर बल दिया। इसलिए वे मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे।** ▫ उनके लेखन का **भक्ति आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा।** उनकी रचनाओं में **कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और साखी ग्रंथ** जैसे शीर्षक शामिल हैं। ▫ पवित्र **गुरु ग्रंथ साहिब** में महान **संत कबीर के 500 से अधिक दोहे शामिल** हैं।	• **सामाजिक आलोचना और असहमतिः** ▸ उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से सामाजिक रीति–रिवाजों और मौजूदा मूल्यों, विशेष रूप से **जाति और धार्मिक हठधर्मिता की आलोचना** करने वाले छंद शामिल हैं। ▸ उनकी कविताओं / दोहों ने राजनीतिक और नैतिक मूल्य के रूप में असहमति की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिससे सामाजिक जीवन में मूल्यों में सुधार हो सकता है।
 संत तुकाराम	• वह 17वीं सदी के मराठी कवि और हिंदू संत थे। • वह भगवान विट्ठल या विठोबा के भक्त थे, जो कृष्ण का एक रूप है। • **योगदानः** ▫ उनका जीवन–दर्शन **महाराष्ट्र में फैले 'वरकरी संप्रदाय' के लिए महत्वपूर्ण है।** ▫ **जातिविहीन समाज** के बारे में उनके संदेश और कर्मकांडों के प्रति उनकी अस्वीकृति ने **एक 'सामाजिक आंदोलन' को जन्म दिया।** ▫ उन्हें 'वारी तीर्थयात्रा' शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ▫ **वे शिवाजी के समकालीन थे।** ▫ उनकी भक्ति कविता को प्रसिद्ध **'अभंग'** के रूप में तथा आध्यात्मिक गीतों को **'कीर्तन'** के रूप में जाना जाता है।	• **समतावाद और आध्यात्मिकताः** ▸ ईश्वर के भक्त होने के नाते उन्होंने आजीवन **जातिविहीन समाज का संदेश** दिया। ▸ उन्होंने साहित्य के माध्यम से भक्ति काव्य की रचना की।
 बंदा सिंह बहादुर	• राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने नई दिल्ली के लाल किले में **महान योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहादत दिवस मनाया है।** • इनका जन्म राजौरी गाँव (जिला पुंछ, कश्मीर राज्य) में एक कृषक राजपूत परिवार में हुआ था। • **योगदानः** ▫ यह एक महान सिख योद्धा और खालसा सेना के एक सेनापति थे। उन्होंने **मुगलों को हराकर पंजाब में खालसा शासन की स्थापना की थी।** ▫ उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और **भूमि जोतने वालों को भूमि का स्वामी घोषित किया।**	• **वीरता और प्रतिबद्धताः** ▸ वह मुगल शासकों के खिलाफ आक्रामक युद्ध छेड़ने और **सिख क्षेत्र का विस्तार** करने वाले भारत के अग्रणी सिख सैन्य नेता थे। ▸ उन्होंने आम लोगों के लिए सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ी।
 प्रशांत चंद्र महालनोबिस	• पी. सी. महालनोबिस ने **राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में** अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके सम्मान में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। • **प्रमुख योगदानः** ▫ उन्होंने **भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की।** ▫ उन्होंने **नेशनल सैंपल सर्वे (1950)** की स्थापना की। ▫ उन्होंने सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। ▫ उन्होंने भारत की **दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–61)** को स्वरूप प्रदान किया। इसे महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तीव्र औद्योगीकरण पर केंद्रित थी। ▫ उन्होंने 'महालनोबिस डिस्टेंस' नामक एक सांख्यिकीय माप दिया। • उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। • उनके नाम से **महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार** शुरू किया गया है। यह पुरस्कार किसी विकासशील देश या इलाके में सांख्यिकी के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए एक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। ▫ यह पुरस्कार **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** द्वारा दिया जाता है।	• **संस्थान निर्माता और विद्वानः** ▸ राष्ट्र की सेवा में उन्होंने अपने प्रयासों और समर्पण के जरिए **भारतीय सांख्यिकी संस्थान** (ISI) की स्थापना की और उसे आगे बढ़ाया। ▸ वे एक बेहतरीन **सांख्यिकीविद् और वैज्ञानिक** थे। उनके विद्वतापूर्ण योगदान ने भारत में नीति निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर किए गए सर्वेक्षणों का विकास किया।
 श्यामा प्रसाद मुखर्जी	• 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 69वीं पुण्यतिथि थी। • **योगदानः** ▫ मुखर्जी वर्ष 1929 में, **बंगाल विधान परिषद** के सदस्य बने थे। ▫ मुखर्जी वर्ष 1934 में **कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु (33 वर्ष) में कुलपति** नियुक्त किये गये थे। ▫ मुखर्जी **हिंदू महासभा में शामिल हुए और वर्ष 1944** में इसके अध्यक्ष बने। ▫ वह स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। ▫ वर्ष 1951 में, उन्होंने **भारतीय जनसंघ की स्थापना की और वर्ष 1977–1979** में उन्होंने जनता पार्टी की सह–स्थापना की। ▫ उन्होंने **अनुच्छेद 370** (जम्मू और कश्मीर को स्वायत्त दर्जा) का **कड़ा विरोध किया** था।	• **देशभक्ति, दृढ़ विश्वास और साहसः** ▸ उनकी दूरदृष्टि और कार्यों ने सच्चे अर्थों में एक **एकीकृत भारत के निर्माण** की दिशा में वैचारिक चेतना में बदलाव को प्रेरित किया। ▸ वे **भारत के पहले उद्योग मंत्री** थे और एक अर्थ में उन्होंने भारत के **औद्योगिक विकास** की मजबूत नींव रखी।
 वेंकटरमन कृष्णमूर्ति	• **'भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के जनक'** और **'टर्नअराउंड मैन'** के रूप में लोकप्रिय वेंकटरमन कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। • **योगदानः** ▫ वे वर्ष 1954 में योजना आयोग के भाग के रूप में **विद्युत परियोजनाओं के प्रभारी थे।** ▫ **मारुति उद्योग के संस्थापक अध्यक्ष** के रूप में, उन्होंने मारुति 800 को लॉन्च किया था। यह कदम भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के आधुनिक युग की शुरुआत माना गया था। ▫ **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड** (BHEL) **और बाद में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड** (SAIL) के प्रमुख के रूप में, उन्होंने कंपनियों को पुनर्जीवित किया। • वे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कारों से सम्मानित थे।	• **नेतृत्वकर्ता और अग्रदूतः** ▸ उन्हें **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारत में सबसे अधिक लाभ कमाने वाले उद्योगों में बदलने में** उनके नेतृत्व और सफल योगदान के लिए जाना जाता है। ▸ उन्होंने मारुति 800 की शुरुआत के साथ **भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के आधुनिक युग की शुरुआत** की थी।

वीकली फोकस

प्रत्येक सप्ताह एक मुद्दे का समग्र कवरेज

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
भारत में खेल: ओलंपिक और अन्य	पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय खेल संस्कृति क्रिकेट के खेल से आगे निकल गई है। इसके परिणामस्वरूप दर्शकों की संख्या और भागीदारी में वृद्धि हुई है। साथ ही, फिटनेस के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी बदल गया है। यह डॉक्यूमेंट भारत में खेल क्षेत्र के सामने आने वाली प्रासंगिक समस्याओं का विश्लेषण करता है। साथ ही, उन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का विवरण देता है। इसके अलावा यह हमारी प्राचीन खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने और हमारे प्रदर्शन में उत्कृष्टता लाने के उपायों पर सुझाव देता है।	
संधारणीय कृषि भाग-I: अवधारणाओं और प्रथाओं की समझ	कृषि उत्पादन प्रणालियों और उत्पादकों के लिए कई नए और गंभीर जोखिम पैदा हो गए हैं। इन जोखिमों के कारणों में शामिल हैं: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति, उपभोग के पैटर्न में बदलाव, निरंतर जनसंख्या वृद्धि, व्यापार का वैश्वीकरण और स्थानीय एवं वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रभाव। इन परिवर्तनों के मद्देनज़र, कृषि-खाद्य प्रणाली की स्थिरता और बहु-कार्यात्मक उद्यम के रूप में खेती का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह डॉक्यूमेंट उन विचारों, प्रथाओं और नीतियों की पहचान करने का एक प्रयास है जो सतत कृषि की अवधारणा निर्मित करते हैं। साथ ही मौजूदा कृषि पद्धतियों को बदलने की उभरती आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।	
संधारणीय कृषि भाग-II: भारत की खाद्य प्रणाली का रूपांतरण	भारत में कृषि-वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और किसानों के बीच एक आम सहमति बनती जा रही है। इसके अनुसार हरित क्रांति अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई है और इसने पर्यावरणीय संधारणीयता के कई मुद्दों को उठाया है। भारत में लाखों किसानों ने कृषि के प्राकृतिक विकल्पों के पक्ष में जारी अभियान के हिस्से के रूप में रासायनिक कीटनाशकों को अस्वीकार कर दिया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में सतत कृषि अब भी मुख्यधारा से बाहर है। यह दस्तावेज़ भारत में सतत कृषि पद्धतियों और प्रणालियों (SAPS) की वर्तमान स्थिति और उनके व्यापक अनुप्रयोग के मार्ग में बाधाओं का एक विश्लेषण प्रदान करता है।	
भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी: भावी संभावनाओं की खोज	हम क्वांटम तकनीक के नये युग के शुरुआती दौर में हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकियों की एक नई पीढ़ी उन अधिकांश उभरती प्रौद्योगिकियों को बदल देगी जिन्हें हम आज जानते हैं। यह उनमें से कई को सशक्त बनाएगी, जबकि अन्य तकनीकों की सुरक्षा के लिए खतरे पैदा करेगी। यह डॉक्यूमेंट क्वांटम प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करता है। इसमें उनके काम करने का तरीका, तकनीकी और सामाजिक दोनों स्तरों पर उनके अपरिहार्य प्रभावों पर चर्चा की गई है। सरकारों और तकनीकी फ़र्मों ने अपने कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे में क्वांटम तकनीकों को शामिल करने के लिए कुछ उपाय अपनाए हैं। इसमें उन उपायों पर भी चर्चा की गई है। साथ ही, यह डॉक्यूमेंट भारत के लिए इसकी संभावनाओं पर भी बात करता है।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अपनी तैयारी से जुड़े रहिए

सोशल मीडिया पर फॉलो करें

www.visionias.in

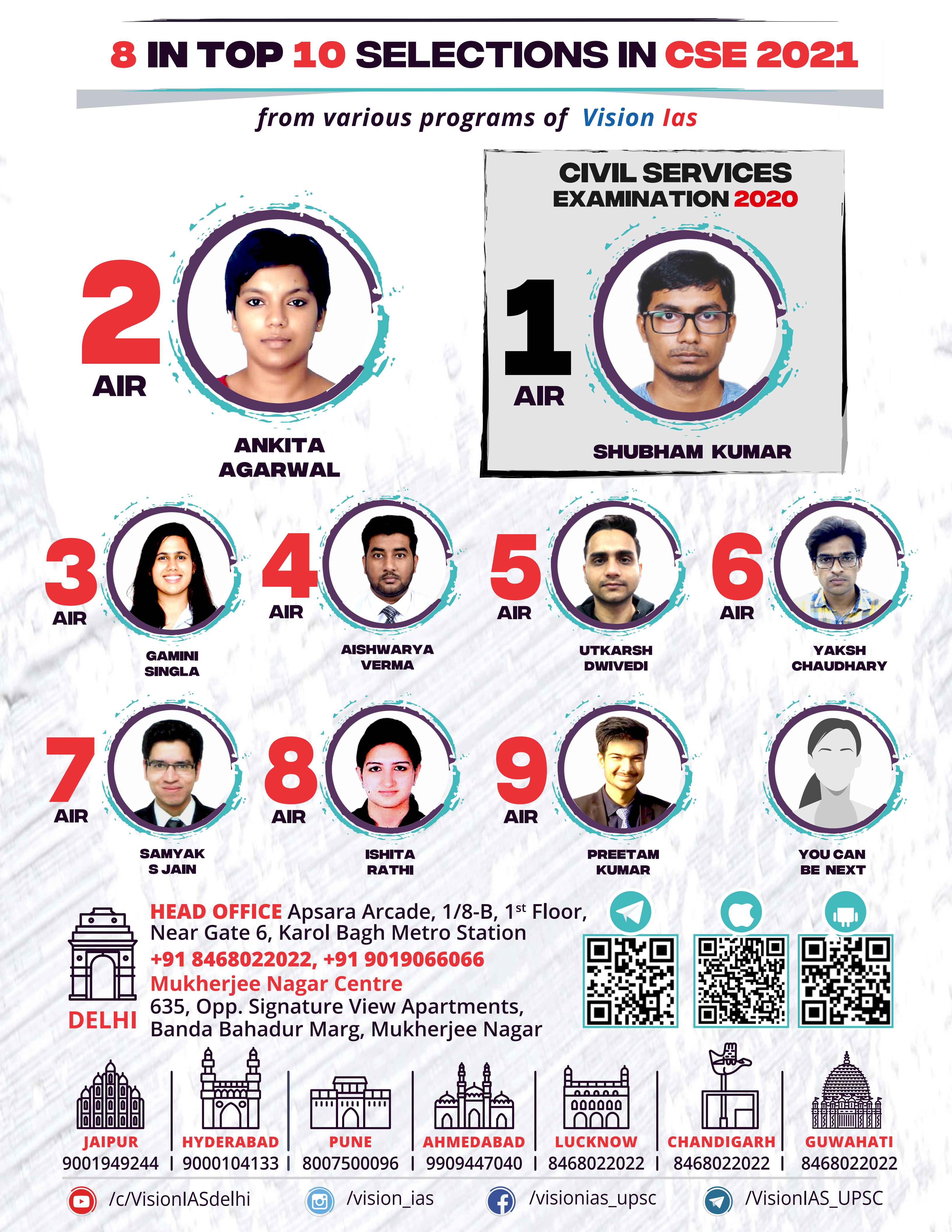
8 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2021
from various programs of Vision Ias
CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020
1 AIR
SHUBHAM KUMAR
2 AIR
ANKITA AGARWAL
3 AIR
GAMINI SINGLA
4 AIR
AISHWARYA VERMA
5 AIR
UTKARSH DWIVEDI
6 AIR
YAKSH CHAUDHARY
7 AIR
SAMYAK S JAIN
8 AIR
ISHITA RATHI
9 AIR
PREETAM KUMAR
YOU CAN BE NEXT
HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066
Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar
DELHI
JAIPUR 9001949244
HYDERABAD 9000104133
PUNE 8007500096
AHMEDABAD 9909447040
LUCKNOW 8468022022
CHANDIGARH 8468022022
GUWAHATI 8468022022
/c/VisionIASdelhi
/vision_ias
/visionias_upsc
/VisionIAS_UPSC